राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या : 10

गुरुवार,

19 अप्रैल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री वृद्धिचन्द जैन।

बाड़मेर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., बाड़मेर में हुई अनियमितता की जांच

212. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बाड़मेर में हुए भ्रष्टाचार की जांच सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से कराई जा रही है? यदि हां, उक्त जांच कब से प्रारम्भ हुई तथा उक्त जांच की क्या प्रगति है?

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही जांच के दौरान कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही राज्य सरकार स्तर पर की जा रही है?

(3) क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा जिले के कृषकों से बयानात आदि लिये गये हैं यदि हां तो उनसे क्या तथ्य सामने आये हैं और मौके के सत्यापन के परिणाम क्या रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी, हां। बाड़मेर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बाड़मेर में हुए भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राथमिक जांच संख्या 30/2000 पंजीबद्ध कर जांच दिनांक 17.4.2000 से प्रारम्भ हुई है तथा प्राथमिक जांच विचाराधीन है।

(2) जांच विचाराधीन है। जांच के पश्चात् प्राप्त जांच प्रतिवेदन, जांच के दौरान प्राप्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य का क़ानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण करने के बाद ही दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का निर्धारण किया जाएगा।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रारम्भिक जांच है, जो कम्पलीट कर दी गयी है उस जांच के बाद में अब रजिस्ट्रेशन करने के लिये, आप कितना समय, उनके केसेज रजिस्टर्ड हों, इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्राथमिक जांच के आधार पर 11 केसेज दर्ज कराने के आदेश दे दिये गये हैं और उन केसेज का अनुसंधान मैं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को आदेश दे रहा हूं कि वे 6 महीने में पूर्ण करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो जांच है जिसमें 11 केसेज दर्ज किये गये हैं, तो बहुत-से और भी केसेज दर्ज करने के हैं। इस सम्बन्ध में और केसेज दर्ज करने के लिये मेरा यह कहना है कि इस सम्बन्ध में जो ऊंची कीमतें फव्वारों के बारे में दी गयी हैं उसके लिये फर्जी आई.एस.आई. मार्का प्रस्तुत किया गया है और कम भूमि पर अधिक फव्वारा यंत्र देकर किसान को ऋण बोझ से दबाया है तथा अधिक अनुदान से सात सौ से अधिक मामलों में राज्य सरकार को हानि पहुंचाई है। इसका भी आप कंसीडरेशन करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, ये तीन वर्ष के मामले हैं, 1995-96, 1996-97, 1997-98, लगभग 3000 मामले हैं जिसमें फव्वारों पर अनुदान देने के सम्बन्ध में गड़बड़ियों की शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी पी.ई. दर्ज करके हमने जांच शुरू कर दी है। जैसा माननीय विधायक महोदय चाहते हैं कि इसमें ऊंची दर पर माल बेचा गया है, आई.एस.आई. मार्का नहीं था और कई कमी रह गयी हैं, इन सभी दृष्टिकोणों से विस्तृत जांच करवाकर हमने कुछ केसेज रजिस्टर्ड कर दिये हैं और भी जांच में जो केसेज रजिस्टर्ड करने हैं, उसकी जांच 6 महीने में पूरा करने का मैं आपके मार्फत सदन को आश्वस्त करता हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो वेतन भत्ता के अन्दर.....

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट.....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ये हैं, इन्हें बोलने दीजिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जहां सिंचाई कुएं हैं ही नहीं, उन किसानों के नाम फर्जी ऋण आबंटन दिखाया गया है एवं उनकी जमीनें बैंक के रहन दर्ज कर दी गयी हैं और आज भी दर्ज हैं। क्या इस सम्बन्ध में भी जांच कराकर किसानों को आप रिलीफ पहुंचाएंगे ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर कोई फर्जी नाम से ऋण उठाया गया है और किसानों की जमीन को गिरवी रखा है तो इसकी मैं अलग से जांच करवा करके इस मुद्दे पर विचार कर लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो पूर्व में भत्ता स्वीकृत नहीं होते हुए भी उन्होंने भत्ता भी उठाया, क्या उनकी भी जांच होगी? कोई, एक पहले का 11.4.61 का एक हजार रुपये रिश्वत के तौर पर भी लिये हैं वह भी अधिकारी इसमें, जांच में है, उसकी भी जांच इसमें सम्मिलित होगी?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह फव्वारा सैट्स के सम्बन्ध में हुई गड़बड़ी के बारे में है। किसी अधिकारी के बारे में, भत्ते का सवाल नहीं उठाया है। इसलिये तत्काल जवाब देना तो मेरे लिये सम्भव नहीं है। (व्यवधान) अगर माननीय विधायक महोदय मुझे ऐसी सूचना देंगे, अगर माननीय विधायक महोदय इस सम्बन्ध में कोई तथ्यात्मक जानकारी मुझे देंगे तो मैं उसकी भी जांच कराने को तैयार हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : पिछले विधान सभा सत्र में ये सभी अधिकारी सस्पैंड हुए थे वे सभी सम्मिलित थे और उन्हीं की ये जांचें हैं। इसमें जो वेतन, भत्ते के अन्दर किया है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : यह बाड़मेर बैंक का है, वह कई बैंकों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न था।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह कोई नहीं, को-आपरेटिव महकमे का ही है, को-आपरेटिव महकमे के ही अधिकारी सस्पैंड हुए थे, एम.डी. के पद पर।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे जालौर जिले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और 15-17 हजार रुपये में जो फव्वारे मिलते हैं उसमें 35 हजार के लोन लोगों ने उठा लिये और उसमें लोगों ने शिकायत भी की। परन्तु जालौर ज़िले की अभी तक जांच नहीं बैठाई गयी है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जालौर जिले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और लोगों को लूटा है और 17 हजार की जगह 35-35 हजार का लोन उठा लिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो बाड़मेर जिले का पूछ रहे हैं, बाड़मेर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का।

श्री रतनाराम चौधरी : मुद्दा एक ही है। जालौर, बाड़मेर का फव्वारों का मुद्दा है, यह फव्वारों का मुद्दा है। (व्यवधान) फव्वारों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फव्वारा स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह जालौर जिले और बाड़मेर में तो विशेषकर भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिये कृपा करके आप थोड़ा निर्देश दें। अभी, जालौर जिले की फव्वारा स्कीम की जांच हो जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : ठहरिये, ठहरिये। यह बाद में हुआ है।

श्री हीरालाल विश्नोई : यह फव्वारों के बारे में घोटाला पूरे राजस्थान में हुआ है। एक जिले की बात नहीं है। पूरे राजस्थान में यह फव्वारों में घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी यह प्रकरण पिछली बार बजट सैशन में आया था और उस समय माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने इस सदन में कुछ अधिकारियों को सस्पैंड करने की घोषणा की थी। मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या वे सब अधिकारी इस जांच के दायरे में हैं, एक बात? क्या कुछ अधिकारियों ने अपने उच्च पदों के प्रभाव में अपने आपको सस्पेंशन से विदड्रा कराकर वापस रिइंस्टेट करा दिया था? क्या इस प्रकार का भेदभाव इस जांच में तो नहीं होगा? जिन लोगों की पहुंच उच्च भवनों तक नहीं है, उच्च अधिकारियों से नहीं है वे इससे कहीं प्रताड़ित नहीं हों और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, कौन-कौन से अधिकारी हैं जो इस जांच के दायरे में हैं? मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटीज ने पिछले वर्ष सदन में हुई चर्चा के दौरान, एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा, वर्ष 1995-96, 96-97, 97-98 के सम्बन्ध में जो भी फव्वारा सैट में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराई जाए। इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाये जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से मैं विभाग को रिकमण्ड करूंगा, की जाएगी। लेकिन जो दूसरे अधिकारी किसी और मामले में अगर लिप्त हैं और सदन में जो चर्चाएं हुईं, किस मुद्दे पर हुईं, किस पर नहीं हुईं, मेरा सम्बन्ध केवल भ्रष्टाचार विभाग को रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी ने जो मुद्दा उठाया, अभी लिमिटेड है और उसी का मैं उत्तर देने में सक्षम हूं। अन्य मामले सहकारिता मंत्रीजी जानते हैं कि क्या मामले थे, अगर वे रैफर करेंगे तो मैं उनकी भी जांच कराने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसायटीज ने किन्हीं स्पेसिफिक अधिकारियों के बारे में आपको कोई शिकायत नहीं की है, एक वेग शिकायत की है 4-5 साल की कि उसकी जांच करें। तो एक वेग शिकायत हुई, कोई पर्टिकूलर स्पेसिफिक अधिकारियों को नामांकित करते हुए क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है आपको?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 3 वर्षों में जो भी फव्वारा सैट में गड़बड़ियां हुईं और उस वक्त में 1995-96, 96-97, 97-98 में बाड़मेर जिले का ही प्रश्न पूछा है और बाड़मेर जिले में जो गड़बड़ी हुई है उसकी पी.ई. हमने कर ली है। और पी.ई. के आधार पर जो कर्मचारी या अधिकारी इसमें लिप्त पाये जाते हैं उनके खिलाफ केस

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

रजिस्टर करके कानूनी कार्यवाही हम निश्चित रूप से करेंगे। चूंकि प्रश्न का सम्बन्ध केवल बाड़मेर जिले में फव्वारा सैट से सम्बन्धित था उसका मैंने उत्तर दिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : रजिस्ट्रार महोदय ने आपको दिये थे, उन्होंने बताया है, अधिकारियों के नाम भी उसमें हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री रामनारायण चौधरी : जनरल पत्र लिखा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जनरल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने अभी उल्लेख किया कि रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी ने एक पत्र सरकार को लिखा। वह पत्र सरकार को कब लिखा, उस पत्र पर ए.सी.डी. ने परिवाद कब दर्ज किया और उस पर आपने जांच कब प्रारम्भ की? अध्यक्ष महोदय, 1.4.2000 को जांच प्रारम्भ करने की बात माननीय गृह मंत्रीजी सदन में बता रहे हैं और आज एक वर्ष के लगभग का समय व्यतीत हो गया, आपकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि खण्ड चार के अन्दर मंत्री महोदय ने यह कहा है कि किसानों के बयान नहीं लिये गये। मूल प्रश्नकर्ता ने भी कहा है कि किसानों से सम्बन्धित फव्वारा सैटों में गड़बड़ी हो और किसानों के बयान नहीं लिये गये। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह की जांच कराना चाहते हैं? क्या यह सही है कि आपके पास जांच प्रतिवेदन आया, उसके साथ-साथ विभाग ने विभागीय कार्यवाही भी जांच के दौरान प्रारम्भ की और विभागीय कार्यवाही में कुछ लोगों को विभाग ने एग्जोनरेट कर दिया, अब वे आपकी जांच की परिधि में हैं या नहीं हैं? यह तीन बातें बता दीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विभागीय जांच में कौन दोषी पाये गये, कौन दोषी नहीं पाये गये उसकी जानकारी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : को-आपरेटिव रजिस्ट्रार का पत्र कब आया, आपने परिवाद कब दर्ज किया और आपने जांच कब प्रारम्भ की?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह बता रहा हूं मैं। रजिस्ट्रार का पत्र मेरे पास दिनांक 30.5.2000 को मिला था उसमें उन्होंने 1995-96, 1996-97, 1997-98 के फव्वारा सैट में हुई गड़बड़ी की जांच का अनुरोध भ्रष्टाचार विभाग से किया है। हमने उसी के आधार पर पी.ई. दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी। पी.ई. हमारी समाप्त हो चुकी है और अब केस रजिस्टर करके कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कितनी तारीख को पी.ई. दर्ज की? मेरा स्पष्ट आरोप है कि इसमें जान-बूझकर विलम्ब किया गया है। एक साल से ज्यादा समय हो गया। रजिस्ट्रार को-आपरेटिव ने आपको पत्र लिखा और पत्र के आधार पर जो जांच आपको करनी चाहिए थी वह जांच आपने नहीं की।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे कहा है कि प्री पी.ई. 3000 के आस-पास मामले थे। प्रिलिमनरी जांच में यह पाया जाता है कि अगर वह वास्तव में गड़बड़ी हुई है तो उसके आधार पर ही केस रजिस्ट्रर करते हैं। हमें सावधानी बरतनी पड़ती है और केस को अगर सही ढंग से नहीं समझकर टेकल कर पाएंगे और खाली केस रजिस्टर कर देंगे तो फिर जाकर मामला आगे नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने पूर्ण सतर्कता बरती है। वह चाहे फर्म वालों ने गड़बड़ी की हो, चाहे बैंक के कर्मचारियों ने गड़बड़ी की हो, चाहे अधिकारियों ने गड़बड़ी की हो, उसमें हम आश्वस्त होना चाहते थे और आश्वस्त होने के बाद मुकदमा दर्ज करके उसका चालान करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने लोगों को पी.ई. बयान में दोषी पाया?

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : और जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने निवेदन किया था कि केस रजिस्टर करके हम छह महीने में इसकी कार्यवाही पूरी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नबदई) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो फव्वारा सैट में गड़बड़ी पाई गई उसमें कृषि विभाग, क्या क्रेता-विक्रेता दोषी हैं या अधिकारी दोषी है? या किसी साजिश के तहत सिर्फ एक आदमी को फंसाया जा रहा है जिसके खिलाफ पांच-छह जांच बैठीं, जिसमें से पांच में निर्दोष है और एक फव्वारा सैट में दोषी बनाकर, पाइंट बनाकर उसको फंसाया जा रहा है? नम्बर दूसरी बात, जो दूसरा अधिकारी है, जिसके खिलाफ 37 साल पहले रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसको राजनीतिक प्रेशर के कारण इस केस से निकाला जा रहा है, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अन्तर्गत जो भी हमारे सामने 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में...(व्यवधान) चाहे विभाग के अधिकारी हो, चाहे...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : 37 साल पहले की बात यह बात रहे हैं। वह मुकदमा जिसके खिलाफ था वह था वहां का तत्कालीन जो है, एस.सी.एल. माथुर और अपने वहां पियोन के खिलाफ में, जहां हजार रुपये उन्होंने गबन किये थे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, आप बीच में यह क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : इन्होंने यह कहा कि 37 साल पहले और सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य, विश्नोईजी ने अभी कहा कि एक हजार रुपये का इस प्रकार गबन किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह तो जांच करने से पता चलेगा। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गवर्नमेंट ने यह रिपोर्ट भेजी है कि 40 साल से उसका.... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : वह एम.डी. था उस समय।

श्री हीरालाल विश्नोई : जांच करने से पता चलेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उस समय एम.डी. था। उस समय जो 800 रुपये भरे। वह जो आप जिसके बारे में कह रहे हो उसके खिलाफ एक पैसे का भी चार्ज नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इन्होंने पी.ई. स्टार्ट की। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पी.ई. 30/2000 में क्या इनको कोई इंटरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है? और यदि हां, तो उसमें क्या आरोप प्रमाणित हुए हैं और यदि नहीं, तो कितने आरोप, जो लगाये गये थे उसमें से कितने आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं? दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि रजिस्ट्रार को-आपरेटिव ने जो आपको एक अभ्यावेदन भेजा कि इस पर आप जांच करें, क्या उसमें श्री चम्पालाल जैन, जो बाड़मेर बैंक में कार्यरत था, उन पर भी इस तरह के कोई आरोप आरोपित थे? और यदि थे तो आरोपित रहने के बावजूद कैसे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और कैसे उनके सारे के सारे पेंशन सम्बन्धित मामले निस्तारण कर दिये गये?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रजिस्ट्रार ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई हमारे पास जांच के लिए नहीं लिखा है बल्कि गत तीन वर्षों में फव्वारा कांड में हुई गड़बड़ी के सम्बन्ध में जांच करने के लिए लिखा है। चाहे उसमें कृषि अधिकारी हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हों, चाहे फर्म के लोग हों, जिन्होंने मिलकर इसमें गड़बड़ी की है, उन सभी, हमारे दायरे में आते हैं उसकी जांच हम करके जो भी दोषी पाये जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : नहीं, मैं तो इंटरिम रिपोर्ट की जानकारी चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है क्या और यदि हुई है तो उसमें कितने आरोप प्रमाणित पाये गये?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी समझें, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को कोई केस भेज दिया जाता है तो विभाग अपनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कार्यवाही बंद कर देता है। इसके बारे में आप स्पष्ट करिये कि विभाग में भी कार्यवाही समानान्तर चल सकती है या नहीं? यह विभाग वाले हमेशा उधर टालकर अपना काम बंद कर देते हैं। जबकि मंतव्य यह नहीं है, भ्रष्टाचार विभाग अपना काम करता है। विभाग भी उस पर अपनी कार्यवाही जारी रख सकता है लेकिन गलतफहमी यह प्रचारित कर दी गई है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जो केस भेज दिया उस पर विभाग अपनी कार्यवाही बंद कर देता है। इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपके भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की कि उसमें पैरेलल केस डिपार्टमेंट में चल सकता है या नहीं?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने जो इंक्वायरी की है उसमें कौन-कौन अधिकारी आरोपित आज तक हुए हैं, उनके कृपया नाम बताएं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सूचना मेरे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि पी.ई. की बड़ी लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट है, उसको देखने के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, जो भी कार्यवाही अब तक हुई है उसमें कम से कम कोई तो नाम आये होंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे निवेदन किया कि वह बड़ी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट है और उसको अध्ययन करने के बाद ही जो अधिकारी जो इसमें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कुछ नाम तो बता दें। उसमें कौन-कौनसे नाम आये हैं? किसी न किसी का नाम तो आया होगा, कोई न कोई तो उसमें आरोपित हुआ होगा। फिर केस किसके खिलाफ दर्ज हुआ है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं-नहीं, अभी कोई ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक वर्ष हो गया, एक वर्ष में आप नाम चिह्नित नहीं कर सके। एक वर्ष में आप दोषियों का नाम चिह्नित नहीं कर सके, आपकी मंशा क्या है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, जब आप राज करते थे दसों साल में भी इंक्वायरी नहीं की। यह तो सरकार एक साल में कर रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक : केस किसके खिलाफ दर्ज हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इंक्वायरी हुई तो फिर केस किसके खिलाफ दर्ज हुआ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने नहीं की। आप हमारे रास्ते पर चलना चाहते हो न? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इंक्वायरी लम्बी कर दी जा रही है, क्यों नहीं जल्दी कर दी जाती।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपको आश्वस्त किया है कि आने वाले

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

छह महीनों में इस प्रकरण के बारे में पूर्ण जांच कर ली जाएगी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : अभी टाइम काफी हो गया है। एक क्वेश्चन में 20 मिनट हो गये हैं। प्रोफेसर सांवर लाल, नहीं अभी आगे प्रश्न हैं लोगों के।

श्री सांवर लाल : एक सवाल, साहब। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, अभी आपने फरमाया था कि रजिस्ट्रार को-आपरेटिव के पत्र के बाद आपने जांच प्रारम्भ की। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि सरकार की जानकारी में अगर यह आ जाता है कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद में क्या सरकार अपने स्तर पर एक्शन नहीं लेना चाहती है? गत वर्ष इसी विधान सभा के अन्दर भीलवाड़ा, चित्तौड़ के अधिकारियों को निलम्बित किया गया था भ्रष्टाचार के कारण। तो क्यों नहीं उनकी जांच आपने, सरकार की जानकारी में आ गई... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, आप लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं, प्रश्न।

श्री सांवर लाल : विधान सभा में इतनी बहस हो गई, वह निलम्बित हो गया।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री सांवर लाल : उसके बाद भ्रष्टाचार विभाग में वह पड़ा रहेगा तो अधिकारी तो अपनी मर्जी से जिसके प्रति राग-द्वेष होगा उसके लिए पत्र लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये। पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं, लम्बा नहीं। श्री रामलाल।

श्री सांवर लाल : सरकार की जानकारी में है तो आपका विभाग उस जांच को करवाएगा या नहीं, मैं तो यह जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्री रामलाल।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि इस केस में पहले भी सदन में काफी शोर-शराबा हुआ था, कुछ अधिकारी निलम्बित हुए थे, उसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर बैंक के अधिकारी भी थे, उन लोगों की अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है?

नम्बर-दो, इस जांच में जो राजनीतिक हस्तक्षेप प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने भी पूछा था, वह बार-बार अपना लैटर पैड का उपयोग करके पुलिस अधिकारियों को, जिसकी यह कापियां हमारे पास मौजूद हैं, यह कह रहे हैं, खुद लिख रहे हैं कि चम्पालाल जैन निर्दोष है जबकि जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंप दी गई है। फिर यह जांचकर्ता कौन है जो खुद ही लिख रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाये गये हैं, जिसकी कापियां मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि... (व्यवधान)...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, बीच में नहीं। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, बैठिये। मैंने काल किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस कांड में जो भी व्यक्ति लिप्त हैं...(व्यवधान) फव्वारा सैट कांड में गड़बड़ी करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वे कृषि अधिकारी हैं, चाहे फर्म के लोग हैं, चाहे बाड़मेर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक के कर्मचारी, अधिकारी हैं, उस वक्त में जो भी लोग लिप्त पाये जाएंगे, किसी के यह कहने से, कि वह अधिकारी अच्छा है या बुरा है, इससे जांच प्रभावित नहीं होगी और निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी पाये जाएंगे, उनको सजा दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मेरा पर्टीकुलर सवाल है कि आपकी जानकारी में आने के बाद आप फार्मेलिटीज में पड़े रहेंगे या जांच करवाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और भ्रष्टाचार खतम कैसे होगा और हम अधिकारियों के भरोसे बैठे रहें (व्यवधान) वह लिखेंगे तब हम जांच करेंगे तब तो हो गया कल्याण इस राजस्थान का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। (व्यवधान) श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करेंगे या नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल, प्लीज टेक योवर सीट। आप बैठिये। आपने पूछ लिया प्रश्न। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि ए.सी.डी. के डिपार्टमेंट में हर मुद्दे पर अन्तरिम रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है।

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर का प्रश्न है, ए. सी. डी. का मुद्दा बहुत बड़ा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अप्रैल, 2000 में ए.सी.डी. की जब रिपोर्ट आ गयी उसके बाद एक साल बीतने के बाद भी क्या विभाग ने कोई प्रभावी कार्यवाही की है?

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर को-आपरेटिव बैंक का प्रश्न है उसके बारे में ही कोई अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अप्रैल, 2000 के बाद आज अप्रैल, 2001 आ गया। एक साल में कोई भी प्रगति नहीं की गयी। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह कटारिया : माननीय सदस्य, मैंने यह कहा था अप्रैल, 2000 में पी.ई. शुरू की थी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, मेरे सवाल का तो जवाब दें कि आप जांच कराओगे कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। श्री रिछपाल मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं...(व्यवधान) आप फुल फ्लेजेड हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई बात नहीं, पूछो आप तो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया है कि यह फव्वारा से संबंधित प्रश्न है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बैंक के पूर्व एम.डी., चम्पालाल, जिन्होंने बैंक समझौते के विपरीत लाखों रुपये के मेडिकल बिलों का भुगतान किया, क्या आपने उनको दोषी मानकर इस जांच में सम्मिलित किया? अगर किया तो कब किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अब करेंगे तो कब करेंगे? आप कृपया यह भी स्पष्ट कर दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह अलग से प्रश्न है, फव्वारा सैट से संबंधित नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इसी बैंक का पूर्व एम.डी. है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का तो जवाब दिलवा दें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इसी बैंक का पूर्व एम.डी. है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इसी बैंक का पूर्व एम. डी. है और लाखों रुपये का गबन किया है उसने, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव बैंक का मामला पूरे राजस्थान का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उसको बचाया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इसकी जांच होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हम आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। (व्यवधान) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : ...और इसी तरीके से वापस पद पर बैठ गये और कई अधिकारी अभी तक सस्पैण्ड चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, विश्नोई जी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह पूरे राजस्थान का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। श्री गोवर्द्धन कल्ला। (व्यवधान)

जिला जैसलमेर में तेल व गैस की खोज

213. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आयल व गैस की खोज हेतु किन-किन कम्पनियों को लाइसेंस कब से कितनी अवधि हेतु दिये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1962 से कार्य प्रारम्भ किया था जो केवल मनिहारी टीबा वैल से गैस दे रही है, वह भी 50 हजार क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है?

(3) क्या यह भी सही है कि आयल इण्डिया ने गत दस वर्ष में खोज कर अधिक मात्रा में गैस दोहन की है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनियों के आश्वासन पर रामगढ़ गैस आधारित पावर हाउस लगाया था?

(5) उक्त कम्पनियों से प्रतिवर्ष रायल्टी राज्य सरकार को मिलती है?

(6) क्या राज्य सरकार जिला जैसलमेर में आयल व गैस के भण्डार की पूर्ण खोज करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) भारत सरकार के प्रतिष्ठान आयल इण्डिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) आयल एण्ड नेचुरल गैर कारपोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) को 13 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पी.ई.एल.) दिये हैं। जिनकी अवधि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" पर अवलोकन करें।

(2) जी, हां।

(3) आयल इण्डिया लिमिटेड ने माह जुलाई, 1996 से गैस का उत्पादन शुरू किया है। विवरण निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	**गैस उत्पादन (मिलियन घन मीटर)**
1996-97	47.46 एम.एम.एस.सी.यू.एम.
1997-98	137.46 एम.एम.एस.सी.यू.एम.
1998-99	150.03 एम.एम.एस.सी.यू.एम.
1999-00	138.247 एम.एम.एस.सी.यू.एम.
2000-01 (19-3-2001 तक)	135.909 एम.एम.एस.सी.यू.एम.

(4) जी, हां।

(5)

वर्ष	**ओ.एन.जी.सी.**	**आयल इण्डिया**
2000-2001	22,83,623/-	1,19,54,542/-

(6) जी, हां।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) आयल इण्डिया, ओ.एन.जी.सी. को कब से दी गयी है। इन्होंने 1995 से विवरण दिया है जबकि 1962 से एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस उनको दिये गये हैं तो कृपया 1962 से कितना क्षेत्र दिया गया? ओ.एन.जी.सी. को 11,667 वर्ग किलोमीटर जमीन दी गयी जबकि आयल इण्डिया को यह कह रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में 6150 वर्ग किलोमीटर जमीन दी गयी। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं कि जैसलमेर जिले में कितनी जमीन दी गयी? जब रायल्टी की चर्चा आती है तो वह कहते हैं ओ.एन.जी.सी. ने 22 लाख 23 हजार 623 रुपये दिये जबकि आयल इण्डिया ने एक करोड़ 19 लाख 54 हजार 542 रुपये दिये। मेरा प्रश्न यह है कि हमने वहां 107 मेगावाट का पावर हाउस रामगढ़ में लगाया इसी गैस के आधार पर और अभी मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने आयल इण्डिया, जो पांच लाख क्यूबिक मीटर पर-डे दे रहा है उसको थोड़ी सी जमीन दी है जबकि ओ.एन.सी. को 11 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन देकर के सिर्फ 50 हजार क्यूबिक मीटर पर-डे ले रहे हैं। यह भेद क्यों? मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं लास्ट में, राज्य सरकार के पास कोई योजना है? मेरा मानना है कि उस फील्ड में बहुत थोड़ा गैस है जो अक्रास द बोर्डर बहुत बड़े गैस के वहां सेंटर्स हैं और पाकिस्तान में बहुत बड़े प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं। मेरा मानना है कि यह जो एक्सप्लोरेशन जो दिया जा रहा है कम्पनियों में, इसमें भेदभाव है। आयल इण्डिया को ज्यादा क्षेत्र देकर क्यों नहीं गैस लिया जा सकता है मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खास करके गैस और पेट्रोलियम का मामला भारत सरकार के आयल फील्ड रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट एक्ट-1948 और पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस नियम-49 के अन्तर्गत होता है। भारत सरकार का पेट्रोलियम विभाग स्थान को निश्चित करता है और वही अलाटमेंट करता है क्योंकि सीधा ही भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग को एप्लाई किया जाता है और वह जो स्थान चिह्नित करता है, वह स्थान हम उन कम्पनियों को देते हैं। 1962 से ओ.एन.जी.सी. ने लगभग 70 कुओं में खुदाई की और उन्होंने 24 कुओं में तेल पाया, जोकि लगभग 14 हजार आठ सौ अठ्यासी वर्ग किमी. एरिया था। इस प्रकार से यह डिपेण्ड करती है कम्पनी के ऊपर; क्योंकि उसमें हमारी बिलकुल भी दखलंदाजी नहीं है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जब हम रायल्टी लेते हैं कम्पनियों से, क्षेत्र हमारा है। आयल एक्सप्लोरेशन पर हमारा अधिकार है, क्या राज्य सरकार का अधिकार नहीं है कि यहां खोदे। मुझे पता चला है ओ.एन.जी.सी. ने भी केरोसीन कम्पनी, फ्रेंच की कम्पनी को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिये थे, जिसने 1962 से एक्सप्लोरेशन किया और अब वापस चली गयी। आयल इण्डिया ने 1996 में एक्सप्लोरेशन राइट लिये और 5 लाख क्यूबिक मीटर पर-डे दे रहे हैं तीन साल में। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्या राज्य सरकार इसमें इन्टरविन नहीं कर सकती? क्या भारत सरकार के भरोसे ही सारा आयल एक्सप्लोरेशन सब करना चाहते हैं, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने पहले भी कहा कि हमारी इसमें बिलकुल दखलंदाजी नहीं चलती और जो कानून-कायदे बने हुए हैं, भारत सरकार के पेट्रोलियम रूल्स के अन्तर्गत हैं। जिस प्रकार से माइनर मिनरल्स में हमें अधिकार है दूसरी खानों के बारे में। एम.एम.सी.आर. के तहत माइनर मिनरल में हम कुछ कर सकते हैं। पेट्रोलियम के क्षेत्र में सारी पालिसिज भारत सरकार की लागू होती हैं। इसलीए पी.ई.एल. के मामले में भारत सरकार ही निर्णय करती है और हमारे यहां एप्लीकेशन दी जाती है और भारत सरकार स्थान निश्चित करती है वह अलाटमेंट भी उनको वहां से ही होता है। टर्म्स व कंडीशन भी भारत सरकार निर्धारित करती है। हमारे यहां से तो केवल औपचारिक स्वीकृति जारी की जाती है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, फिर आप अलाटमेंट क्यों कर रहे हैं? आप रायल्टी ले रहे हैं। एक करोड़ की रायल्टी आपने इण्डियन आयल से वसूल की है वर्ष 2000-2001 में, जबकि ओ.एन.जी.सी. को 11 हजार वर्ग कि.मी. देने के बाद में आपकी रायल्टी 12 लाख रुपये आ रही है। रायल्टी आप ले रहे हैं, जमीन आप दे रहे हैं और कहते हैं कि भारत सरकार के नियंत्रण में है। क्या राज्य सरकार खुद का एक्सप्लोरेशन का काम नहीं कर सकती? मेरा यह प्रश्न है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार की बड़ी-बड़ी कम्पनियों ओ.एन.जी.सी. और आयल इण्डिया फाइनेंस की वजह से प्राइवेट कम्पनियों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं राजस्थान सरकार के बूते का यह काम नहीं है। क्योंकि 10-20 करोड़ रुपया एक कुएं पर ड्रिलिंग का लगता है, खुदाई का लगता है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि 160 मेगावाट का पावर प्लाण्ट हमनें रामगढ़ में लगाया इन्हीं कम्पनियों के आधार पर। क्या सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारा वेस्ट गया? यदि कम्पनियां गैस नहीं दे पातीं तो यह सारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के लिये। कृपया आप इसका स्पष्टीकरण दिलवाइये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जब रामगढ़ पावर प्लांट लगाया गया था उस समय कम्पनी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम आपको गैस सप्लाई करेंगे और आप उसके आधार पर पावर प्लांट लगा लीजिये। हमने पावर प्लांट लगा लिया लेकिन कम्पनी उतना गैस का एक्सप्लोरेशन नहीं कर पायी और उन्होंने हमें 35 मेगावाट बिजली का ही गैस दिया। आवश्यकतानुसार डीजल मिला कर उसको चलाना पड़ता है, क्योंकि जो गैस है वह अच्छी क्वालिटी की नहीं होने की वजह से कई बार फ्ल्क्चुऐशन आता है।

श्री अध्यक्ष : नैकस्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दर पर भू-आबंटन

214. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किन्हीं संस्थाओं व व्यक्तियों को रियायती दर पर भूमि आबंटित की जा रही है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है तथा इसके लिए नियमों में क्या व्यवस्था है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 2001 से मार्च, 2001 तक उक्त तरीके से किन्हीं को भूमि आबंटित की गयी है? यदि हां, तो किस-किस को किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी भूमि कब-कब आबंटित की गयी तथा इनकी आरक्षित दरें क्या-क्या थीं और उसमें से कितने-कितने प्रतिशत राशि वसूल की गयी? आबंटियों के नाम पता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दर पर स्कूल व सार्वजनिक तथा चेरिटेबल संस्थाओं को शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 18 व 19 के तहत आबंटन किया जाता है। इस संस्था द्वारा आवेदन पत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर भूमि उपलब्धता एवं अन्य प्रकार से जांच करवायी जाकर उपयुक्त पाये जाने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निर्धारित दर पर आबंटन की कार्यवाही की जाती है। व्यक्ति विशेष को भूमि आबंटन के प्रावधान नहीं हैं। (नियम 18 व 19 की प्रति संलग्न है।)

(2) जी, हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी, 2001 से 15 मार्च, 2001 तक संलग्न सूची अनुसार कुल 6 संस्थाओं को भू-आबंटन किया गया है। चांही गयी सूचना सूची में अंकित कर दी गयी है। कृपया अवलोकन करें।

(नियम/सूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके भाग एक में कहा है कि व्यक्ति विशेष को भूमि आबंटन करने का कोई नियमों में प्रावधान नहीं है और आपने नियमों की प्रति भी इसके साथ प्रस्तुत की है।

क्या यह सही है कि आपने जवाहर सर्कल के पास राज्य विद्युत मण्डल को भूमि आवंटित की वह भूमि आपने वाणिज्यिक आधार पर, वाणिज्यिक रेट से की और उसी स्थान पर आपने विमल चंद सुराणा वगैरह को 500 रुपये वर्ग मीटर पर भूमि अलाट की? और जब आपने अलाटमेंट लैटर जे.डी.ए. को भेजा तो जे.डी.ए. सैक्रेटरी ने यह सारे तथ्य आपके ध्यान में लाकर आपको चिट्ठी लिखी कि आपने यह गलत अलाटमेंट किया है और इमसें जे.डी.ए. को 18 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और उसी चिट्ठी में यह उदाहरण दिया हुआ है कि विद्युत मण्डल को भूमि आपने इस रेट में दी है, इससे 16 गुना अधिक कीमत में आपने उस भूमि को दी है, तो आपने उस अलाटमेंट को निरस्त किया या नहीं? नहीं किया तो क्यों? जबकि आपने उत्तर दिया कि व्यक्ति विशेष को भूमि आबंटन का इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि व्यक्ति विशेष को भूमि आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। जवाहर सर्कल पर, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि विमल चंद सुराना को कोई जमीन अलाट की गयी है, यह किसी भी व्यक्ति विशेष को अलाट नहीं की गयी है। यह जिन खातेदारों की जमीन थी और जिन खातेदारों से जिस कम्पनी ने परचेज की और जो एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट लेकर आये हैं एम्यूजमेंट पार्क का, यह जमीन उनको दी गयी है और आरक्षित समझ करके, सॉरी, अवाप्त समझ करके अवाप्त भूमि को जिन कीमत पर दी जाती हैं। उस कीमत पर दी गयी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा आप उत्तर दे रहे हैं, ऐसा आपके नियमों में कहीं अंकित नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जिस एंटरटेनमेंट काम्प्लेक्स की आप बात कर रहे हैं उसकी परिभाषा, जो आज आपके नियम लागू हैं उसमें वह वाणिज्यिक है। यह परपज वाणिज्यिक है और आपने वाणिज्यिक भूमि को बिना किसी दर के परिवर्तन किये आवासीय मान करके उसका भी एक चौथाई, ऐसा आपके नियमों में कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह नियम 2, डिस्पोजल आफ लैंड, अरबन लैंड रूल्स है 1974, मैं इसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ कर सुना देता हूं। 15 (बी)...

श्री मदन दिलावर : ऐसे तो कई घोटाले इनको बताये हैं (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बैठ जाओ, बैठ जाओ। घोटाले अभी बताऊंगा तो पता नहीं क्या होगा आपका।

"Notwithstanding anything contained in these rules, land may be allotted with prior approval of the State Government for infrastructure projects which includes power plants, telecommunications, transport facilities, tourism units, public utilities, information technology, water supply, technical education institutions, waste disposal projects on such terms and conditions and at such rates as may be determined by the State Government...."

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत उत्तर दे रहे हैं। पहले तो यह बताइये कि यह नियम कब से हैं और आज के नियम कौनसे हैं? दूसरी बात यह बताइये कि जब पावर के लिए आपने इसमें पढ़ा है तो फिर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को चार हजार कितने में ही क्यों दी? जब आपने पढ़ा है, उसमें आपने जो नाम लिया है उससे पहले तो पावर प्रोजेक्ट है, क्या इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर प्रोजेक्ट नहीं है? क्या वह कोई संस्था नहीं है? उसको तो आपने 4000 से अधिक रुपये में अलाट की और इनको 500 रुपये में की है।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

दूसरी बात यह है कि जो नियम आपके कामर्शियल लैंड के सैल करने के हैं। वो सिवाय नीलाम के किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं है और अगर स्पेशल अलाटमेंट हो तो मिनिमम रेट जो आपकी कामर्शियल उस स्थान की है वह आप लेकर दे सकते हैं। आपने सरासर यह गलत किया है। आपके जे.डी.ए. सैक्रेटरी ने आपको पूरा लिखा है उसके बाद भी आप जिद पर अड़े रहे।

श्री मदन दिलावर : बुरड़क साहब, मत पूछो। मैंने तो कई 50-50 करोड़... (व्यवधान)... इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं। बीच में व्यवधान नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि आर.एस.ई.बी. को लैंड आपने ज्यादा महंगी दी, मैंने नियम पढ़ कर बता दिया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि "....at such rates, as may be determined by the State Government..."

श्री हरजीराम बुरड़क : कामर्शियल का नहीं है इसमें, साहब। कामर्शियल के रूल पढ़िये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा जवाब सुन लीजिये आप। "....at such rates as may be determined by the State Government from time to time." एक जवाब तो यह है।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकरण विशेष के लिए माननीय सदस्य ने पूछा है, उनको कोई जमीन अलाट नहीं की गयी, उनकी जमीन थी, उसका रेगुलराइजेशन किया गया है......

श्री सांवर लाल : ऐसे तो जयपुर में बहुत हैं, क्या मंत्री महोदय सबकी जिनकी जमीन है, रेगुलराइज करने का इरादा रखते हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गुण-दोष के आधार पर उनको रेगुलराइज कर रहे हैं। (व्यवधान)... आप ले आइये प्रोजेक्ट, देख लेंगे, प्रकरण अगर ऐसा होगा...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। आपने खुद ने कहा है कि यह भूमि काश्तकार की अवाप्ति में थी, आपने अवाप्ति के लिए मुआवजा दिया? एक बात।

दूसरी बात, जब सैक्रेटरी ने आपत्ति दर्ज की कि जमीन आरक्षित दर से बहुत कम दर पर एम्यूजमेंट पार्क के नाम पर आप दे रहे हैं तो उस आपत्ति को आपने नजरन्दाज क्यों किया ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नजरन्दाज इसलिए किया कि मिनिस्टर में सरकार वैस्ट होती है। कोई अफसर अगर फाइल पर, पत्रावली पर अपना नोट लिख दे तो मैं उससे पाबंद नहीं हूं। (व्यवधान)...

श्री सांवर लाल : उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ, यह बता दें।

डा. किरोड़ी लाल : सरकार को कितना नुकसान हुआ, जरा यह बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना अन्तर था? सचिव ने जो पत्रावली पर लिखा कि इतने रुपये दर से जमीन को आबंटित किया जाय और आपने कम करके कितना किया? उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ? यह भी बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा फैसला सही था। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आपके द्वारा या आपके विभाग के द्वारा व्यक्तिगत लोगों को करोड़ों रुपये की भूमि का आबंटन नहीं करवाया गया? क्या यह सही है कि आपने पालड़ी मीणा में अभी 46 बीघा जमीन का, जो करोड़ों रुपये की जमीन है, आबंटन नहीं करवाया? क्या यह सही है कि गरीब व्यक्तियों को 1986 में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कानोता में आबंटन कमेटी द्वारा आबंटित कर दी गयी थी? और वह 27 व्यक्तियों को आबंटित भूमि को जिनका खाली, इसकी वजह से म्युटेशन नहीं खुला था कि जे.डी.ए. से एन.ओ.सी. मिले। कलक्टर साहब के माध्यम से जे.डी.ए. से एन.ओ.सी. लेने के लिए, पांच साल से उसमें एप्लीकेशन लगी हुई थी लेकिन उनको आज तक एन.ओ.सी. नहीं मिली और उसके बाद में क्या आपने किसी व्यक्तिगत आदमी को कानोता में आबंटन नहीं करवाया?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछिये।

श्री कन्हैया लाल : क्या प्यारे मियां को आपने भूमि आबंटित नहीं करवायी एन.ओ.सी. देकर? उन व्यक्तियों जिनको आबंटित हुई थी, उस भूमि का आबंटन एक व्यक्ति विशेष को आपने यहां से एन.ओ.सी. देकर जे.डी.ए. से नहीं करवायी?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछिये।

श्री कन्हैया लाल : भाषण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि कानोता के अन्दर गरीब व्यक्तियों को जिनको आबंटन कर रखा है उनको एन.ओ.सी. नहीं देकर पांच साल पहले, और अभी एन.ओ.सी. देकर...

श्री अध्यक्ष : आपने यह कह दिया, कानोता वाली बात कह चुके आप। इसका प्रश्न से सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री कन्हैया लाल : ...और 70 बीघा भूमि का आबंटन करवाया इस व्यक्ति को और श्रीराम गोटेवाला उसके ऊपर काबिज हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : केशव विद्यापीठ में आबंटित नहीं हुई क्या?

श्री कन्हैया लाल : नहीं-नहीं, केशव विद्यापीठ में तो अभी आबंटन नहीं हुआ। मैं तो इनकी नजर में ला रहा हूं जो करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह बन कैसे गयी आबंटन नहीं हुआ तो?

श्री कन्हैया लाल : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप जांच करें इस

(श्री कन्हैया लाल)

बात की, 46 बीघा पालड़ी मीणा में जो आपकी भूमि है, एक व्यक्ति विशेष को दे दी गयी है, अलाटशुदा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, पालड़ी मीणा में उन लोगों को भूमि आबंटित की गयी जो कि कच्ची बस्ती में रहा करते थे। जिस जगह जयपुर विकास प्राधिकरण ने यह योजना बनायी कि इस कच्ची बस्ती का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो उन सैंकड़ों आदमियों को पालड़ी मीणा में एक निश्चित भूखण्ड का वर्गमीटर लेकर उनको वहां पर अलाट की गयी है बाकी और कोई नहीं की गयी है।

श्री कन्हैया लाल : नहीं-नहीं, माननीय मंत्री महोदय, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा जो 46 बीघा अलग से पड़ी हुई है उसको सोसायटी को बेचकर अभी पट्टे कट रहे हैं उसमें से। उसमें से पट्टे काटे जा रहे हैं सहकारी समिति द्वारा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा स्केण्डल है। कुछ काश्तकारों की तो जमीन...(व्यवधान) जे.डी.ए. ने परमिशन नहीं दी और कुछ काश्तकारों की जमीन लेकर कुछ लोगों को आबंटित कर दी।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, श्री दिलावर। नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया मैंने।

श्री मदन दिलावर ; इसमें लाखों रुपये का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपये का। सचिव अपनी विपरीत टिप्पणी दे रहा है और मंत्री अपने स्तर पर उसको नजर अन्दाज करके करोड़ों रुपये का घालमेल करके उसको परमिशन दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा घोटाला है और 50 करोड़ रुपये के आरोप मैं मंत्रीजी पर लगा चुका हूं कि 50 करोड़ रुपये का घोटाला इन्होंने कर दिया। उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : अप्रासंगिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बैठिए। श्री मदन दिलावर, बैठिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मनोचिकित्सा केन्द्र भी बन रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मंद माहिर आजाद।

सवाईमाधोपुर बाघ परियोजना में वन्य जीवों हेतु पेयजल व्यवस्था

215. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट व वन विभाग को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद पर व्यय करने हेतु दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सवाईमाधोपुर बाघ परियोजना में गत पांच वर्षों में स्वीकृत राशि किस-किस मद में व्यय की गयी तथा जानवरों के पानी पीने हेतु कितने एनीकट कहां-कहां बनाये गये प्रत्येक पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में निर्मित एनीकट या तालाब में से किन-किन में पानी (पीने

(मोहम्मद माहिर आजाद)

योग्य पर्याप्त मात्रा में) है और कौन-कौन से सूखे हैं?

(4) क्या पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है? यदि हां, तो फिर जानवर शहरी क्षेत्र में पानी पीने क्यों आते हैं? क्या उनकी रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या?

(5) क्या आरक्षित क्षेत्र में से शहरी क्षेत्र में आने वाले पशुओं से फसल आदि के नुकसान की कोई शिकायत मिली है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें नुकसान का मुआवजा देने पर विचार रखती है?

राज्य मंत्री, वन (श्री भगराज चौधरी) : (1) गत पांच वर्षों में सवाईमाधोपुर कि रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट एवं वन विभाग को व्यय हेतु आबंटित राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सवाईमाधोपुर बाघ परियोजना में गत पांच वर्षों में व्यय की गयी राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट "ब" अनुसार तथा जानवरों के पानी पीने हेतु बनाये गये एनीकटों व तलाइयों तथा उन पर किये गये व्यय का स्थलवार विवरण परिशिष्ट "स" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) गत पांच वर्षों में निर्मित एनीकट एवं तलाई में पीने योग्य पानी उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट "स" में दर्शाया गया है।

(4) बाघ परियोजना क्षेत्र में वन्य जीवों के पीने के लिए प्राकृतिक स्रोतों एवं विभाग द्वारा भरे जा रहे वाटर होल्स में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। केवल पानी की कमी के कारण आबादी क्षेत्रों में वन्य जीवों के आने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है फिर भी सरकार परियोजना क्षेत्र में अकाल की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पानी की उपलब्धता को और सुगम करने की कार्यवाही कर रही है।

(5) जी, हां। जानवरों से फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, आप स्वयं उत्तर का अवलोकन करें कि आपने परिशिष्ट-6 पर जो सूची, जहां एनीकट बनाये गये हैं, उनकी सूची रखी है। 77 एनीकट रणथम्भौर बाघ परियोजना में बनाये और 77 में से आपके खुद के जवाब में आप यह कह रहे हैं कि केवल 22 में ही पानी उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आपसे निवेदन यह है कि आप कृपया यह बतायें कि ये एनीकट बनाने के लिए प्रस्तावित स्थान कौनसे थे और क्या ये एनीकट उन्हीं स्थानों पर बनाये गये हैं जहां प्रस्तावित थे? वास्तविकता यह है कि ये एनीकट, जो प्रस्तावित स्थान था, जहां पानी उपलब्ध था, वहां नहीं बनाकर दूसरे स्थानों पर बनाये गये हैं और आप स्वयं उत्तर दे रहे हैं कि केवल 22 में ही पानी उपलब्ध है और यह भी सही नहीं है। आप इसका फिजिकल वेरीफिकेशन मौके पर करवा लें। इन 22

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में भी पानी उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह है कि आपके कार्यों के अनुरक्षण हेतु 197.83 लाख का प्रावधान था और एनीकटों में पानी नहीं है तो 157 लाख रुपये जो व्यय किया गया वह किस पर किया गया? यह कृपया आप मुझे बतायें। तीसरा मेरा सवाल यह है कि श्री जे.बी. रेड्डीजी जो कोर एरिया के निदेशक हैं, आज चार वर्ष का समय उनको वहां हो गया, उससे सीनियर अधिकारी भी वहां मौजूद हैं और ए.जी. ने इन पर साठ लाख रुपये गबन का, रिकवरी का मामला निकाला है। आप जरा अवलोकन करें कि जब आपकी आडिट टीम वहां गयी और आडिट टीम ने इनके अन्दर यह रिकवरी निकाली और जब वन संरक्षक कार्यालय में कैश बुक की जांच की गयी तो कैश बुक के अन्दर पैसा कम पाया गया तब खाता संख्या 5889....(व्यवधान) आप सुनो एक मिनट। किसी अधिकारी को नहीं दिया। आपने देखा है क्या देते हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं फिर भ्रष्टाचार का पक्ष ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : किसी अधिकारी ने आपको यह पर्चा दिया है, आप इसे डिबेट में कैसे अलाट कर रहे हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं हुआ। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब इसकी शिकायत यहां की गयी वन भवन में, कि ये एनीकट निर्धारित स्थानों पर नहीं बनाये गये और इसमें घटिया सामग्री, घटिया सीमेन्ट काम में लिया गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एनीकट खराब हैं वह बात करिए। किसी अधिकारी ने कह दिया कि उसका वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है आप उनसे मिल गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। + + + (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुनिए तो सही। वन भवन में शिकायत की गयी और शिकायत करने के बाद जब कैश बुक की जांच की गयी तो कैश बुक में....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मामला ही अलग है। (व्यवधान) इसका आडिट आब्जेक्शन है। आडिट आब्जेक्शन होते रहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं एनीकट के सम्बन्ध में ही बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) मेरी बात आप सुनिए, सुनेंगे ही नहीं उससे पहले आप बोल रहे हैं। आप बता दीजिए कहां-कहां एनीकट बने हैं, किसी एनीकट में पानी है, आपने देखा है क्या एक भी एनीकट?

श्री राजेन्द्र पारीक : जहां कहीं नहीं है वहां + + + सबमें पानी है और जो नहीं पानी बचा है वह लंगूर पी गये।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो नाली भी नहीं देखी है उसकी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब कैश बुक का हिसाब देखा गया...

श्री राजेन्द्र पारीक : जिनमें पानी नहीं बचा है, सारे के सारे लंगूर पी गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : वे लंगूर 155 थे, 144 थे कि 30 थे यह तो बताओ?

श्री राजेन्द्र पारीक : + + +

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जब कैश बुक में तीन महीने तक एन्ट्री नहीं मिली और जांच हुई तो क्या यह सही है...(व्यवधान) मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है यह मैं जानता हूं, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। सुनिए आप + + + आपके + + + क्यों हो रही है? जब कैश बुक में पैसा कम पाया गया तो दिनांक 3.5.1999 को श्री जे.बी. रेड्डी ने अपने खाता संख्या—5889 एस.बी.बी.जे., कलेक्ट्रेट, सवाईमाधोपुर से पैसा निकाल कर उसी रोज खाते में जमा करवाये।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : हर बात याद थोड़े ही रहती है इनको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरे खण्ड में यह कहा था कि पैसे, तो इन्होंने यह जवाब दिया कि एक भी जंगली जानवरों का पानी के लिए बाहर आना नहीं पाया गया। यह बहुत निराधार है। मैं आपको बताता हूं कि अब तक तीन बघेरे छेड़ो की पहाड़ी के नीचे मृत पाये गये हैं और एक खुशाली दर्रा में पाया गया है और एक सीमेंट फैक्ट्री में पाया गया...(व्यवधान) जिसको सीमेंट फैक्ट्री से पकड़ कर ले गये। वह भी मर गया और एक रीछ, शेर सवाईमाधोपुर में पाया गया और एक चीतल बजरिया के अन्दर पाया गया। यह आपके फोरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि अब तक आठ जानवर पानी के लिए बाहर आए और तीसरे लास्ट सवाल का जो जवाब आपने दिया है कि (व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम सवाल है यह।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने उसकी डिटेल बता दी कहां-कहां है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये। आप तो भूमिका बना रहे हैं बहुत लम्बी चौड़ी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लैट मी कम्पलीट। मेरा एक सवाल यह है कि इन्होंने जवाब दिया है कि जिन काश्तकारों की फसल का नुकसान हो जाता है उनको मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी गलत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ई.डी.सी. स्कीम है ईको डवलपमैंट कारपोरेशन की। उस स्कीम के तहत काश्तकार जिसकी फसल के नुकसान की शिकायत होती है, वह पत्थर तो स्वयं उपलब्ध करवाता है बाकी उसकी सुरक्षा के लिए दीवारी बनाने का काम वन विभाग करता है और आपने कुंडेरा और बहरावंडा में यह किया है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि क्या आप इसकी

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जांच करायेंगे क्या वास्तव में इसका पैसा उठाया है या इस स्कीम के अन्दर काश्तकारों को उनके जंगली जानवरों से फसल का जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए काम किया गया है?

श्री अध्यक्ष : श्री दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा सवाल है। (व्यवधान) जब जे.बी. रेड्डी साहब चार पांच साल से वहां पर विद्यमान हैं और उनके समय में यह जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, काम स्वीकृत होकर के कंस्ट्रक्शन हुआ है, ए.जी. आफिस ने इसमें जांच की है और उसमें साठ लाख रुपये का गबन पाया है। उन साठ लाख रुपये गबन की वसूली के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी या नहीं करेगी? ...(व्यवधान) यह बता दो।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे भी कहा था।

श्री अध्यक्ष : अभी उसके बाद।... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब अंग्रेजी में नहीं...(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : आज सुनना चाहेंगे तो जवाब अंग्रेजी में नहीं दूंगा...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट रणथम्भौर में वन्य जीवों के पानी की व्यवस्था के बाबत में 77 ताल तलैये बनाये गये हैं। यह बात सही है उनमें से केवल मात्र इस समय 22 में ही पानी उपलब्ध हैं और शेष 55 में पानी उपलब्ध नहीं है...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : बरसात नहीं हुई, पानी आएगा कहां से ...(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : दूसरा यह तथ्य भी सही है कि इन 77 ताल तलैयों की मरम्मत के लिए इनको बनाने में एक करोड़ सत्तावन लाख रुपये खर्च किये गये हैं। यह बात सही है चूंकि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के पश्चात् भी अधिकतर ताल तलैयों में पानी उपलब्ध नहीं है। जबकि बरसात का क्रम तो पूरे क्षेत्र में एक जैसा है और जहां तक भौगोलिक स्थिति का सवाल है, जमीन भी काफी कठोर स्ट्रक्चर की है। ऐसी स्थिति में कैचमेंट एरिया के मार्फत पानी तलैयों में इकट्ठा नहीं होना एक गम्भीर मामला है...(व्यवधान) इस मामले में मैं इन तलैयों का निर्माण करने के बारे में उच्च अधिकारियों की टीम बनाकर के भौतिक सत्यापन करने का आदेश दे रहा हूं। उनकी रिपोर्ट आने के पश्चात् यदि इन ताल-तलैयों के निर्माण में किसी प्रकार की धनराशि का गबन करना पाया गया तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी...(व्यवधान) प्रश्नकर्ता महोदय ने यह बात कही है कि...

श्री राजेन्द राठौड़ : रेड्डी को सस्पैण्ड करने वाली अनाउन्समैंट भी कर दो। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : यह बात सही है कि टाइगर प्रोजेक्ट के डी.सी.एफ. जिन्हें डिप्टी डायरेक्टर कहा जाता है वह करीबन चार वर्ष से वहां पर पदस्थापित है और उनके दौरान जैसा कहा गया कि साठ लाख रुपये का गबन करने की बात आडिट रिपोर्ट में आयी है। मुझे इसकी जानकारी के पुख्ता प्रमाण दिये जाने पर अथवा जांच

(श्री भगराज चौधरी)

करने पर वह पाया गया कि यह बात सही है तो निश्चित तौर पर जे.बी. रेड्डी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री भगराज चौधरी : चौथा प्रश्न माननीय प्रश्नकर्ता ने यह कहा कि तीन महीने तक कैश बुक वहां पर ओपन रखी जाती है और उसके कारण से गबन होने की गुंजाइश बढ़ती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्पेसिफिक मामला मेरे ध्यान में लायेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उस पर भी कार्यवाही करूंगा...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी दे देता हूं।

श्री भगराज चौधरी : चौथा, वन्य जीवों के अभयारण्य क्षेत्र से बाहर आने पर फसल का नुकसान किये जाने की बात आपने कही है। फसल का नुकसान किये जाने की दस बारह घटनाएं प्रकाश में आयी हैं...(व्यवधान)...

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, पीछे से + + + सुनाई दे नहीं रहा है। क्या आप चुप नहीं रह सकते? भ्रष्टाचार के मामले की कोई बात आती है आप उसको इतना लाइट क्यों लेते हो। इसको सुनने दो। आप जरा शांत रहे। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रक्रिया की कोई भूल हो सकती है, दुरुस्त कर दी जाएगी। इसमें गबन कहां हो गया। रेड्डी एक ईमानदार और बढ़िया आफिसर है... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो खण्ड बाकी हैं। मेरे पांच खण्ड थे। मंत्री महोदय, माननीय वन मंत्रीजी ने तीन खण्डों का जवाब दिया है ...(व्यवधान) एक खण्ड का जवाब, क्या जंगली जानवर पानी के लिए बाहर आये, जिनको पकड़ा गया और पांच बघेरे, एक रीछ और एक चीतल मरा है? एक आपने यह जो ई.डी.सी. स्कीम है, यह दो जवाब बाकी हैं। दो मुद्दे और हैं इन दो मुद्दों का जवाब और आ जाए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठहरिये-ठहरिये, मैंने काल कर लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मेरे तो दोनों जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब तो पूर्ण दे दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पांच में से दो के जवाब...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने 77 एनीकट का निर्माण वाला बताया, 77 में से 55 एनीकट अनुपयोगी पाये गये। जिनमें आज दिन तक पानी नहीं भरा। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह 55 एनीकट कब निर्मित हुए और इनकी साइट का सलैक्शन किसने किया और क्या बने जब से आज दिन तक पानी इसमें भरा कि नहीं भरा? उसकी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दिग्विजय सिंह)

आप सारे की जांच करवायेंगे? उसके जिम्मेदार कौन थे, किसके टाइम यह निर्मित हुए और कितना पैसा खर्च हुआ और इसका दुरुपयोग हुआ इसकी जांच कराने को आप तैयार हैं क्या? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पिछले दो साल में कितने लोग वहां पर भ्रमण करने गये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : अभयारण्य में 77 ताल-तलैये बनाये गये हैं। जो कब बनाये गये, किसने साइट का सलैक्शन किया इस बारे में मैं जांच करवाऊंगा और जो भी अधिकारी इन तलैयों के निर्माण करने में, गलत साइट्स का सलैक्शन यदि किया गया है तो निश्चित तौर पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भगराज चौधरी : अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। जो भी अधिकारी ...(व्यवधान) आपने पूछा नहीं था किस समय में किन वर्षों में बनाये गये, इसकी पूरी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है और मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : 1995 से 2000 में कब-कब बने और यह जंगली जानवरों का बताया। सात जानवर मरे हैं। यह पानी के अभाव में शहर के बाहर आये। मैं आपको जगह बता रहा हूं। स्पेसिफिक जगह पर आकर तीन बघेरे, एक तरफ आप इनको प्रिजर्व करने की बात करते हो और दूसरी तरफ यह बाहर आकर के मरे हैं। इसका जवाब तो दो आप कि यह कैसे मरे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, अकाल चारों तरफ है। पानी के अभाव में मनुष्य ही बाहर जा रहे हैं तो जानवर बेचारे क्या करेंगे।

(12.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : उन जगहों पर पानी ही नहीं है, जहां प्रस्तावित था, यह एनीकट गलत जगह पर बनाये गये थे...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : आप तलाश कर आये क्या कि पानी ही नहीं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो प्रस्तावित था उन प्रस्तावित जगहों पर नहीं बने इसलिए उनमें पानी नहीं है।

श्रीमती कमला बृजलाल : इसलिए आपका यह कहना कि जानवर जा रहे हैं (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसियों की आंखों में पानी हो तो ऊपर का पानी बरसे, कहीं पानी नजर आवे। इनकी आंखों में पानी नहीं है तो पानी कहां से बरसे।

श्रीमती कमला बृजलाल : यह सही कह रहे हैं बीजेपी. वालों के तो बिलकुल ही पानी नहीं है...(व्यवधान) तहलका नहीं मचता।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह और बतायें कि जांच किससे करायेंगे?

श्रीमती कमला बृजलाल : पानी होता ना तो + + + (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी आप जांच किससे करायेंगे और कब तक करायेंगे ...(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 77 ताल-तलैया बनाने के बारे में जैसा कि मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं कि उनका भौतिक सत्यापन करवाकर यदि मौके पर ताल-तलैया नहीं बनाने वाली बात सामने आयी अथवा उनकी गलत साइट सलैक्शन करने वाली बात भी प्रकाश में आयेगी तो निश्चित रूप से जो भी अधिकारी इन्वाल्व पाया जायेगा उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्रमिक भागीदारी योजना से रुग्ण उद्योगों का संचालन

381. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रीको एवं राजस्थान वित्त निगम से गत दो वर्षों में उद्योगों को कुल कितना ऋण दिया गया?

(2) उक्त संस्थाओं में पिछले ऋण की वसूली के लक्ष्य क्या पूरे हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक लक्ष्य पूरे होंगे?

(3) राज्य में बंद पड़े उद्योगों को पुनः चालू करने की क्या योजना है? बंद उद्योगों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त उद्योगों को श्रमिकों की भागीदारी योजना से चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा गत दो वर्षों में दिया गया ऋण निम्न प्रकार से है :–

नाम संस्था	वर्ष	स्वीकृत राशि
रीको	1998-99	8992.53 लाख
	1999-2000	9356.40 लाख
राज. वित्त निगम	1998-99	93.33 करोड़
	1999-2000	204.56 करोड़

(2) जी, हां।

(3) राज्य सरकार द्वारा बन्द/रुग्ण लघु इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु सहायता पुंज योजना घोषित की हुई हैं। जो परिशिष्ट "एक" पर उपलब्ध है। वृहत बन्द/रुग्ण औद्योगिक इकाई के पुनर्जीवित हेतु परिस्थितियों के अनुसार उचित कदम उठाये जाते हैं। जैसे कि ब्याज में छूट, रियायत बकाया राशि की किश्तों का पुनर्निर्धारण, एक मुश्त योजना, अतिरिक्त वित्तीय सहायता देकर इकाई को पुनः संचालन योग्य बनाने के प्रयास किये जाते हैं। बी.आई.एफ.आर./ए.ए.आई.एफ.आर. के माध्यम से रुग्ण/बन्द उद्योगों को पुनर्जीवन हेतु स्वीकृत योजनाओं के अनुसार यथा सम्भव सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जाता है। कुप्रबन्ध एवं प्रवर्तकों के आपसी मतभेद के कारण बन्द/रुग्ण इकाइयों के प्रबन्ध में परिवर्तन कर पुनर्जीवन का प्रयास

(उद्योग मंत्री)

किया जाता है तथा उक्त माध्यमों से पुनर्संचालन नहीं होने पर रुग्ण/बन्द उद्योगों को एस.एफ.सी. एक्ट की धारा 29 के तहत अधिग्रहित कर सुदृढ़ एवं सक्षम प्रबन्ध को बेचने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2000-2001 में पंजीकृत लघु उद्योगों का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के अनुसार 21979 लघु एवं 1184 मध्यम व वृहद श्रेणी के उद्योग बन्द पाये गये हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) जी, नहीं।

(सूची/सूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान हैण्डलूम हाउस के सेवानिवृत्त कर्मी की देय राशि

382. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री शिवचरण शर्मा, सहायक, राजस्थान हैण्डलूम हाउस (प्रोसेस -हाउस) को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है? यदि हां, तो कब एवं उक्त कर्मी को सेवानिवृत्ति के समय किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं किस-किस मद की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस कारण से बकाया रहा? भुगतान की गई राशि एवं बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मी के प्रावधायी निधि खाते में कब-कब कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई? जमा कराई गई राशि का महावार विवरण मय ऐरियर रजिस्टर की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मी को प्रावधायी निधि खाते की जमा राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो भुगतान के आदेश कब एवं किस स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किये गये एवं भुगतान कब किया गया? प्राप्ति के हस्ताक्षर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं एवं उक्त के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं?

(4) क्या सरकार उक्त भुगतान में देरी करने वाले अधिकारी/कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही कर अब उक्त राशि का भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त विलम्ब को उचित मानती है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करेगी?

(6) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा उक्त कर्मचारी से एकमुश्त राशि प्रावधायी भविष्य निधि खाते में नकद जमा करवाई गई थी, यदि हां, तो कब एवं कितनी और उसका क्या औचित्य था?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री शिवचरण शर्मा को निगम द्वारा 30.11.1999 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी। श्री शर्मा को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय निम्नानुसार मदवार भुगतान किये गये।

(उद्योग मंत्री)

मद	भुगतान की गई राशि
बकाया उपार्जित अवकाश	6,521.00
ग्रेचुएटी	19,533.00
नोटिस वेतन 3 माह	11,286.00
बकाया वेतन 8 माह	30,02.00
एरियर	7,524.00
एरियर 5 वें वेतनमान	6,520.00
एक्सग्रेसिया	50,787.00
कुल राशि रुपये	**1,32,213.00**

श्री शर्मा को देय 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृति के पश्चात् घोषणा करने के कारण रुपये 3,351 का भुगतान बकाया था जिसका भुगतान किया जा रहा है।

(2) श्री शिवचरण शर्मा के अंशदायी प्रावधायी निधि खाते में नियमानुसार महावार एवं वर्षवार निगम द्वारा जमा कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" अनुसार प्रस्तुत है। जहां तक वेतन पंजिका की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न है उक्त अभिलेख पिछले 10 वर्षों से संबंधित है तथा विभिन्न रजिस्टरों व पत्रावलियों में फैला हुआ है।

(3) अंशदायी प्रावधायी निधि का भुगतान इस निगम द्वारा नहीं किया जाता है। इसका भुगतान प्रावधायी भविष्य निधि संगठन विभाग द्वारा किया जाता है, जो कि केन्द्रीय सरकार का विभाग है।

(4) यह प्रश्न बिन्दु संख्या 3 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है।

(5) यह प्रश्न भी बिन्दु संख्या 3 एवं 4 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

(6) जी हां, श्री शिवचरण शर्मा के वेतन नवम्बर, 1998, दिसम्बर, 1998 के बढ़े हुये महंगाई भत्ते के एरियर तथा बोनस एरियर की कुल राशि 4,796.00 रुपये लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रावधायी निधि खाते में जमा कराने से रह गई थी जो बाद में नवम्बर, 2000 में रुपये 4,796.00 की राशि जमा करवा दी गई। उक्त राशि नियमानुसार जमा करवाई गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-383

(स्थगित)

सी-स्कीम जयपुर के आवासीय भवनों में व्यावसायिक केन्द्र

384. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि व्यावसायिक नक्शे पास करने से पूर्व पार्किंग स्थल अंडर ग्राउण्ड बनाना आवश्यक किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर के सी-स्कीम स्थित विवेकानन्द मार्ग में आवासीय नक्शे पास करा कर इनमें व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो ऐसे भवन मालिकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यावसायिक केन्द्रों में पार्किंग स्थल नहीं बनाये गये हैं? क्या उक्त स्कीम में पार्किंग स्थल बनाने के लिए भवन मालिकों को पाबंद किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। व्यावसायिक भवनों में पार्किंग की व्यवस्था स्टिल्ट, बैसमेंट या सैट बैक में कहीं भी की जा सकती है।

(2) जी, हां। नगर निगम, जयपुर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं तथा कार्यवाही की जा रही है।

(3) ऐसे भवन मालिकों द्वारा व्यावसायिक भवनों की स्वीकृति हेतु नक्शे प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पार्किंग स्थलों के लिए पाबन्द नहीं किया जा सका है। अब शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

नगरपालिका मण्डल कुचेरा (नागौर) की बन्द रोड लाइट

385. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को अनुदान की राशि किस मानदंड के अनुसार, कितनी-कितनी प्रतिमाह किस-किस मद पर व्यय करने हेतु दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं को रोशनी, सफाई आदि की व्यवस्था हेतु कोई अतिरिक्त अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा आबंटित नहीं की जाती है? यदि हां, तो चुंगी व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद नगरपालिका की स्वयं की आय समाप्त हो जाने से विद्युत बिल किस मद से जमा किये जा सकेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका मंडल कुचेरा (नागौर) की रोड लाइटों का बिल नहीं भरे जाने के कारण विद्युत निगम द्वारा सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? अब कब कस्बे में रोशनी व्यवस्था पुनः बहाल हो सकेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को सामान्य अनुदान की राशि वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर प्रतिवर्ष दो अथवा तीन किस्तों में दी जाती है। प्रतिमाह नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त चुंगी समाप्ति के बाद चुंगी पुनर्भरण की राशि वर्ष 1997-98 में पालिकाओं की चुंगी एवं टी.पी. की वास्तविक आय की राशि में प्रतिवर्ष दस प्रतिशत बढ़ोतरी कर आबंटन किया जाता है। वर्तमान में यह राशि वित्त वर्ष में प्रारम्भ में ही पूरे वर्ष के लिए एक मुश्त स्वीकृत कर दी जाती है, किन्तु कोष कार्यालयों द्वारा यह राशि नगर पालिकाओं को प्रतिमाह आबंटित की जाती है। उक्त राशि में से कर्मचारियों/

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अधिकारियों को वेतन भत्ते भुगतान करने के उपरांत शेष रही राशि नगरपालिकाओं के किसी भी अन्य दायित्व के निर्वहन पर व्यय की जा सकती है। गत वर्ष आबंटित राशि का विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां। चुंगी समाप्ति के बाद नगरपालिकाओं की वर्ष 1997-98 की चुंगी एवं टी.पी. की वास्तविक आय पर प्रति वर्ष दस प्रतिशत बढ़ाकर राज्य सरकार द्वारा चुंगी की आय का पुनर्भरण किया जा रहा है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि चुंगी समाप्ति के बाद नगरपालिकाओं की स्वयं की आय समाप्त हो गई है। राज्य सरकार द्वारा चुंगी पुनर्भरण की दी जा रही राशि में से ही पालिकाएं विद्युत बिल आदि का भुगतान करती हैं।

(3) जी, हां। दिनांक 16.2.2001 को विद्युत निगम द्वारा विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही पुनः विद्युत व्यवस्था बहाल हो सकेगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में स्थापित प्रतिमा पर व्यय

386. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधान मंत्री की मूर्ति जीरो माइल पर लगाई गई है? यदि हां, तो कब से एवं किसके द्वारा अनावरण किया गया है?

(2) उक्त मूर्ति की लागत क्या है एवं उक्त राशि का भुगतान क्या नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा किया गया है? क्या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वालों की मूर्ति का खर्च पालिका द्वारा किया जाना नियम विरुद्ध नहीं है।

उत्तर

(1) जी, हां। मूर्ति दिनांक 20.7.2000 को लगाई गई एवं इसका अनावरण माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह द्वारा किया गया।

(2) उक्त मूर्ति का मूल्य रुपये 58,950/- नगरपालिका, प्रतापगढ़ द्वारा वहन किया गया। प्रकरण की रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।

जयपुर शहर में सार्वजनिक कार्य हेतु भूमि आबंटन के विचाराधीन प्रकरण

387. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा चिकित्सालय, विद्यालय, धार्मिक स्थलों मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वृद्धाश्रम, धर्मशाला, गौशाला इत्यादि को रियायती दर पर भूमि आबंटन एवं नियमित किये जाने का नियमों/अधिनियमों में प्रावधान है?

(श्री भाणजी)

यदि हां, तो नियम/अधिनियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रयोजन हेतु गत तीन वर्षों में जयपुर शहर में किन-किन को रियायती/टोकन के आधार पर भूमि उनके आवेदन पर आबंटित अथवा नियमित की गई है एवं शेष कितने आवेदकों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन क्यों है? मय नाम, स्थान, प्रयोजन एवं भूमि की साइज व दर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास-प्राधिकरण द्वारा स्कूल, सार्वजनिक एवं चेरिटेबिल संस्थाओं को धर्मशाला, चिकित्सालय, वृद्धाश्रम तथा सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यों के लिए सार्वजनिक हितार्थ भू-आबंटन शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 18 व 19 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। (नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं नगर निगम द्वारा राजस्थान नगरपालिका, शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 18 के तहत किया जाता है।

(2) गत तीन वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन संस्थाओं को आबंटन किया गया है उसकी सूची "अ" पर संलग्न है। जिसमें नाम, स्थान, प्रयोजन साइज व रेट्स को अंकित भी कर दिया है। शेष विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की सूची "ब" पर संलग्न है। नगर निगम की सूची परिशिष्ट-"ग" पर उपलब्ध है।

(नियमों की प्रति/सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-388

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या-389

(स्थगित)

रुकमणी देवी बिरला चिकित्सालय जयपुर के नक्शे का अनुमोदन

390. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रुकमणी देवी बिरला हास्पिटल का निर्माण जयपुर में करने वाली संस्था को लीज मनी में छूट प्रदान करने की स्वीकृति कब किन-किन शर्तों के अधीन दी गई? स्वीकृति और शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शर्तों में से किसी शर्त के अनुरूप निर्माण कार्य एक वर्ष में प्रारम्भ कर तीन वर्ष में पूर्ण करना है? यदि नहीं, तो समयावधि क्या रखी है?

(3) क्या यह सही है कि लगभग 5 वर्षों में उक्त अस्पताल के निर्माण के लिए संबंधित संस्था प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार शर्तें लगाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में बाधाएं उपस्थित कर रही है? यदि नहीं, तो फिर अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो रहा?

(4) उक्त जनसाधारण के उपयोगी कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करवाने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं और अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र और अधिक से अधिक तीन माह में प्रारम्भ हो

(डा. किरोड़ी लाल)

जाये इसे सरकार सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई प्रयास करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अस्पताल का नक्शा अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो सरकार इसे सुनिश्चित क्यों नहीं करती?

उत्तर

(1) रुकमणी देवी बिरला हास्पिटल का निर्माण कार्य नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार ने नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. जयपुर को गोपालपुरा जयुपर में स्थित 215 बीघा 11 बिस्वा भूमि दिनांक 16.8.1999 को टोकन राशि पर आबंटित की थी। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 22.9.2000 के द्वारा उक्त आबंटित भूमि को सार्वजनिक हित में टोकन राशि पर लीज़ रेट लेने की स्वीकृति दी गई उक्त स्वीकृति के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. जयपुर को उक्त भूमि का आबंटन पंत्र दिनांक 30.10.2000 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. के आबंटन पत्र दिनांक 30.10.2000 की शर्त की सं. 6 में यह शर्त रखी गई है कि "भूखण्ड का निर्माण कार्य आबंटन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार आरम्भ करना होगा एवं तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये जाने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(3) जी, नहीं। बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है। नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. ने उनके आबंटन-पत्र की कुछ शर्तों को लेकर एक ज्ञापन दिया है। जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण को आबंटन आदेश की शर्तों में राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में भिन्नता न हो इस अनुसार संशोधित करने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में संस्था को दिया गया आबंटन-पत्र दिनांक 30.10.2000 प्रभावित है एवं आबंटन-पत्र की शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य करना है। यह आबंटन-पत्र दिनांक 30.10.2000 को दिया गया था तथा आबंटन-पत्र की शर्तों के अनुसार अस्पताल का निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में आरम्भ करना अर्थात दिनांक 30.10.2001 तक आरम्भ करना था तथा शर्तों के अनुसार कार्य करने की अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

(4) निर्माण कार्य संस्था द्वारा ही किया जाना है जिसमें राज्य सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

(5) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे अनुमोदित नहीं किये गये। संस्था द्वारा प्रस्तुत नक्शे जविप्रा. द्वारा दिनांक 4.12.2000 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा इसकी सूचना नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. जयपुर को प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र क्रमांक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

291 दिनांक 4.12.2000 भेजी जा चुकी है। परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(परिशिष्ट/संलग्नकों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर में शिक्षण संस्थाओं को भवन निर्माण हेतु भू-खण्ड

391. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक : एफ4(88)जविप्रा/अ.आ./भू.यो/विविध दिनांक 20.3.97 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विद्यालय भवन हेतु भू-खण्ड प्राप्त करने के लिये किन-किन शिक्षण संस्थाओं के आवेदन किन-किन तिथियों को प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं द्वारा भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन दिये गये थे और उनमें से किन-किन शिक्षण संस्थाओं को भू-खण्ड आबंटित किये गये? जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त संस्थाओं से किस दर से कितनी राशि जमा की है?

(3) उक्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा भू-खण्ड आवंटन के बाद किस-किस संस्था ने मूल्य राशि जमा करा दी है और क्या प्राधिकरण द्वारा उन्हें कब्जा दे दिया गया? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अब जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थाओं को भवन निर्माण हेतु भू-खण्ड उपलब्ध करवाने हेतु भूमि है? यदि हां, तो उपलब्ध भू-खण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जविप्रा की विज्ञप्ति दिनांक 20.3.97 के अनुसरण में विहित तिथि दिनांक 20.3.97 से 5.4.97 तक की अवधि में 60 शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन किया गया। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त संस्थाओं द्वारा भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु 93 आवेदन पत्र पेश किए थे। जिनमें से कुल 15 संस्थाओं को आबंटन किए गये। राशि जमा की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) सूचना परिशिष्ट "ब" में अंकन कर दी गई है।

(4) शिक्षण संस्थाओं को आबंटन हेतु उपलब्ध भूमि की सूचना परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगर सुधार न्यास अलवर क्षेत्र में अवैध भवन निर्माण का नियमन

392. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर सुधार न्यास अलवर के भवन निर्माण नियमों के अन्तर्गत फ्रन्ट सैट बैक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

व साइड सैट बैक में किस सीमा तक अवैध निर्माण का शास्ति लेकर नियमित करने का प्रावधान है ?

(2) क्या अलवर में स्थित मेहता नर्सिंग होम ने फ्रन्ट व साइड सैट बैक में नियमन योग्य सीमा से अधिक क्षेत्र में अवैध निर्माण किया है ? यदि हां, तो क्या न्यास ने भवन निर्माण नियमों को नजरन्दाज कर उसे नियमित किया है ?

(3) क्या न्यास क्षेत्र में इसी प्रकार के अन्य अवैध निर्माणों को भी न्यास द्वारा नियमित किये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास अलवर के भवन निर्माण नियमों के अन्तर्गत फ्रन्ट सैट बैक में 10 प्रतिशत सीमा तक व साइड सैट बैक में 100 प्रतिशत सीमा तक अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान है। नियमन करने के प्रावधान न्यास द्वारा तैयार किऐ जाते हैं।

(2) वर्तमान में न्यास के भवन निर्माण नियमों के तहत फ्रन्ट सैट बैक 10 प्रतिशत तक ही नियमित किया जा सकता है। इस अवैध निर्माण के नियम का मामला इस प्रश्न के माध्यम से शासन के ध्यान में आया है। इसके बारे में पूर्ण विवरण प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

(3) नियमों के अन्तर्गत अवैध निर्माणों को गुणावगुण के आधार पर नियमन हेतु निर्णीत किया जा सकता है।

तहसील रामगंजमण्डी (कोटा) में मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज द्वारा अवैध खनन

393. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र रामगंजमण्डी (कोटा) में मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज लि. को खनिज लाइम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन) अर्थात कोटा स्टोन के खनन के पट्टे का प्रथम नवीनीकरण के आदेश की अनुपालना में विभाग द्वारा सीमांकन सत्यापन किया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रारम्भिक बिन्दु एवं अन्य रेफरेन्स बिन्दु पूर्ण उपलब्ध नहीं पाये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच की गई तथा सर्वेक्षण भी किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि सीमांकन सत्यापन रिपोर्ट तथा प्रारम्भिक बिन्दु एवं अन्य रेफरेन्स बिन्दु पूर्ण उपलब्ध नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में किसी ने जांच की थी ? यदि हां, तो सत्यापन एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 73 (11)/60/खान/59 दिनांक 5.6.1974 से निदेशक खान एवं भू-विज्ञान द्वारा संशोधित सीमांकन सत्यापित रिपोर्ट क्या थी तथा उसका अनुमोदन किस आधार पर किया गया ?

(4) जांच के फलस्वरूप मै. ए.एस.आई. कम्पनी की क्या-क्या खामियां उजागर हुईं तथा जांच के फलस्वरूप निदेशालय के पत्र

(श्री मदन दिलावर)

दिनांक 22.3.1975 से अन्य पट्टाधारी का ओवरलेप क्षेत्र मै. ए.एस.आई. कम्पनी से कम करने के प्रस्ताव क्यों भेजे ?

(5) क्या मै. ए.एस.आई. कम्पनी द्वारा बदनीयति से प्रारम्भिक बिन्दु व कुछ अन्य रेफरेन्स बिन्दुओं को क्षतिग्रस्त किया था ? यदि नहीं, तो मौके पर रेफरेन्स बिन्दु व प्रारम्भिक बिन्दु क्यों नहीं मिले ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त प्रथम नवीनीकरण आवेदन के समय सीमांकन सम्बन्धी विवाद राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5.6.1974 एवं 7.5.1975 के बीच कोई पत्राचार मै. ए.एस.आई. कम्पनी से सरकार तथा खनिज विभाग के बीच हुआ ?

(7) क्या कम्पनी ग्राम जुल्मी की चरागाह, बंजर, श्मशान आदि भूमि के अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार रामगंज मण्डी द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खनन करने सम्बन्धी जांच उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा की गई ?

(9) उक्त उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त कम्पनी के पक्ष में प्रथम नवीनीकरण 6 ब्लाक्स में स्वीकृत किया गया, जिनमें से सीमांकन सत्यापन के समय ब्लाक संख्या-1 के प्रारम्भिक बिन्दु एवं कुछ मुटामों के रेफरेन्स बिन्दु उपलब्ध नहीं पाये गये जिसकी मौके पर जांच की गई तथा सर्वेक्षण भी किया गया।

(2) जी, हां। उत्तर के भाग-एक के अनुसार ब्लाक संख्या-1 बाबत जांच की गई थी। सत्यापन रिपोर्ट परिशिष्ट-1 एवं जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 7.3(11)/30/खान/59 दिनांक 5.6.74 से संशोधित सीमांकन सत्यापन रिपोर्ट का अनुमोदन पट्टाधारी के क्षेत्र की मूल सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(4) पट्टाधारी के पक्ष में मूल रूप से स्वीकृत ब्लाक संख्या-1 का प्रारम्भिक बिन्दु उपलब्ध नहीं था तथा कुछ मुटामों के रेफरेन्स उपलब्ध नहीं होने सम्बन्धी जांच के फलस्वरूप निदेशालय के पत्र दिनांक 22.3.75 से अन्य पट्टाधारी का ओवरलेप क्षेत्र मैसर्स ए.एस.आई. कम्पनी से कम करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जो शासन के पत्र क्रमांक एफ. 3(11)(60)/आईएनडी/बी-59 दिनांक 7.5.75 से क्षेत्र 4810.16 एकड़ से कम किया जाकर 4781.79 एकड़ बाबत संशोधन के आदेश जारी किये गये।

(5) मै. ए.एस.आई. कम्पनी के ब्लाक संख्या-1 का प्रारम्भिक बिन्दु व अन्य बिन्दुओं के रेफरेन्स उपलब्ध नहीं होने बाबत राज्य सरकार के निर्देशानुसार

(गृह मंत्री)

वैन नं. डी एल. 5/सीए 6846 जब्त की गई है।

(2) जी नहीं, उक्त प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी, अलवर द्वारा थानाधिकारी कठूमर को कोई गलत तथ्य एवं सूचना दी गई।

(3) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, क्योंकि अधिकारी ने कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(4) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69(4) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, राजस्थान को जब्तशुदा वाहनों को छोड़ने का अधिकार है, किन्तु माननीय आयुक्त ने प्रश्न में अंकित वाहन नहीं छोड़ा है। वाहन न्यायालय सी.जे. (जे.डी.) जे.एस.कठूमर के आदेश दिनांक 1.3.2001 की पालना में छोड़ा गया है। किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के थानों/चौकियों के भवन निर्माण कार्य

398. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के किन-किन थानों एवं चौकियों का भवन पुराना है? क्या सरकार इस वर्ष उक्त थानों/चौकियों के भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के थानों में पुलिस बल के विश्राम करने हेतु बैरकों की संख्या बढ़ाने एवं सुलभ शौचालयों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त थानों के शौचालय काफी गन्दे रहते हैं? यदि हां, तो सरकार इनको स्वच्छ रखने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत थाना नादौती, गढ़मोरा के क्षेत्र आते हैं। श्री महावीरजी थाने का कुछ क्षेत्र आता है। थाने का भवन हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में आता है। थाना टोडाभीम के अन्तर्गत पुलिस चौकी बालाघाट एवं पुलिस थाना नादौती के अन्तर्गत पुलिस चौकी गुढ़ाचन्द्रजी आती है। शेष थानों में पुलिस चौकी नहीं है। पुलिस थाना टोडाभीम के भवन का निर्माण गत वर्ष में हुआ है। पुलिस चौकी बालाघाट थाना टोडाभीम का स्वयं का कोई भवन नहीं है। यह ग्राम पंचायत भवन में संचालित है। पुलिस थाना नादौती का भवन कुछ वर्ष पूर्व ही निर्मित हुआ है। इसी तरह पुलिस थाना गढ़मोरा का भवन भी ज्यादा पुराना नहीं है।

(2) थानों पर पदस्थापित पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के निवास/बैरक एवं

(गृह मंत्री)

कार्य करने के स्थान परिपूर्ण हैं। थानों पर स्थित शौचालय फ्लश विधि पर बनाये हुए हैं।

(3) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के समस्त शौचालयों को फ्लश विधि पर बनाया गया है, जो साफ-सुथरे रहते हैं।

थाना बजीरपुर (सवाईमाधोपुर) में दर्ज प्रकरण संख्या-92/2000

399. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) थाना बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर में दर्ज मुकदमा नं. 92/2000 में से अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-3 पुलिस को हटाने का किन नियमों के तहत अधिकार है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के निर्देशों के बावजूद भी मुकदमा नं. 92/2000 की जांच पुलिस अधीक्षक करौली को दी गई?

(3) सरकार के निर्देश पत्र दिनांक 18.7.2000, 18.8.2000, 27.2.2001 की पालना उप महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर ने किस प्रकार की है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त मुकदमे की जांच पुलिस अधीक्षक करौली से कब तक करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) अभियोग में अनुसंधान से जिन धाराओं में अपराध प्रमाणित पाया जाता है, उन्हीं धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया जाता है। अभियोग में जो जुर्म धारा अनुसंधान से प्रमाणित नहीं पाई जाती है उसे हटा दिया जाता है। अनुसंधान के लिए विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। इसके लिए कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.7.2000, 18.8.2000 एवं 27.2.2001 की पालना में उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर द्वारा उक्त मुकदमे के थाने का क्षेत्राधिकार जिला सवाईमाधोपुर होने के कारण प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से करवाई गई। बाद अनुसंधान अभियोग का चालान दिनांक 25.7.2000 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(4) चूंकि अभियोग का चालान दिनांक 25.7.2000 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अब अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-400

(स्थगित)

जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे

401. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राज्य सरकार अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में जयपुर विकास प्राधिकरण के कितने कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज किये गये? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है और शेष का चालान कब तक पेश कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2000-2001 (दिनांक 15.3.2001 तक) में जयपुर विकास प्राधिकरण के 2 अधिकारी व 1 कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज किये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "अ", "ब" व "स" पर संलग्न है।

(2) सभी तीनों प्रकरण अन्वेषणाधीन हैं।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गुड़ा जैतावतान (पाली) के मृत वन रक्षक के आश्रित को नियुक्ति

402. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री जब्बर सिंह की वन रक्षक के पद पर रहते हुए दिनांक 7 अगस्त, 1989 को मृत्यु हो गयी थी?

(2) क्या सरकार उनके आश्रित पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम गुड़ा जैतावतान तहसील- देसूरी के द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र के अनुसार उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री जब्बर सिंह वन रक्षक की मृत्यु 7/8 अगस्त, 1989 को हो गई थी।

(2) मृतक के आश्रित पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम गुड़ा तहसील देसूरी जिला पाली के द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के संबंध में दिया गया आवेदन विभाग में चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त नहीं होने के कारण कार्मिक विभाग को अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु भेजा गया है।

विधान सभा क्षेत्र नदबई में नई सड़कों की स्वीकृति

403. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई में कोई नई सड़क स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बरखेड़ा से फरसो/फरसो से गौण तक सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नदबई विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान में कोई नई सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं है। नई सड़क का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(2) बरखेड़ा से फरसो तथा फरसो से गोण (गोबरा) तक की सड़क निर्माण के लिये वर्तमान मे कोई स्वीकृति नहीं है। बरखेड़ा व फरसो जो दोनों ही पी.एच.क्यू. है जो पहले से ही ए.डी.पी. के तहत डामर सड़क से जुड़े हुए हैं तथा गोण (गोबरा) भी ए.डी.पी. के तहत जहांगीरपुरा से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में राज्य सड़क नीति अनुसार इन ग्रामों को आपस में सड़क से जोड़ना अपेक्षित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा की क्षतिग्रस्त सड़कें

404. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भादरा की अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा की कुल 38 डामर सड़कों में से केवल 5 सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है :—

1- भादरा से लुदेसर सड़क :— इस सड़क की कुल लम्बाई 17.30 किमी. है। यह सड़क किमी. 0/0 (भादरा) से 1/0 तक गांव की आबादी क्षेत्र में होकर गुजरती है व पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क में पेच हो गये हैं। किमी. 4/0 से 12/0 में पेच कार्य की आवश्यकता है। किमी. 12/0 से 17/300 (राजस्थान सीमा तक) में डामर सड़क के किनारे क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2- निनांण से सहूवाला :— यह ग्रामीण सड़क किमी. 0/0 (निनांण) से जनाना होते हुये किमी. 9/0 सहूवाला को जाती है उसमें किमी. 0/0 से 4/500 में डामर सड़क के किनारे कट गये हैं व भारी पेच हो गये हैं।

3- डाबड़ी-शेरडा :— इस ग्रामीण सड़क की कुल लम्बाई 12 किमी. मे से दो किमी. (किमी. 10/0 से 12/0) में पेच पड़े हुए हैं। (डाबड़ी किमी. 0/0)

4- डूंगराना से किराडाबड़ा :— इस ग्रामीण सड़क की कुल लम्बाई 9.00 किमी. है, जिसमें पेच पड़े हुए हैं।

5- भादरा-झांसल :— इस अन्य जिला सड़क की कुल लम्बाई 27 किमी. है जिसमें किमी. 7/0 से 9/0 एवं 18/500 से 23/0 में पेच मरम्मत की आवश्यकता है। (किमी. 0/0 भादरा व 27/0 राज्य सीमा पर है)

(2) जी, हां। पेच मरम्मत व नवीनीकरण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर आगामी दो वर्षों में (2001-2003) में करवाया जाना प्रस्तावित है।

जिला अजमेर में कार्यरत अभियन्ताओं के परिजनों द्वारा जाब वर्क

405. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर में कितने अभियन्ता राजस्थान ब्रिज कारपोरेशन व अन्य एजेन्सी से नियुक्त किए हुए हैं? उक्त अभियंता कब से कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार को ऐसे अभियन्ताओं के बारे में शिकायत/ जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके रिश्तेदार/ परिवारजन ठेकेदारी, जोब वर्क एवं माल सप्लाई कार्य करते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग से मात्र एक कनिष्ठ अभियन्ता श्री हर्षराय दिनांक 25.4.98 से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। राजस्थान राज्य रोड डवलपमैंट एवं कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर से कोई भी अभियन्ता महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है।

राजस्थान स्टेट रोड एण्ड डवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर की एक यूनिट महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर में कार्यरत है जिसमें निम्नलिखित अभियन्ता पदस्थापित है :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	नाम व पद	पदस्थापन दिनांक
1.	श्री आर.एस. राजपुरोहित आवासी अभियन्ता	12.3.2001
2.	श्री अविनाश माथुर सहायक अभियन्ता	10.7.2000
3.	श्री अरूण माथुर कनिष्ठ अभियन्ता	24.12.1996
4.	श्री अशोक रंगवानी कनिष्ठ अभियन्ता	2.5.1998
5.	श्री ओम प्रकाश शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	5.7.1999

(2) जी, नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ लेखाकारों के समाप्त पद

406. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या सार्वनजिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकारों के पद समाप्त कर दिये हैं ?

(2) क्या उक्त कारण कई खंड कार्यालयों से कनिष्ठ लेखाकारों को हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त संबंध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व (2) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की क्षतिग्रस्त सड़कें

407. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में ऐसी कितनी सड़कें है जिनके निर्माण के पश्चात् अब तक कोई मरम्मत नहीं हुई है तथा सड़क जीर्ण-शीर्ण है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त सड़कों की देखरेख पर गत दो वर्षों में कोई राशि व्यय नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त डामरीकृत सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों की इस वर्ष मरम्मत करा दी जायेगी।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जिनके निर्माण के पश्चात् अब तक कोई भी मरम्मत नहीं हुई है। आवश्यकतानुसार समय-समय पर पेच रिपेयर का कार्य करवाया जाता रहा है। वर्तमान में कोई भी सड़क पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में मरम्मत एवं नवीनीकरण पर वर्ष 1999-2000 में 12.18 लाख व 2000-2001 में रुपये 4.73 लाख कुल रुपये 16.91 लाख का व्यय किया गया है। विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी, हां। राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजना के तहत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में सड़क सुधार हेतु साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य करवाये जाने का लक्ष्य है उसी के अनुसार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

उत्तीर्ण विधि सहायकों की नियुक्ति

408. श्री अमराराम (धोद) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1998 में विधि सहायकों के चयन हेतु 61 पदों की राजस्थान लोक सेवा आयोग से परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एवं साक्षात्कार होने के पश्चात् भी उक्त सहायकों को नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधि सहायकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1998 में चयनित 61 विधि सहायकों को विधि सहायक के पद पर नियुक्ति करने के आदेश निम्न दिनांकों में जारी कर दिये गये हैं :—

क्र.सं.	दिनांक	नियुक्त व्यक्ति
1.	15.7.2000	29
2.	28.10.2000	1
3.	14.3.2001	31
	कुल नियुक्ति	**61**

(2) सफल घोषित 61 व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश उक्त तिथियों में जारी कर दिये गये हैं।

पंचायत समिति सम (जैसलमेर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

409. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शिव (बाड़मेर) व पंचायत समिति सम (जैसलमेर) के ग्रामों का विद्युतीकरण सबसे कम किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त जिलों के जिन ब्लाकों में अब तक विद्युतीकरण कम हुआ है उनको भविष्य में प्राथमिकता देने पर विचार रखती है?

(3) क्या सरकार ग्राम तेजमालता (कांसाऊ) (जैसलमेर) में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार पंचायत समिति सम (जैसलमेर) के ग्राम नगराज, अदरोई, भंभारा, मगरा, बासूड़ा, सोढात गजसिंह का गांव नीबली के विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार पंचायत समिति शिव (बाड़मेर) के 168 ग्रामों में से माह मार्च, 2001 तक 163 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित कर 97.02 प्रतिशत विद्युतीकरण का स्तर प्राप्त किया जा चुका है जो कि राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान ही है। जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार पंचायत समिति सम (जैसलमेर) के 292 ग्रामों में से माह मार्च, 2001 तक 70 ग्राम विद्युतीकृत घोषित कर 23.97 प्रतिशत विद्युतीकरण का स्तर प्राप्त किया जा चुका है। सीमान्त क्षेत्र में स्थित दूर-दराज के ग्रामों में कम आबादी के अलावा औसत से ज्यादा विद्युत तंत्र की आवश्यकता होने के कारण अन्य जिलों के सापेक्ष विद्युतीकरण कम रहा है।

(2) जी, हां। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रयास किया जावेगा।

(3) जी, हां। जिला जैसलमेर के ग्राम तेजमालता में 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। तकनीकी जांच व स्वीकृति के बाद वित्तीय संसाधनों के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जाना संभव हो सकेगा।

(4) जी, हां। उक्त वर्णित ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार व साध्य पाये जाने पर ही किया जाना संभव हो सकेगा।

कोटा थर्मल पावर प्लांट की चौथी इकाई का निर्माण

410. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा थर्मल पावर प्लांट की तीसरी व चौथी इकाई का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ तथा कब पूर्ण हुआ?

(2) क्या कोटा थर्मल पावर प्लांट की तीसरी व चौथी इकाई के निर्माण का कार्य भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड को दिया गया था? यदि हां, तो क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड का पैटी कान्ट्रेक्टर खालसा कंस्ट्रक्शन कम्पनी थी, जिसने ई. एस. पी. का कार्य भी किया था? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) कोटा थर्मल पावर प्लांट की तृतीय व चतुर्थ इकाई का कार्य माह अप्रैल, 1984 में प्रारम्भ हुआ था तथा तृतीय व चतुर्थ इकाई का कार्य क्रमशः दिनांक 11.12.1998 एवं 16.10.1989 को पूर्ण हुआ।

(2) जी, हां। कोटा थर्मल पावर प्लांट की तीसरी व चौथी इकाई के बायलर एवं टर्बो जनरेटर के निर्माण का कार्य भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा करवाये गये थे। ई.एस.पी. जो कि बायलर का ही भाग है, के निर्माण का कार्य भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने उनके सब-कान्ट्रेक्टर मै० खालसा कंस्ट्रक्शन कम्पनी

(ऊर्जा मंत्री)

से करवाया था जो कि माह जनवरी, 1985 में शुरू हुआ तथा माह अगस्त, 1989 में पूर्ण हुआ।

राज्य में बिजली की खपत

411. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कृषि, घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में कितनी मेगावाट बिजली की आवश्यकता प्रतिदिन रहती है?

(2) राज्य में वर्तमान में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किस-किस स्थान से हो रहा है? विवरण संदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में राज्य के बाहर से किस-किस राज्य से इस वर्ष कितने-कितने मेगावाट बिजली अक्टूबर, 2000 से फरवरी, 2001 तक कितनी राशि देकर खरीदी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) एक मेगावाट बिजली खरीदने के लिये कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है?

(5) राज्य में आवश्यकता से कम कितने मेगावाट बिजली इस वर्ष किस-किस माह में अक्टूबर, 2000 से फरवरी, 2001 तक खरीद कम करके बचत की गई?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि, घरेलू व उद्योगों में विद्युत आपूर्ति हेतु वार्षिक औसत के अनुसार लगभग 3100 मेगावाट प्रतिदिन की आवश्यकता रहती है। परन्तु रबी फसल के समय यह आवश्यकता 4100 मेगावाट तक होती है।

(2) वर्तमान में राज्य में निम्न स्थानों से 2515.0 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा उत्पादन के स्रोत तापीय, गैस, पन विद्युत, परमाणु ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा है। फरवरी, 2001 तक इनकी क्षमता निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	स्रोत	राज्य को उपलब्ध क्षमता (मे. वा. में)	स्वामित्व
1	2	3	4
1.	तापीय		
	अ. कोटा थर्मल पावर स्टेशन	850	रा.रा.वि.उ.नि.लि
	ब. सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	500	रा.रा.वि.उ.नि.लि
2.	गैस		
	अ. रामगढ़ गैस परियोजना	38.5	रा.रा.वि.उ.नि.लि.
	ब. अन्ता गैस परियोजना	82.9	(केन्द्रीय परियोजना)

(ऊर्जा मंत्री)

1	2	3	4
3. पन विद्युत			
	अ. लघु पन विद्युत परियोजना	23.85*	रा.रा.वि.उ.नि.लि.
	ब. माही विद्युत परियोजना	140*	रा.रा.वि.उ.नि.लि.
	स. राणा प्रताप सागर	86*	(साझेदारी परियोजना)
	द. जवाहर सागर	48.5*	(साझेदारी परियोजना)
4. राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र			
	अ. राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र-(अ)	300	(केन्द्रीय परियोजना)
	ब. राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र-(ब)	440	(केन्द्रीय परियोजना)
5. पवन ऊर्जा			
	अ. अमरापुरा, जिला-जैसलमेर	2	(राज. स्टेट कारपोरेशन लि.)
	ब. देवगढ़, जिला-चित्तौड़गढ़	2.25	(राज. स्टेट कारपोरेशन लि.)
	योग	**2514.0 मे. वा.**	

* वर्तमान में पानी की कमी के कारण इन पर विद्युतगृहों से उत्पादन नहीं हो पा रहा है।

(3) माह अक्टूबर, 2000 से फरवरी, 2001 तक राज्य के बाहर से केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों व अन्य राज्यों से 5133.58 मि. यूनिट विद्युत क्रय की गई जिसके मद में 918.86 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। माहवार विवरण परिशिष्ट-अ में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) राज्य के बाहर के उपक्रमों एवं पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदने पर दर 1.29 रु. प्रति यूनिट से 3.13 रु. प्रति यूनिट के बीच भुगतान करना पड़ता है।

(5) राज्य में विद्युत की अत्यधिक कमी के कारण अक्टूबर, 2000 से फरवरी, 2001 तक विद्युत मांग की पूर्ति हेतु केन्द्रीय उपक्रमों से राज्य को आवंटित विद्युत से अधिक विद्युत क्रय की गई (अर्थात ओवर ड्रा करके) तथा अन्य राज्यों (पंजाब एवं दिल्ली) से भी विद्युत क्रय की गई है। अतः बचत का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्तमान में बिजली खरीद मेगावाट में न होकर लाख यूनिट में विभिन्न स्रोतों से की जाती है जिसकी दर रुपये प्रति यूनिट ही होती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

श्रीगंगानगर के छात्रावासों में खाद्य सामग्री का वितरण

412. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर में कुल कितने छात्रावास हैं और उनमें विद्यार्थियों के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) उक्त जिले में क्या सरकार नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा कहां-कहां ?

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के छात्रावासों में कुल कितनी खाद्य सामग्री जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 तक प्राप्त हुई तथा उनका विवरण किस-किस प्रकार किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में कुल 20 छात्रावास हैं। विद्यार्थियों के प्रवेश के मापदण्ड निम्न हैं : —

(i) विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/स्वच्छाकार/विमुक्त एवं घुमन्तू वर्ग का सदस्य हो।

(ii) विद्यार्थी के माता-पिता आयकर-दाता नहीं हो।

(iii) विद्यार्थी का निवास स्थान उस छात्रावास से 5 किमी. परिधि के बाहर हो।

(2) जी, नहीं।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कुल 3 छात्रावास हैं। छात्रावासों में कुल खाद्य सामग्री जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 तक वितरण का विवरण निम्नप्रकार है :—

खाद्य सामग्री का नाम	वितरण
आटा	15791 किग्रा.
दाल	1313 किग्रा.
मिर्च	201 किग्रा.
हल्दी	85 किग्रा.
जीरा	55 किग्रा.
धनिया	105 किग्रा.
नमक	495 किग्रा.
तेल	493 किग्रा.
चीनी	1052 किग्रा.
चाय	102 किग्रा.
बिस्कुट	8762 पैकेट
दूध	9114 किग्रा.
मिठाई	305 किग्रा.
देशी घी	117 किग्रा.
सब्जी	3281 किग्रा.

खाद्य सामग्री का वितरण मैस समिति के माध्यम से किया जाता है तथा छात्रों को भोजन नाश्ता, विशष भोजन आदि तैयार कर दिया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में संचालित छात्रावास

413. श्री रमेशचन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में राजकीय एवं अनुदानित कितने छात्रावासों में गत वर्ष में कब-कब बैठकें आयोजित

(श्री रमेशचन्द्र पण्ड्या)

हुई तथा उनमें कौन-कौन से सदस्य उपस्थित थे ?

(2) उक्त छात्रावासों की भौतिक स्थिति सुधारने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में 8 राजकीय एवं एक अनुदानित छात्रावास विभाग द्वारा संचालित हैं जिनकी प्रवेश एवं प्रबन्ध सलाहकार समिति की बैठकें निम्नानुसार दिनांकों में आयोजित की गईं :—

दिनांक	छात्रावास का नाम	उपस्थित सदस्य
1	2	3
1. 3.7.2000 2. 18.11.2000	बालक बांसवाड़ा	1. नगरपालिका अध्यक्ष 2. पार्षद, सीताराम डामोर 3. जिला अधिकारी 4. प्रधानाचार्य
1. 3.7.2000	कन्या बांसवाड़ा	1. नगरपालिका पार्षद 2. प्रधानाचार्य 3. पं. सं. विकास अधिकारी 4. जिला अधिकारी
1. 4.7.2000	कन्या गढ़ी	1. प्रधान गढ़ी 2. विभागीय प्रतिनिधि 3. सरपंच ग्राम पंचायत 4. पंचायत समिति सदस्य
2. 4.7.2000	बालक गढ़ी	1. प्रधान पं.सं. गढ़ी 2. विभागीय प्रतिनिधि 3. प्रधानाचार्य 4. सरपंच ग्राम पंचायत
1. 4.7.2000 2. 3.1.2001	सरेड़ी बड़ी	1. सरपंच ग्राम पंचायत 2. विभागीय अधिकारी 3. प्रधानाचार्य 4. प्रधान का प्रतिनिधि
1. 3-7-2000	बजवाना	1. विभागीय प्रतिनिधि 2. सरपंच ग्राम पंचायत 3. प्रधान का प्रतिनिधि 4. प्रधानाचार्य

(सहायता मंत्री)

1	2	3
1. 4.7.2000 2. 15.11.2000	लोहारिया	1. विभागीय प्रतिनिधि 2. प्रधानाचार्य 3. एस.सी. कार्यकर्ता 4. सरपंच ग्राम पंचायत 5. पंचायत समिति सदस्य
1. 3.7.2000 2. 18.11.2000	बोंरी	1. सरपंच ग्रा. पं. बोरी 2. प्रधान प्रतिनिधि 3. प्रधानाचार्य 4. पूर्व एम.एल.ए. 5. विभागीय प्रतिनिधि
1. 11.7.2000	अनुदानित छात्रावास, खोडल	1. विभागीय प्रतिनिधि 2. जिला परिषद सदस्य 3. सरपंच ग्राम पंचायत 4. प्रधानाचार्य

(2) छात्रावासों की भौतिक स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों को भरने, छात्रावास भवनों का निर्माण तथा छात्रावासों में अनावर्तक सामान हेतु राशि दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

"सहकार आपके द्वार" महाभियान पर व्यय

414. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा "सहकार आपके द्वार" नामक राज्य में महाभियान चलाया गया था? यदि हां, तो कब से कब तक और इसमें क्या-क्या कार्य किये गये?

(2) उक्त महाभियान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा भी व्यय किया गया? यदि हां, तो जिला नागौर में उक्त कार्य के लिये ग्राम सेवा सहकारी समितियों/अन्य समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने इसका भी मूल्यांकन किया है कि व्यय के मुकाबले उपलब्धियों की क्या स्थिति रही?

(4) क्या सभी जिलों में उक्त अभियान चलाया गया था और सभी जगह हुआ? यदि हां, तो कुल व्यय सभी तरह किस सहकारी संस्थाओं का कितना हुआ और राज्य सरकार का कितना?

उत्तर

(1) जी, हां। "सहकार आपके द्वार महाभियान—2001" राज्य में दिनांक 17

(सहकारिता मंत्री)

जनवरी, 2001 से 20 फरवरी, 2001 तक चलाया गया था। इसमें किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। जिला नागौर की सहकारी समितियों द्वारा निम्नप्रकार व्यय किया गया :—

क्र. सं.	समिति का नाम	कुल व्यय की गई राशि (राशि लाखों में)
1.	ग्राम सेवा सहकारी समितियां (279 समितियां)	1.76
2.	केन्द्रीय सहकारी बैंक	1.39
3.	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक	0.28
4.	अन्य सहकारी संस्थाएं	0.03

(3) "सहकार आपके द्वार महाभियान-2001" में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आम सभा आयोजित कर शिविर सम्पन्न कराये गये, जिनमें हुए व्यय में समितियों की आम सभा में सामान्य रूप से होने वाले व्यय भी सम्मिलित हैं। नागौर जिले की 279 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कुल व्यय 1.76 लाख रुपये हुआ जो औसतन 631/- रुपये प्रति शिविर रहा, जो शिविरों में हुई उपलब्धियों की तुलना में सामान्य एवं उचित है।

(4) जी, हां। व्यय की सूचना संबंधित से प्राप्त की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला बीकानेर में अकाल राहत कार्यों की बकाया का भुगतान

415. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक अकाल राहत कार्यों का बीकानेर जिले में कुल कितना भुगतान श्रमिकों व सामग्री के पेटे किया जाना शेष है?

(2) क्या जिला कलक्टर, बीकानेर ने बार-बार सरकार को उक्त राशि को चुकाने के संबंध में यादध्यानी कराई है?

(3) सात माह का समय व्यतीत होने के बाद भी सरकार ने उक्त बकाया भुगतान का चुकारा अब तक क्यों नहीं किया?

उत्तर

(1) फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक श्रम पेटे कोई भुगतान बकाया नहीं है। राहत कार्यों के तहत स्वीकृत डिग्गी डीसिल्टिंग/मरम्मत कार्यों की सामग्री के पेटे 24.42 लाख रुपयों का भुगतान बकाया है जो सी.ए.डी. विभाग से बजट आबंटन के अभाव में शेष हैं।

(सहायता मंत्री)

(2) डिग्गी डीसिल्टिंग कार्य की सामग्री मद में बजट आवंटन हेतु जिला कलक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग को लिखा गया है।

(3) उक्त कार्यों पर सामग्री पर रु. 24.42 लाख के व्यय के विपरीत सी.ए.डी. विभाग द्वारा 8.25 लाख रु. की राशि आबंटित की जा चुकी है। शेष राशि के आबंटन हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

जिला चूरू में अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

416. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश को अन्नपूर्णा योजना व काम के बदले अनाज योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार से वर्ष 2000-2001 में कितना अनाज आबंटित हुआ तथा सरकार इससे कितने व्यक्तियों को लाभान्वित करने का विचार रखती है?

(2) अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत चूरू शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु चयन किया गया तथा कितनों को वास्तविक रूप में लाभान्वित किया गया?

(3) काम के बदले अनाज योजना अन्तर्गत चूरू जिले में तहसीलवार कितना अनाज निर्धारित राशि पर कितने श्रमिकों को जनवरी व फरवरी, 2001 में आबंटित किया गया?

(4) काम के बदले अनाज योजना अन्तर्गत जनवरी व फ़रवरी, 2001 में कितना कमीशन थोक व खुदरा विक्रेता को व कितनी राशि परिवहन व्यय में खर्च की गई?

उत्तर

(1) राज्य को केन्द्र सरकार से अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में अनाज का आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि 3,18,24,292 राशि प्राप्त हुई है जिससे एफ.सी.आई. से गेहूं खरीद कर लाभान्वितों में वितरण किया जाना है। इस योजना में 47,500 व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से 118145 मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन प्राप्त हुआ है। उक्त गेहूं से राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का आंशिक भुगतान किया गया है।

(2) अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत चूरू शहर में 37 व्यक्ति एवं चूरू ग्रामीण क्षेत्र में 7 व्यक्तियों का चयन किया गया है इनमें से शहरी क्षेत्र के 31 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

(3) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चूरू जिले में तहसीलवार श्रमिकों के लिए माह जनवरी, फरवरी में गेहूं का आबंटन एवं नियोजित श्रमिक निम्नानुसार है :—

(सहायता मंत्री)

क्र. सं.	नाम तहसील	श्रमिकों को चुकाने हेतु आवंटन (मैट्रिक टन)	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1.	चूरू	46.68	311
2.	सरदारशहर	26.55	177
3.	रतनगढ़	10.74	72
4.	सुजानगढ़	56.93	380
5.	डूंगरगढ़	19.62	180
6.	तारानगर	64.94	433
7.	सादुलपुर	32.00	213

(4) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जनवरी व फरवरी, 2001 तक थोक व खुदरा विक्रेताओं द्वारा परिवहन व्यय की राशि की मांग/क्लेम प्रस्तुत नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

जिला नागौर के अग्निकाण्ड प्रभावितों को मुआवजा

417. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 2000 से फरवरी, 2001 तक कितने अग्निकाण्ड हुये हैं? नाम, गांव एवं नुकसानवार सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त पीड़ितों में से किस-किस को कितनी राशि का भुगतान किया गया है और किस-किस का भुगतान बकाया है?

(2) अब उक्त पीड़ित को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 2000 से फरवरी, 2001 तक हुए अग्निकाण्ड के नुकसान के अन्तर्गत पीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण, नाम, गांव व नुकसान सहित सदन के पटल पर रख दिया गया है। जांच अन्तर्गत चल रहे प्रकरणों के अतिरिक्त सभी को भुगतान किया जा चुका है। (परिशिष्ट--1)

(2) जांच पूर्ण होने पर निर्णयानुसार भुगतान कर दिया जायेगा।

(भुगतान विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि कार्य हेतु क्रय की गई ट्रैक्टर ट्रोली का अकृषि कार्य में उपयोग की अनुमति

418. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) एवं **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के किसानों में से अधिकांश किसान ट्रैक्टर-ट्रोली ऋण लेकर खरीदते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि परिवहन अधिकारी/पुलिसकर्मी किसानों को ट्रैक्टर-ट्रोली शहरी सीमा में चलाकर अकाल की स्थिति में चारा, खाद-बीज, खाद्य सामग्री, ईंट-बजरी-पत्थर, मलबा, मिट्टी आदि किराये पर ढोने की इजाजत नहीं देते हैं?

(3) क्या अकाल वर्ष में किसानों को ऋण की किश्त चुकाने, बड़ी पूंजी निवेश

(श्री कन्हैया लाल)

कर ट्रैक्टर से परिवार का लालन-पालन करने के लिए सरकार ट्रैक्टर ट्रोली का अकृषि कार्य में उपयोग करने की छूट देने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक जयपुर जिले में परिवहन विभाग ने कितने किसानों की ट्रैक्टर-ट्रोलियां पकड़ी हैं और उन पर कितना-कितना जुर्माना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य के अधिकांश किसान ट्रैक्टर-ट्रोली ऋण लेकर खरीदते हैं।

(2) जी, हां। यह सही है, जो ट्रैक्टर ट्रोली व्यावसायिक रूप से पंजीकृत हैं वे ही नियमानुसार किराये पर माल/सामान ढो सकते हैं। अन्य ट्रैक्टर ट्रोली को किराये पर माल/सामान ढोने का कानूनी प्रावधान नहीं है।

(3) ट्रैक्टर ट्रोली के अकृषि कार्य में उपयोग करने की छूट के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैक्टर ट्रोली के अकृषि कार्य में उपयोग के लिए वाहन स्वामी को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक है। विभाग द्वारा दिनांक 8.8.1983 को अधिसूचना जारी कर राज्य में कृषि कार्य हेतु उपयोग में आने वाले ट्रैक्टरों द्वारा संचालित ट्रोलियों को राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) में अधिरोपित कर के संदाय से छूट दी गई है। जिन ट्रोलियों का प्रयोग अकृषि कार्यों हेतु किया जाता है उनके लिए कराधान अधिनियम के तहत निर्धारित कर जमा करवाना आवश्यक है।

(4) इस अवधि में 1045 ट्रैक्टर ट्रोली के चालान बनाये जाकर 12,40,230/- प्रशमन राशि वसूली की गई है। विस्तृत सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(सूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुराने वाहनों से कर वसूली

419. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत पांच वर्षों में वाहनों के टैक्स में प्रतिवर्ष वृद्धि की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(2) क्या पुराने वाहनों पर भी टैक्स लगाया जाता है? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार?

(3) क्या गत दो वर्षों में निजी बस मालिकों से टैक्स या स्पेशल टैक्स वसूल किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना?

(4) क्या उक्त राशि का उपयोग उक्त मार्ग की सड़क मरम्मत या डामरीकरण हेतु किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो गत वर्षों में कितना-कितना व्यय किया गया?

उत्तर

(1) दिनांक 1.4.1997 से पूर्व राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के तहत भार वाहनों पर यह कर वाहन के सकल यान भार (जी.वी.डब्ल्यू.) एवं भार ढोने की क्षमता पर आरोपित किया जाता था, यात्री वाहनों के लिए वाहनों की बैठक क्षमता पर तथा स्टेज कैरिज यात्री वाहनों के लिए वाहनों की बैठक क्षमता एवं उसके द्वारा उस माह में संचालित किलोमीटर के आधार पर आरोपित किया जाता था। दिनांक 1.4.1997 से मोटर वाहनों पर कर वाहन के मूल्य के आधार पर आरोपित किया गया है, यह कर वाहन के मूल्य की लागत के प्रतिशत पर आधारित है। गत पांच वर्षों में वाहनों के टैक्स में प्रतिवर्ष की गई वृद्धि के लिए वर्ष 1996-97 की दरों की तुलना 1.4.1997 एवं उसके बाद की दरों से नहीं की जा सकती है क्योंकि 1.4.1997 से मोटर वाहनों पर कर आरोपण के आधार को बदल दिया गया है, इसलिए दिनांक 1.4.1997 से वाहनों पर लगाये गये कर की दर एवं दरों में समय-समय पर की गई वृद्धि संबंधी सूचना ही दी जा रही है। 1.4.1997 से विभिन्न श्रेणी के वाहनों की दरों का विवरण परिशिष्ट 1 से 9 तक संलग्न है। जिन श्रेणियों में वाहनों की करों की दरों में वृद्धि की गई है उन दरों को परिशिष्ट में तारांकित किया गया है।

(2) जी, हां। पुराने वाहनों पर भी कर लगाया जाता है। केवल वे वाहन जिन्हें अधिनियम की धारा–3 के तहत अधिसूचना जारी कर, कर से मुक्त किया गया है अथवा वे वाहन जिन्हें राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1951 के नियम 28 के तहत कर से मुक्त किया गया है, से यह कर देय नहीं है। पुराने वाहनों एवं नये वाहनों दोनों पर ही राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत मोटर वाहन कर व धारा 4बी के तहत विशेष पथकर आरोपित किया जाता है। आरोपित कर की दर चैसिस/यान की लागत के प्रतिशत पर आधारित है। वाहन की लागत की गणना राजस्थान मोटर वाहन नियम 1951 के नियम 42 के तहत की जाती है।

(3) जी, हां। गत 2 वर्षों में निजी बस मालिकों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर लगभग निम्नानुसार वसूल किया गया है :—

वर्ष	**मोटर वाहन कर (लाखों में)**	**विशेष पथ कर (लाखों में)**	**योग (लाखों में)**
1998-99	1032.69	4875.06	5907.75
1999-2000	1230.37	5789.69	7020.06

(4) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत या डामरीकरण हेतु प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि का आबंटन सार्वजनिक निर्माण विभाग को किया जाता है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर से खेतड़ी संचालित अवैध बसों की रोकथाम

420. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर से खेतड़ी वाया डूंगरगढ़, रतनगढ़ अवैध बसें चलने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी अवैध बसों के विरुद्ध गत एक वर्ष में कब-कब चालान किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क मार्ग पर बसें चलाने का परमिट जारी किया हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौनसी बसों को परमिट दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मार्ग पर सरकार द्वारा कब-कब छापे डालकर कौन-कौनसी बसों को अवैध संचालन में दोषी पाया और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर इस क्षेत्र में चलने वाली बसों की रोकथाम के लिए यथोचित कार्यवाही भी की गई है। गत एक वर्ष (1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक) में अवैध रूप से संचालित सम्बन्धित बसों के विरुद्ध बनाए गए चालानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। उक्त सड़क मार्ग पर बसें चलाने हेतु कोई परमिट जारी नहीं किए गए हैं।

(3) चैकिंग की तिथि, अवैध रूप से संचालित पायी गई बसों की सूची एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" में वर्णित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राज्य में मण्डियों की घटती आय में सुधार

421. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश की ऐसी कौन-कौनसी मण्डियां हैं जिनकी गत पांच वर्षों में आय घटी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने घाटे के कारणों की जांच कराई है? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार घाटे वाली मण्डियों की आय बढ़ाने के कोई उपाय कर रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। किसी मण्डी का संस्थापन व्यय आय से अधिक नहीं है।

(3) कोई मण्डी समिति घाटे की नहीं है। मण्डी समिति की आय बढ़ाने के लिए मण्डी शुल्क अपवंचन की रोकथाम नियंत्रण पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था की जा रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजगढ़ (चूरू) की कृषि उपज मण्डी के चुनाव

422. श्री नन्द लाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति राजगढ़ (चूरू) के चुनाव कब से नहीं हुए हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त कृषि उपज मण्डी के चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजगढ़ (चूरू) के नाम से कोई कृषि उपज मण्डी नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला हनुमानगढ़ में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कें

423. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रैल, 1998 से मार्च, 2000 तक कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत जिला हनुमानगढ़ में कितनी सड़कें सरकार द्वारा स्वीकृत की गईं ?

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो अनिर्मित सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रैल, 1998 से मार्च, 2000 तक जिला हनुमानगढ़ में कृषि उपज मण्डी समितियों के अंतर्गत 27 सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की गई हैं।

(2) जी, नहीं। उक्त सड़कों में से 23 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 4 सम्पर्क सड़कों में से 3 का कार्य अपूर्ण है एवं एक सड़क का कार्य वित्तीय स्वीकृति के अभाव में प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

घाटोल मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी की स्थापना

424. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या घाटोल मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी चालू किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त जनजाति बहुल क्षेत्र में कृषि उपज है फिर भी अब तक मण्डी चालू नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। घाटोल मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी नहीं है। अपितु मात्र गौण मण्डी है, जो बांसवाड़ा कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत है।

(2) पूर्ण मण्डी चालू करने के लिए 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष की मण्डी शुल्क आय होने का प्रावधान है। जबकि घाटोल गौण मण्डी की वार्षिक आय मात्र तीन लाख रुपये है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. डा. रतनलाल जाट एवं प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से सहाड़ा में कार्यरत गंगापुर कोआपरेटिव स्पिन फैड यूनिट में कथित अनियमितताओं के संबंध में।

2. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला अजमेर में साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ने के संबंध में।

3. श्री मदन दिलावर एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से जिला अजमेर एवं चित्तौड़गढ़ में हाल ही में घटित घटनाओं के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : 295, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 295, पहले क्या था जीरो आवर?

श्री उपाध्यक्ष : पहले मैं यह पढ़ दूं, आप तैयार हो जायें तब तक।

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़ उपखण्ड मुख्यालय बड़ी सादड़ी में महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

(2) श्री गणेशी राम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर के कतिपय गांवों में यातायात की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।

(3) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण शीघ्र करवाने के संबंध में।

(4) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड में फैले खुरपका, मुंहपका एवं गलघोटू के संक्रमण से पशुधन की हानि व बीमारी के संबंध में।

(5) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना व मुख्य अभियन्ता (उत्तर) हनुमानगढ़ के अधीन आने वाले सिंचित क्षेत्रों में 28.2.2001 से पानी बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से समाज कल्याण विभाग के अधीन स्वयंसेवी संस्था बाल रश्मि सोसायटी द्वारा कथित भ्रष्टाचार एवं अनैतिक आचरण किये जाने के उपरान्त भी उसे अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(7) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला बारां की तहसील मांगरोल के आसपास की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के संबंध में।

(8) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के राजकीय कपिल चिकित्सालय को 100 शैयाओं में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(9) श्री जौहरीलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ की कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सायरा में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

(11) डा. रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समिति सातलियास के पूर्व सरपंच द्वारा किये गये घोटालों की जांच करवाये जाने के संबंध में।

(12) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से राज्य के खनिज विभाग द्वारा पंचायतों में जोहड़ एवं तालाबों से मिट्टी उत्खनन कार्य में बाधा पहुंचाये जाने के संबंध में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़ में महाविद्यालय खोलने विषयक

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अधिकांश उपखण्ड केन्द्रों पर उच्च शिक्षा की पढ़ाई व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़ उपखण्ड मुख्यालय, कालेज शिक्षा से आज भी वंचित है। राजस्थान के कई महाविद्यालय उपखण्ड केन्द्र से नीचे तहसील केन्द्रों तक भी स्थापित हैं। सरकार की बजट घोषणा में भी यह अंकित किया है कि आने वाले वर्षों में उपखण्ड केन्द्रों तक महाविद्यालयों की स्थापना हो जायेगी। लेकिन हर बार बजट घोषणा में इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, कारण प्रतिपक्ष का विधायक होना भी हो सकता है। यह लोकतंत्र का अपमान है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

विधान सभा क्षेत्र जालौर के कतिपय गांवों में यातायात व्यवस्था

श्री गणेशी राम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत यातायात मंत्री महोदय का

(श्री गणेशी राम मेघवाल)

ध्यानाकर्षित कर निवेदन करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र जालौर में ग्राम आडवाड़ा, सियाणा, चान्दना, काणदर, रायपुरिया, सिवणा गांव वालों को भीनमाल, सांचौर, रायसीन, रानीवाड़ा आदि गांवों एवं शहरों में जाने हेतु आकोली गांव तक सिरोही जालौर की बस में बैठकर आना पड़ता है।

सिवणा-रायपुरिया काणदर, सियाणा की जनता की मांग है कि जालौर से भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर जाने वाली एक अथवा दो बसों को वाया सियाणा, रायपुरिया, सिवाणा, सुमेरगढ़ होती हुई मांडोली, रामसीन, भीनमाल की तरफ चलाई जावे तो सिवणा रायपुरियों के लोगों को 15 से 20 किमी. का चक्कर खतम हो जाता है एवं रायपुरिया सिवाणा से सुमेरगढ़ (खेड़ा) भीनमाल, जालौर सड़क की डामरीकरण भी है।

अतः यातायात मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित कर प्रार्थना है कि इन गांव वालों की समस्या का समाधान कर इन्हें राहत पहुंचाने की कृपा करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

राजकीय नाहटा चिकित्सालय भवन, बालोतरा की प्रथम मंजिल का पुनर्निर्माण करवाने विषयक

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा का निरीक्षण दिनांक 7.2.2001 को श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाड़मेर के साथ अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बालोतरा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बाद निरीक्षण यह पाया गया कि चिकित्सालय के ऊपरी मंजिल की छत का निर्माण तकनीकी दृष्टि से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी मंजिल की छत व दीवारों में कई जगह दरारें हो गयी हैं जिसके कारण ऊपरी मंजिल की छत को केवल मरम्मत द्वारा ही ठीक नहीं करके उसको हटा कर पुनः अतिशीघ्र ही छत व दीवारों को बनाना होगा। उनके तकमीना अनुसार करीब 35 लाख रुपये की लागत आयेगी।

2. यह कि उक्त अधिकारियों की रिपोर्ट अनुसार यदि अतिशीघ्र ऊपरी मंजिल व टूटी हुई छत को नहीं हटाया गया तो किसी भी समय बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। जिससे ग्राउंड फ्लोर वाली इमारत को भी भारी क्षति पहुंच सकती है। ऊपरी मंजिल से रोगियों को नीचे शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन रोगियों की संख्या को देखते हुए नीचे की इमारत बहुत छोटी पड़ती है। इसलिए ऊपरी मंजिल को तोड़कर पुनः निर्माण करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजकीय चिकित्सालय नाहटा, बालोतरा के ऊपरी मंजिल के पुनः निर्माण शीघ्र कराने हेतु राज्य सरकार को निर्देश प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव (अनुपस्थित)। श्री मानिक चन्द सुराना (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

समाज कल्याण विभाग द्वारा बाल रश्मि सोसायटी को अनुदान स्वीकृत नहीं करने विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग के अधीनस्थ तथाकथित स्वयंसेवी संस्था बाल रश्मि सोसायटी, जयपुर को भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण तथा महिलाओं के साथ पदाधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बलात्कार व देह शोषण का पुलिस ने दोषी पाया है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण द्वारा पत्रांक 5611, दिनांक 24.3.2000 को समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा राजस्थान सरकार को अवगत कराया है। बाल रश्मि सोसायटी की सचिव एलिस गर्ग सहित पदाधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी के आठ मामले दर्ज हैं। इनमें मुकदमा नम्बर 384/98 अं.धा. 302 आई.पी.सी. दर्ज है तथा मुकदमा नम्बर 398/98, आई.पी.सी. की धारा 376/511 में दर्ज है। इनका अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है इसमें महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य करने के मामले में एलिस गर्ग सहयोग करती थी। इसी प्रकार अभियोग संख्या 429/98, अं.धा. 376, 420, 120-बी, आई.पी.सी. व 3, एस.सी., एस.टी., एक्ट में मुकदमा दर्ज है। इसमें एलिस गर्ग सहित संस्था के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के बिरुद्ध अनैतिक कार्य करने के आरोप हैं। इनका चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अभियोग संख्या 430/98, अं.धा. 420, 467, 468, 471, 120-बी, इस्तगासा, 156(3), सी.आर.पी.सी. में दर्ज है। इसी प्रकार अभियोग संख्या 492/98 अं.धा. 376, 307, 327 आई.पी.सी. में मुकदमा दर्ज है।

ऐसे मुकदमे बाल रश्मि सोसायटी की एलिस गर्ग सहित संस्था के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य करने, देह शोषण करने व धोखाधड़ी के मामले दर्ज होने के बावजूद भी ऐसी भ्रष्ट व चारित्रिक दृष्टि से निम्न स्तर की महिला होने के बावजूद भी समाज कल्याण विभाग द्वारा इसकी मान्यता समाप्त नहीं करने हेतु, बड़े धन के लालच में ताना-बाना बुन रहा है। जबकि राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गठित जांच समिति के रूप में 4 सदस्यों द्वारा जांच करवाई जा चुकी है। जिसमें समिति ने 3.6.1999 को अपनी जांच पूरी करते समय निष्कर्ष के प्रथम बिन्दू में लिखा है कि संस्था को किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत दी गई मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाए। दूसरा बिन्दू, संस्था को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक लगाई जाए। तीसरा बिन्दू, संस्था को अनियमित दिया गया भुगतान शीघ्र वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाए। चौथा, राज्य सरकार के अनुदान से बने भवन को कब्जे में लेकर उसमें राजकीय छात्रावास संचालित किया जा सकता है। पांचवां, परित्यक्त शिशु पालना गृह व्यवस्था एवं संचालन नियम 10(ख) के अन्तर्गत परित्यक्त शिशु पालना गृह बंद होने की स्थिति में विभागीय

(श्री मदन दिलावर)

सहायता/अनुदान से संचित सम्पत्ति एवं दान में प्राप्त हुई सम्पत्ति को अविलम्ब बिना किसी शर्त के विभाग को लौटाना होगा।

परन्तु मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस रिकार्ड खोने के कारण जांच ठीक नहीं हुई है, का बहाना लेकर सरकार एलिस गर्ग को जीवनदान देने हेतु पुनः जांच का नाटक रच रही है जबकि बाल रश्मि सोसायटी द्वारा सोसायटी के अध्यक्ष बी. डी. जोशी के माध्यम से उनके पत्रांक बी.आर.एस./निरीक्षण/सकवि/99/2027/ दिनांक 27.3.1999 को मुख्य बालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव जांच, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 1/14/मुबाअ/सकवि/99/17753/दिनांक 24.3.1999 के आधार पर मांग करने पर लगभग 24 दस्तावेजों की सूची सहित मुख्य बालक अधिकारी को उपलब्ध करवा दिया गया था। उन्होंने जांच कर बाल रश्मि सोसायटी, जयपुर की एलिस गर्ग को 15.7.1999 को वापस लौटा दिया था। जिस पर एलिस गर्ग के समस्त रिकार्ड प्राप्त करने के हस्ताक्षर हैं तो फिर यह कहना कहां तक सच है कि रिकार्ड के आधार पर जांच नहीं हुई। इससे साफ जाहिर है कि समाज कल्याण विभाग को निराश्रित महिलाओं का संरक्षण करना चाहिए था, वहीं सरकार महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य करने वाले व अनैतिक कार्य में बाल रश्मि सोसायटी के सचिव को सहयोग करने वाले, धोखाधड़ी करने वालों को संरक्षण दे रही है।

मुझे पूरी आशा है कि सरकार अब ऐसी महिलाओं के चंगुल से निकल कर निराश्रित बालकों और समाज कल्याण विभाग से लाभ लेने वाले लोगों के साथ न्याय करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा (अनुपस्थित)। श्री मोहनलाल मोदी (अनुपस्थित)। श्री जौहरीलाल मीणा।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की कतिपय सड़कों की मरम्मत

श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कों की हालत बहुत खराब है :

1. राजगढ़ से माचड़ी, पाडा, बरेरे, कानेटी, बहड़को, गढी सवाईराम, इनकी मरम्मत करवाई जाए।

2. माचाड़ी से पाटनगढ़ छिलोवड़ी वाली सड़क की हालत अत्यंत खराब है, इसकी मरम्मत करवाई जाए।

3. राजगढ़, देवती, लांकी, बीरपुर, विगोता की सड़कों का डामरीकरण करवाया जाए।

4. परवैणी से गढ़ी सवाईराम सड़क को डब्ल्यू.बी.एम. से डामरीकरण कराया जाए।

5. अनावड़ा से नया गांव प्रतापपुरा व रूपवास तक सड़क का डामरीकरण कराया जाए।

(श्री जौहरी लाल)

6. रैणी से किलपुरखेड़ा सड़क का डामरीकरण कराया जाए।

7. निमला से व मोतीवाड़ा से बसवा तक डामरीकरण कराया जाए।

8. सकट से जैसा की ढाणी का डामरीकरण कराया जाए।

9. राजगढ़ से रैणी व रैणी से रामपुरा की सड़क की मरम्मत करवाई जाए।

10. रैणी से जाखड़ा वाली सड़क की मरम्मत करवाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सायरा कस्बे में उप-तहसील कार्यालय खोलने विषयक

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उप तहसील सायरा में स्थापित कराए जाने की स्थानीय जनता की 40-45 वर्षों से चल रही मांग पर जिला कलक्टर, उदयपुर एवं राजस्व मण्डल द्वारा उप-तहसील सायरा की स्थापना कराए जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं।

क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों का उप तहसील सायरा की स्थापना कराने के लिए निरन्तर दबाव बढ़ रहा है। चूंकि इस क्षेत्र की प्रथम एवं महत्वपूर्ण मांग ही उप तहसील सायरा की स्थापना कराना ही है।

कृपया जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तहसील गोगुन्दा में उप तहसील सायरा के सृजन सम्बन्धी आदेश इसी सत्र में जारी कराने का श्रम करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल जाट।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समिति सातलियास के पूर्व सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच विषयक

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा की पंचायत सातलियावास के पूर्व सरपंच श्री खूबीलाल शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल में कई कार्यों पर अग्रिम राशि मंढ़ा ली गई जबकि इन स्थानों पर या तो कार्य हुआ ही नहीं या हुआ भी तो घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग करने से, इससे वे अनुपयोगी पड़े हुए हैं। सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगाया गया है। उन्नत शवदाह-गृह सातलियावास के बाबत दिनांक 24.4.1998 को 6000 रुपये एवं दिनांक 26.7.1999 को 20,000 रुपये अग्रिम उठा लिए गए जो पंचायत रिकार्ड में अभी तक समायोजित नहीं हुए हैं।

बाढ़ सहायतार्थ दियास एनीकट हेतु पंचायत समिति, सहाड़ा से एक लाख रुपये

(डा. रतन लाल जाट)

प्राप्त हुए हैं जबकि व्यय राशि 86,833 रुपये ही हुए हैं जिससे 13,862 रुपये के बिल रोकड़ में चढ़ा दिए जबकि वाउचर फाइल में बिल लगा ही नहीं रखे हैं। जीवन धारा एनीकट, सातलियावास, पंचायत समिति सहाड़ा से 202941 रुपये प्राप्त हुए जबकि व्यय राशि 1,52,263 रुपये है। अतः 50,578 रु. की राशि श्री खूबीलाल शर्मा पूर्व सरपंच के पास ही है।

टी.एफ.सी. योजना के अन्तर्गत नाली निर्माण कार्य पेटे 1,65,316 रु. पंचायत समिति सहाड़ा से प्राप्त हुए हैं जबकि व्यय राशि 1,54,291. रु. ही है। शेष राशि 11,025 रु. वाउचर संख्या 9, तारीख 25.5.99, रो.प्रा. 11 से नाली निर्माण हेतु पूर्व सरपंच श्री खूबीलाल शर्मा के पास अभी तक है। उप-स्वास्थ्य केन्द्र पेटे पंचायत समिति सहाड़ा से 2,46,782 रु. प्राप्त हुए हैं जबकि व्यय राशि 2,31,782 रुपये ही हैं। शेष राशि 15,000 रुपये पूर्व सरपंच श्री खूबीलाल शर्मा के पास ही हैं। इसके साथ ही उक्त भवन में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग करने से भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में बदल चुका है।

अतः माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से पुरजोर मांग करता हूं कि पंचायत सातलियावास के पूर्व सरपंच द्वारा किये गए उक्त सभी घोटालों की अविलम्ब जांच करायें व दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शीघ्र करायें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

पंचायतों द्वारा जोहड़ एवं तालाबों से मिट्टी निकलवाने के कार्य में खनिज विभाग द्वारा बाधा पहुंचाये जाने विषयक

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के तहत ग्राम पंचायतों के अधीन जोहड़ व तालाबों से मिट्टी उत्खनन में खनिज विभाग द्वारा उत्पन्न बाधाओं के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव करता हूं।

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि पंचायतों में स्थित जोहड़ एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। वर्षों से मिट्टी के भराव से जोहड़ उथले भी हो गये हैं, जिससे वर्षाकाल में पानी भी कम भर पाता है। इस समस्या से निपटने हेतु पंचायतें तथा सरकार भी जोहड़ों से मिट्टी खुदवाती रहती है। अकाल राहत कार्यों में भी जोहड़ खुदाई को प्राथमिकता दी जाती है। किन्तु खेद है कि खनिज विभाग द्वारा इस पुनीत कार्य में व्यवधान डाला जा रहा है। जोहड़, तालाबों से मिट्टी खोदे जाने पर खनिज विभाग द्वारा रायल्टी वसूल की जाती है जिससे मिट्टी खुदाई प्रक्रिया कम हो गई है। खड़ब पंचायत द्वारा जोहड़ों की खुदाई का काम ठेकेदारों को दिया गया, लेकिन उस पर खनिज विभाग द्वारा रायल्टी वसूल कर ली गई जिससे काम बंद हो गया।

निवेदन है कि जोहड़ों की खुदाई जल संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य है। इससे

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

भूजल स्तर भी बढ़ता है तथा जानवरों को भी पीने को पानी मिलता है। इसलिए अकाल में अधिकतर जोहड़ों की खुदाई की जाती है। साथ ही किसान जोहड़ की मिट्टी अपने खेतों में भी रेतिली भूमि को सुधारने के काम में लेते हैं। इसलिए जोहड़ खुदाई को अधिक प्रश्रय देने के लिए खनिज विभाग को इस प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड में विभिन्न बीमारियों के फैलने से हो रही पशुधन क्षति विषयक

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में फुट एण्ड माउथ डिजीज (खुरपका, मुंहपका) से पशुओं की भारी हानि के क्रम में मैं माननीय पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सीमावर्ती बहरोड क्षेत्र के ग्राम माजरा, बीलपुरा, कानावास, डूमरोली, कायसा, जटगांवड़ा, जकराना इन गांवों के अन्तर्गत हरियाणा से संक्रमण होकर खुरपका व मुंहपका की बीमारी पशुओं के अंदर गत माह में और गत सप्ताहों में भारी संख्या में हुई जिससे कि यहां पर पशुधन की भारी हानि हुई, काफी संख्या में भैंसे और बछड़े मारे गये। उनके साथ में गलघोटू का भी संक्रमण रहा। ऐसी स्थिति में मैं पशु-पालन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा इस क्षेत्र में डाक्टरों का विशेष दल नियुक्त करें और वहां पर दवाइयों की जो कमी रही है, वैक्सीनेशंस की कमी रही है इस कमी को दूर करवा कर इस संक्रमण को वहीं पर सीमित करावें अन्यथा डर है कि यह संक्रमण और क्षेत्रों के अंदर भी आगे फैलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी करके वहां पर अधिक दवाइयों और वैक्सीनेशंस पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी। (अनुपस्थित) श्री फतेह सिंहजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बांसवाड़ा जिले में अकाल के कारण हुई मौतें

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बांसवाड़ा जिले में अकाल की मौतों के क्रम में सरकार को बताना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल पूरे प्रदेश में अकाल है। कुछ जिलों को छोड़ कर पूरे प्रदेश में अकाल है, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं, लेकिन बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी बहुल मजदूर, किसान के नाम से जाना जाता है। वहां पर भयंकर अकाल है। इस अकाल में राज्य सरकार ने जो मजदूरी खोलनी थी, जिस सीमा में खोलनी थी उस सीमा में मजदूरी नहीं खोलने से वहां के लोगों को इधर-उधर पलायन करना पड़ा। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि 12 अप्रैल को कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंगलाकुंडी

(श्री फतेह सिंह)

गांव के अन्दर दो मौतें हुईं। एक साथ एक ही परिवार के तीन व्यक्ति, दो लड़के, एक लड़की बीमार हुए। उनके माता-पिता घर में अनाज नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश की ओर चले गये थे। 12 तारीख को जब बच्चे बीमार हुए उस समय उनके घर में अनाज नहीं था। एक लड़का बड़ीसरवा पढ़ने के लिए गया था। घर से दो किलो अनाज लेकर वो बड़ीसरवा गया, वहां से पिसवाकर लाया। दोपहर में तीनों लड़कों ने खाना खाया, जिनके नाम मैं बताना चाहूंगा, कैलाश, राकेश और मीरां। तीनों के सब्जी नहीं थी, कैरी की चटनी बनाकर उन्होंने 12-1 बजे के करीब खाना खाया। खाना खाने के साथ उनके उल्टी दस्त हो गये। उल्टी दस्त होने के साथ वे कमजोर हो गये। कमजोर होने के बाद आस-पास में कोई नहीं था इसलिए वे वहां पड़े रहे। 12 तारीख के करीब 5 बजे उनके काका, जो कहीं मजदूरी के लिए गये थे, वे घर पर आये। वे पड़ोस में ही रहते हैं। उन्होंने देखा लड़के कमजोर क्यों हैं। उन्होंने कहा कि उल्टी दस्त हुए हैं। उसके बाद में वे बड़ीसरवा के अस्पताल में गये। वहां जाने के बाद में सरकारी अस्पताल में कोई डाक्टर मिला नहीं। जब डाक्टर नहीं मिला तो एक प्राइवेट बंगाली डाक्टर था उनको लेकर उनके घर पर आये। उस डाक्टर ने तीनों बच्चों की हालत को देखा, वो मृत हालत में थे। उस डाक्टर ने कहा मेरे बस का रोग नहीं है। फिर मध्य प्रदेश के बाजना गांव में एक जीप किराये करके ले गये। वहां के सरकारी अस्पताल में दवाई करते समय राकेश की वहां पर मौत हो गई। उसके बाद में डाक्टर ने दो लड़कों का और इलाज करना चाहा। उनके दवाई चढ़ी नहीं। डाक्टर के मना करने पर वो उसी जीप में वापस अपने घर आ रहे थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बाटन गांव पड़ता है वहां पर आते ही कैलाश की मौत हो गई। वे घबराते हुए अपने घर पर आये। घर पर आने के बाद लड़की, दो लड़के तो मर चुके थे, एक लड़की बीमार थी। इतने में जब पता चला तो हम लोग वहां पहुंचे। मैं खुद गया, उसके बाद में वहां का उप-खण्ड अधिकारी गया, तहसीलदार गया, उस लड़की को तुरन्त कुशलगढ़ में भर्ती कराया और दो लड़के, जो बीमार थे, मर चुके थे वे वहां पर पड़े थे। उसके बाद में हमने उसके घर में भी देखा, उसके घर में कोई अनाज नहीं था। एक किलो मक्का सड़ी हुई थी उसमें गेहूं मिले हुए थे। वह सैम्पल मैं यहां लाया हूं, आपके सामने रखूंगा। उस हालत में उन लड़कों की मौत हुई।

इस मौके पर मुझे यह कहना है कि उस इलाके में वहां पर पटवारी था, ग्राम सेवक था, ए.एन.एम. थी और राज्य सरकार ने दो-दो क्विंटल अनाज वहां पर रखा था, वह नहीं देने से उन बच्चों की मौतें हुईं। अगर वहां पर उस इलाके में मजदूरी खोली गयी होती सरकार के द्वारा तो उन बच्चों का बाप, मां और उसकी बहू और एक लड़का मध्य प्रदेश में, गुजरात में नहीं जाते और अगर बीमार हुए तो तुरन्त उनका इलाज वे करा सकते थे।

(श्री फतेह सिंह)

मैं इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार की कमजोरी के कारण यह भूख से मौतें हुई हैं। उन मौतों की जांच होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हुआ ही, लेकिन साथ ही 30 घण्टे तक वे लाशें वहां पर पड़ी रहीं। डाक्टरों ने उनका मेडिकल नहीं किया और उपखण्ड अधिकारी यह कहता है यह तो बीमार से मरे हैं। बीमारी से मरे हैं या खाना गलत मिला है उससे मरे हैं उसके ऊपर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार के मंत्री खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार तो खड़ी रहनी ही चाहिए, अगर बैठ जाए तो कुछ नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये तो अलमस्त हो रहे हैं राठौड़ साहब तो।

डा. किरोड़ी लाल : अलमस्त + + + की तरह हो रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 30 घण्टे तक वे लाशें वहां पर पड़ी रहीं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, वहां के उपखण्ड अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। वह भी नहीं किया और दो क्विंटल अनाज वहां पर रखा था, पटवारी के द्वारा, ग्राम सेवक के द्वारा यदि उनको कोई खाना दिया जाता तो हो सकता है उनकी मौतें नहीं होतीं। तो मेरा इस मौके पर यह आरोप है, यह शिकायत है कि वहां का ग्राम सेवक, उस हलके का पटवारी, वहां का डाक्टर जो बड़ीसरवा में रहता है और उसके बाद में वहां का प्रशासन, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और जिन लोगों की मौतें हुए हैं उन लोगों को सरकार मुआवजा दे और उस इलाके में इस तरह की स्थिति है उसको काबू पाने के लिए अकाल राहत कार्य शुरू करे। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में 12 तारीख को ये मौतें तो हुई हैं उसके एक महीने पहले रामगढ़ में भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी और बाकी है, बांसवाड़ा जिला भी बाकी है, वो बोल रहे हैं।

श्री फतेह सिंह : बांसवाड़ा जिले में एक परिवार के चार व्यक्तियों की मौतें हुई। तो मेरा आरोप यही है कि सरकार ने समय रहते उस इलाके में रोजगार नहीं खोला, समय रहते वहां पर अधिकारियों ने कोई सर्वे नहीं किया, समय रहते उस इलाके में जो गेहूं वहां दो क्विंटल दे रखा था उसमें से उन लोगों को नहीं दिया। उससे यह मौतें हुई हैं, उसकी जांच हो, जिन अधिकारियों की कमजोरी रही है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी मुझे यह सूचना मिली है कि कुशलगढ़ का जो उपखण्ड अधिकारी है उसके पास में कुछ लोग गये थे। उन्होंने कहा कि साहब, हमको मजदूरी चाहिए। तो उपखण्ड अधिकारी, एस.डी.एम. ने लोगों को यह कहा है कि आपके एम.एल.ए. ने शिकायत की है...(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप बोलोगे न, अभी जल्दी क्यों कर रहे हो ?

श्री फतेह सिंह : शिकायत की है, इसलिए उनकी पार्टी के साथ में जाओ, वह आपको मजदूरी देंगे। यह कहना कोई अधिकारी के अधिकार का मामला है क्या ? (व्यवधान) तो इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। अकाल के समय में अगर कोई अधिकारी इस तरह...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाओ।

श्री फतेह सिंह : कोई अधिकारी किसी गरीब मजदूर के साथ में अन्याय करता है तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकत कोई करेगा तो वहां जनता उसको बख्शेगी नहीं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जी।

श्री फतेह सिंह : कि जो अधिकारी इस तरह का व्यवहार करता है उस पर सरकार कड़ी नजर रखें, वहां पर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दे और खास कर, जिस गांव में मौत हुई है, उस इलाके के पांच किलोमीटर के अन्दर कहीं भी रोजगार नहीं है। मैं अकाल मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस एरिया में तुरन्त एक दो अकाल राहत के कार्य शुरू किये जाएं ताकि वहां के लोग रोजगार पर लगें और मौत से बचें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : खुद ही बोले जा रहे है। श्री जीतमल जी। (व्यवधान) तीन माननीय सदस्यों का एक ही प्रश्न है, इनको पढ़ लेने दो तीनों को उसके बाद बोल लेंगे।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम बणाऊ, मंजरा, भोज्यूं का कलां थाना क्षेत्र आभापुरा में परिवार के मुखिया का नाम हुकिया भील अपने चार पुत्रों को लेकर जनवरी के पहले सप्ताह में रोजगार की तलाश में गुजरात के शहर गोदरा में पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा था। अपने चार पुत्रों के साथ में काम करते हुए वहां के फैक्ट्री मैनेजर ने अपनी कुछ अनबन स्थिति से उसके कहने के अनुसार काम नहीं करने पर बाप और उसके चार पुत्रों को वहां से निकाल दिया। उसके पश्चात् रोजगार की तलाश में वह घूमते रहे, वहां उन्हें रोजगार कहीं नहीं मिला। ऐसी स्थिति में जब वे पूरे इलाके में घूमने के बाद में भी गुजरात में रोजगार नहीं मिलने पर वह अपने गांव लौटे और गांव लौटने के बाद में समय पर उनको खाना पीना नहीं मिला, कुपोषण के शिकार हुए और सबसे पहले उस परिवार के मुखिया का सबसे जो बड़ा लड़का है, उसकी जनवरी, 2001 को मौत हो गयी। उसके पश्चात् दूसरा जो लड़का जिसका नाम मोहन है, 4 अप्रैल, 2001 को दूसरी मौत हुई, 8 अप्रैल, 2001 को, स्वयं मुखिया जिसका नाम हुकिया आदिवासी है उसकी

(श्री जीतमल खांट)

8 अप्रैल, 2001 को मौत हुई। चौथा व्यक्ति प्रभू नाम का उसका बेटा 14 अप्रैल, 2001 को उसकी मौत हुई और पांचवीं मौत जो कि उसका अन्तिम लड़का था कान्ति भूख और कुपोषण का शिकार होकर, गांव में आस-पास कहीं मजदूरी नहीं मिलने की वजह से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हुई। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि आप और हम सब यहां राजस्थान विधान सभा में बैठे हुए लोग...(व्यवधान) जनता के दुःख दर्दों को सुनने के लिए...(व्यवधान) हमने बहुत बड़ा वायदा किया था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : दाने-दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : कि हमारी पारदर्शी जवाबदेही सरकार हमें देंगे, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख है कि इतना बड़ा हादसा हो जाय, एक ही परिवार में पांच-पांच लोगों की मौत हो जाय और जिला प्रशासन रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उल्टी दस्त होने से उन लोगों की मौत हुई है।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे एक परिवार के अन्दर अगर एक व्यक्ति की मौत होती है तो हमको कितना बड़ा सदमा पहुंचता है, जब हमारे एक परिवार में पांच-पांच लोग मर रहे हो और हमारा जिला प्रशासन सोया हुआ है, राजस्थान की सरकार को गलत रिपोर्ट दर्ज करा रहा है और वह कह रहा है कि उल्टी दस्त की बीमारी लगी और लोग मर गये। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी क्या यही संवेदनशीलता है? आपकी क्या यही जवाबदेही है? मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि पूरे बांसवाड़ा जिले के अन्दर अकाल के हालात अगर इसी तरीके से रहे और इसी तरह का जिला प्रशासन रहा तो बांसवाड़ा जिले के अन्दर इस तरह से सैकड़ों मौतें हो जाएंगी और आपका जिला प्रशासन आपको इसी तरीके से गुमराह करता रहेगा और आप लोग यहां नींद में सोये रहेंगे और हमारा पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार तो हमको गुजरात के अन्दर भूकम्प नहीं आने की वजह से रोजगार मिलता था लेकिन इस बार वहां भूकम्प आने की वजह से हम लोगों को गुजरात में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहां का जिला प्रशासन आपको गलत रिपोर्ट देकर सरकार को गुमराह कर रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या आप हमारी इसी तरीके से रक्षा कर पाओगे? आज गांवों के अन्दर यह हालात है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी के लोग होते हैं तो वे मजदूरों से पूछते हैं कि आपको अगर मजदूरी पर काम लगना है तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करिये। कहते हैं कि मेट बनना है तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करिये। इसी तरीके के पूरे जिले के अन्दर हालात बने हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके से, इस समय पूरे प्रान्त के अन्दर हम जानते हैं कि अकाल के हालात भयावह बने हुए हैं। लेकिन फिर

(श्री जीतमल खांट)

भी हमारी सरकार अगर इस समय भी मानवीय दृष्टिकोण से ऊपर उठ कर नहीं सोचेगी, नहीं विचार करेगी तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे, हम लोग कैसे जिन्दा रहेंगे?

मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी, आप जो एक ही परिवार के पांच लोग भूख से तड़प-तड़प कर मरे हैं, आप उनको बाकायदा मुआवजे की राशि दें अन्यथा हम सरकार के सामने वैल के अन्दर आकर बैठेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भाणजी भाई। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, एक मिनट। एक और निपट लें तो तीनों की एक साथ हो जाएंगे।

श्री भाणजी (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि बांसवाड़ा जिले में लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है और आस-पास राज्य में कहीं भी मजदूरी का कोई उपाय नहीं है। पहले लोग मजदूरी करने गुजरात जाते थे लेकिन इस बार गुजरात में भूकम्प आने से वहां भी लोग मजदूरी पर नहीं जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी अकाल की स्थिति है। बांसवाड़ा जिला आदिवासी इलाका है और लोग भूख से मवेशियों की तरह मर रहे हैं और प्रशासन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, एक आदिवासी जिले में अकाल की वजह से इस प्रकार लोग पशुओं की तरह से मरें, और प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। राज्य सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है? मंत्री महोदय, कम से कम लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करिये क्योंकि आज हर पंचायत में 20, 40, 60 या 80 मजदूरों से ज्यादा किसी पंचायत में मजदूर नहीं है और राजनीति दृष्टि से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह गरीब, कहीं मजदूरी नहीं मिलने से, सरकार ने कोई राहत कार्य चालू नहीं किया तो कुत्ते की मौत जनता के मरने की आशंका है। इसलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य चालू करके गरीब आदिवासियों को रोजगार दिलाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी। एक मिनट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़ और दानपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बीमारी के कारण से मौत हुई उसको अकाल से जोड़ने का प्रयत्न किया है।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, अगर आप यह साबित कर दें कि उस काश्तकार की मौत बीमारी से हुई थी तो.... (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : माननीय मंत्री महोदय, यह प्रशासन सरकार के दबाव के कारण.... (व्यवधान) भूख से मरे हैं, बीमारी से नहीं मरे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनने की कोशिश कीजिये।

एक माननीय सदस्य : बीमारी से मरे तो भी आपके राज में मरे। (व्यवधान) यह असत्य है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ...सारे तथ्य रखूंगा। मैं सदन में सारे तथ्य रखने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अकाल राहत मंत्रीजी, यह बता दें कि अकाल से कैसे मौत होती है? बीमारी से हुई...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बीमारी से मरे तो भी बड़े खेद की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भूख के कारण से मौत हो जाए...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर बीमारी से मरे तो भी उनके राज में मरे। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप इतने बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, गरीब आदमियों के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बार उनका स्टेटमैंट सुन तो लो, फिर बोलना न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह क्या बोल गये मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : किस तरीके से हम जिन्दा रह पायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनकी सुनो तो सही। बैठो। प्लीज विराजिये। उनको सुन लो फिर बोलना न। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आपके मुंह से यह शब्द सुनकर हमें बहुत बड़ा दुःख है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनकी पूरी बात खतम करने दीजिये, फिर बोलिये आप। विराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक ही परिवार के पांच लोग मरे हैं। किस कारण से मर गये? कौनसी बीमारी से मर गये? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ....इलाज क्यों नहीं करवाया गया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय दिलावरजी, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बीमारी से मरे तो, अकाल में मरे तो, बीमारी का इलाज क्यों नहीं हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अकाल से मरे या बीमारी से मरे मंत्री? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले उनको बोलने दो। (व्यवधान) उनको बोलने दीजिये। आप सुनिये कि वह क्या कहते हैं उसके बाद बोलिये। प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बीमारी से लोग मरे, भूख से नहीं...(व्यवधान) आज तक इस सदन में किसी भी मंत्री ने असत्य बयान नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय दिलावर जी, विराजें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग तड़फ-तड़फ कर मर रहे हैं और राजस्थान की सरकार इस प्रकार

(श्री मदन दिलावर)

की बयानबाजी करके इस राजस्थान को गुमराह कर रही है। इससे बड़ा इस सरकार का क्या हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया। (व्यवधान) बैठो-बैठो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सुनकर, कुपोषण से मरे, भूख से मरे और मंत्रीजी बयान दे रहे हैं कि बीमारी से मरे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो-बैठो। आप विराजें आप उनका बयान सुने तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....इससे ज्यादा कोई बात हो नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप कहना क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत काम चालू नहीं थे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ....राजस्थान में एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग तड़प-तड़प कर मरते रहें और यह असत्य बयान यहां चलते रहें, यह नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको सुनना चाहते हैं या नहीं?

श्री मदन दिलावर : हम ऐसों को नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनना चाहते तो बन्द करो। धर्मपालजी बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सुनना नहीं चाहते लेकिन यह कपोल कल्पित बात ही कहें.... (व्यवधान) बीमारी से मरे, कुपोषण से, किस हालात में मंत्री महोदय? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनना चाहते तो बोलो न कि नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। वह बोलते रहें, आप सुनना ही नहीं चाहते तो क्या होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....सुनना चाहते है लेकिन सही मायने में सही जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। धर्मपाल जी, विराजें। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर। माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने और विशेष करके कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया है इस बात को इलाज के लिए वहां गये, वहां डाक्टर नहीं मिला, यह नहीं मिला, यह नहीं मिला। इलाज के लिए गये...

श्री फतेह सिंह : हां, ठीक बात है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ....सुन लीजिये। अगर बोलने की आपकी आवाज ज्यादा है तो मेरी भी कमजोर नहीं है इस बात का आप ध्यान रख लीजिये। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अकाल सहायता समिति के सदस्य हैं जिले के या नहीं हैं? (व्यवधान) एक मिनट, सुनने की कोशिश कीजिये आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई बुलाता ही नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मिनट सुनने की कोशिश कीजिये। आज दिन तक किसी विधायक ने मुझे यह शिकायत नहीं की कि कलक्टर या हमारे इंचार्ज मंत्री ने जिला सहायता समिति की बैठक में हमें नहीं बुलाया। आज दिन तक....(व्यवधान) दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको जनता की शिकायत नहीं है, आपको तो एक गनमैन की चिन्ता रहती है। जब-जब मिले, गनमैन चाहिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, मैं बागीदौरा से हूं माननीय मंत्री महोदय, आपने मुझे कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधायक को दबा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहें हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी के द्वारा एक विधायक को, माननीय सदस्य को धमकाना है, ब्लैकमेल करना है, डराना है। (व्यवधान) वह अपना क्वेश्चन नहीं पढ़े और उनको गनमैन की चिन्ता की, मंत्री महोदय गैर जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द व्यास : ....नहीं, आप मर्जी आये जो नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इस प्रकार से माननीय सदस्य की बात आप नहीं कहेंगे। गनमैन की चिन्ता किसको है? आप गनमैन छोड़ दीजिये। आप मंत्री सारे गनमैन छोड़ दीजिये। आप एक विधायक को धमकाना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ....मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरे संदर्भ को सुनने की कोशिश करें। आप पूछेंगे तो ....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। आप बैठिये। आप विराजिये। व्यवस्था का प्रश्न है, मंत्रीजी, आप बैठिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा एक बहुत गम्भीर विषय पर चल रही थी। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं किस संदर्भ में उस बात को कह रहा हूं, आप सुनें तो सही पूरी बात। आप संदर्भ को सुन लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले आप सुनें। माननीय गुलाब सिंहजी, आप तो वरिष्ठतम मंत्री हैं, अगर आप इस तरह की हल्की बात करेंगे कि एक सदस्य को गनमैन की चिन्ता है। वह एक अलग सब्जैक्ट है। उनका गनमैन मांगना जस्टिफाइड है या नहीं है, मैं उसके लिए कोई ब्रीफ होल्ड नहीं करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आब्जैक्शनेबल क्या है? What is objection in it?

श्री सुरेन्द व्यास : आब्जैक्शन यह है कि आप इसको इससे जोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया? कोई अनपार्लियामेंट्री बात तो कही नहीं उन्होंने। (व्यवधान) What is wrong in this? विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप विराजिये प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, संदर्भ तो सुनें।

एक माननीय सदस्य : मूल प्रश्न से हट रहे हैं, आरोप यह है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आगे मेरे संदर्भ को सुनें। वे चार रोज पहले भी मुझसे मिले थे और आप मेरी बात को सुनने की कोशिश करिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ....मैं आपकी बात से इंकार नहीं करता पर आप इसको जोड़ क्यों रहे हो? इससे क्या ताल्लुक है इसका? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप संदर्भ को तो सुनिये। मैंने उनसे कहा था, पिछले महीने के मुकाबले आपके राहत कार्यों की श्रमिक संख्या बढ़ा दी है। इनसे पूछो, दो बार मिले जब भी मैंने उनसे कहा, फरवरी में मैंने इनके कहने से सीलिंग बढ़ाई, मार्च में बढ़ाई, अप्रैल में बढ़ाई, 16 अप्रैल को और हमने श्रमिक संख्या बढ़ाई। अब तक कभी इन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की कि हमारे यहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है।

श्री फतेह सिंह : क्यों नहीं की?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान शिकायत कर रहा है। कितनी ही बार आपको ज्ञापन दिये जा चुके। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, आपके माध्यम से आपने बैठक बुलाई थी उसमें मुख्य मंत्रीजी भी थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : तब भी हमने इस बात की शिकायत की लेकिन आज दिन तक हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली साल का मुकाबला नहीं हो सकता। पिछले साल दूसरा अकाल था, इस साल तीसरा अकाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) मानीनय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरा निवेदन सुनने की कोशिश करें। आपको भी मैं सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : हम अकाल की बात कर रहे हैं, गनमैन आप दें या नहीं दें लेकिन लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा और नहीं करेगी तो जनता निपटेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर। (व्यवधान) विराजें माननीय सदस्य। आप एक मिनट उनको सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजनीतिक आधार पर वहां लोगों को काम दिया जा रहा है। इस तरह की शिकायत अब तक किसी माननीय सदस्य ने मुझे नहीं कही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। एक मिनट पूरा जवाब आने दो। (व्यवधान) यह प्रश्न केवल तीन जगह का पर्ची के माध्यम से उठाया गया है। राजस्थान का अकाल तो डिस्कस हो नहीं रहा। राजस्थान के अकाल का जब प्रश्न आयेगा, आप सब को बोलने का मौका देंगे, तब बोल लेना आप। सुनिये। (व्यवधान) पर्टिकूलर जगह का एक प्रश्न उठा है उस पर माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं फलां जगह अकाल नहीं, अकाल है, यह थोड़े ही प्रश्न है। इस पर्ची के साथ इस अकाल का कोई लेना-देना नहीं है। पर्टिकूलर पाइंट है। आप विराजें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल की बात नहीं कह रहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जिस एरिया की बात कही है उसका जवाब दे रहे हैं। उसको सुन लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अकाल की बात नहीं कह रहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और किसी की कह रहे हो? माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने एक बात कही....(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : ....आठ-आठ व्यक्तियों की मौत हो गयी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट कन्हैया लालजी! माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने एक बात कही कि माननीय सदस्य ने कभी इनको यह नहीं कहा कि उनके यहां अकाल राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं या जिला कलक्टर इनको अकाल राहत की जो मीटिंग है उसमें नहीं बुला रहे हैं सुरेन्द्र व्यासजी, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य और मैं भी मौजूद था जब मुख्य मंत्रीजी के यहां आपने अकाल पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसमें मेरे सामने भी इन माननीय सदस्य जीतमलजी ने कहा था कि हमारे यहां कलक्टर हमारे कहने से काम नहीं खोलता है और हमें आज तक कभी मीटिंग का निमंत्रण भी नहीं मिला। तब आपने कहा था कि मैं कलक्टर से बात करके कहूंगा कि आपसे सलाह करके आपके यहां काम खोलें। तो शिकायत तो उन्होंने आपको की थी, सबके सामने की थी। इसलिए यह बात आप कहो कि सदस्य ने आपको कोई शिकायत नहीं की थी, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सर्वदलीय बैठक में आपने....(व्यवधान) उस सर्वदलीय बैठक में कुछ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप दबाना चाहते हैं। (व्यवधान) आज तक आपने नोट्स ही

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

प्रोवाइड नहीं किये। आप क्या बात करते हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बात तो सुन लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपके गवाह बैठे हैं दोनों तरफ....(व्यवधान) शक्तावत साहब....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, काम हाथ के हाथ ही खोले हैं क्या?

श्री जीतमल खांट : आपसे हमें बहुत बड़ी अपेक्षा है....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सर्वदलीय बैठक में इधर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह शिकायत की थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिले में जिलाधीश महोदय अकाल राहत कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, सुनो ना उनको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ....मैंने उस समय भी आश्वासन दिया था और कहा था कि मैं सभी जिलाधीश को निर्देश देता हूं कि वे जिला सहायता समिति की समीक्षा बैठक में जो भी प्रस्ताव हैं, रखे और उनसे सलाह मशविरा करके राहत कार्यों को प्रारम्भ करे। मैंने निर्देश दिये है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, उसकी कापी दे दूंगा, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, फिर दुबारा जिला कलक्टर्स को निर्देश दे रहा हूं कि जिला सहायता समिति की बैठक बुलाकर उन कामों की स्वीकृति जिला सहायता समिति में कराई जाये और जहां तत्काल आवश्यकता है, वह काम स्वीकृत करें और फिर कमेटी की बैठक में उनको एप्रूव करा दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 40-40 लोगों की मस्टर रोल दे रखी है मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां तो पर्याप्त काम खुले हैं क्या? (व्यवधान) यानी चयनित परिवार की संख्या के हिसाब से....आप सदन को भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ...विस्तार से इस विषय के ऊपर मैं तब जवाब दूंगा जब यह विषय आपके सामने आयेगा। आज केवल तीन माननीय सदस्यों का है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने अनावश्यक इन्टरवीन किया है, आपने अनावश्यक इंट्रोड्यूस किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : .... आज केवल बांसवाड़ा जिले के संबंध में सवाल है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने इंट्रोड्यूस किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ...मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने पिछले महीनों में 8 लाख लोगों को लगाया, अभी 16 अप्रैल से 10 लाख किये

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

और मई के महीने में 13 लाख लोगों को रोजगार देना चाहते हैं जो राजस्थान के पिछले वर्षों के मुकाबले में एक रिकार्ड है। मैं इसको साबित कर दूंगा जब यह बजट में डिस्कशन होगा या इस पर चर्चा होगी तो बता दूंगा। (व्यवधान) सुनिये, साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी राजनैतिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टि से भेदभाव नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार श्रमिकों को काम देने की व्यवस्था करेंगे, उसमें राजनैतिक भेदभाव नहीं बरता जायेगा, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी। (व्यवधान) विराजिये विराजिये। यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है। विराजिये प्लीज। विराजिये विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य। हां, धर्मपाल जी बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह गनमैन वाली बात भी आ जाये, यह गनमैन की बात भी आ जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। धर्मपालजी बोलो।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रभारी मंत्री है, उन्होंने कहा है मुझे गनमैन चाहिए। मुझे आप गनमैन नहीं दें लेकिन आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि.... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार दिनों से राजस्थान में गंगानगर, जयपुर, दौसा, टौंक, अलवर और भरतपुर में....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि माननीय सदस्य को गनमैन चाहिए लेकिन मंत्री महोदय ने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्हें गनमैन क्यों चाहिए। लेकिन उनका अकाल राहत, बांसवाड़ा का सवाल था, इसमें इस बात को उठाया है। मंत्रीजी को अकाल राहत के सम्बन्ध में जो व्यवस्था हैं, उन पर यहां जो भी कार्यवाही राज्य सरकार कर रही है, वह देना चाहते थे लेकिन इस दरम्यान में जो मंत्री महोदय ने गनमैन की बात लाकर सदस्य को ब्लैकमेल करने का काम किया है, यह कतई बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह ब्लैकमेल करने का तरीका है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या काम किया है उन्होंने।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में भी हमारे मंत्री द्वारा और वह भी गृह मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी अगर यह....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी को खेद प्रकट करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ....यह अकाल की बात इसलिए उठाई जा रही है कि उनको गनमैन चाहिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं-नहीं, मेरा यह संदर्भ नहीं था। आप गलत कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का कहां लेना देना है। इसका मतलब एक ही है कि हाउस के अन्दर यह बात कर सकते हैं तो अकाल राहत में मेट मजदूरों को लगाया जायेगा, निश्चित रूप से जो शिकायत की गई है, आज राजस्थान के हर इलाके से जो शिकायतें आ रही हैं कि मस्टर रोल पर उन्हें लगाया जायेगा जो कांग्रेस की तरफ होंगे या कांग्रेस के सदस्य बनेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने स्पष्ट किया था कि उसका संदर्भ यह नहीं था, यह उस संदर्भ में नहीं था। उन्होंने इस तरह की कोई चर्चा मुझसे नहीं की थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। यह अवसर आपको मिलेगा।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान की सरकार केवल कांग्रेस के सदस्यों और कांग्रेस को वोट देने वालों को रखेगी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब आपको अवसर मिलेगा, तब आप बोलना ना। (व्यवधान) यह तो कोई इश्यू है ही नहीं। आपको बोलना है या नहीं इसमें। यह कोई डिबेट नहीं है। विराजिये विराजिये प्लीज। धर्मपालजी, बोलो

श्री अमराराम (धोद) : यह इश्यू है कि अकाल की बात करने वालों को गनमैन के साथ जोड़कर अगर हमारे गृह मंत्रीजी, आपने यह कहा है कि....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप एक मिनट मेरी बात सुनिये। आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी, बोलो।

श्री अमराराम (धोद) : आपने यह कहा है कि शिकायत नहीं की। आपने यह कहा कि सी.एम. हाउस में उन्होंने शिकायत की है, मैंने कार्यवाही की है। जहां तक गनमैन का सवाल है, आप जाने और वह जाने.... (व्यवधान) लेकिन किसी भी माननीय सदस्य को राजस्थान की जनता के....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप इसको गलत जोड़ रहे हो, आप इसको गलत जोड़ रहे हो। पहले आप पूरी बात सुनिये मेरी। (व्यवधान) मैंने यह जरूर कहा कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमारे माननीय सदस्य मुझसे मिलने आये थे, तब इस तरह की कोई चर्चा, आज तक नहीं बताई थी। मैं यह अपेक्षा करता था कि विधायक के नाते....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल राहत की मांग कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, ये गनमैन की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जीतमल खांट : मंत्री महोदय, आप यह बतायें कि मैंने गनमैन की सुविधा की मांग क्यों की थी? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये गनमैन की बात कर रहे हैं और यहां अकाल पर दबाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये शब्द वापस लें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मैंने गनमैन की सुविधा किन परिस्थितियों में आपसे मांगी थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बहस ही नहीं है। यह इश्यू ही नहीं है। (व्यवधान) यह कोई इश्यू ही नहीं है। यह डिबेट है ही नहीं। यह तो इनकी पर्ची पर बोले हैं। This is not a debate. धर्मपाल जी, बोलो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सदस्य मिले थे, राजस्थान के गृह मंत्रीजी से मिले थे, मिलना कोई बुरा नहीं है, गनमैन लेना कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपने... केवल आप इसलिए उठा रहे है.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या बात कह रहे हैं। लोग मर रहे हैं, भुखमरी फैल रही है और मंत्रीजी यह बात कह रहे हैं। आप प्रताड़ित कीजिये। मंत्री महोदय को। (व्यवधान). आप मांगिये माफी। आप यह हल्की बात कर रहे हैं। आप माफी मांगिये। सदन की गरिमा है। सदन की कोई गरिमा है। (व्यवधान) सदन नियमों से चलता है। आप गृह मंत्रीजी को प्रताड़ित कीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उस समय उन्होंने चर्चा नहीं की, मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है। (व्यवधान) मैंने यह कहा था, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी बात, उन्होंने कहा कि....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जनता मर रही है और हम आपके पास अकाल राहत के काम के लिए जाते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रताड़ित कीजिये मंत्री महोदय को।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट विराजिये।

श्री जीतमल खांट : ....मुझे गनमैन की आवश्यकता नहीं है लेकिन ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आप धमका रहे हैं तो मैं जोर से बोल सकता हूं सबसे। मंत्री महोदय, इस कथन के लिए माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो बैठो। एक मिनट, विराजिये। धर्मपालजी, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, माफी मांगो। मैं जोर से बोल सकता हूं। आप सबसे जोर से बोल सकता हूं। आप

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

धमका रहे हैं गनमैन की बात कहकर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उन्हें बोलने तो दो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप माननीय सदस्य की बात को दबा नहीं पायेंगे सदन के अन्दर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...और आप माननीय सदस्य को दबाना चाहते हैं। आप माफी मांगो गृह मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय राठौड़ साहब, विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : ....यह अकाल राहत मंत्रीजी के स्वभाव में है....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप आदिवासियों के मसीहा कब से बन गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आदिवासियों का दर्द हम समझते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : ....यह सामंतशाही का प्रतीत है ये और हर क्षेत्र में आदिवासियों को दबाते हैं ये और इसी तरह से बांसवाड़ा जिले के उन माननीय सदस्य को दबाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नन्दलालजी, विराजिये प्लीज। आप विराजिये तो सही।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खेद व्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ....भूख से लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय सदस्य की गनमैन की बात को लेकर, माननीय सदस्य को धमकाने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, खेद व्यक्त करें। इस तरह से नहीं चलेगा। और माननीय सदस्य को धमका कर नहीं चलेगा। मंत्री महोदय खेद व्यक्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही। उनको बोलने तो दो ना आप। समझ गये आपकी बात। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सदस्य को धमकाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : गृह मंत्रीजी ने माननीय सदस्य की अकाल राहत देने पर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : उनको सीधे रूप से, माननीय सदस्य को धमकाने का जो प्रयास किया है....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, विराजिये विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खेद व्यक्त करें, इस तरह से धमकी मिली, यह सदन में नहीं चलेगा, यह खेद व्यक्त करें। उसके बाद ही सदन में शांति होगी। यह उनकी सामंतशाही है। माननीय सदस्य को गनमैन चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समझ में ही नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खुद मंत्री महोदय गनमैन छोड़ सकते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप एक मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खुद गनमैन छोड़ दे क्या, अगर हमने मांगा तो क्या बुरा किया, हमें धमका रहे हो। माननीय सदस्य को धमका रहे हो, यह नहीं चलेगा, उपाध्यक्ष महोदय, वह भी आदिवासी को, जो आदिवासी हैं...(व्यवधान) यह नहीं चलेगा, मंत्री महोदय खेद व्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : ....उपाध्यक्ष महोदय, उस कारण की पृष्ठभूमि की ओर जाने की आवश्यकता है। आज बांसवाड़ा जिला मामाजी बालेश्वर दयाल के अनुयायियों का जिला है। अब तक अकाल राहत में काम बांसवाड़ा जिले में नहीं लिये। इस वजह से इस सरकार, समाजवादियों को, गैर कांग्रेसियों की विचारधारा के लोग जो भी हैं और खास तौर से आदिवासियों के ऊपर इनकी जो दृष्टि है, वह इस रूप में है कि हमारी बात कुशलगढ़ में नहीं रही और मामाजी की मूर्ति लगी....(व्यवधान) यह दर्द है उनका। (व्यवधान) इनकी छाया को भी पसन्द नहीं करते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री महोदय खेद व्यक्त करें। मंत्री महोदय को प्रताड़ना दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये, आप विराजिये प्लीज।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने गृह मंत्रीजी को बताया, मैंने किसलिए गनमैन की मांग की थी, मुझे गृह मंत्रीजी बता दें। मैंने पिछले विधान सभा के अन्दर मेरे क्षेत्र का एक मसला उठाया था और आपने आसन से व्यवस्था दी थी। इस मुद्दे को मैंने विधान सभा के बीच में रखा और इसी मसले को लेकर मैंने 6 नवम्बर को मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक मसला रखा था। उसी बात को लेकर मेरे खिलाफ हत्या, बलात्कार, डकैती और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ और मुझे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर घूमने फिरने के लिए मेरी जान को कभी भी खतरा हो सकता है, इस आशंका से मैंने माननीय गृह मंत्रीजी के सामने मेरा पक्ष रखा और मैंने गनमैन की मांग की और आज मैं मेरे क्षेत्र की जो वाजिब बात इनके सामने रख रहा हूं, मुझे इस बात के लिए दबाया जा रहा है। मुझे बड़ा खेद है इस बात का। (व्यवधान)

(13.00 बजे)

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाने वाले कांग्रेस के जिला प्रमुख हैं इसलिए अकाल राहत मंत्री, गृह मंत्री इनको गनमैन देकर प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत मंत्रीजी ने सदस्य को धमकी दी है इसलिए माननीय सदस्य से माफी मांगें....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप दोनों पक्षों को सुनने की बात करेंगे तो बात साफ हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। (व्यवधान) आपको आब्जैक्शन क्या हो रहा है, आप क्यों इतना उत्तेजित हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गनमैन का ब्लैकमेल करना, माननीय सदस्य को धमकाना....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। एक माननीय सदस्य बोले ना, एक, चार मत बोलो, एक बोलो।

श्री अमराराम (धोद) : हमें केवल इतना ही आब्जैक्शन है कि गृह मंत्रीजी ने इस बात के साथ जो गनमैन की बात जोड़ी है कि इन्होंने गनमैन, यह सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि इन्होंने गनमैन मांगा था और मैंने नहीं दिया, इसलिए यह उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें अब आप। यही बात है न। अच्छा, आप विराजें। अब विराजें न आप।

श्री अमराराम (धोद) : इस बात पर हमारा आब्जैक्शन है। गृह मंत्रीजी इस बात को वापस लें, अपने शब्दों को वापस लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें प्लीज, आप विराजिये। आर्डर-आर्डर, आप विराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको क्लेरीफाई कर दिया, मैं और क्लेरीफाई कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, आपने उस पर व्यवस्था दी थी....

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : व्यवस्था यही है कि यहां कोई पब्लिक प्राब्लम्स उठायेगा और उसको मिनिस्टर साहब इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे कि आपने मेरे को फलां काम बताया उसकी वजह से....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें तो सही।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने यह नहीं कहा, यह आप गलत कोट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको स्पष्ट तो करें न। इस बात को समाप्त करेंगे कि यों ही चलता रहेगा। आप विराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह नहीं हो सकता। गनमैन के लिए कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें प्लीज। लेट हिम क्लेरीफाई, उनको स्पष्टीकरण देने दीजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बात अलग है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आपने जो बात कही उसको थोड़ा क्लेरीफाई कर दीजिये। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज, आर्डर-आर्डर, विराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया तो मैंने यह कहा था कि तीन-चार रोज पहले आप मेरे से मिले थे, जब हम गनमैन की चर्चा कर रहे थे, तब इस तरह का सवाल आपने मेरे को नहीं बताया और अगर क्या दिक्कत थी, कोई परेशानी होती तो मैं उसको बताता। जहां तक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात। सुने तो सही उनको। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं कहा आपने। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपने यह कहा कि शिकायत नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सी.एम. हाउस में आपने बात रखी थी उसके बाद आपने हां कर ली कि शिकायत की थी।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते हो क्या....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब आप सुनिये तो सही....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दीजिये उनको। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य के बारे में जब भी वहां का झगड़ा चला, इनको जिन-जिन अधिकारियों के बारे में शिकायत थी, मैंने इनकी बात को वाजिब मानते हुए....

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग इश्यू है। वह इश्यू अलग है। उसका हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है.... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इनकी बात को वाजिब मानते हुए मैंने सारे प्रकरण की जांच सी. आई.डी. (क्राइम ब्रांच) को....

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही देख लीजिये, इन्होंने कहा कि यह इसलिए उठा रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई ताल्लुक नहीं है इससे।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी क्या है आपको ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इनकी बात को वाजिब मानते हुए सारे केसेज सी. आई. डी. (क्राइम ब्रांच) को ट्रांसफर किये और एडिशनल एस.पी. तक का तबादला किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हमको मतलब नहीं है इससे। हमको मतलब नहीं है इससे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बैठ जाइये मेहरबानी करके।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप कोई ले आइये, मोशन ले आइये मेरे खिलाफ, लाना है तो। बात आप सुनते नहीं। + + + आप ले आइये मेरे खिलाफ मोशन, जी हां, मैं निबट लूंगा, लेकिन मेरी बात तो कहने दीजिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब आप फिर धमका रहे हैं। मेरा मोशन तो पास होगा नहीं यहां।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ले आना आप....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे को फिर धमका रहे हैं, आपकी आदत पड़ी हुई है। आपके पास बहुमत है इसलिए मेरा मोशन होगा नहीं....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बार-बार बोल रहे हैं, सुनना नहीं चाहते हो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप उसी चालू चीज का क्यों नही विचार करते हैं, मोशन तो लाने से कुछ नहीं हो सकता है, आपके पास संख्या बल है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, ले आना आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल रहे हो तो सुनने की कोशिश भी करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये न, आप सुनना ही नहीं चाहते किसी की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने ही नाराज हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Why are you interrupting ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं, मेरी बात मुझे कहने दीजिए, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप चुनौती दे रहे हैं। नहीं तो आप दूसरी बात क्यों लाते हो जब....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसलिए कि उन्होंने खड़ा किया है सवाल। आप दोनों ने खड़ा किया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : पब्लिक प्रोब्लम्स जो कुछ भी....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पूछ लो उनसे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कैसे ला सकते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब-जब भी माननीय सदस्य ने इस तरह की कोई शिकायत मुझसे की है, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए झूठे मुकदमों के संबंध में मैंने एज ए गृह मंत्री और राज्य सरकार ने उनकी बात को पूरा ध्यानपूर्वक सुना और उसको सुना ही नहीं, एक्शन लिया....(व्यवधान) हां, उन्होंने कहा है मेरे को अभी (व्यवधान) सुनिये आप.... (व्यवधान) और गनमैन के लिए इन्होंने जब यह कहा कि मुझे खतरा है तो मैंने एस.पी., बांसवाड़ा को निर्देश दिये। बांसवाड़ा

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

एस.पी. ने शायद उस निर्देश के संबंध में कुछ खामियां समझीं, इस संबध में यह मुझसे मिलने आये थे तो मैंने इनको कहा कि मैं यहां से क्लियरकट आदेश दे दूंगा, अकाल से उसका कोई लेना-देना नहीं, लेकिन मैंने यह जरूर कहा जब आप मिलने आये थे तो वहां की स्थिति का जिक्र मुझे कर देते, इस तरह की चर्चा....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने यह नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : और इस तरह की चर्चा आप कर देते तो मुझे फायदा मिलता....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह (महुआ) (सरकारी मुख्य सचेतक) : क्या गुनाह कर दिया, क्या अपराध है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतकजी, विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहें, अगर आपसे यह कहें कि आपको अपने क्षेत्र में लोगों की परवाह नहीं है, इसमें अपराध क्या है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी.... (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : जरूरी है क्या आपको बोलना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, प्लीज। विपक्ष के नेता....

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्या बोल रहे हैं, उन्होंने जवाब दे दिया, आप क्या बोल रहे हैं, जरूरी है क्या आपको हर बार बोलने का....

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं-नहीं, आपको शायद पता नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सब पता है हमको।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं-नहीं, आपको पता नहीं है, आप नियमों को नहीं जानते। माहिरजी, मुझे भरसक अफसोस है आपको यह पता नहीं है कि where do I stand. आपको यह जानकारी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : काहे की ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसकी जानकारी नहीं है....

मोहम्मद माहिर आजाद : किस बात की ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस बात की। हमेशा आप यही इन्ट्रप्शन करते हो, जब भी बोलते हो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : नो-नो। सरकार आप नहीं चला रहे कि आपकी हर बात को, गलत बात को सुनने के लिए बैठे रहें, आपकी कोई व्यवस्था नहीं सुनी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : क्या पूरी जानकारी का ठेका आप लोगों ने ही ले रखा है....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो निवेदन इतना ही है.... (व्यवधान) आप इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं, मेरा तो एक ही निवेदन था....

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की कुछ गरिमा को समझिये, विपक्ष के नेता खड़े हैं, यह बोलना चाहते हैं, मेहरबानी करके आप विराजिये। आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया, उसमें दो बातें प्रमुख रूप से निकली हैं। एक बात तो यह निकली कि माननीय सदस्य ने आपके जो लोग मरे हैं उनके संबंध में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी। दूसरा यह निकली है कि इन्होंने आपके पास इनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे बनाये उस संबंध में वह आपके पास गये और आपने उस मामले को सी.आई.डी. को रेफर कर दिया। ये दो बातें हैं। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहूंगा कि कोई विधायक बोले या नहीं बोले, कोई जन प्रतिनिधि बोले या नहीं बोले कि हमारे यहां अकाल की इस प्रकार की स्थिति है, लोग भूख से मर रहे हैं तो क्या आप यह मानकर चलोगे कि विधायक बोले नहीं, जिला प्रमुख बोले नहीं, पंचायत समिति का प्रधान बोले नहीं....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बड़े विधायकों के हिमायती आये हो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका भी हूं, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि वैसी स्थिति में....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको क्या बीमारी है? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बोलने की तहजीब सीखिये....(व्यवधान) तहजीब से बोलिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस संबंध में केवल एक व्यवस्था आपके साथ रहती है, एक तो समाचार-पत्र और दूसरी सरकार, मैं ऐसा समझता हूं कि मौतों के संबंध में यदि आपने समाचार-पत्रों से कतरन मंगाई हो या समाचार-पत्र पढ़े हों, उस संबंध में इसका उल्लेख आया है। उसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि कोटड़ा क्षेत्र में इस प्रकार से मौतें हुईं, अखबार में उसका समाचार गया, और समाचार जाने के बाद में उसका खंडन हुआ। खंडन होने के बाद में समाचार-पत्रों ने एक-एक परिवार में जाकर उसकी जांच की है और जांच करके यह बताया है कि भूख के कारण से बीमारियां उत्पन्न हुईं और उसके कारण से लोग मरे हैं। तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जहां तक इनके खिलाफ मुकदमा बनाया है, गृह मंत्रीजी, आप यह मानकर चलें, यह मुकदमे वैमनस्यता के आधार पर बने हैं। जिला प्रमुख, वह यह चाहता है कि मेरी मर्जी के बिना यह सब एम.एल.ए.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चुने गये, मेरी मर्जी से यहां सारे काम खुलेंगे, विधायकों का कोई महत्व नहीं है, केस आपके पास आये हैं, मैंने भी यह केस आपके पास भेजा है और भेजने के साथ ही इन्होंने जब मुझे बताया, मैंने यह विचार किया था कि इनको गनमैन दिया जाय। अब मुझे पता नहीं कि मैंने आपको टेलीफोन किया या डी.आई.जी. को टेलीफोन किया, लेकिन टेलीफोन मैंने अवश्य किया था कि इनको जिस प्रकार के केसेज का नेचर है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : काहे की बहस हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके आधार पर निश्चित रूप से इनको गनमैन की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय। तो मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि यह विधायक हैं उस क्षेत्र के, आपके केसेज को सी.आई.डी. को रेफर कर दिया, उन सी.आई.डी. केसेज में साफ बात है कि वैमनस्यता के कारण मुझे फंसाया जा रहा है, इस मामले में अगर तुरन्त कार्यवाही होती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती जो वहां पर इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोई कलक्टर और एस.पी. उसको सुनता नहीं है, तो हाउस में बोलने के सिवाय और दूसरा साधन नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुद्दा कौन सा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठहर जाओ। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो इस बात को आप छोड़ दीजिये, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास कलक्टर है, एस.डी.एम. है, पटवारी है, सब कुछ है। इस घटना की जानकारी आपको क्यों नहीं दी गई? विधायक ने आपको जानकारी दी या नहीं दी, यह प्रश्न महत्वपूर्ण तो है लेकिन इसके कारण से जहां सरकारी अफसरों का कर्तव्य है कि इस घटना की आपको जानकारी देते, घटना का मतलब जो लोग मरे हैं, जो माननीय तीनों सदस्यों ने कहा है कि अमुक क्षेत्र में, अमुक गांव में इतने आदमी मरे, इस कारण से मरे, हम गुजरात गये थे, गुजरात में धन्धा नहीं मिला, वापस आये, भूख के इंतजाम कोई नहीं थे, इस प्रकार की जानकारी आपको क्यों नहीं मिलती, नम्बर एक। दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा, आपने कई बार इस सदन में घोषणा की और कई बार आपकी पत्रावलियों को भी मैंने देखा है कि हर गांव में हमने दो क्विंटल अनाज रखा हुआ है, उस दो क्विंटल अनाज का कब उपयोग होगा? इस क्षेत्र में जहां लोग मरे हैं वहां पर उपयोग क्यों नहीं किया गया जिसके कारण इस प्रकार की परेशानियां होती हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां भूख के कारण से बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं। भूख के कारण से उत्पन्न बीमारियों के लोग बहुत शिकार हो रहे हैं तो कम से कम आप ऐसी व्यवस्था तो करें कि हास्पिटल में जिस प्रकार के रोगी आते हैं, उस हास्पिटल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से भी इस बात की रिपोर्ट ले कि इनको न्यूट्रिशन नहीं मिला इसके कारण से इनको बीमारियां पैदा हुई हैं। आखिर क्षेत्र की भी जांच हो। मैं इतना कह सकता हूं कि आप चलें तो मैं चलने को तैयार हूं। यह जो माननीय सदस्य ने मौतों का जिक्र किया है यह मौतों का जिक्र बिलकुल सही है, इसको आप यह मानकर चलें कि मुझे जिक्र नहीं किया, कलक्टर ने मुझे नहीं बताया। मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा, इसलिए इस अन्याय को रोकने की व्यवस्था आप करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, यह कोई डिबेट नहीं है विराजिये। नो प्लीज, सिट डाउन। विराजिये। इसका कोई एंड नहीं है।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं भी बांसवाड़ा का विधायक हूं। जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जानकारी दी है वह अधूरी है क्योंकि यह अखबारों के अन्दर छाया हुआ....

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उनको अलाउ कर रहे हैं और मुझे अलाउ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई डिबेट नहीं है, आप विराजिये प्लीज।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : एक मिनट सर, यह डिबेट की बात नहीं है इन आरोपों की बात करना चाहता हूं। इस तरह के आरोप की बात करना चाहता हूं। यह प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा ही उठाया गया मामला था और इन्हीं लोगों ने इसको क्रियेट किया कि भूख से मरे जबकि कलक्टर की रिपोर्ट है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये प्लीज। इसको समाप्त करिये। आप विराजिये।

श्री जीतमल खांट : (व्यवधान) आपको इस बात का प्रमाण करना चाहिए। जयपुर के अंदर तो अकाल नहीं दिखता लेकिन गांव के अन्दर तो....(व्यवधान) हम जानते हैं। गांव के अन्दर जो जाता है....(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : ....कि वे भूख से नहीं मरे, बीमारी से मरे और बीमारी से मरे हुए की रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी, आप बोलिये।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : वे भूख से नहीं मरे, हम यह कहना चाहते हैं किसी भी कारण से मरे हों मगर वे भूख से नहीं मरे। यह गलत बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ....(व्यवधान) ....माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात केवल इतनी-सी थी कि माननीय सदस्य गृह मंत्री के पास कई काम से जाते हैं.... (व्यवधान)....कोई ट्रांसफर कराने जाता है, कोई गनमैन मांगने जाता है। जब हम यहां सरकार की कमियों को उजागर करें....

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : ....(व्यवधान) ...उन्होंने क्रियेट की है यह बात तो जबकि वहां पर यह रिपोर्ट आयी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो गृह मंत्री यह कहते हैं कि आपको गनमैन नहीं दिया इसलिए बोल रहे हैं। आपका ट्रांसफर नहीं किया इसलिए बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की मंशा अगर यह है कि आप उस वक्त आये गनमैन की मांग की....(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात अखबारों में आ चुकी है, कलक्टर ने इसकी पूरी जांच की है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी मंशा यह थी कि आपको गनमैन नहीं दिया इसलिए आप यहां बोल रहे हैं तो यह गलत है....(व्यवधान) यह बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : ....और यह बताया कि वे मौसमी बीमारी के कारण मरे हैं न कि भूख के कारण यह तो केवल इन विपक्ष के नेता महोदय द्वारा किया हुआ क्रियेशन है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : ...किधर की क्या हवा है क्या पता है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के एम.एल.ए. बोल रहे हैं, उनको तो एक मिनट का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : ये जवाब दे रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : ...(व्यवधान) शहर में तो आज हमें ...(व्यवधान) हरा-भरा इलाका दिखता है और इन इलाकों के अंदर क्या हालत है वहां जाकर के देखिये कि वहां के आदिवासी की हालत क्या है, वहां के पशु की क्या हालत है, वहां के लोगों की क्या हालत है।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान)....वे शहर के रहने वाले हैं और आदिवासी इलाकों में पहाड़ों में कई लोग मरे हैं। पूरा का पूरा परिवार उलट गया। इनको क्या पता....(व्यवधान) उन्होंने पहाड़ देखा नहीं है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी, विराजिये प्लीज। पहले मंत्रीजी को बोल लेने दीजिये। आप विराजिये प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज।

श्री जीतमल खांट : ...(व्यवधान) कितने मृतकों के परिवारों से मिलने गये? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे एक विधायक हैं बांसवाड़ा के, आप कितने मृतकों के परिवारों से मिलने के लिए गये? आप बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले एम.एल.ए. साहब की बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लिये न वो। सब बोल लिये जो कहना था वो कह दिया उन्होंने।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) हम यह कहना चाहते हैं कि ये असत्य तथ्य दे रहे हैं सदन के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये माननीय शिवनाथ सिंहजी। हां, हो गया। इनका हो गया। प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने सदन में अभी कुछ बातें कहीं। समाचार-पत्रों के माध्यम से या सरकारी तंत्र के माध्यम से हो मुझे जानकारी रहती है कि किस गांव में क्या रहता है। अभी आपने कोटड़ा तहसील का ही जिक्र किया उस गांव का नाम है मेड़ी और मेड़ी गांव के अखबारों में खबर छपी है कि भूख से मृत्यु हो गयी। मैंने उसकी जांच के आदेश दिये और जांच रिपोर्ट भी अगली बार जब आप इस पर चर्चा करेंगे मैं तब आपके समक्ष रखूंगा। जिलाधीश से मैंने जांच करवायी, और लोगों से मैंने जानकारी की। उस व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती थी। घर में अनाज भी मौजूद था। कारण दूसरा था। अगर उसका संबंध अकाल से जोड़ा जाता है तो मैं विपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि आप भी तथ्यों की जानकारी अपने आधार पर करवा लीजियेगा। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई चीज सदन से छिपाऊंगा नहीं। मैंने सभी जिलाधिशों को, बांसवाड़ा के संबंध में भी जब समाचार-पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली मैंने जिलाधीश महोदय को निर्देश दिये और उन्होंने मुझे बताया कि बीमारी के कारण मौत हुई है इसलिए मैंने यह बात कही है और यदि आपको इसमें कोई शंका है तो मैं कमिश्नर से इसकी जांच करा लूंगा। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को भूख से पीड़ित रखना नहीं है और जहां तक दो बोरी गेहूं का सवाल है माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने वहां के सरपंच, वहां के पटवारी, वहां के ग्राम सेवक को रेस्पांसिबल बनाया है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में खाने का अनाज नहीं है, तो तत्काल उसको अनाज उपलब्ध करायें और दो बोरी खतम हो जाए तो सरकार की यह मंशा नहीं है कि केवल दो बोरी वितरित की जाए। जितनी आवश्यकता होगी उतनी वितरित की जाएगी लेकिन सरकारी मशीनरी में कुछ कमियां हो सकती हैं। मैं इसलिए जन-प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने पंचायत सिस्टम को और आपके द्वारा आगाह करें कि जो सुविधा सरकार ने दे रखी है उसका लाभ लोगों को बराबर मिलता रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि जहां जिस तरह की आवश्यकता होगी अनाज दिया जाएगा। यही नहीं भारत सरकार ने और कुछ नीतियां बनायी हैं। उन्होंने एक अन्नपूर्णा योजना शुरू की है 10 किलो गेहूं मिलता है, मुफ्त में वितरित करते हैं। उसके अलावा अन्त्योदय योजना शुरू हुई है जिसमें 2 रुपये, 3 रुपये किलो चावल देते हैं। मेहरबानी करके आप सबसे अनुरोध करता हूं कि लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध करवायें और इसका लाभ

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। मेरी मंशा कहीं यह नहीं थी कि सदन में अपनी बात नहीं कहें इसलिए गनमैन की बात कहूं। मैंने तो रेफरेंस में यह बात कही थी कि आप अपनी बात कहने के लिए आये थे, अगर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो उसका भी आप जिक्र करते तो मैं समस्या का समाधान ज्यादा कर सकता था। और अब भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस का जिला प्रमुख होते हुए भी सरकार ने बड़ी निष्पक्षता से काम किया और उसके छोटे भाई को 24 घंटे में हमने गिरफ्तार किया है। जिला प्रमुख का दबाव हमारे पर नहीं है। हमारा काम है न्याय व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करना। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और श्रमिकों को राजनीतिक भेदभाव के बिना काम पर लगाया जाएगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार रोज से राजस्थान में गंगानगर, जयपुर, दौसा, टौंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गयी। कल अलवर में अंधड़-ओलों की मार से पूरे अलवर में तबाही की खबर अखबार में छपी है। वहां पर बादल फटने से 10-15 गांवों में जो वहां के पशु थे उनके पास भेड़-बकरियां थी 400-500 के लगभग वो मर गयीं और सारी फसल पानी में बह कर चली गयी और भी बाकी जगह ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह हो गयी। प्रशासन की तरफ से कल ये जो बादल फटा, वहां पर आज सुबह मैंने जब कलक्टर से बात की, सुबह 10.00 बजे तक प्रशासन की तरफ से कोई आदमी वहां पर उनसे पूछने या उन्हें देखने नहीं गया। मेरी सरकार से मांग है कि जो नुकसान हुआ है अलवर जिले में और पूरे राजस्थान में सरकार उस नुकसान का सर्वे कराकर तत्काल मुआवंजा उपलब्ध करावे। फसल हानि, पशु हानि और जन हानि के नुकसान की पूर्ति करें। सरकार गिरदावरी कराकर अभावग्रस्त घोषित कर तत्काल उन गांवों में अकाल राहत कार्य शुरू करें। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो इसमें जो भी यह जो संवेदनशील सरकार है इसका जो भी सरकारी अधिकारी जिसकी यह जिम्मेदारी है और जो मौके पर नहीं गया, उसके खिलाफ कार्यवाही हो और जो पूरे प्रदेश में भारी तबाही हुई है सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे। मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ब्यावर और अजमेर जिले के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया और इतना संवेदनशील जिला अजमेर बन गया। अच्छा तो यह होता कि सरकार अपनी तरफ से वक्तव्य लेकर आती कि अजमेर में क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर यह दुर्भाग्य है। चलाकर सरकार को अपनी तरफ से वक्तव्य देना चाहिए इस पर लेकिन....

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में भयंकर तबाही हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, व्यवस्था दे दी न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, आज की कार्य-सूची में कहीं इस बात का वर्णन नहीं है कि मंत्री महोदय, अजमेर जिले में जिस प्रकार का साम्प्रदायिक विद्वेष फैल गया है और जिस प्रकार से अजमेर जिला इस समय बारूद के ढेर पर आकर बैठा है उसके बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार को चलकर अपना वक्तव्य देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव था उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है। गवर्नमैंट से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी आने पर आपको सूचित कर देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस समस्या का हल उत्तर से नहीं निकलने वाला है। इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा कि इस उत्तर से क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा (व्यवधान) सरकार के पास उस जिले की क्या जानकारी है, वहां से तीन महीने पहले क्या रिपोर्ट दी थी, क्या यह प्रशासनिक, सारी जानकारियां होने के बाद....

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : स्थगन प्रस्ताव तो बाद में दिया है। मैं यह कहता हूं कि अजमेर जिले में पिछले दो-तीन महीनों में क्या स्थिति बन रही है उस पर सरकार को चल कर अपना वक्तव्य देना चाहिये कि वास्तव में अजमेर जिले की यह स्थिति क्यों बन रही है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं, कौनसी एजेंसियां यहां काम कर रही हैं जिन एजेंसियों के कारण से यह विद्वेष का वातावरण बन रहा है। मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा एक दिन बाद हो या दो दिन बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिस प्रकार का अजमेर में वातावरण बना है उसके बारे में सरकार का क्या कहना है? सरकार उसके बारे में क्या सोचती है? सरकार का अपना रीडिंग क्या है? इस विद्वेष के कारण क्या हैं, कौन इसके पीछे है और प्रशासनिक तंत्र इस पर काबू क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रशासन के सामने एक के बाद एक घटना आती जा रही है। निरन्तर एक गांव से दूसरे गांव में इस प्रकार की घटना होती जा रही है तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। (व्यवधान) हमारा स्थगन प्रस्ताव आये या नहीं आये, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार का वर्शन आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हो? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर का बार-बार रिपिटिशन हो रहा है। अलवर का मामला था बीच में आप अजमेर का बोलने लग गये....

(श्री जगत सिंह दायमा)

(व्यवधान) वहां तबाही हो रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार साम्प्रदायिकता भड़का रही है। ओलावृष्टि से और बादल फ़टने से भारी तबाही हुई है। जो धर्मपालजी ने उठाया है ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई सुन ही नहीं रहा आप क्या कहे जा रहे हो, बोले जा रहे हो।

श्री जगत सिंह दायमा : हम चाहते हैं कि अलवर में राहत कार्य खोले जायें.... (व्यवधान) किसानों को मुआवजा दिया जाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में और राजस्थान में जो ओलावृष्टि से तबाही हुई है, इस तबाही के बारे में क्या कहना है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ओलावृष्टि से किसान तबाह हो गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं गया। धर्मपालजी की बात का सरकार जवाब दे।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को मुआवजा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपालजी, आप बोल लिये, फिर बोलो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सरकार को मुआवजा देना चाहिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में 1950 गांव हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : वहां इतनी भयंकर बरसात हुई है और कृषि मंत्रीजी को होश ही नहीं आ रहा है। वह अलवर की बात को आयी गयी कर रहे हैं। आपको चाहिये कि तुरन्त इस बात पर राहत कार्य चलाये जायें, उनको मुआवजा दिया जाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी सदन में नहीं हैं, कौन नोट कर रहा है। धर्मपालजी ने इतना अहम् मुद्दा उठाया है उस पर कौन ध्यान देगा?

श्री जगत सिंह दायमा : आप इसके बारे में अपनी राय दें कि आप कुछ करने जा रहे हो या नहीं करने जा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं वही बोल रहा हूं जो यह बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलना है, उनको अलाउ किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : वह बोल लिये। यह अलवर का मामला है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में 1950 गांव हैं। उनमें से सिर्फ 122 गांवों में अकाल था। लेकिन आज ओलावृष्टि, बादल फटने और बरसात

(श्री धर्मपाल चौधरी)

से फसलों का जो नुकसान हुआ है उन सभी गांवों का तुरन्त सर्वे करवा कर सरकार को उन किसानों की सहायता करनी चाहिये। मुआवजा देना चाहिये। जहां पशुधन का नुकसान हुआ है वहां भी उनकी मदद करनी चाहिये। जहां जन हानि हुई है वहां भी उनकी मदद करनी चाहिये। यह मैं सरकार से अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं और सरकार से इस पर वक्तव्य की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। याचिकाओं का उपस्थापन.... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसान मर रहे हैं। किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, धोरीमन्ना में ओलावृष्टि से ईसबगोल बिलकुल ही नष्ट हो गया जिसकी वजह से किसानों ने आत्महत्या कर ली। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी लिखा हुआ है कि अगर प्राकृतिक आपदाओं से किसान को नुकसान होता है तो उसको मुआवजा दिया जायेगा। आज कृषि मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं और आर. पी. शर्माजी कहते है कि यह मनुवादी है इसलिए इसको क्या मतलब है किसानों से, और से। यह मना कर रहे हैं, कुर्ता खींच रहे हैं कि उठना मत। कृषि मंत्रीजी, आप भी एक किसान के पुत्र हैं। आपको दर्द होना चाहिये इस बात के लिये कि क्यों नहीं मुआवजा दिया जा रहा है, क्यों नहीं घोषणा कर रहे हो। आप यहां पर बैठे हो, आप क्यों नहीं अलवर जा रहे हो।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, केवल धौलपुर जिला ऐसा है जिसमें अकाल घोषित नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले को तो गंभीरता से लीजिए। गंभीरता से सरकार के वक्तव्य दिलवाइए। ऐसे मामले में तो आप व्यवस्था दीजिए। यह मामला ओलावृष्टि का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ और तिजारा में और पूरे राजस्थान में ओलावृष्टि हुई है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार मुआवजा दे और सरकार से वक्तव्य दिलवाइए, यह बहुत गंभीर मामला है, इस पर तो जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। आपने जो ओलावृष्टि का प्रश्न उठाया है और मुआवजे की बात कही है इसकी जानकारी माननीय मंत्रीजी से प्राप्त करके....(व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते। माननीय मंत्रीजी से शाम तक आपको वस्तु-स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा। अभी यहां नहीं हैं तो क्या हुआ। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पांच याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :—

1. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में लोक जुम्बिश योजना का विकास अवरूद्ध होने बाबत,

2. उप-प्रधानाचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय के वेतनमान के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण जारी करने बाबत,

3. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम– भाणुजा में स्थित 11 के.वी. ग्रिड स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने बाबत,

4. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में डामर सड़कों की खराब स्थिति बाबत, एवं

5. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :—

1. बालोतरा शहर में छात्रावास भवन निर्माण बाबत, एवं

2. बाड़मेर जिले के सराणा से बादू का वाड़ा पेयजल योजना की स्वीकृति बाबत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :—

1. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में टमाटर की फसलों में हरी लट लग जाने से त्रस्त किसानों को मुआवजा दिलवाने के संबंध में, एवं

2. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की 67 सड़कों के टूट जाने की दशा में पुनः डामरीकरण किये जाने के क्रम में।

समिति-गठन-प्रस्ताव

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2001-2002 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(2) इन सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1)

(श्री हरिसिंह महुआ)

के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "क", 2001-2002 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, "ख", 2001-2002 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-ख (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। श्री आर. पी. शर्मा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल, राजस्थान सरकार के दिनांक 27 मार्च के भाषण के समर्थन के संबंध में मैं अपने को सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 15 आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को तय किया जिसका सीधा सम्बन्ध जन कल्याण-कारी उन योजनाओं से है जिससे इस प्रदेश की गरीबी दूर हो, इस प्रदेश में शोषित और पीड़ित लोगों को उनका न्याय मिले और जो शोषित और पीड़ित लोग हैं उनके विकास का रास्ता खुले। जो

(13.33 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

15 प्राथमिकताएं तय की गई हैं उनमें मुख्य प्राथमिकताएं प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, पेयजल हेतु परम्परागत जल स्रोतों की स्थापना, जनस्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना, मुख्य मंत्री रोजगार के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाना, शहरी विकास हेतु शहरी विकास के कार्यक्रम हाथ में लेना और ऊर्जा के क्षेत्र में आधार तंत्र का विकास करना। इसके साथ-साथ अल्पसंख्यकों को सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना में हिस्सा मिले, आदिवासियों के विकास के लिए बजट में

(श्री आर. पी. शर्मा)

प्रावधान करना, राजस्व प्रशासन को सक्रिय बनाना, अन्य पिछड़े वर्ग, निःशक्तों, विकलांगों के आर्थिक विकास के लिए वित्त निगम की स्थापना करना, कम्प्यूटर या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना और कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में विकास करना।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा, जैसा मैंने कहा है कि 15 प्राथमिकताएं तय की गई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण। उस सम्बन्ध में नोबल पुरस्कार विजेता और भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि आर्थिक विकास का सम्बन्ध शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से है। अगर जिस देश में, जिस प्रदेश में हम आर्थिक विकास की गति को जांचना चाहते हैं तो उस प्रदेश और देश में यह जरूरी है कि वह प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो। इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने, चूंकि शिक्षा के बगैर कोई भी प्रगति नहीं हो सकती इस संबंध में राज्य सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन महत्वपूर्ण फैसलों में जो ढाणियों में बसे हुए लोगों की शिक्षा के लिए राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलना, बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। जहां ढाणी हो या शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे रहते हो, 25 बच्चे हों, वहां पर इस तरह की राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का, और जहां जनरल कास्ट में 40 बच्चों के ऊपर एक स्कूल खोलने का निर्णय था, वह बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। वैसे लोग यह कहते हैं कि यह गलत फैसला हुआ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, प्राइवेट स्कूल से जब बच्चे को, यह कहते हैं कि इसमें पढ़ाने वालों की तनख्वाह 1200 रुपये रखी गई है। आज माननीय कटारियाजी यहां बैठे हुए हैं, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आज भी अच्छे-अच्छे प्राइवेट स्कूलों में 1000 रुपये में अध्यापक नौकरी कर रहे हैं तो इसमें अगर 1200 रुपये देकर राजस्थान ने उन लोगों की शिक्षा के लिए एक योजना बनाई हो जिनको शिक्षा का मौका नहीं मिल सकता हो, मैं कहता हूं इससे बड़ा फैसला शिक्षा के जगत में नहीं हो सकता।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं लगभग 5 लाख 30 हजार बच्चों ने ऐसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश भी लिया। इसके साथ-साथ दो वर्षों में शिक्षा के विस्तार हेतु जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस सरकार ने हाथ में लिए हैं, 1607 प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया, उसी के साथ-साथ 600 मिडल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया, 200 सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया। इसके साथ ही साथ 14 सरकारी क्षेत्रों में महाविद्यालय खुले और 17 निजी क्षेत्रों में महाविद्यालय खोले गये। इसके साथ-साथ संस्कृत के विकास के हित में भी प्रवेशिका

(श्री आर. पी. शर्मा)

से उपाध्याय में 50 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया, उपाध्याय से वरिष्ठ उपाध्याय में 20 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया और वरिष्ठ उपाध्याय से शास्त्री विद्यालय में पांच और शास्त्री विद्यालय से आचार्य विद्यालयों के दो विद्यालय भी क्रमोन्नत किए गए।

इसके साथ-साथ बिना किसी जाति या धर्म को आधार रखते हुए उर्दू के विकास के लिए भी इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। 600 उर्दू अध्यांपकों के पदों का सृजन किया गया और उर्दू विद्यालयों को खोलने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई। इसके साथ-साथ हमने विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तर का विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में स्थापित की गई। मूक और बधिर, डीफ एण्ड डम्ब लोगों के लिए भी कालेज खोले गए और जो नई योजना बनाई है सरकार ने हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक आदर्श विद्यालय जिसमें सभी सब्जेक्टों को लेकर पढ़ाई कराई जाएगी उसकी योजना भी सरकार ने बनाई है।

इसके साथ-साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है, 237 पंचायत मुख्यालयों पर ब्लाक एजुकेशन आफिसर्स की स्थापना करके भी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसके साथ-साथ राजस्थान की सरकार ने उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे निजी स्तर पर इंजीनियरिंग एण्ड डेन्टल मेडिकल कालेज खोले गये हैं, आर्किटेक्ट कालेज जयुपर में खोला गया, आई.टी.आई. विद्यालय तीन बारां, नाथद्वारा, बांदीकुई में खोले गए। इसके साथ-साथ मैंने जैसा कहा, एक से बारहवीं कक्षा के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो बीमा की राशि है, उसको दुगुना करने का भी इस सरकार ने फैसला लिया है। 25 नये बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए गए और इंजीनियर्स और डाक्टर्स के एडमिशन में शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जो परसेंटेज थी उसमें इस राज्य सरकार द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, ओ.बी.सी. के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिड्यूल्ड कास्ट के लिए 8 प्रतिशत का रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया गया, एस.टी. का रिजर्वेशन 6 प्रतिशत था उसे 12 प्रतिशत किया गया और ओ.बी.सी. के लिए 21 प्रतिशत किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा, किसी प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा का आधार बहुत बड़ा आधार है। और इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि कदम उठाने के बाद तुरन्त कोई रिजल्ट आता हो लेकिन किसी काम की नींव डालना, अच्छे काम की नींव डालना, इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि उसके अच्छे परिणाम आगे आने वाले भविष्य में, होंगे। मैं किसी सरकार की बुराई तो नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो

(श्री आर. पी. शर्मा)

बात सोची गई थी वह केवल एक सोच, एक चिन्तन, उस कांग्रेस सरकार का चिन्तन है जो चाहती है कि इस प्रदेश में शिक्षा का प्रसार हो। जैसा कि कल जो बहस चल रही थी, हमारी साक्षरता का जो स्तर है वह 61.8 प्रतिशत आया है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली सरकारों ने भी साक्षरता के कार्यक्रम में हिस्सा बंटाया है, लेकिन इस शिक्षा के, साक्षरता की वृद्धि में निश्चित रूप से दो-ढ़ाई सालों में जो काम हाथ में लिये गये हैं उससे भी साक्षरता का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ा है। हमारे पूर्व माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कटारियाजी इस बात से सहमत होंगे। मैंने जैसे कहा कि 15 प्राथमिकताओं में मैं कुछ चन्द प्राथमिकताओं पर बोलना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने समझाया।

इसके बाद राजस्थान की सरकार ने पेयजल की समस्या, आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में बरसात अच्छी नहीं होती है और इसमें भी दो राय नहीं है कि लम्बे अर्से से, 53 साल की आजादी के बाद भी आज हम पीने का पानी मुहैया नहीं करा सके। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। इसके लिए सरकार ने अपना चिन्तन इस बात पर रखा कि किस तरह से पेयजल की समस्याओं का समाधान करें। इसके लिये यह पहली सरकार है जिसने इस बात पर चिन्तन किया कि जब तक हम लोंग टर्म योजनाएं, ऐसी वृहद् योजनाएं जो कि नदियों से सम्बन्ध रखती हों उनको हाथ में अगर नहीं लेंगे तो हम पीने के पानी की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते हैं। इसके लिये राज्य सरकार ने 2400 करोड़ रुपये की वृहद् योजनाएं अपने हाथ में ली हैं जिसमें महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। जोधपुर के लिये इन्दिरा नहर से पानी की योजना, जिस पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जयुपर को बीसलपुर बांध से पानी मुहैया कराना जिस पर लगभग 1100 करोड़ का अनुमान है। अजमेर के लिये बीसलपुर से पानी उपलब्ध कराना जिस पर लगभग सौ करोड़ रुपये का अनुमान है। पहली बार भरतपुर के इतिहास में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में चम्बल का पानी पिलाने के लिये राज्य सरकार ने 166 करोड़ रुपये की एक बहुत बड़ी योजना हाथ में ली है। इसके साथ-साथ हमारे फ्लोराइड और खारे पानी को मीठा करने के लिये सरकार ने 400 करोड़ की योजना अपने हाथ में ली है। इसके साथ-साथ छोटी योजनाओं में भी, राज्य सरकार ने यह नहीं कि बड़ी योजनाएं हाथ में लेकर के छोटी योजनाओं को नहीं लें, 6000 बस्तियों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने के लिये भी इस सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। इसके साथ-साथ कंटिजेंसी प्लान के हिसाब से इस सरकार ने पीने के पानी के लिये भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।

तीसरा, जैसा मैंने कहा 15 प्राथमिकताओं में ग्रामीण विकास, आज हम अच्छी तरह से जानते हैं राजस्थान की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। गांवों

(श्री आर. पी. शर्मा)

में, यह हमारा एक सपना था, पूजनीय महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, वे चाहते थे ग्राम स्वराज। जब तक हमारे गांव आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारे गांव खुशहाल नहीं होंगे, हम इस देश की प्रगति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसी योजना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ग्रामीण लोगों की, जीवन शैली में एक परिवर्तन हो, वे समृद्ध हों, वे विकसित हों, उनमें शहरी क्षेत्रों की तरह हिम्मत आए, इसके लिए इस राज्य सरकार ने बहुत बड़े फैसले ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लिये हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये डी.आर.डी.ए. संस्था है उस पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता कराकर बहुत महत्वपूर्ण फैसला ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इस सरकार ने लिया। इसके साथ-साथ ग्रामोत्थान की जो नौ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वे कृषि की हों, चाहे वे वन की हों, चाहे अस्पताल की हों, चाहे शिक्षा की हों, उन सब महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये भी राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थान से जोड़ा गया है। इसके साथ-साथ पहली बार जिला आयोजना समितियों का गठन किया गया। एक व्यक्ति-एक पद, पंचायती राज में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको रोकने के लिये कानून बनाये गये। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के जो अध्यक्ष बनते थे उनके पद पहले उप सरपंच या उप प्रधान होते थे, वे हथिया लेते थे। इनको रोकने के लिए राज्य सरकार ने एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के पद उसी कैटेगरी के लोगों से भरने के लिये निर्णय लिया। इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार हटाने के लिये, ग्रामीण विकास में भ्रष्टाचार खतम हो, उसके लिये जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों को भी दोषी मानने के लिये भी कानून में परिवर्तन किया गया है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, 5-5, 10-10 सालों से कई सरपंचों के ऊपर तलवार लटकी रहती थी, उसके लिये भी इस सरकार ने समयबद्ध योजना बनाई कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको इतने समय में देने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ पारम्परिक हमारी जल स्त्रोत योजनाएं हैं उसके सर्वांगीण विकास के लिये भी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम किये गये। ग्रामीण विकास में पहली बार 112 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार ने दिये। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने 40 हजार रुपये का ऋण और 10 हजार रुपये की अनुदान राशि भी इस सरकार ने घोषित की है।

माननीय सभापति महोदय, जो 15 अपनी प्राथमिकताएं हैं उसमें ऊर्जा एक महत्वपूर्ण बिन्दु आता है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि, हम पहले सुना करते थे कि हर आदमी सरकार से उम्मीद करता था रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, बदलती हुई परिस्थितियों में आज रोटी, कपड़ा और मकान की प्राथमिकता नहीं रह गयी है। आज के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता कोई है तो ऊर्जा, पावर, बिजली। इसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान है। अगर बिजली है तो

(श्री आर. पी. शर्मा)

हमको रोटी मिल सकती है, अगर बिजली है तो हमें उद्योग-धन्धों में नौकरी मिल सकती है, अगर बिजली है तो मकान बन सकता है, अगर बिजली है तो हमें कपड़ा मिल सकता है क्योंकि बिजली, आज पावर विकास का एक केन्द्र बन गया है। अगर हमारे पास बिजली नहीं है तो हम अपने अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास बिजली नहीं है तो हम टैक्सटाइल मिलों को नहीं चला सकते हैं। अगर हमारे पास बिजली नहीं है तो मकान, भवन बनाने हेतु जो और भी साधन हैं उनको हम नहीं बना सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी बातें इस सदन में होती हैं। लोग कहते हैं कि बिजली के पैसे बढ़ाये गये। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो बिजली के बढ़ाने की बात करते हैं, वे वास्तविक रूप से इस प्रदेश के हितैषी नहीं हैं। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है। आज व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि बिजली किस भाव मिलेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको मन चाहे, जब वह चाहें उतनी बिजली मिले, चाहे वह कहीं से भी मिले, पैसे का भुगतान वह कर सकता है। आज जमाना इस बात का है। आज हमारी लग्जरी से लेकर के, उत्पादन से लेकर सभी चीजें बिजली के ऊपर आधारित हैं। गरीब किसान का बच्चा भी आज पढ़ने के लिये उम्मीद करता है कि उसको बिजली मिले। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं, जो लोग प्रदेश में बिजली के विकास में बाधा उत्पन्न करने की बात करते हैं, पैसा बढ़ने से बिजली की रेट बढ़ाने से हमें जो नुकसान होगा, मैं कह सकता हूं कि वे राजस्थान के अच्छे भविष्य के कर्णधार नहीं हैं। यह निश्चित रूप से सही बात है कि किसी भी परिवार के उत्थान के लिये, किसी भी परिवार के विकास के लिये जब तक उसका मुखिया त्याग नहीं करेगा तो उसकी पीढ़ी के लिये वह आगे अच्छा काम नहीं कर सकता है। अब हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, प्रदेश में जितनी भी गरीबी हो, लेकिन इस सरकार ने बिजली के विकास हेतु अपनी सब प्राथमिकताओं से ऊपर अगर कहीं ध्यान दिया है तो बिजली के उत्पादन से लेकर के बिजली के ट्रांसमिशन और बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक अच्छे राजस्थान के विकास की अवधारणा को लेकर यह सरकार चली है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं, माननीय बिजली मंत्रीजी की भी इस मौके पर और माननीय मुख्य मंत्रीजी की भी इस मौके पर भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि जिन्होंने कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्के इरादे से सबकी परवाह नहीं करते हुए भी इस बिजली के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किये हैं। आपको सब अच्छी तरह मालूम है, आज हम साढ़े सात सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सके हैं। हो सकता है उसकी नींव कब डली हो लेकिन....

श्री कन्हैया लाल : बिजली तो दो-ढाई घण्टे भी नहीं मिलती।

श्री आर. पी. शर्मा : हां, सुन लो बात, दो-ढाई, वही तो मैं कह रहा हूं।

श्री कन्हैया लाल : गांवों में कहीं नहीं मिलती और महंगी कितनी कर दी.... (व्यवधान) और उसकी तारीफ कर रहे हैं आप।

श्री आर. पी. शर्मा : अगर आप रेट नहीं बढ़ाने देंगे। (व्यवधान) तो ढाई घण्टे भी नहीं मिलेगी।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। (व्यवधान) आप आपस में वार्ता न करें। प्लीज, आप अपने भाषण को जारी रखें।

श्री आर. पी. शर्मा : हमारे इस प्रदेश में, राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आयी है, साढ़े सात सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है उसके बाद में साढ़े सात सौ मेगावाट और उत्पादन के लक्ष्य हमने ले रखे हैं। आपको मालूम होना चाहिए एक तो, 1999 में 250 मेगावाट का उत्पादन हुआ। 1 जुलाई, 2000 में 250 मेगावाट का उत्पादन हुआ। इसके साथ तीसरी इकाई माह सितम्बर, 2001 में 250 मेगावाट की सूरतगढ़ में आ जाएगी। चौथी इकाई मार्च, 2002 में उत्पादन शुरू कर देगी। पांचवीं इकाई का शिलान्यास हो चुका है। इसके लिये राज्य सरकार ने पूरे धन की उपलब्धता कराते हुए इस काम को प्राथमिकता दी है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम इस सम्बन्ध में दो वर्षों के बिजली के आंकड़े देखें तो 400 के.वी.ए. के तीन ग्रिड सब-स्टेशन रतनगढ़, सूरतगढ़ और जोधपुर में स्थापित किये गये, 220 के.वी.ए. के पांच ग्रिड स्टेशन स्थापित किये गये, 132 के.वी.ए. के 13 ग्रिड स्टेशन स्थापित किये गये। 33 और 11 के.वी.ए. के 166 ग्रिड स्टेशन स्थापित करना इस राजस्थान के 50 साल के इतिहास का नमूना है। इसके साथ-साथ आज तक हमने, यह मैं मार्च तक के आंकड़े दे रहा हूं, 226 ग्रिड स्टेशन, पहली बार बिजली विभाग ने स्थापित किये हैं। इसक साथ-साथ अगर हम लाइन डालने की बात कहें, 220 के.वी.ए. की 274 किमी. लाइन नई डाली गयी। 132 के.वी.ए. की 400 किमी. नई लाइनें डाली गयीं, 33 के.वी.ए. की 2094 किमी. नई लाइनें डाली गयीं, 11 के.वी.ए. की 9925 किमी. नई लाइनें डालना, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है बिजली के क्षेत्र में। इसके साथ-साथ, अगर हम कनेक्शन की देखें तो वाणिज्यिक कनेक्शन 44388 दिये हैं, घरेलू कनेक्शन 331981 दिये हैं। कृषि क्षेत्र में हमने 55284 कनेक्शन दिये हैं और ग्राम, हमारे जो विद्युतीकृत किये गये 1193 गांवों को इस सरकार ने विद्युतीकृत किया है। सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में इस सरकार ने बहुत बड़े महत्वपूर्ण काम किये हैं। और रावतभाटा जिसका हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री अभी उद्घाटन करके गये हैं, 18 मार्च, 2001 को रावतभाटा एटमी प्लांट की जो बिजली है, उसकी पूरी की पूरी बिजली, दोनों यूनिट्स की पांच साल तक के लिए इस राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से खरीदने के लिए अनुबन्ध किया है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस में, इससे बड़ा

(श्री आर. पी. शर्मा)

फैसला कोई हमारे प्रदेश के विकास का हो नहीं सकता। मैं इन सब बातों के साथ, आज चर्चा इस बात की चल रही है, मैं बोलूंगा साहब तसल्ली से, जल्दी हो तो बंद कर दो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आप बहुत बोल चुके हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितना बोल चुके हैं। घड़ी चल रही है।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं बोलना चाह रहा हूं तसल्ली से। आज पैसे बढ़े हुए, बढ़ी हुई रेट की चर्चा की जाती है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के 14 मैम्बर हैं, उनको सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा।

श्री आर. पी. शर्मा : थोड़ा तसल्ली से प्लीज। बढ़ी हुई रेट की बात चलती है, चलो आप कह रहे हैं, मैं ब्रीफ करना चाहता हूं। और अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो इस चार्ट पर हम पाते हैं कि गुजरात, आंध प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, केरल, राजस्थान, दिल्ली आसाम और एम.पी. इन सभी प्रदेशों में अगर कृषि, घरेलू, वाणिज्यिक और उद्योगों के क्षेत्र में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद् उद्योग का हम तुलनात्मक कम्पेरीजन करें तो हम पाते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो हाइएस्ट रेट है 2 रुपये 75 पैसे यूनिट, वह आसाम में है। आसाम गवर्नमैंट ले रही है इसके साथ-साथ घरेलू क्षेत्र में 6 रुपये 39 पैसे गुजरात सरकार ले रही है। वाणिज्यिक क्षेत्र में 7 रुपये 51 पैसे गुजरात सरकार ले रही है और हमारी आंध प्रदेश सरकार ले रही है। इसलिए लघु, मध्यम, वृहद् क्षेत्र में भी गुजरात सरकार ले रही है तो गुजरात सरकार किसके अण्डर में है? गुजरात सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर अगर बढ़ी हुई रेट ले सकती है सरकार, तो हम हल्ला नहीं मचाते हैं और राजस्थान में, क्षेत्र के विकास के लिए हम रेट बढ़ाते हैं तो हम हल्ला मचाते हैं कि बिजली की रेट बढ़ा दी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान के एक सम्पूर्ण विकास के लिए हमें जरूरी है, हमें चाहे रेट बढ़ानी पड़े, हमें बिजली के उत्पादन में, बिजली के ट्रांसमिशन में, बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन में हमें राज्य सरकार के अधिक से अधिक पैसा लगाने में हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उकसाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये। उन फैसलों में जैसा कि कच्ची-बस्तियों का नियमन है। एक इतना बड़ा, लगभग 2300 कच्ची बस्तियां जो इस बात का शिकार हुआ करती थीं, वे बेघर थे उनको आज हिम्मत दी है, इस राज्य सरकार ने। इन गरीब लोगों के लिए जिनको सर ढकने का मकान नहीं हुआ करता था, इस राज्य सरकार ने उनका नियमन किया। किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में एक हजार वर्ग गज तक आप कोई भी निर्माण कर सकते हैं अपनी भूमि में, चाहे आवासीय और चाहे कॉमर्शियल, चाहे इण्डस्ट्रीयल के लिए कन्वर्शन के लिए छूट दी।

(श्री आर. पी. शर्मा)

इसके साथ सिंचाई के क्षेत्र में भी इस सरकार ने जो महत्वपूर्ण काम किये हैं, मैं डिटेल में यह बता दूं, सिद्धमुख हमारी रतनपुरा वितरिका के लिए पैसा दिया 2100 करोड़ रुपये, बीसलपुर के लिए हमने दिया 106 करोड़ रुपये, घग्घर के लिए पांच करोड़ रुपये, गंग नहर के लिए 400 करोड़ रुपये। सतही जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में जो आज चल रहा है, उसके लिए 1307 करोड़ रुपये की योजनाएं राज्य सरकार ने हाथ में ली है। इसके साथ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई के क्षेत्र में पूरा फायदा मिले, उसके लिए सरकार ने ध्यान दिया है। फव्वारा सिंचाई के लिए, बूंद-बूंद सिंचाई के सम्बन्ध में, सिंचाई के सम्बन्ध में इस राज्य सरकार ने बहुत बड़े काम किये हैं।

मैं औद्योगिक क्षेत्र पर एक बात कहना चाहता हूं। औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से क्रान्तिकारी कदम इस सरकार ने उठाये हैं, सबसे बड़ा काम जो आर.एफ.सी. के लिए इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम, जो लोनी है, उनके लिए योजना बनाई। वर्किंग केपिटल ब्रिज लोन की योजना बनाई। अधिकृत इकाइयों के शीघ्र फैसले के निपटारे के लिए एक योजना बनाई है। इसके साथ-साथ अधिकतम इन्होंने आर.एफ.सी. की जो सीमा दो करोड़ चालीस लाख थी उसको बढ़ाकर पांच करोड़ किया। इसके बाद गुड बोरोअर के लिए गोल्ड कार्ड स्कीम योजना बनाई जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 48 घंटे में जो गुड बोरोअर हैं, लोन ले सकते हैं और एक परसेंट की उसमें ब्याज की छूट दी गई। इसके साथ-साथ हमने जो फीस थी उस फीस में भी, 1.5 परसेंट की जो फीस थी लोन अमाउण्ट की उसको घटाकर एक परसेंट किया।

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उद्योगों के सम्बन्ध में कोई भी सरकार, प्रदेश की सरकार अपने हिन्दुस्तान की सरकार से अछूती नहीं रह सकती। जहां हिन्दुस्तान की सरकार की नीतियों का प्रभाव प्रदेश की सरकार की नीतियों पर पड़ता है। मुझे कहते हुए यहां दुःख होता है कि दक्षिणपंथी बी.जे.पी. की सरकार मौका मिलते ही, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उदारीकरण के नाम पर अमरीका के हवाले इस देश को रख दिया है। इससे + + + कोई नहीं हो सकता जिसका परिणाम धन-सम्पदा कुछ मुट्ठीभर लोगों के, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सिमट जाएगी और गरीब लोग गरीब हो जाएंगे और जो कमजोर वर्ग के गरीब लोग हैं वे गरीब होते जाएंगे। इसके साथ-साथ गांवों में बेरोजगारी बढ़ेगी। गांव और शहर का अन्तर बढ़ेगा। गांधीवादी, आपको याद होगा, देश का यह आन्दोलन हुआ था, दो विचारधाराएं इस देश में चली थीं। गांधीवादी और समाजवादी योजनाएं। गांधीवादी योजना थी कि हम ग्राम स्वराज को विकसित करते हुए गांवों में सुख-समृद्धि पैदा करें, गांवों में खुशहाली लायें और समाजवादी योजना का अर्थ यह हुआ करता था कि साइंस एंड टेक्नोलाजी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री आर. पी. शर्मा)

का और फायदा लेते हुए हम इन सब चीजों पर कण्ट्रोल करते हुए अधिक से अधिक हमारे देश की तरक्की करें। मैं यह कहना चाहता हूं, आज इस बात का बड़ा दुःख है, आज आम बेरोजगार बच्चा दुःखी है। आज रोजगार के अवसर क्षीण हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है विदेशी खेती और विदेशी माल। विदेशी खेती और विदेशी जो उत्पादक माल हैं, इस देश में आने के लिए इक्ट्ठा होता जा रहा है। आज हमारे यहां पर गेहूं के उत्पादन को रखने के लिए गोदाम नहीं है और हम विदेशी गेहूं आयात कर रहे हैं। आज भारत सरकार को सोचना चाहिए। जहां पर 71 करोड़ की जनसंख्या आज भी गरीबी से पीड़ित हो, जहां 25 करोड़ लोग आज भी भूख से पीड़ित हों, जहां 11 करोड़ बच्चे आज भी पढ़ने से वंचित हों, ऐसे देश में इस उदारीकरण की नीति से, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो घटक हैं, वे भी इससे खिन्न हैं इससे हमारा देश गुलाम होगा। इससे हमारे देश में गुलामी की बू आएगी। इसके साथ-साथ यहां हम उत्पादन के ऊपर, सकल घरेलू उत्पाद का कृषि के क्षेत्र में पहले 18 परसेंट खर्चा किया करते थे। साइंस एण्ड कृषि के क्षेत्र में इंवेंशंस के लिए तीन परसेंट किया करते थे। आज दुःख इस बात का है कि घरेलू कृषि के क्षेत्र में 9 परसेंट खर्च कर रहे हैं और हमारे साइंस एण्ड टेक्नोलाजी के क्षेत्र में, कृषि के विकास में पाइंट एट परसेंट इस सरकार ने खर्च किया है जो बड़ा दुर्भाग्य है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री आर. पी. शर्मा : एक मिनट लूंगा साहब। प्रदेश में पहली बार 20 लाख रुपये जो विधायक का कोटा था, लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। विधायक का जो एम.एल.ए. हैड का पैसा हुआ करता था 20 लाख, उसको चालीस लाख करने में अगर किसी ने कदम उठाया है तो यह कांग्रेस की सरकार है। इसके साथ-साथ दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं मांग करता हूं इस मंच के माध्यम से, खास तौर से, चूंकि आज विकास की धूरी एम.एल.एज. और एम.पीज. के ऊपर ही रह गई है क्योंकि जिस तरह से योजनाएं लगती हैं, मैं इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि हमारे सभी विधायकगण चाहते हैं इसको एक करोड़ रुपये हम करें। इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, आप मुझे थोड़ा जल्दी करने का कह रहे हैं, मेरा मन था कुछ ढंग से बोल लेता।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के बहुत से सदस्य प्रतीक्षा में हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : एक कवि का जो दोहा है, वह बताना चाहूंगा जेब कतरे दर्जी की दुकान चलाते हैं। + + + हिन्दुस्तान चलाते हैं। क्या चलाएंगे हिन्दुस्तान। जो जेब कतरे हैं वे तो आज दर्जी की दुकान चला रहे हैं और जो + + + हैं वे हमारा हिन्दुस्तान चला रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री आर. पी. शर्मा : प्रदेश के विकास में, इसके साथ, माननीय, मैं एक मिनट में, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी ने जिस स्पोर्ट्स मैन की स्पिरिट से भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे और काले करतूतों को उजागर करके पिछले आठ वर्षों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार स्थापित की। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं आज भी, ठीक है, आज हम अकाल की विभीषिका में है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि किन परिस्थितियों में इस सरकार ने सत्ता सम्भाली, किस तरह से हमारी आर्थिक विषमता थी, यह सब आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, अशोक गहलोतजी, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं और इनके कुशल कार्यकाल में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में उन गरीब और करोड़ों लोगों के लिए जिनके लिए हमने संघर्ष किया है, कांग्रेस पार्टी के विकास के लिए, उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन सभी बेरोजगारों के लिए जिन्होंने हमें सत्ता में बैठाया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तन-मन-धन से भी राजस्थान के प्रदेश के लोगों की सेवा करने में अपना हक अदा करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान में हम सब मिलकर गरीबी दूर करें, हम मिलकर एक-दूसरे से इस प्रदेश के विकास में सामंजस्य बैठाएं, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने एक शेर के साथ समापन किया और मैं एक शेर के साथ आगाज करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : आप शुरू करिये।

श्री संयम लोढ़ा : कि "हर शख्स दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ, और चाहता है कि उसे कोई रास्ता मिले। मुन्सिफी के इस दौर में जरूरी नहीं है वसीम, कि जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले।"

माननीय सभापति महोदय, इस शेर का परिदृश्य वह आठ साल का प्रशासन। इससे राजस्थान की जनता ने बहुत मशक्कत के बाद मुक्ति हासिल की। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में बार-बार कांग्रेस के घोषणा-पत्र की याद दिलाई जाती है। कांग्रेस का घोषणा-पत्र अपने आप में इस बात का गवाह है कि इन दो वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने इस घोषणा-पत्र के आधार पर राजस्थान की जनता से किये अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश की है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों से, कि हमारा तो घोषणा-पत्र था और है, आपका घोषणा-पत्र कहां है? आप तो वह दो-मुंहे सांप हो, जिसका अपना न तो कोई कथन है, न कोई वक्तव्य है। भैरोंसिंह जी शेखावत के घर पर अलग घोषणा-पत्र आता है और

(श्री संयम लोढ़ा)

आर.एस.एस. के मुख्यालय से दूसरा घोषणा-पत्र आता है। यह तो वह राजनीतिक जमात है जिसने राजस्थान की जनता को यह भी नहीं कहा कि हम घोषणा-पत्र के आधार पर इस राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहते हैं।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग सत्ता में नहीं होते, तब उनका व्यवहार क्या होता है और जब सत्ता में आकर बैठते हैं तब उनके चेहरे क्यों बदल जाते हैं। 1990 के पहले के समय का स्मरण कीजिए कि जब यही लोग सैलाब का सैलाब लेकर सड़कों पर निकलते थे और यह कहते थे कि कच्ची बस्तियों का नियमन कीजिए। लेकिन आठ साल के राज में इन्होंने एक भी कच्ची बस्ती का नियमन नहीं किया। एक भी गरीब परिवार को पट्टा नहीं दिया।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : लेकिन फिर भी आपको आपके क्षेत्र की जनता कहती है कि वह आठ साल बढ़िया थे, आपने क्या किया बैठकर के? खाली कागजों के अंदर ही काम किया आपने।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अशोक गहलोत की लोकप्रिय सरकार ने अपने वायदों पर खरा उतरते हुए राजस्थान में 2300 कच्ची बस्तियों का नियमन करने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाया है। उन लोगों का एक अधिकार इस राज में स्वाभिमान के साथ जीने का मौका दिया वरना इतने वर्षों तक कभी सरकारी कर्मचारी उनको धमका रहा है, कभी जन-प्रतिनिधि उनको धमका रहा है, कभी शांति उनके हाथ में नहीं थी। मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की इस सरकार ने यह कदम उठाकर उन गरीबों की बहुत बड़ी सेवा की है, उन गरीबों के हक में बहुत बड़ा काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथी बिजली को लेकर बड़ा हल्ला करते हैं, बड़ा हंगामा करते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1990 से पहले जब कांग्रेस की सरकार ने एक पैसा बिजली का बढ़ाया था तब उन्होंने राजस्थान की जेलें भर दी थीं और सरकार में आने के बाद क्यों उन्होंने 37 पैसे से बढ़ाया हुआ बिजली का पैसा, 52 पैसे नहीं किया। जब आप सत्ता में आते हैं तब आपका भाषण क्यों बदल जाता है और आज यह बिजली सुधार, राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान के अंदर एक सुधार का कार्यक्रम बन चुका है। इसका एक राष्ट्रव्यापी परिदृश्य है। इनके अपने ही प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में क्या बात कहते हैं, किस दिशा में देश को ले जाने की बात करते हैं और आज राजस्थान सरकार उनकी प्रशंसा हासिल करती है, उनकी सराहना हासिल करती है तो इनको बहुत पीड़ा पहुंचती है लेकिन इस पीड़ा का कोई निस्तारण नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में दो वर्ष के अंदर प्रतिपक्ष के हमारे साथियों की ओर से कई तरह की चर्चा की गयी,

(श्री संयम लोढ़ा)

कई तरीके की बातें की गयीं। लेकिन यह सदन इस बात का गवाह है कि दो साल और चार महीने के शासन में प्रतिपक्ष की ओर से एक भी भ्रष्टाचार का मामला इस सदन में प्रमाण के साथ नहीं लगाया जा सका और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर नहीं लगाया जा सका। यह अपने आप ही इस बात का उदाहरण है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूरी संवदेनशीलता के साथ, पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ राजस्थान की जनता की न केवल खिदमत करने की कोशिश कर रही है बल्कि राजस्थान को प्रगति की राह में आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत में एक जज्बा है लोगों की खिदमत का, लोगों की सेवा का और इस प्रदेश के विकास का और लोगों को अच्छी सरकार देने का। आज यही वजह है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सक्रिय किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का काम अपने आप ही इस बात का उदाहरण है कि एक साल के अंदर 551 मुकदमे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने दर्ज किये, यह पिछले सालों की तुलना में तीन गुना है। पूरे राजस्थान में एक वातावरण बना। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिसको आप रातों-रात खतम नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की सजगता से, सरकार के संकल्प से कर्मचारियों में भय का एक वातावरण बना और लोगों में भी इस बात का संदेश गया, लोगों में जागरूकता बढ़ी कि भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत करने पर कार्यवाही संभव है। माननीय सभापति महोदय, बहुत से मामलों का जिक्र मेरे पूर्व वक्ताओं ने किया है।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। सदन की कार्यवाही के लिये न्यूनतम सदस्य संख्या तो उपस्थित हो।

श्री सभापति : है न, पूरी है।

श्री सांवर लाल : कितना प्रतिशत? कोरम के लिए 20 की जरूरत होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोरम पूरा नहीं है। सारी बैंचें खाली हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बैंचें खाली पड़ी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोरम है।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में....(व्यवधान)

श्री सभापति : कोरम है। आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 10 प्रतिशत का होना है और 10 प्रतिशत मौजूद हैं।

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये। प्लीज जारी रखें, श्री संयम लोढ़ा। विराजें-विराजें। (व्यवधान) प्लीज हाउस का पूरा कोरम है। 20 संख्या होनी चाहिये और 20 सदस्य मौजूद हैं। 20 हैं, मैंने गिन लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं हैं।

श्री सभापति : मैंने गिन लिया।

श्री सांवर लाल : सभापतिजी, मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं। मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में....(व्यवधान)

श्री सभापति : बीस से ऊपर हैं। विराजें।

श्री सांवर लाल : कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, हम यह पूछ रहे हैं।

श्री सभापति : बैठिये। प्लीज जारी रखें। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा : एक बार सत्ता सौंपने के बाद जन-प्रतिनिधियों का आचरण जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है या है इस पर हमेशा विचार होता रहा है और हमेशा इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि ऐसा कोई मायना बने, ऐसा कोई आधार बने कि जन-प्रतिनिधियों पर भी एक नियंत्रण रखा जा सके और उनके क्रियाकलापों पर जनता की समय-समय पर क्या धारणा है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा सके। मैं समझता हूं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। वार्ड सभाओं को और ग्राम सभाओं को वार्ड पंच और सरपंचों के मामले में उनके क्रियाकलाप पर जो आरोप-पत्र जारी करने का अधिकार राजस्थान सरकार ने पिछले साल दिया है, वह इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत के मार्गदर्शन में एक शानदार शुरूआत यह हुई है। इसका असर राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचेगा और आने वाले वक्त में विधायकों और लोक सभा के सदस्यों के लिये भी इस बात की कोई माकूल व्यवस्था की जा सकेगी कि यदि उनका आचरण जन-भावनाओं के अनुरूप नहीं है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो उनको भी वापस बुलाने की व्यवस्था की जा सके। यह भी आने वाले वक्त में सारे जन-प्रतिनिधियों के; सारे सदनों के विचार और चिन्तन का माध्यम बन सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदय, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कामों को अगर मापने का सबसे बड़ा हम आधार मानें तो आप इस बात को देखिये कि समाज में अन्तिम छोर पर बैठे हुए आदमी, समाज में सबसे गरीब आदमी और समाज में सबसे पीछे बैठे हुए आदमी को उन्होंने अपने कार्य का आधार बनाया। उनको लाभान्वित करने की आपने योजना बनायी है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में लगातार तीसरे साल अकाल है। हमारे पड़ोस का जो सूबा है गुजरात, उसमें भी अकाल पड़ा हुआ है। आप मेरे सिरोही जिले से आबू रोड से चार किमी. आगे जाएंगें वहां दिन की मजदूरी है मात्र 40 रु. और गुजरात की सीमा छोड़ कर राजस्थान में आएंगें, वहां दिन की मजदूरी है 60 रुपये। माननीय सभापति महोदय, यह दिन की मजदूरी अपने आप में एक उदाहरण है इस बात का कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार उस गरीब व्यक्ति को अपना मुख्य केन्द्र मानती है, अपना मुख्य निमित्त मानती है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथी कई बातों को लेकर आलोचना करते हैं। अकाल को लेकर भी आलोचना करते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत देता हूं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वह वास्तविकता देखना चाहें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किया है तो हमारे साथ चलकर देखें। अरावली की उन पहाड़ियों में, जहां जाने का कोई साधन नहीं था, जहां गाड़ी पहुंच नहीं सकती थी, जहां ट्रैक्टर तो छोड़िये, बैलगाड़ी नहीं पहुंच सकती थी वहां राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने उन पहाड़ियों के अंदर बहुत शानदार रास्ते अकाल राहत कार्य के माध्यम से बनाये हैं कि आज वहां लोगों का आना-जाना सुगम हो गया और बकरी की जो मींगंणी आठ आने किलो बिकती थी, वह आज एक रुपये किलो बिक रही है। हमारे उन आदिवासी भाइयों को इस राजस्थान सरकार के कामों से इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, यह हालत उन इलाकों के लोगों की थी कि कोई बहन बीमार हो जाती थी तो खाट पर डालकर, उठाकर उसको नीचे लाना पड़ता था। लेकिन ज्यों ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अकाल को विकास में बदलने की शुरूआत की है, उसी का ही नतीजा है कि उन अरावली की दुरम्य पहाड़ियों में भी विकास का एक वातावरण बन सका।

सभापति महोदय, आप हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच का एक उदाहरण देखिये, पूरा राजस्थान इस बात की तारीफ करता है कि उन्होंने मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की। लेकिन हमारे कलम के जादूगर जो पूरी जिंदगी अपनी कलम से लोगों की सेवा करते हैं, कथा लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, साहित्य सृजन करते हैं या अखबारों में अपनी खबरें लिखते हैं, उन लोगों के लिए भी उन्होंने साहित्यकार-पत्रकार कल्याण कोष के नाम से एक करोड़ रुपये की व्यवस्था पिछली सरकार ने की, पिछले साल की जो अपने आप में उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है।

सभापति महोदय, गरीबी के खिलाफ संघर्ष और लोगों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में समूह के माध्यम से प्रेरित करने के लिए वैसे तो हर सरकार प्रयास करती रही है लेकिन राजस्थान सरकार ने इस दिशा में अपनी एक अलग प्रतिबद्धता का, अपना एक अलग संकल्प का परिचय दिया है। सभापति महोदय, जो राज्य गारंटी दी जाती है, जो पहले 9 करोड़ सालाना थी, जिसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल 27 करोड़ रुपये किया, और इसी राज्य गारंटी को इस साल 42 करोड़ रुपये किया गया है जो अपने आप में राजस्थान सरकार का संकल्प प्रदर्शित करती है।

सभापति महोदय, मेरा गला खराब होने की वजह से मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करते हुए इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा

(श्री संयम लोढ़ा)

गया है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा बोले, शोर्ट एण्ड स्वीट। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां सरकार की रीति-नीति का दिग्दर्शन कराता है वहीं विगत वर्ष की सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा भी होता है। पिछली बार राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उसकी क्रियान्विति कहां तक हो पायी, यदि पिछली बार का उनका अभिभाषण देखें तो शायद सरकार को पता लगेगा कि उनसे कहलवाये गये जितने काम, जो घोषणाएं उनसे करवायी गयी थीं, उन आधी घोषणाओं को भी पूरा नहीं कर पाये। इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगी लेकिन आज मैं यह अवश्य कहना चाहूंगी कि आज जिन परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया, अकाल की गम्भीर समस्या, बिजली का संकट, पानी के लिए त्राहि-त्राहि। इन हालात के अन्दर भेड़-बकरियां तो पलायन कर गयीं और अपने भूख से बिलबिलाते बच्चों को लेकर, अपने पशुओं को डां-डां करते हुए लेकर के लोग राजस्थान को छोड़ करके जा रहे हैं पलायन कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में यह एक अरब से ऊपर का भवन निर्माण करके हमने कौनसी उपलब्धि हासिल कर ली? वह सदन इतना बुरा तो नहीं था कि हमारी होड़ लग जाए इस बात के लिए कि हम हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट से भी अच्छा अपना भवन बना लें। लेकिन बात यह है कि "माले मुफ्त दिले बेरहम।" सही बात तो यह है, इसलिए माले मुफ्त, जब माल मुफ्त का हो तो दिल बेरहम हो जाता है, दिल को दया नहीं रहती कि हम क्या और क्यों खर्चा कर रहे हैं। मैंने तो मुख्य मंत्रीजी से चिट्ठी लिख करके निवेदन भी किया था कि हम अपनी विधान सभा के 50 वर्ष 29 जनवरी, 2002 को पूरा करेंगे और तब उसी पुराने सदन के अन्दर हम अपनी गोल्डन जुबली मना कर नये भवन में प्रवेश करें जहां हमने कई सरकारों को आते और जाते देखा है, जहां हमने स्वस्थ लोकतंत्र की परम्पराएं कायम की हैं, जहां हम साक्षी रहे हैं बहुत से नये क्रांतिकारी कानून के निर्माण के, वहां स्वर्ण जयन्ती मनाकर फिर नये भवन में जाएं लेकिन जिस ताबड़तोड़ तरीके से अंधाधुंध खर्चा करके, एक जिद थी, एक अपनी बात थी किस प्रकार से हम इस नये भवन में जाएं। जरा हाथ नीचे लगाइये, इस डेस्क के नीचे कीलें चुभती हैं यहां पर। कोई करके देख लीजियेगा। एक दिन बाइचांस मेरा हाथ नीचे चला गया, कील चुभ गयी मेरे। (व्यवधान) हां, चुभ गयी कील। खैर, मैं थोड़ा विषय से अलग हो गयी, सभापति महोदय।

एक माननीय सदस्य : हाल बहुत सुन्दर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, हाल जरूर सुन्दर है। वह तो मैंने बता ही दिया न, बहुत अच्छा है क्योंकि होड़ थी कि केन्द्र

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की पार्लियामेंट से भी अच्छा हम अपना हाल बनायेंगे। यह अपनी होड़ थी।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही थी कि राज्यपाल महोदय ने सब-कुछ ठीक-ठाक बताया। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, इस सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से क्या ठीक है, आज बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अकाल तो पड़ गया, खैर, भगवान ने डाल दिया और इन्द्र भगवान ने और कृपा करके....(व्यवधान).... तबाह कर दिया।

सभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहती हूं कि सत्ता पक्ष इस तरीके से मुझे टोके नहीं, मेरी बात कहने दें।

तो मैं निवेदन कर रही थी, बिजली नहीं, पानी नहीं, अकाल इन्द्र भगवान ने डाल दिया, भैरोंसिंहजी खजाना खाली छोड़ गये और बी.जे.पी. दोषी है बिजली पानी के लिए। बिजली और पानी के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है, उनका शासन दोषी है और हम। राजस्थान की सरकार अभी तो कहती है कि हमारे साथ भारत सरकार न्याय नहीं कर रही है और कभी कहती है खजाना खाली है और यही दुहाई दे रही है कि भारत सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, एक तरफ बिजली कर्मचारी और इंजीनियर पिट रहा है और मंत्री जहां जाते हैं वहां जनता काले झंडे लेकर नारे लगा रही है, घुसने नहीं दे रही है और सब कुछ ठीक-ठाक है। यह बात मुझे समझ में नहीं आयी। एक तरफ कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, युवक बेरोजगार बैठे हैं....

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, भीखाभाई गलती से अधिकारी दीर्घा में घुस गये।

श्री सभापति : यह पूरा भवन भूल-भूलैया है, सब चकरा रहे हैं। कोई इधर से उधर चला जाता है....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी कि एक तरफ नव-युवकों की बेकारों की फौज खड़ी है, व्यापारी नाराज हैं, कपड़ा व्यापारी सकते में हैं, बजट लीक हो रहा है, मंत्री सदन में व्यक्तिगत राय व्यक्त करने को बेताब हैं। इस हालत के अंदर छंटनी हो रही है कर्मचारियों की और नवयुवक देख रहा है कि छंटनी हो तो शायद मेरा भी नम्बर आये। यह हालात आज राजस्थान के बने हुए हैं।

सभापति महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी अभी यहां नहीं हैं, कल जोश में कुछ कह गये थे और मैं नहीं चाहती कि उनके जैसे निम्न स्तर की मैं भी बात कहूं। महिला बखिया करना भी जानती है और बखिया उधेड़ना भी जानती है लेकिन मैं उनके स्तर पर नहीं आऊंगी, उनको इतनी ही सलाह दूंगी अपनी उम्र के नाते और इनसे अधिक अनुभव रखने के नाते कि कभी तैश के अन्दर इस तरह की बात वो ना कहें कि जिससे कभी साथ बैठने की गुंजाइश ही नहीं रहे। इसके अलावा मैं उनको और कुछ नहीं कहना चाहती लेकिन इतना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अवश्य कहना चाहती हूं कि आज जिस जूम के अन्दर वो चल रहे हैं सदा यह दिन नहीं रहने वाले है। "सदा काहू की ना रही चढ़ी एक रंग, कभी उजाला होत हैं, कभी होत बदरंग।" इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगी कि इसके अन्दर कोई भी मंत्री ना रहे कि वह सदा सत्ता में ही रहेगा और सदा उसके वही दिन रहेंगे। ऐसा किसी को भी मान करके नहीं चलना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाह रही थी, आज ऊर्जा मंत्रीजी यहां पर यह कह रहे थे और उन्होंने पिछली बार पावर सैक्टर सुधार एक्ट बनाया था, हमने एक्ट पास किया था, उसके अन्दर उन्होंने कई बातों का विश्वास हमें दिलाया था लेकिन उस विश्वास को वह तोड़ गये। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में 37 पैसे बिजली मिलती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 52 पैसे कर दी। भारतीय जनता पार्टी, मैं कोई उनका भी पक्ष नहीं ले रही लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के अन्दर 37 पैसे से 52 पैसा किया था, आप लोगों ने तो 2 साल में 52 पैसे से 95 पैसा कर दिया। आपने तो इतना दो साल में कर दिया, 43 पैसा बढ़ा दिया दो साल में और अभी ढाई साल बाकी हैं, पता नहीं कितना और बढ़ाओगे। मर जायेंगे किसान, आज किसान की हालत जैसा मैंने आपको बताया, पहली बात तो बिजली मिली ही नहीं नियमित रूप से, हालांकि आपने चुनाव घोषणा-पत्र में तो बहुत बातें कही हैं और कल कह रहे थे कि हमने 37 पैसे की बात नहीं कही। यह चुनाव घोषणा-पत्र मेरे पास है। इस चुनाव घोषणा-पत्र को मैं सुनाना चाहूंगी मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने यह चुनाव घोषणा-पत्र पहले दिन ही मुख्य सचिव को दिया था और यह कहा था कि यह हमारा चुनाव घोषणा-पत्र है इसके मुताबिक आपको काम करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है।

(14.20 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि एक तरफ उन्होंने कहा कि "कांग्रेस शासन में कुएं पर पांच हार्स पावर कनेक्शन के लिए पांच खम्भे निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाते थे तथा 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी। "आज किसान को नौ हजार से बारह हजार रुपये प्रति खम्भा तथा 1850 रुपया प्रति हार्स पावर फीस देने पर भी एक रुपया सत्तर पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है वह भी अनियमित। और फिर आगे कहा कि "सरकार कृषि कार्यों के लिए कुओं के बिजली कनेक्शन की महंगी नर्सरी योजना को तुरन्त समाप्त कर देगी और कुओं पर कनेक्शन के लिए मार्च, 1990 के पूर्व कांग्रेस शासनकाल के समय की सामान्य प्राथमिकता योजना को ही रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में कांग्रेस के शासन में बिजली के सम्बन्ध में किसानों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को पुनः प्रारम्भ किया जाएगा।" इसका मतलब 37 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे, यह स्पष्ट इसके अन्दर हो गया

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है और फिर आखिर कांग्रेस की सरकार तो चार अन्य राज्यों में भी चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, कनार्टक में कांग्रेस की है। वहां तो पावर सुधार के लिए नियामक आयोग नहीं बनाया गया। आप ही क्यों पीछे पड़े हैं किसान को और आम उपभोक्ता को मारने के लिए? एक तरफ तो आपने प्रशासनिक सुधार आयोग की बात कही कि हमने प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया और उसकी सारी दी हुई सिफारिशों को हम अमल में लायेंगे। उन्होंने तो बहुत सी बातें कहीं हैं। उन्होंने तो पावर सैक्टर रिफार्म बिल के लिए कहा कि आपको आवश्यकता नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने तो पांच हार्स पावर कनेक्शन मुफ्त के लिए कहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पांच हार्स पावर के अलावा भी उन्होंने तो कहा है कि आपको आवश्यकता नहीं थी इसकी, आप बिजली की छीजत और चोरी रोक लेते, उससे आपको उतनी आमदनी होती, जितना घाटा अब आज है, उससे कहीं अधिक आमदनी हो जाती। क्यों नहीं आपका आज हो रहा पर अमल किया? और मैं फिर कहती हूं कि पावर फाइनेंस कमीशन ने भी यह बात कही है कि जिन राज्यों ने उड़ीसा ने और आन्ध्र प्रदेश ने यह किया, हरियाणा ने किया था, अनडन कर दिया लेकिन जिन राज्यों ने किया उनके नतीजे अच्छे नहीं है। भारत सरकार ने इस बिल को पास किया उसने वापस क्यों ले लिया और गर्व के साथ और गौरव के साथ आप कह रहे हैं कि यहां पर प्रधान मंत्रीजी आये और ऊर्जा सुधार कार्यक्रम की बड़ी तारीफ की, बड़े खुश हुए। वह तो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि उनके अच्छी तरह डूबने का यही तरीका है, आप इनकी तारीफ करो, इससे ही यह खतम होंगे, नहीं तो खतम नहीं होंगे इसलिए उन्होंने यह बात आपको कह दी और आपने मान ली यह बात। आपने सोचा ही नहीं इस बात के लिए कि वह क्यों कह रहे हैं, क्यों आपकी तारीफ कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आज आपने क्या हालत कर दी है किसान की यहां पर। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि आज किसान की हालत यह हो गयी है कि पंजाब और तमिलनाडु तो किसान को मुफ्त बिजली देता है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है लेकिन बाकी भी असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान में कृषि की सबसे ज्यादा रेट है। बिहार में 38 पैसा बल्कि अब तो आपकी इनसे भी अधिक हो गयी होगी। यह तो 78 पैसा थी तब हालत थी। आज तो आपकी इनसे भी ज्यादा हो गयी है। असम, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल से भी ज्यादा हो गयी है क्योंकि बिहार में कृषि हेतु 38 पैसे में दी जा रही है। गुजरात में 50 पैसा है, आन्ध्र प्रदेश में 50 पैसा प्रति यूनिट है और आप आज किसान से लोगे 95 पैसा प्रति यूनिट और किस समय, जब लगातार तीसरी साल अकाल, 32 जिलों में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

से 31 जिले प्रभावित हैं। तीन करोड़ से अधिक व्यक्ति प्रभावित और चार करोड़ जानवर प्रभावित हैं उस समय किसान से 95 पैसे प्रति यूनिट के पैसे लोगे? जिसके साथ भगवान ने अन्याय किया और आप भी उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। उसे कहीं का तो छोड़ों।

इसके साथ-साथ सपोर्ट प्राइस की बात भी मैं कहना चाहूंगी। आज हालत यह है कि भारत सरकार ने कह दिया, उन्होंने तो अपनी घोषणा कर दी कि हमारी सपोर्ट प्राइस यह होगी लेकिन सपोर्ट प्राइस के आधार पर एक दाना भी राजस्थान की सरकार ने नहीं खरीदा। पिछली साल का अनुभव हमारा है। मैं भी काश्तकार हूं। पिछली बार का हमारा अनुभव यह है कि पिछली बार पहली बात तो ये 12 बजे आते थे, अभी हमारा तुलारा नहीं आया, अभी हमारे यह नहीं हुआ, अभी हमारी दुकान ऐसे हैं, आज फलां छुट्टी पर चला गया और 12 बजे बाद आकर एक दो लोगों का लिया उसके बाद समय हो गया। हम अब बंद करेंगे। काश्तकार जब अनाज बाजार में लेकर आ गया, वापस लेकर जाने से रहा, उसकी मजबूरी है वह व्यापारी को बेचकर जाएगा और यह व्यापारी से खरीदेगा और जो बीच का मुनाफा है उसको आधा-आधा बांटेंगे। पिछली बार का भी हमारा यह अनुभव है और इस साल का भी हमारा यह अनुभव है कि राजस्थान सरकार तो यह कह रही है कि हमको सपोर्ट प्राइस पर आज खरीदने हेतु पहले पैसा दो और तब जाकर सपोर्ट प्राइस के ऊपर लोग किसान का अनाज खरीदेंगे। पहली बात तो किसान को बिजली नहीं मिली इसलिए उसकी फसल नहीं हुई। फिर उसको भगवान ने मार दिया इस समय ओले बरसाकर, इस समय बारिश करके उसके खेत और खलिहान में कुछ पड़ा हुआ था, उसका भी सत्यानाश कर दिया और ऊपर से यह बेरहम सरकार, कहती है सरकार संवदेनशील है। यह बेरहम सरकार उस किसान का एक दाना सपोर्ट प्राइस के ऊपर लेने को तैयार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आधी बात ही नहीं कह पायी, आप क्या कर रहे हो?

श्री सभापति : आपको 25 मिनट हो गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 25 मिनट तो नहीं। ठीक है, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी, मुझे कुछ समय तो और दीजिए।

श्री सभापति : गलत ध्यान है आपको। आप कनक्लूड करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी समझ में तो ....(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पिछली साल आपने राज्यपाल महोदय से कहलवाया महिला सशक्तीकरण। ठीक बात है। महिला सशक्तीकरण के लिए, महिलाओं को नौकरियों में आपने कुछ परसेंटेज प्रावधान कर दिया और महिला आयोग भी बना दिया लेकिन सशक्तीकरण

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की हालत क्या है, सशक्तीकरण की हालत यह है कि अखबार और यह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी दुर्घटनाओं एवं महिला उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी। महिला उत्पीड़न की घटनाएं 1998 में 299 थीं, 1999 में 257 हुईं और 2000 के अन्दर बढ़कर 314 हुई। यह महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि अपराध बढ़े हैं। हर साल पौने दो लाख वारदातें हो रही हैं और इसके अन्दर बढ़ोतरी का यह सिलसिला इस रफ्तार से चल रहा है कि पांच महीनों के अन्दर और मई तक राज्य में डकैती की 51, लूट की 413 और हत्या की 574 वारदातें दर्ज हुईं। इस दौरान चोरों ने 10401 स्थानों से माल उड़ा लिया जबकि प्रदेश में 443, पिछली बार तो 314 का ही उत्पीड़न था अबकी बार 443 महिलाओं का शील भंग किया गया। घोषणा-पत्र में नौगांवा का जिक्र किया, धौलपुर का जिक्र किया और महिलाओं का इस प्रकार से शील भंग हो रहा है। दूसरी तरफ आप राज्यपाल महोदय से यह कहलवा रहे हैं कि संतोषजनक स्थिति रही हमारी कानून और न्याय की और अपराधों की संख्या घटी है और हालत यह है कि अपराध दिनों-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली बार राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हर मुख्यालय के ऊपर तीनों संकायों का एक राजकीय महाविद्यालय होगा। झुंझुनूं में कृपापूर्वक खोला तो सही लेकिन दो लेक्चरर्स से ही पूरे साल वह कालेज चला है। तीन संकायों की तो बात छोड़ दीजिए, केवल दो लेक्चरर्स के आधार पर। यदि इसी तरीके से करना था तो राज्यपाल महोदय के मुंह से क्यों कहलवाना था? आपने स्कूल तो क्रमोन्नत कर दिये लेकिन अध्यापकों की क्या हालत है? कहीं तो दो हैं, कहीं तीन से चल रहा है। एक तो मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा सीनियर सैकण्डरी है जहां केवल दो अध्यापक, एक हैडमास्टर/प्रिंसीपल और दूसरे एक लेक्चरर, उनके ऊपर वह सीनियर सैकण्डरी चल रहा है। तो हालत तो हमारी यह है। यह बात ठीक है कि इन दस सालों के अन्दर हमारा लिटरेसी का प्रतिशत बढ़ गया, 38 से हम 54 पहुंच गये, खुशी की बात है। उसमें सभी का योग है, उसमें राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं का योग मान लीजिए, लोक जुम्बिश का मान लिजिए, सरकार का मान लीजिए लेकिन जो राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं हैं, कहां बनी हैं. वह पाठशालाएं? न वहां पीने के पानी का प्रबन्ध है, न वहां बच्चे हैं, न कुछ और है और जैसा कि मैंने कहा अधकचरे ज्ञान वाला, अल्पज्ञ टीचर 1200 रुपये में लगा हुआ है। बच्चे की फ़ाउंडेशन तो इतनी कमजोर होगी, कैसे कम्पीट करेगा वह शहरी बच्चों के साथ और कैसे कम्पीट करेगा काम्पीटिटिव एग्जामिनेशंस में किस प्रकार से बच्चा आ पाएगा? जरा यह तो सोचिये आप।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहेंगी कि छह शहरों के सौन्दर्यीकरण के नाम पर एशियन डवलपमैंट बैंक से 1500 करोड़ रुपये लिये गये हैं और जयपुर का सौन्दर्यीकरण भी किया गया है। बेचारे गरीबों को तो कइयों को बरबाद भी किया और बेचारों की हाय भी ली लेकिन जयपुर की सड़कें काफी चौड़ी कर दीं, अच्छी कर दीं लेकिन मुख्य मंत्रीजी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। यह छह शहरों वाले फिन इनको लायेंगे। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ख्वामख्वाह के अन्दर 1500 करोड़ रुपया ले लिया और इन छह शहरों से जीतकर आने वाले हैं वह लोग। इसलिए ख्वामख्वाह के अन्दर ही इस 1500 करोड़ को यदि आप विद्युत उत्पादन के लिए देते, विद्युत उत्पादन के लिए खर्च करते तो मेरे समझ में आता। इन 1500 करोड़ रुपयों को एशियन डवलपमैंट बैं से लेकर यदि आप अकाल के लिए खर्च करते तो भी मेरे समझ में आने वाली बात थी लेकिन सौन्दर्यीकरण के नाम के ऊपर फिर बी.जे.पी. को लाने के लिए अच्छा रास्ता खोल दिया। यह आपने मेरी समझ समें बहुत नासमझी का काम किया है और इनकी समझ में समझदारी का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप बार-बार, हर बार मंत्री यह दोहराता है कि हमारी संवदेनशील सरकार, हमारी पारदर्शी सरकार, हमारी जवाबदेही सरकार। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, कारगिल के शहीदों से, उन विधवाओं से, उन छोटे-छोटे मासूम बच्चों से, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया, उनसे भी आपके सैनिक कल्याण अधिकारी रिश्वत खाने से तो नहीं चूकते हैं? उनसे भी नहीं चूकते हैं। एक लाख रुपया, पैट्रोल पम्प दिलाने के नाम पर झुंझुनूं के सैनिक कल्याण अधिकारी ने एक लाख रुपये की मांग की थी और पन्द्रह हजार रुपया लेते हुए वह रेड हैण्डेड ट्रेप किया गया। मैंने कहा। ऐसे व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरी से निकालने के तो नियम हैं। हां सस्पैण्ड करेंगे। ट्रेप होने वाला सस्पैण्ड तो होता ही है, इसमें नयी क्या बात है, वह तो होगा ही। जो ट्रेप हो गया उसको आप एक बार सस्पैण्ड तो करेंगे ही लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो इतने बेरहम लोग हैं, फिर काहे की संवदेनशील सरकार है? यदि ऐसे मामलों को भी आपने बड़े हल्के तरीके से लिया तो यह संवेदनशीलता नहीं है, यह पारदर्शिता नहीं है, मुख्य मंत्रीजी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी क्योंकि आपने समय तो मुझे बहुत कम दिया है, हर मुख्य मंत्री के पास, हर सरकार के पास, हर सरकार में कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी भी होते हैं और कुछ चालू अधिकारी भी होते हैं, होशियार भी होते हैं, करामाती भी होते हैं। मैं और शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती लेकिन आपको ज्ञान नहीं है इस बात का और यदि ज्ञान नहीं है तो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आप अमल में नहीं लाते हैं। मैं आपके लिए यह तो नहीं मान सकती कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो पूरा है पर पता नहीं आपकी क्या कोई मजबूरी है या जानकर नहीं लेना चाहते या कोई आप पर हावी है। भगवान जाने क्याहै लेकिन ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारियों को अच्छर जगह पर आपको बैठाना चाहिए तो आपके शासन की छवि सुधरेगी वरना आपके प्रशासन की छवि नहीं सुधरने वाली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं और कुछ नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि आज जैसा कि कह रहे थे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, आज अलवर के अन्दर इतनी तेज बारिश ओलों के साथ हुई है कि 10-15 गांवों की फसल एकदम बह गयी है। ओले कुछ छोड़ते ही नहीं हैं। खड़ी फसल में यदि ओले गिर जाएं तो कुछ नहीं छोड़ते। तो आपने तो अपने घोषणा-पत्र में लिखा है कि इस तरह से प्राकृतिक आपदा से जब कभी किसी किसान की फसल नष्ट होगी तो हम उसे मुआवजा देंगे। यह आपने लिखा है इसलिए मैं चाहूंगी कि आज एक अलवर की ही बात नहीं है, मौसम खराब है इस खराब मौसम ने किसान को बिलकुल बरबाद कर दिया है। आपकी अनियमित और नहीं मिलने वाली बिजली ने वैसे तो किसान के कुछ पैदा ही नहीं होने दिया और जो कुछ पैदा होने दिया वह खलिहान और खेत में पड़ा हुआ था कटा हुआ, उसको इन्द्र भगवान ने और राम-राज्य, राम जब दुश्मन बन जाता है तो राज को आगे आना चाहिए और राज को आगे आकर, रामा वाला काम तो राज नहीं कर सकता लेकिन जिन्दा रखने वाला काम कर सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को सपोर्ट प्राइस के ऊपर आप अपनी घोषणा के अनुसार उनसे अनाज की खरीददारी करिये। जिन लोगों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा दीजिए ओर जो कुछ आप कहलवाते हैं राज्यपाल महोदय से उनके अभिभाषण में, इन सब बातों को आप पिछला उनका अभिभाषण लेकर देखिये। आपने बहुत कुंछ कहलवाया था। सड़कों के बारे में कहलवाया था कि एक हजार कुछ किलोमीटर लम्बी सड़कें बनायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्या....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बस यह लास्ट बात कहकर बैठ रही हूं। आपने कहलवाया था, जरा सा बता दूं। इस वर्ष राज्य आयोजना एवं अन्य आयोजना के अन्तर्गत 2503 किमी. सड़कों का निर्माण कर 698 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य हाथ में लिया गया है। जिनमें 487 पंचायत मुख्याल भी हैं। इन लक्ष्यों में कृषि उपज मण्डी द्वारा जोड़े जाने वाले गांव और पंचायत मुख्यालय भी सम्मिलित हैं। मैं चाहूंगी, मुख्य मंत्रीजी, अब आप जवाब दें तो बताइएगा कि 2503 किमी. में से कितने किमी. सड़क इस साल में बनी है और कितनी का रख-रखाव हुआ है और कितनी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कृषि उपज मण्डी से बनी है? जरा यह स्पष्ट करिएगा वरना क्यों राज्यपाल महोदय से आप जो बात कहलवाते हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं।

अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री पारीक साहब। माननीय राजेन्द्रजी पारीक, समय का ध्यान रखें। माननीय मुख्य मंत्रीजी का उत्तर चार बजे होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, इस नवीन भवन में राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण 27 मार्च को सदन में रखा गया, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सही मायने में राज्य सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन है और राज्य सरकार अपना कल्याणकारी होने का सबूत इस मायने देती है कि जो कुछ भी उसकी योजनाएं हैं वह प्राथमिकता तय करने से पहले यह तय करे कि उसके राज्य की जनता को किस योजना से कितना लाभ मिलेगा और इस मामले में राजस्थान की वर्तमान सरकार ने इस बात को तरजीह दी कि इस राज्य की जो गरीब जनता पिछले तीन वर्षों से लगातार जो अकाल पड़ रहा है, इस अकाल की भीषण त्रासदी को कैसे कम किया जाए, कैसे इस राज्य की गरीब जनता को जो अकाल के मारे, बढ़ती हुई बेरोजगारी के मारे कैसे उनको राहत पहुंचाई जाए और इन सब बातों को जब हम गौर करते हैं तो यह स्पष्ट लगता है कि सरकार ने इन सारे मामलों को तरजीह देते हुए, अकाल राहत का मामला जिस द्रुत गति से इन्होंने लिया यह अपने आप में एक मिसाल है। जब भी अकाल पड़े हैं तो जून, जुलाई से पहले कभी काम नहीं हुआ लेकिन....

श्री जगत सिंह दायमा : जब भी पड़े कांग्रेस के राज में पड़े हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान की वर्तमान सरकार ने इस बात को साबित कर दिया कि जनवरी माह में ही अकाल राहत के कार्यों को तरजीह दे करके एक ओर जहां लोगों को रोजगार दिया साथ ही इन्होंने इस बात को राजस्थान के विकास से जोड़ दिया। इससे पूर्व जब कभी भी अकाल पड़े हैं लोगों ने मिट्टी के इधर से उधर हटाने मात्र या कच्चे गड्ढे खोदने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इस बार जो कुछ भी हुआ है इसके पहले भी 144 करोड़ रुपये नाबार्ड से लोन ले करके इस बार 125 करोड़ रुपये नाबार्ड से लोन ले करके सड़कों के रख-रखाव, नयी सड़कों के निर्माण एवं उन ग्रामीण अंचलों में जहां आदमी का पहुंचना दूभर है, ऐसे क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करवाये जाने की प्राथमिकता जो तय की, यह सही मायने में इस अकाल के समय में जहां एक ओर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया, साथ ही इस पैसे का सही सदुपयोग पहली बार हुआ है। जब अकाल की बात चलती है तो आज के दिन राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या के रूप में या यूं कहें कि जनश्रुति के रूप में विद्युत का मसला एक ऐसा मसला है जिस पर चर्चा किया जाना

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अत्यावश्यक है। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान के इस विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिये जिस मुस्तैदी से कार्य किया, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय यहां पर विराजमान नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह अपना भाषण दें इस बारे में वह इस बात का खुलासा करें कि पिछले 50 वर्षों में विद्युत का कितना उत्पादन हुआ। उनके शासन काल में विद्युत का कितना उत्पादन हुआ और राज्य की वर्तमान सरकार के इन दो वर्षों में विद्युत का कितना उत्पादन हुआ उत्पादन के साथ-साथ इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसकी आधारभूत संरचना है, उसके विकास में कितनी द्रुतगति और कितनी विश्वसनीयता के साथ काम किया गया है।

सभापति महोदय, अब इस बात से अंदाजा लगायें कि जहां पिछले 50 वर्षों में मात्र तीन हजार मेगावाट बिजली हम उत्पादित कर पाये वहीं इन पांच वर्षों में हमने दो हजार मेगावाट बिजली का उद्देश्य जो रखा है, इन पिछले दो वर्षों में हमने साढ़े सात सौ मेगावाट विद्युत उत्पादन करके इस बात को साबित कर दिया कि राजस्थान की सरकार किसानों के प्रति इस राज्य की गरीब जनता के प्रति न केवल अपना समर्पण भाव रखती है बल्कि अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिये जो कुछ वह कहती है उस पर खरी उतरती है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि राजस्थान में पिछले मात्र दो वर्षों में 2-3 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और आगे आने वाली प्रस्तावित योजना में दो हजार करोड़ रुपये और खर्च किये जायेंगे। इससे ज्यादा मैं समझता हूं इस राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं में जिस तरह से 33 केवी.ए. के, 400 के.वी.ए. के, 220 के.वी.ए. के जो नये जनरेशन के और इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिये तंत्र खड़ा किया जा रहा है, आने वाले वर्षों में वह राजस्थान की जो मूलभूत विद्युत की आवश्यकता है न केवल उसकी पूर्ति करेगा। आज काश्तकार के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, विद्युत का जो पैसा बढ़ा है वह समस्या तो है हीं, इसके साथ-साथ में क्वालिटी की जो इंफीरियरिटी है उससे बड़ी समस्या है। यदि काश्तकार को बिजली का पैसा देना पड़ता है तो काश्तकार हमसे यह चाहता है कि उसको जो बिजली मिल रही है वह कम से कम क्वालिटी की मिले। जब तक हम इस सारे तंत्र को मजबूत नहीं करेंगे तब तक अच्छी क्वालिटी की बिजली का दिया जाना असंभव है।

मैं इस बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज बिजली के मामले को लेकर जिस तरह का हौवा खड़ा किया जा रहा है, यह भस्मासुर का स्वरूप है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या चाहे बी.जे.पी. की रही हो, सरकार चाहे स्टेट की हो या सरकार चाहे केन्द्र की हो, हमें इसमें आम सहमति और आम राय कायम करनी होगी। यदि हमने यह नहीं किया तो आने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वाला वक्त किसी भी सरकार को माफ नहीं करेगा, यह सुनिश्चित है। विद्युत की कमी है, यह हर कोई जानता है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को सहर्ष स्वीकार किया है कि जब तक विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इसके तंत्र को मजबूत नहीं करेंगे तब तक कोई भी स्टेट हो, चाहे उसमें कांग्रेस का राज हो या केन्द्र सरकार हो, उसमें किसी की भी सरकार हो, हमें इस सारे मसले को हल करने के लिए एक जगह बैठना होगा। हमें आम सहमति कायम करनी होगी और यदि हमने यह नहीं किया तो हम इस मुल्क की जनता के साथ बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए कोई झिझक नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात के लिये हमसे उम्मीद करती है। हम 200 ट्रस्टी जो यहां पर बैठे हुए हैं, वह हमसे इस बात की उम्मीद करती है कि विद्युत जैसे मामले में राजनीति से ऊपर उठ करके हम एक ऐसा तंत्र पैदा करें जिससे लोगों में विश्वसनीयता पैदा हो कि राजस्थान की सरकार जो कुछ भी विद्युत के मामले में आज कर रही है वह इस राजस्थान की बहबूदी और राजस्थान की भलाई के लिये कर रही है और इसके इतर कुछ नहीं है। यदि हमने इस पर किसी भी तरह की राजनीति की, मात्र दो पैसे बढ़ाये जाने पर बालूराम को शहीद कर दिया लेकिन जब वह स्वयं सरकार में आये तो उनकी मजबूरी थी, उनकी आवश्यकता थी कि उनको भी विद्युत का पैसा बढ़ाना पड़ा और यही हालत आगे भी पैदा होती रहेगी। बजाय हमें इसमें राजनीति करने के हमें साफ-सुथरी बात भी सोचनी होगी कि विद्युत तंत्र को सुधारना है तो हमें एक राय और आम राय हो करके इस पर सहमति करनी पड़ेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने मंत्री पद पर रहते हुए एक पैसा भी किसानों का नहीं बढ़ाया....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरी बात भले आज इनको कटु लग रही हो लेकिन वास्तविकता यही है कि....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, विद्युत के मामले में कांग्रेस इनकी आलोचना करे या बी.जे.पी. उनकी आलोचना करे। जब-जब भी कोई योजनाएं बनी हैं, हम भी यह कह सकते हैं कि नर्सरी योजना के माध्यम से इन्होंने जिस तरह से काश्तकारों को लूटा वह भी एक शर्मनाक स्थिति थी। लेकिन आज हमें इन सब बातों से ऊपर उठ करके आम सहमति इस बात पर बनानी पड़ेगी कि विद्युत की कमी है और आज के युग में यह सबसे पहली प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को मीट आउट करने के लिये हमें आम सहमति बना करके इसका उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसका तंत्र कैसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, इसका लीकेज कैसे ज्यादा से ज्यादा कम हो, इसमें छीजत

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कम हो, इसकी चोरी रुके और आम आदमी को, आम काश्तकार को, आम उपभोक्ता को, आम इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छी क्वालिटी की बिजली मिले, यह सुनिश्चित करना इस सदन में बैठे हुए 200 माननीय सदस्य ट्रस्टी हैं, हम सबका दायित्व बनता है। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता इस बात के लिये तो अपनी सदाशयता के लिये हमेशा से जानी जाती रही है। जब कभी भी पड़ोसी पर किसी भी तरह संकट आया है तो खुल करके मदद की है। इस मामले में राजस्थान की जनता धन्यवाद की पात्र है, राजस्थान की सरकार इस मामले में धन्यवाद की पात्र है कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय को अपने साथ ले करके गुंजरात की भीषण त्रासदी में जो कुछ अपना तन-मन-धन से सहयोग देने की स्थिति थी उसमें सहयोग दे करके अपनी सदाशयता का परिचय दिया, जो हमारी मूल कल्चर है, जो हमारी मूल सभ्यता है।

सभापति महोदय, आज जिन हालात में हम हैं, हम इस सदन में बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम अपनी योजनाओं के बारे में बातें करते हैं लेकिन पिछले 50 वर्षों में जो विश्वसनीयता राजनीतिज्ञ ने खोयी है वह एक चिन्ता का विषय है। हमने पिछले 50 वर्षों में अपनी विश्वसनीयता समाप्त प्रायः कर ली है। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस बात को साबित कर दिया कि अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए अपने घोषणा-पत्र में जो कुछ भी उन्होंने लिखा, उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता इस बात की समझी कि अपना घोषणा-पत्र जो इस राजस्थान की जनता को दिखाया है उसको यदि पूरा नहीं किया तो अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर देंगे। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि राजस्थान की सरकार की विश्वसनीयता कायम हो और इसके लिए घोषणा-पत्र में जो कुछ भी उन्होंने दर्शाया, उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये मामला भले ही शिक्षा का रहा हो, मामला विद्युत का रहा हो, मामला स्वास्थ्य का रहा हो, या मामला पेयजल का रहा हो, उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर उन सारे कामों को अग्रणी रख करके अपनी योजनाएं बनायीं। इन योजनाओं को बनाते वक्त राजस्थान में जो तीन साल से अकाल की त्रासदी है, इससे एक विकट स्थिति पेयजल की जो बनी है, पेयजल की न केवल मनुष्यों के लिये बल्कि इससे ज्यादा भीषण स्थिति मवेशियों की हो गयी। हमारे पुरातन जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। जब वर्षा नहीं हो रही है तो अंडर ग्राउण्ड वाटर के रिचार्ज का सारा सिस्टम समाप्त हो गया है। राज्य की सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अपनी योजनाओं के माध्यम से, राजीव गांधी पेयजल मिशन के माध्यम से जो पुराने स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित किया जाये ताकि भविष्य में पड़ने वाले इस अकाल से जूझने के लिये हमें पेयजल की जो सुविधा है, वह समय पर उपलब्ध हो सके।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने राजस्थान की सरकार को जब अपना मेंडेट दिया तो वह उनसे इस बात की उम्मीद रखती थी कि लगातार पिछड़े हुए सड़कों का जो हमारा ढांचा है, कहीं सड़कें नहीं हैं और जहां कहीं हैं वह इतनी खराब हैं उस मामले में राजस्थान की सरकार ने भी पहल की और न केवल अपने निजी स्रोतों बल्कि राजस्थान की जनता के उन उद्यमियों को भी अपना सहभागी बनाया, बी.ओ.टी. के माध्यम से, एम.ओ.टी. के माध्यम से और अभी हाल ही में जो नौ योजनाएं 75 करोड़ की सड़कों की स्वीकृत की है बी.ओ.टी. के माध्यम से आने वाले वक्त में राजस्थान को अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए इन्हीं सब बातों की ओर देखेगा।

सभापति महोदय, आपने भी देखा, आई.आर.सी. हुआ, उसके माध्यम से राजस्थान के प्रवासी लोग जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, उनका राजस्थान से लगाव मात्र सही मायनों में मुण्डन संस्कार तक रह गया था, राजस्थान की सरकार ने इस बात को महसूस किया कि जब तक हम इन बाहर रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से सहयोग नहीं लेंगे, उनकी भागीदारी हम अपने इस स्टेट के डवलपमेंट में नहीं लगाएंगे तो एक बहुत बड़ी कमी रहेगी और इस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने आई.आर.सी. के माध्यम से उन लोगों को, उन सारे प्रवासी राजस्थानियों को निमंत्रित किया और निमंत्रण का नतीजा निकला। उस वक्त माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बड़े-बड़े शब्दों में कई तरह की आलोचना की लेकिन आलोचना करने से, हमने अपनी विश्वसनीयता कायम करने में जो पहल की है वह यदि आज बाहर बैठे आदमी को यह लगेगा कि राजस्थान में पक्ष और प्रतिपक्ष में इतनी कटुता है कि वह आपस में बैठकर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं तो कौन आएगा अपने राज्य में? ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि जब हम बाहर के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक या अन्य बैंकों से, विदेशों से, उनसे पैसा लेने के लिए हम जब कोई योजनाएं बनाते हैं तो उन लोगों को यह लगना चाहिए कि जिन हाथों में यह पैसा जा रहा है वह हाथ सुरक्षित हैं। वहां इन योजनाओं की उपयोगिता होगी, वहां इस पैसे की एक-एक पाई का सदुपयोग होगा। यह तभी सम्भव है जब इस सदन में बैठ कर हम ऐसी योजनाएं बनाएं, ऐसी चर्चा करें जिससे बाहर के लोगों को ऐसा नहीं लगे कि उस पैसे का सदुपयोग नहीं होगा।

सभापति महोदय, चूंकि आज का समय सूचना प्रौद्योगिकी का है और राजस्थान की सरकार ने इस बात को बखूबी महसूस किया और महसूस करने के साथ इस सारे सिस्टम को निचले स्तर तक ले जाने के लिए शिक्षा विभाग ने सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के बच्चों तक सारे तंत्र को मजबूत करने के लिए पहल की है, यह सराहनीय कदम है। आज हम

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जानते हैं कि पूरी दुनिया आई.टी. पर निर्भर हो रही है, ऐसे में राजस्थान की जनता और राजस्थान की सरकार, दोनों मिलकर ऐसी भूमिका निभाएं जिससे आने वाले समय में आई.टी. के सारे सिस्टम को मजबूती मिले।

सभापति महोदय, आज बड़ी चिन्ता का विषय है बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ता हुआ प्रदूषण। हम यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि सबको हमने यह कर दिया, पीने के पानी का हमने यह कर दिया, हमने यह व्यवस्था कर दी, हमने यह कर दिया। लेकिन आने वाले समय में मूल समस्या, सबसे विकट समस्या आने वाली है बढ़ती हुई जनसंख्या का लावा। हम करोड़ों रुपयों की योजनाएं यूं ही बनाते रहें और इन स्कीमों पर लगने वाला सारा का सारा पैसा बढ़ती हुई जनसंख्या का लावा लील जाएगा। इसके साथ-साथ बढ़ता हुआ प्रदूषण, आज आप देख रहे हैं कि कोर्टों के माध्यम से हम प्रदूषण पर रोक लगाने की बात सोच रहे हैं। विधान सभा के सदन से प्रदूषण को रोकने के लिए जिस तरह से पोलीथिन पर कण्ट्रोल किया गया है, आज भी मैं समझता हूं कि उससे प्रदूषण नहीं रुका है। हमें बैठ कर ऐसे विषयों पर ऐसी चर्चा करनी होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें अब आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : दो ही मिनट। ऐसे में, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन में हम चर्चा करें कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे हो, सदन में हम चर्चा करें कि बढ़ता हुआ प्रदूषण कैसे रुके। इस मामले में मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्य मंत्री पद पर रहते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो पहल की वह तो सराहनीय कदम था, लेने उसमें जिस तरह की राजनीति घुस गई कि सरपंच या नगर पार्षद के बच्चों होने के बावजूद भी वह निलम्बित नहीं होते हैं, तो धीरे-धीरे उसकी विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। हमें इस पर कोई न कोई ऐसी राय बनानी चाहिए, ऐसी योजनाएं हमें बनानी चाहिए कि जनसंख्या का बढ़ता हुआ लावा नियंत्रित हो सके। (व्यवधान) यह तो बैठ कर सारे अपन तय कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में बोलेंगे तो फिर वे टाइम ले लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं टाइम नहीं ले रहा हूं। सभापति महोदय, एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। साथ ही मेरा निवेदन है कि सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, सड़क, पेयजल आदि के माध्यम से पैसा खर्च होता है। मेरा निवेदन है कि इन योजनाओं पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें एम.एल.ए. विकास कोष को 40 लाख के बजाय एक करोड़ रुपए किया जाता है तो एम.एल.ए. सही मायने में अपने क्षेत्र की उपयोगिता को देखते हुए कि कहां सड़क की उपयोगिता है, कहां पेयजल की उपयोगिता है, कहां एनीकट की उपयोगिता है, इन सारे पैसों को उपयोगिता के आधार पर खर्च करेगा। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

विशेष आग्रह है। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उधर से तीन हो गए, साहब।

श्री सभापति : आपका भी नम्बर आ जाएगा। चार बजे का नहीं है। मुख्य मंत्रीजी शायद देर से उत्तर देंगे। आपको समय मिल जाएगा। उधर से दो, इधर से एक।

श्री जगत सिंह दायमा : पांच-छह तो कल बोल पड़े।

श्री सभापति : नियम आपको स्वयं को मालूम है, दो उधर से, एक इधर से।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, डाक्टर करण सिंह यादव ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपोजिशन पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि गुजरात में जो भूकम्प आया उसमें हम सबने मिलकर गुजरात की जो मदद करनी चाहिए थी वह हमने बहुत ही बढ़िया मदद की, वह प्रशंसनीय रही और पड़ोसी का जो कर्तव्य निभाना चाहिए था वह हमने निभाया।

गुजरात में जो भूकम्प आया उसका प्रभाव हमारे बाड़मेर जिले पर भी पड़ा और बाड़मेर शहर के अंदर हमारी पोलीटैक्निक कालेज के भवन, महाविद्यालय भवन और जिले की अनेक इमारतें, पंचायतों के भवन, स्कूलों के भवन, इन पर कुप्रभाव पड़ा और काफी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार को हमें सहयोग देना चाहिए और केन्द्र सरकार वगैरह इसमें सहयोग देती है तो वह भी प्राप्त करना चाहिए।

(14.58 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गुजरात और काण्डला क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में हमारे मजदूर काम कर रहे हैं। वे मजदूर भी इस भूकम्प से प्रभावित हुए हैं और उनमें से बहुत से मजदूरों की मृत्यु हो गई है, उनकी लाशें हमारे यहां बाड़मेर में आई हैं। इस सम्बन्ध में पहले जैसे काण्डला में तूफान आया था, उस वक्त जो मदद की गई थी, उसी प्रकार की मदद अब भी करनी चाहिए क्योंकि काण्डला में तूफान आया था तो एक-एक लाख रुपए की मदद दी गई थी तो इस प्रकार की मदद देना बहुत आवश्यक है।

अब मैं अकाल के विषय में आता हूं। राजस्थान के 32 जिलों में से 31 में अकाल है और तीन करोड़ तीस लाख जनता और चार करोड़ पशुधन इससे प्रभावित है। बाड़मेर जिले का तो दुर्भाग्य है कि वहां बराबर अकाल रहता है, पिछले तीन साल से लगातार अकाल है और इस साल भी अकाल की स्थिति गम्भीर है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अकाल के स्थायी हल के बारे में हमें सोचना चाहिए। पीने के पानी के बारे में जब तक हम स्थायी हल नहीं निकालेंगे, यह समस्या

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हर अकाल के समय बनी रहेगी। इस सम्बन्ध में मैंने बाड़मेर से लेकर मोहनगढ़ तक की योजना के बारे में सदन में बार-बार निवेदन किया। बजट के वक्त भी निवेदन किया है और इस संबंध में मैंने जब हमारे यहां गर्ल्स कालेज का फंक्शन था, उसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी भी आये थे और श्री रामसिंहजी विश्नोई भी आये थे, उस समय यह प्रश्न उठाया था। रामसिंहजी विश्नोई साहब ने विश्वास दिया था कि गत दीवाली के अवसर पर इस मोहनगढ़ से बाड़मेर की योजना मंजूर कराकर आपके पीने के पानी का स्थायी हल निकालेंगे। मोहनगढ़ की जो स्कीम बाड़मेर से लगी हुई है उसमें 411 रेवेन्यू विलेजेज आते हैं बाड़मेर जिले के, 147 गांव आते हैं जैसलमेर ज़िले के और एक बाड़मेर शहर आता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी इनको सम्मिलित करने की योजना थी, इसके लिए 1994 में प्रिलिमिनरी सर्वे हुआ था। हम बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि इस संबंध में आप डिटेल्ड सर्वे कराएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराएं। न तो डिटेल्ड सर्वे किया जाता है, न प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी जाती है और न स्वीकृति दी जाती है। तो यह बहुत ही आवश्यक है।

(15.00 बजे)

अभी मैं भास्कर अखबर पढ़ रहा था, मैं देखकर बड़ा दंग रह गया कि आखिर क्या होगा इंदिरा गांधी नहर का भविष्य? इंदिरा गांधी नहर को शुरू हुए करीब 42 वर्ष हो गये, अभी तक इंदिरा गांधी नहर कम्पलीट नहीं हुई है। 18 हजार क्यूसेक्स क्षमता की व्यवस्था करनी थी जिसके लिए 12 हजार क्यूसेक्स क्षमता का कार्य किया गया। 10 हजार क्यूसेक्स जल का उपयोग होता था। अभी स्थिति यह है कि 3,800 क्यूसेक्स पर पानी आ गया। अब स्थिति यह बन रही है कि अगर आप इस इंदिरा गांधी नहर से कोई भी योजना बनाएंगे, सिंचाई की अगर योजनाएं बनाएंगे तो सिंचाई की योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चल सकतीं। अभी एक साल पहले हमारे बाड़मेर जिले के किसानों ने इंदिरा गांधी नहर में वहां मुरब्बे की जमीन ली। नतीजा यह हुआ कि वहां पानी नहीं पहुंचा जिससे फसलें नष्ट हो गईं और उनके बरबादी की कगार पर पहुंचने की स्थिति पैदा हो गई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सुझाव दे रहा हूं, अगर जो कमाण्ड एरिया में है और उनके यहां पानी नहीं पहुंचा है तो अनकमाण्ड एरिया मानकर उनको सुविधा दी जाए। किसान तो इस प्रकार भी चाहते हैं कि हमने जो राशि दी है वह राशि वापस लौटा दी जाए तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर यह स्थिति पैदा हुई है, इसके बारे में विचार नहीं किया गया तो यह स्थिति पैदा हो सकती है कि वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। यह स्थिति उन्होंने हमारे सामने प्रकट की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में आप जो भी निर्णय लेना चाहें वह तुरन्त लें।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1966 में जब पंजाब से हरियाणा

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

राज्य अलग हो गया था उस समय इस प्रकार का कानून बना था और वह कानून पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बना था। इसके क्लाज 79 में यह स्थिति है कि ये जितने भी बांध हैं, हरिके बांध है, रोपड़, फिरोजपुर सतलुज, रावी, व्यास नदियों के हैडक्वार्टर्स हैं, इन हैडक्वार्टर्स का अभी भी पंजाब ही नियंत्रण कर रहा है और पंजाब नियंत्रण करने के कारण वह कानून का उल्लंघन तो कर ही रहा है, राजस्थान सरकार को चाहिए कि उससे संघर्ष करे, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए और जाकर अपने अधिकारों के लिए लड़े। अगर ये अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो पीने का पानी गडरा रोड तक पहुंचाना चाहते हैं, यह गडरा रोड तक पानी पहुंच नहीं सकता। और योजनाएं बनाना चाहते हैं सिंचाई की, उससे वह सिंचाई नहीं हो सकती, पीने के पानी की योजना हो सकती है इसलिए पीने के पानी की योजनाओं को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मोहनगढ़ से बाड़मेर और जोधपुर डिवीजन, जिसमें नागौर का एरिया भी है उन सब स्थानों के लिए इंदिरा गांधी नहर से पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर यह व्यवस्था नहीं की तो स्थिति यह होगी कि बाड़मेर शहर की आबादी जो एक लाख होने जा रही है, तीन वर्षों के बाद जनता को वह शहर छोड़ कर जाना पड़ सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में त्राहि-त्राहि मच सकती है। इसलिए इस संबंध में मैं बार-बार प्रयास कर रहा हूं और इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पीने के पानी के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी बाड़मेर शहर में भी स्थिति इस प्रकार की है कि एक सप्ताह में दो दिन और कभी-कभी पांच दिनों में एक दिन पानी पहुंच रहा है और वह भी बहुत ही कम क्वांटिटी में पहुंच रहा है। स्थिति बहुत ही खराब है। इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। 4 करोड़ 10 लाख रुपये की योजना मंजूर हुई है, लेकिन राशि पहुंची नहीं है, बिना राशि पहुंचे हुए कैसे व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए बाड़मेर शहर की स्थिति भी बहुत ही विकट है, जल संकट की स्थिति विकट है, इस संबंध में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अब मैं अकाल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि अभी अकाल राहत कार्य जो खोले गये हैं वे नाडियों की खुदाई के कार्य खोले गये हैं और कुछ सड़कों के काम हाथ में लिये गये हैं और एक शर्त बांधी गयी है कि 25 परसेंट मैटीरियल कंपोनेंट होना चाहिए। हमारे जिले में कहीं-कहीं 40 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर पर ग्रेवल प्राप्त होता है। इसलिए जब तक आप 40 परसेंट मैटीरियल कंपोनेंट नहीं बनायेंगे तब तक यह ग्रेवल की सड़कें हो नहीं सकतीं, और ग्रेवल की सड़कें अगर नहीं होंगी तो किसी को भी एम्प्लायमेंट दिया नहीं जा सकता है। अभी 20 हजार श्रमिक

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

एम्प्लायमेंट में लगे हुए हैं। पहले साल भी अप्रैल के अंत में 60 हजार की संख्या थी तो 60 हजार तक की संख्या बढ़ानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया है 10 लाख श्रमिकों को बढ़ाने का, उसका हम स्वागत करते हैं और बाड़मेर जिले के बारे में इस संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता है।

साथ ही साथ में पशुओं को बचाने की भी आवश्यकता है। पशु शिविरों की व्यवस्था की गयी हैं। अभी तक 11 हजार पशु आये हैं, गायें आयी हैं। इसके अंदर 11 हजार को बढ़ाकर 25 हजार की संख्या आप करें और बाद में जैसे-जैसे स्थिति हो उसको बढ़ाने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे।

अकाल के बारे में मैंने बात की, साथ-साथ में पशुओं के बारे में विशेष तौर से गायों के बारे में जो ब्रीड है, हमारे यहां काकरेज ब्रीड है, थारपारकर ब्रीड है, बीकानेर में राठी ब्रीड है। इस ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम इसके ब्रीडिंग सेंटर्स स्थापित करें। हमने स्थापित किये हैं। जैसलमेर जिले में स्थापित किया है, लेकिन वह ब्रीडिंग सेंटर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है। उसके लिए जो साधन उपलब्ध कराने चाहिए वह साधन उपलब्ध नहीं हुए इस संबंध में आप जब तक ठोस कदम नहीं उठाएंगे और ब्रीडिंग सेंटर कायम नहीं करेंगे और उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी गायों की नस्ल इसलिए बिगड़ गयी है कि सांड निकम्मे फिर रहे हैं। इनको अगर धार्मिक दृष्टिकोण से जो चाहते हैं उन गौशालाओं को दे दिया जाए तो ये जो नस्ल बिगाड़ रहे हैं, ये नस्ल नहीं बिगाड़ें या उनका केस्ट्रेशन कर दिया जाए ताकि इस प्रकार से जो नस्ल को बिगाड़ रहे हैं वो नस्ल न बिगाड़ें (व्यवधान) पांच मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट में तो दूसरे बोलेंगे एक और।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है। मैं कुछ प्राब्लम्स बयान कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और मौका मिलेगा आपको भी। चार बजे रिप्लाई होने वाली है, 5-6 माननीय सदस्यों को और बुला देंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अभी पांच मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी लम्बी लिस्ट है। इधर से अभी कोई बोले ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब मैं डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम पर आता हूं। जब मैं एम.पी. था तब बड़ी कोशिश करके इसको सेवंथ फाइव ईयर प्लान में इनक्लूड किया था। अब उस योजना में इन्होंने 75 परसेंट सेंटर की तरफ से और 25 परसेंट स्टेट की तरफ से रखा है। प्लान में पहले शत प्रतिशत की व्यवस्था की की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद दी नहीं तो इस संबंध में राजस्थान सरकार को यही चाहिए कि जो डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम में मेहनत से सेंट परसेंट कराया था, पहाड़ी क्षेत्रों के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

विकास के लिए बनाया था उस प्रोग्राम को अपने को पूरी तरह से कोशिश करके सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाल कर सेंट परसेंट करना चाहिए। उसमें एनिमल हजबेंडरी और साथ-साथ में सैंड ड्यून्स-स्टेबिलाइजेशन का कार्यक्रम चलता था वह सैंड ड्यून्स स्टेबिलाइजेशन का कार्यक्रम खतम हो गया। अफोरेस्टेशन का कार्यक्रम खतम हो गया। डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम जो वास्तव में सही स्वरूप में चलना चाहिए था वह सही रूप में चल नहीं रहा है। अब हमारा महावीर जी का 2600 वां कल्याण दिवस मनाया जा रहा है उस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि दो योजनाएं, अपना गांव और अपना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी और साथ-साथ में दूसरी जो एक सहभागिता योजना है, ये दोनों ही योजनाएं शुरू करनी चाहिए। इन दोनों योजनाओं को शुरू करने से इस वर्ष के अन्दर जो आप अहिंसा दिवस मना रहे हो, इस वर्ष में बहुत ज्यादा उपयोगी कार्य हो सकेंगे और जनता भी इसमें अच्छी तरह से कंट्रीब्यूशन कर लेगी, ग्रामीण जनता भी कंट्रीब्यूशन कर लेगी और इस कार्य से हमें बहुत लाभ होगा। एक बात कहकर मैं खतम कर रहा हूं।

बोनस अंकों से लगे शिक्षकों को हटाने की तैयारी शुरू की है। यह अभी 21 अक्टूबर, 1999 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और उन्होंने यह फैसला दिया था कि बोनस अंक जोड़े नहीं जाएं और इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले की अपील की, डिवीजनल बैंच में की, वह खारिज हो गयी और खारिज होने के बाद में यह बोनस अंकों से लगे शिक्षकों को हटाने की तैयारी शुरू कर नोटिस दिये हैं। इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ेगा। हमारे यहां यों तो बाड़मेर जिले में मैरिट के आधार पर और फिर बोनस के आधार पर, उसमें भी 50 परसेंट बाड़मेर जिले के ही शिक्षक लिये जा रहे हैं। अब इस प्रकार की स्थिति में बाड़मेर जिले के पढ़े-लिखे शिक्षकों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि पंचायत समिति, जिला परिषद् सलेक्शन कमीशन बने। जिस समय मैं प्रमुख, जिला परिषद् था, पंचायत समिति, जिला परिषद् सलेक्शन कमीशन था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : शिक्षा की डिमाण्ड पर बोलें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं, कह रहा हूं न, कह देंगे शिक्षा पर, आप बोलने देंगे कि नहीं देंगे? (व्यवधान) तो यह महत्वपूर्ण यों है कि हमारे यहां जो अनएम्प्लायमेंट की प्राब्लम है वह बहुत एक्यूट है और यह समस्या महत्वपूर्ण है। इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाइये। इन शिक्षकों को कतई भी आप हटाने की कोशिश करेंगे तो हम आपका कड़ा विरोध करेंगे, यह मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाइये और यह कोशिश करिये कि जो भी आपने मिडल स्कूल्स, सैकण्डरी स्कूल्स, हायर सैकण्डरी स्कूल्स और कालेजेज जो स्थापित किये हैं, उनमें सभी अध्यापकों की, लेक्चरर्स की पूरी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

व्यवस्था होनी चाहिए। अभी आप मिडल स्कूल्स, सैकण्डरी स्कूल मत बनाइये। पहले जो बनाये हैं उनको कंसोलीडेट करके उसको मजबूत करिये ताकि सभी जगह लेक्चरर्स की कमी नहीं हो, अध्यापकों की कमी नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही निवेदन करता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कांग्रेस सरकार सुदृढ़ होकर, ठोस कदम उठा कर हमारे किसानों, गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का कल्याण करें। जयहिन्द।

श्री जगत सिंह दायमा : यह राजेन्द्र जी राठौड़ मेरे दोस्त हैं पर मुझे पता नहीं था कि यह ऐसा करेंगे।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम दोस्त नहीं है क्या आपके।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे को कहा गया है कि अब आपका नम्बर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। प्रोफेसर सांवर लालजी, बोलिये। (व्यवधान) आप नहीं बोलोगे, यह बोलेंगे। (व्यवधान) आपको बुलाते हैं, विराजिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वर्तमान सरकार जब बनी उसके बाद माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के तीन अभिभाषण राजस्थान की विधान सभा में हुए, दो पुराने विधान सभा भवन में और एक इस नये भवन में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले अभिभाषण के पृष्ठ 3 पर, जब जनता ने इनको सत्ता दी और 153 की संख्या के बहुमत से यहां पर आये तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के मुंह से यह शब्द इन्होंने कहलवाये, पिछली सरकार के 8 वर्षों के कुशासन से राज्य में कानून और व्यवस्था एकदम चौपट हो गयी। उसके बाद दूसरा अभिभाषण हुआ। उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तीसरा अभिभाषण है। यह प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में इतना दंभ भरने, अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है और जो अहंकार करता है उसको जनता सड़क पर लाने में समय नहीं लगाती। एक साल के बाद में लोक सभा के चुनाव हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस लोक सभा के चुनाव में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतीं और उसके बाद में जितने भी उप चुनाव हुए सारे के सारे उप चुनावों में.... (व्यवधान) अब सुन लो, आपकी बात भी तो हम सुन रहे हैं, तो बीच-बीच में क्या है, बोलने का समय आएगा जब बोलो, + + + क्यों करो बीच में? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बोलने दीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अगर आप किसी हकीकत को भी नहीं सुनना चाहते हैं तो इलाज क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये, समय का बहुत अभाव है, बोलने दीजिये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि अगर जनता के साथ अन्याय होता है तो वह सड़क पर लाने में देर नहीं लगाती है। आज प्रजातंत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यवस्था बनती है प्रजा के सहयोग से बनती है। प्रजा जिसको बहुमत देती है वह राज में आता है और वह अगर प्रजातंत्र में उस तंत्र को प्रजा के अनुरूप काम नहीं ले सकता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ जाती है। फिर तो इस तंत्र को गले में लटका कर घूमते रहो, चाहे एस.पी. ले लो, चाहे कलक्टर ले लो, चाहे अधिकारियों को ले लो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट हो रही है कि इस ढाई साल के समय के अन्दर इस सरकार से जनता का विश्वास हट गया है, चाहे मौलासर की घटना ले लो। देश की आजादी के बाद राजस्थान में यह पहली घटना हुई है जब मुख्य मंत्रीजी को वहां से भागना पड़ा, भीड़ पीछे भाग रही है, हैलीकोप्टर में उड़ते नहीं तो पता नहीं क्या होता और सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक ने जब मौलासर के बाद में, सवाईभोज में मुख्य मंत्रीजी का प्रोग्राम बना था तो उन्होंने अखबार में छपाया और पत्र लिखा कि मुख्य मंत्रीजी, सोच लेना सवाई भोज में भी मौलासर की घटना हो सकती है, प्रोग्राम निरस्त कर देनाा और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सवाईभोज का प्रोग्राम निरस्त किया था और उसके बाद में वह बीकानेर गये थे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत कह रहे हैं। सवाईभोज का कार्यक्रम इसलिए कैंसिल हुआ कि माननीय देवीलाल जी का स्वर्गवास हो गया था और तीन दिन का राष्ट्रीय शोक था, इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने कार्यक्रम कैंसिल किया। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुख्य मंत्रीजी ने वह कार्यक्रम स्थगित किया, मौलासर के बाद मुख्य मंत्रीजी ने....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उसके पहले सवाईभोज जाने का कार्यक्रम था। सरकारी मुख्य सचेतक जी, आपको पता ही नहीं है, आपकी पार्टी के विधायक ने विरोध किया और वह प्रोग्राम नहीं बना। (व्यवधान) सुनो तो सही, हमारी बात भी सुन लो आप। (व्यवधान) आपको जानकारी नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाईभोज के कार्यक्रम से मैं व्यक्तिशः जुड़ा हुआ था, आप हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आगे बोलो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बीकानेर का प्रोग्राम बनाकर गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, हम इनको शांति से सुन तो रहे हैं, यह भी शांति से सुनें, सदन की गरिमा रखें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वहां पर मुख्य मंत्रीजी कार के बोनट पर चढ़ गये, विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा मुख्य मंत्रीजी, जनता मर रही है, ढाई साल पहले चुनावों

(श्री सांवर लाल)

में आपने बहुत लुभावने वादे किये थे, किसी न किसी वायदे पर तो खरे उतरो। (व्यवधान) आपका नम्बर आए तब बोलना, यों ही हां, हूं करने में रह जाओगे, ढाई साल निकल जाएंगे। (व्यवधान) हमने तो कर लिया, हमने जो किया, आप कर सकते हैं क्या? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ढाई साल के अन्दर अभी कल राजेन्द्रजी राठौड़ बता रहे थे, सवेरे उठते ही जिस अखबार में देखो एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी की फोटो, दूसरी तरफ मंत्रीजी की फोटो, जनता के कामों के लिए पैसा नहीं, खजाना खाली है, भारत सरकार नहीं देती है, रोज अखबारों में फोटो। आजकल तो हालत यह हो रही है कि जिधर यह फोटो नजर आ जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अखबार पढ़ना ही बंद कर देते हैं और कई तो ऐसे हैं उसको फाड़ कर फेंक देते हैं। यह किसी काम के तो हैं नहीं, कुछ करते नहीं है, बिजली की रेटें बढ़ा दी, बिजली देते नहीं हैं, अकाल राहत के नाम पर काम काज खोलते नहीं हैं, जहां खोलते हैं भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद, पार्टीवाद....(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार अगर कोई कहे कि साहब, काम खोलिये, तो सरकार कहती है, भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कह सकता हूं कि टेंथ फाइनैंस कमीशन, जब भैरोंसिंह जी सरकार में थे, मुख्य मंत्री थे, मैं मंत्री था, उस टाइम उसकी रिपोर्ट आयी, उसके हिसाब से जो पैसा मिला, पांच साल में उससे ज्यादा पैसा हमको किसी भारत सरकार ने अकाल राहत के मजदूरों के लिए, कामकाज के लिए नहीं दिया। अभी ढाई साल में इनके पास बहुत पैसा है। प्रधान मंत्रीजी ने पैसा दिया, अपने फण्ड से दिया। 50 करोड़ अभी दिया, 20 करोड़ पहले दिया, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से दिया। (व्यवधान) अब आपको क्या तकलीफ हो रही है, मुख्य सचेतक हो, आखिर कुछ तो सीखो, राज्य सरकार में बैठे हो, जो दिया वह तो रिकार्ड पर है उसके अलावा अगर भारत सरकार नहीं दे तो आपके पास पोदीना भी नहीं है कि कुछ कर लो। यह एक और बता रहा हूं कि लाखों टन गेहूं दिए हैं, पशुओं के लिए गेहूं दिए हैं, उसके बावजूद भी + + + माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि 156 करोड़, 31 मार्च, 2000 को लोग कामकाज की मांग करते रहे, चारा-पानी व्यवस्था की मांग करते रहे, इन्होंने खर्च नहीं किया, 156 करोड़ रुपए बचा कर अपने बजट में ट्रांसफर किया। इसका नतीजा आपको मालूम है। वित्त मंत्रीजी, उस टाइम में बजट भाषण पढ़ रहे थे, भारत सरकार को बड़ा दोष दे रहे थे कि प्राकृतिक आपदा कोष में हमारा हिस्सा 14 प्रतिशत था, वह 10.39 प्रतिशत रह गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 156 करोड़ रुपए वित्त मंत्रीजी, अगर आप खर्च कर देते तो 14 से भी ज्यादा आपको मिलता, पर आपने खर्च नहीं किया,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया, इसलिए भारत सरकार के नियमों के तहत आपका यह प्रतिशत कम हुआ। फिर भी भारत सरकार का आज की तारीख में प्राकृतिक आपदा कोष में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और वह है 1143.81 करोड़, जिसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार का और 25 प्रतिशत राजस्थान सरकार का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार कुछ करना नहीं चाहती। इनको कहेंगे कि आपने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया तो ये कहेंगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया। राजीव गांधी और वह भी नाम लेंगे स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार हमारे गांव वाले बता रहे थे, गांवों में एक व्यवस्था है शिक्षा मंत्रीजी कि स्कूलों को चैक करने इंसपेक्टरजी जाते हैं। कोई मास्टर कैसे पढ़ाता है, कैसे नहीं पढ़ाता है, यह देखते हैं। एक गांव में गया, सैकण्डरी स्कूल में भूगोल का विषय पढ़ा रहे थे, अध्यापकजी पढ़ा रहे थे, यह गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल कर पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। इंसपेक्टर ने कहा कि यह क्या पढ़ा रहे हो मास्टरजी? उन्होंने पूछा, कहां गिरती है? उन्होंने कहा कि इस तनख्वाह में तो अरब सागर में ही गिरेगी, अगर ज्यादा तनख्वाह करो तो बंगाल की खाड़ी में ले आऊं। आप बताइए हमारे बच्चों का, गांव वाले बच्चों का भविष्य कौनसे सागर में पटकना चाहते हैं। डुबोना चाहते हैं? एक पहली क्लास में पढ़ाने वाले को पांच हजार रुपया मिलता है और एक पढ़ाने वाले को आप बारह सौ रुपये दे रहे हो। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुष्नीति से जो योजनाएं बन रही हैं, गांवों के बच्चों का आधार कमज़ोर करने का जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी योजनाएं ये ले रहे हैं। (व्यवधान) अभी मंत्रीजी कहेंगे कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, फेमिन के अंदर बहुत सही कामकाज हो रहा है, 40-40 आदमी एक-एक पंचायत में काम कर रहे हैं, जिस दिन भी मस्टर रोल में नाम होता है उस दिन लड़ाइयां होती हैं, भेदभाव होता है, कहते हैं ये इस पार्टी के हैं इनका नहीं लिखेंगे। और मंत्रीजी आपको मालूम है, आपने एक आदेश दिया था, निर्देश कि मैट ग्राम पंचायत के कहने से लगेगा, आपके ऊपर दबाव पड़ा, आपने राजनीतिक फैसला लिया कि पी.डब्ल्यू.डी., इर्रिगेशन और दूसरे डिपार्टमेंट में मैट विभागीय अधिकारी लगाएंगे, महज आपके एम.एल.एज. के कहने स और एम.एल.ए. नहीं है तो आपके हारे हुए एम.एल.ए. के कहने से, आजकल यह भी एक थ्योरी चल रही है कि साहब कांग्रेस का हारा हुआ एम.एल.ए. यह है, अब यह भी एम.एल.ए. आपने बना दिए, लैटर पैड चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जीते हुए का लैटर पैड देखा, हारे हुए का लैटर पैड कांग्रेस एम.एल.ए. का ही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दें।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : यह स्थिति पता नहीं कांग्रेस ने कैसे प्रारम्भ की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रत्याशी विधान सभा क्षेत्र का भी हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलने दें।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कहा....(व्यवधान) हमारे मुख्य मंत्रीजी अकाल को विकास में बदल देंगे। + + + हमारे राज के अंदर आठ आने मंजदूरी दी जाती थी तो आठ आने पक्के काम के लिए, सामग्री के लिए पैसे दिए जाते थे। आज टोटल कच्चे काम करवा रहे हो, कौनसा विकास कर दोगे, मुझे समझ में नहीं आता है। सारे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अकाल से विकास ऐसे नहीं जुड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहायता मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो पैसा दिया प्राकृतिक आपदा कोष में आपका अंशदान, इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने अगर राजस्थान की जनता को बचाने के लिए, चारे-पानी की व्यवस्था करने के लिए अपने बजट से एक रुपया भी खर्च किया हो तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। जो पैसा भारत सरकार दे रही है वह पैसा....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : 2056 में 317 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने अपने बजट से खर्च किए। 565 करोड़ रुपए खर्च किये....

श्री सावंर लाल : अब किये हैं। यह पच्चीस प्रतिशत के अलावा आपने एक रुपया नहीं दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 25 प्रतिशत के अलावा 317 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने अपने खजाने से खर्च करके राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाई है।

श्री सांवर लाल : एक रुपया खर्च नहीं किया, फंस जाओगे, बहुमत है इसलिए फंस नहीं पा रहे हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपकी केन्द्र सरकार 123 करोड़ रुपये देकर थक गयी। राजस्थान सरकार ने 565 रुपए खर्च किये, 565 करोड़ जिसमें 217 करोड़ सी.आर.एफ. ....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जनता सड़कों पर आ रही है, भूखों मर रही है, यह आपने देख लिया, इतना आपको रेसिस्ट करना पड़ा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जरा आपकी सरकार के आंकड़ों को देख लो, 1995-96, 1994-95, याद है आपको, आप ही मंत्री थे, एक-एक-दो-दो को काम पर लगाया, कितने लोगों को काम पर लगाया?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता, लोग सड़कों पर आ रहे हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 1993-94 में 22,856 गांव अभावग्रस्त थे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तीसरे साल अकाल पड़ रहा है, कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दो, हवन पूजन करवा दो आप, विधान सभा का करवा रहे थे, वह भी टल गया, पता नहीं आपके.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बोलने वाले हैं, सीनियर लोगों को तो कहिए कि जरा सुनें। सुनने का माद्दा रखें, + + + सरकार को। सरकार को + + +

श्री सांवर लाल : इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एतराज का सवाल नहीं, समय का सवाल है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी बोलें, बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री सांवर लाल : रामलीला मैदान में रैली हुई थी। सारे अखबारों में लोगों के विचार छपे थे कि हमको फेमिन में लगाने का झांसा दे दिया, ये झांसा देकर यहां लाए हैं, तो यह झांसापट्टी लम्बे समय तक चलने वाली नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या बहुत गम्भीर है, उधर तो राम रूठ गया, बरसात नहीं हो रही मुख्य मंत्रीजी, और जो बांध भर सकता है बीसलपुर जिसमें नदी और 99 नाले आते हैं , बना हुआ पूरा है, केवल बांध को भराव क्षमता तक रोकना है मुख्य मंत्रीजी, आज 20 प्रतिशत पानी स्टोरेज कैपेसिटी है, केवल 100 करोड़ रुपए का मुआवजा देना है, अगर ये 100 करोड़ रुपए विस्थापितों को आप मुआवजा दे देते तो आज यह राजस्थान और टौंक जिले में, अजमेर जिले में, जयपुर में पीने का पानी और सिंचाई के लिए कोई संकट नहीं होता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य मंत्री हो राज का बहुत बड़ा खजाना होता है, किसी न किसी कोने से 100 करोड़ रुपए निकाल कर यह व्यवस्था तो आप करवा दें जिसमें इन जिलों के और राजस्थान के लोग-बाग आपको याद रखेंगे। मुख्य मंत्रीजी, भारत सरकार का तो बहुत कर्जा है। राजस्थान सरकार पर, कर्जा हर तरह से आपने लेने में कोई कमी भी नहीं रखी। पर आप बार-बार यह एक स्टेटमेंट जारी कर देते हो, भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि यह समर्थन मूल्य, यह गेहूं का, यह कपास का, यह फलाने जौ का है या इस फ़सल का है, उसके बाद सरकार खरीद ले, कहां आपत्ति आ रही है। हर चीज में कहते हो कि पैसा भेजो, पैसा नहीं भेजेंगे तो क्या आप खरीदेंगे नहीं? क्या राजस्थान की जनता को राहत देने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या भारत सरकार आपको पैसा देगी नहीं, आपको इतना अविश्वास है? यह तो नीति है माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप खरीदेंगे, हिसाब बनाकर भेजेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। इसलिए राजस्थान के

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

लोग-बाग ज्यादातर हिस्से के तो वैसे ही पीड़ित हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फटाफट यह व्यवस्था चालू करवाओ। इस समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी दायमा। समाप्त हो गया, आपके पास मैटर ही नहीं है। विराजो।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो बात और कहने दो मेरे को।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो।

श्री सांवर लाल : आज राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अन्दर पेंशन जिनको मिलती थी, जांच के नाम पर आपने रोक ली, कई पेंशन तो भारत सरकार देती है उनको भी रोक लिया, वे बूढ़े-बूढ़ी गांव में बैठे-बैठे दुराशीष दे रहे हैं कि अस्यो नकामो राज आगो कि जो म्हाने पैंशन मिली वाही रोक दी। मुख्य मंत्रीजी, इसमें दर्द लेकर आप जानकारी करिए कि राजस्थान की किस-किस पंचायत समिति में किस-किस की पेंशन मिलती थी, कैसे रुक गई? आज अकाल की हालत, पानी पीने की समस्या, असहाय लोगों के प्रति थोड़ा सा हमारा निवेदन है कि आप गम्भीर होइए। बिजली का मामला तो बता ही दिया, घोषणा पत्र में आपने यह लिखा, लोग-बाग भी कहते हैं कि कांग्रेस आ जावे तो रड़क निकाल द्या, बेटा बोलता कांई और आजकल कर कांई रह्या है, सारा काम उल्टा कर रह्या हैं। सारे उल्टे। रेट कितनी बढ़ा दी आपने, 52 पैसे से 95 पैसे, नर्सरी योजना खतम कर देंगे, किसानों के हमदर्द रह जाएंगे, बता दो कहां-कहां हमदर्द रहे, एक-दो जगह बता दो। आपने हर जगह बिजली में पैसा बढ़ाया है, बिजली की कटौती की। इसलिए आप बिलकुल फेल्योर रहे। जनता के बीच में जो भी आपने वायदे किये हैं, उसका उल्टा काम किया और जनतंत्र में आप जानते हो कि जुबान चलती है। आज आपकी जुबान उलटी चली तो आपकी जनता में जाने की हिम्मत नहीं है। बेरोजगारी की हालत देख ली, जिनको आपने रिटायर किया, उसके बाद नौकरी किसी को दी नहीं, कोई पद आप भरना नहीं चाहते हो। कानून और व्यवस्था की हालत देख लीजिये। आपके राज में अब अपराध भी हम पढ़कर सुनाये। आपके पास तो आंकड़े आते हैं, अब यहां पर तो आप वैसे ही इधर-उधर की बात करो तो अलग बात है, बाकी आप जानते हो कि हत्या, लूटपाट, बलात्कार, साम्प्रदायिक तनाव सारी घटनाएं आपके राज में बढ़ीं। आज राजस्थान की हालत यह हो गई है, नसीराबाद की स्थिति ले लो, चाहे ब्यावर की ले लो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगत सिंहजी, प्लीज। श्री जगत सिंहजी। विराजिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बहुत हो गया।

श्री सांवर लाल : ...मुख्य मंत्रीजी, दो महीने का समय है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि राजस्थान की जनता के लिए

(श्री सांवर लाल)

काम-काज खोलिये। मंत्रीजी, आपने पहले भी अजमेर जिले की बिल्टियों के बारे में कहा था, अभी तक वह जांच लम्बित है और इस बार चारे की व्यवस्था कोर्ट कर ही नहीं रही हैं एजेंसियां, चारे की हालत खराब है, पशु मर रहे हैं या सूने छोड़ रहे हैं। इसलिए इस मामले को थोड़ा सीरियसली लेकर मानवीय आधार पर लेओ आप। यह कोई राजनैतिक आधार पर नहीं है। यह मानवीय दृष्टिकोण है और यहां पर भी भारत सरकार और आप मिलकर मुकाबला कर रहे हो तो वहां पर फील्ड के अन्दर भी प्रतिपक्ष के और सारे लोग-बाग बैठ कर जरूरत के मुताबिक काम-काज करें और जरूरत के मुताबिक लोग लगें, ऐसी व्यवस्था आप करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी धन्यवाद।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का प्रचण्ड बहुमत....

श्री हरिसिंह (महुवा) : पढ़कर आये हो क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो ना।

श्री जगत सिंह दायमा : भाई, मैं तो ऐसा है, मैं तो इन आंकड़ों-पांकड़ों में पड़ता नहीं। मैं तो मेरी जो समझ में आता है, वह बात कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ख्याल करिये। (व्यवधान) बोल ही नहीं रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे खुशी हुई कि पहली बार, पिछली बार जो मनुवादियों की सरकार थी....(व्यवधान) जब मैं साझे में था तो मैं + + + खींच देता था, उन मनुवादियों की सरकार थी, उस समय जनता ने कई साल तक उनको भोगा और विशेष कर उस वर्ग ने, जिस वर्ग ने कांग्रेस को आज 153 की संख्या में पहुंचाया। विशेष कर दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। इस वर्ग ने 5-7 साल इनको मौका दिया मगर 5-7 सालों में वह हालत इन्होंने पैदा कर दी कि इतने अत्याचार उस राज में हुए कि कांग्रेस को पुनः शासन में जनता को लाना पड़ा....

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपकी बात आपके नेताजी सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उससे भी ज्यादा जब खुशी हुई, मैं सोचता था कि कोई न कोई मनुवादी ही फिर कांग्रेस में मुख्य मंत्री बनेगा परन्तु मुझे पहली बार बड़ी खुशी हुई कि एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्य मंत्री बना। मैं माननीय अशोक जी गहलोत का शुक्रगुजार तो क्या हूं, मैं तो हूं भी खैर वैसे तो, परन्तु अभी मैं बताना चाहता हूं कि मेरा मन था कि मैं कोई न कोई महामहिम के अभिभाषण पर उनका समर्थन करूं, परन्तु मैं तीसरा यह अभिभाषण देख

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

रहा हूं। पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है मुख्य मंत्री, इसलिए मन तो उनके साथ है कि ये तरक्की करें, इनके राह में कोई झंझट नहीं आये, कुछ समर्थन-वमंर्थन की जरूरत पड़े तो हम भी तैयार हैं। परन्तु दुःख इस बात का है कि जो आशाएं मैंने सोच कर इनमें देखी थी, वह पूरी नहीं हुई है किसी तरह भी। (व्यवधान) मैं संतुष्ट नहीं हुआ और उसी वर्ग की जिस वर्ग ने उस मनुवादी को कुर्सी से हटाकर दूसरे लोगों को सत्ता में बैठाया, अभी भी उनकी ही चल रही है और मुझे दुःख इस बात का है कि सब कुछ करते हुए भी इतनी मेहनत कर रहे हैं परन्तु उसके बावजूद भी श्रेय मुख्य मंत्रीजी को किसी प्रकार का नहीं मिल रहा है, न कांग्रेस को मिल रहा है। आज मैं देखता हूं तो यह देखता हूं, दलित वर्ग के ऊपर मेरी नजर जाती है तो अत्याचार ही अत्याचार, जैसा इनके राज में होता था, ऐसा हो रहा है। पिछड़े वर्ग को, उसको कुछ नहीं मिल रहा, वह भी आज रोज के रोज यह हालत हो रही है। अल्पसंख्यक वर्ग में हम चाह रहे थे कि इसमें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा परन्तु आज हर जगह दंगे हो रहे हैं। मोहर्रम इधर निकाला जाता है और दंगे उधर शुरू हो जाते हैं। इस अल्पसंख्यक वर्ग ने तो पूरी तरीके से इनको तो एक वोट दिया नहीं औरर आपको पूरी तरीके से वोट दिये और तब जाकर 153 की संख्या पर आप आये। परन्तु ऐसी हालत खराब हो रही है कि इस साल-दो साल के अन्दर-अन्दर कभी टोंक में झगड़े, कभी मालपुरा में झगड़े, कभी राजसमन्द, झालरापाटन, मसूदा, ब्यावर, नसीराबाद, सूरतगढ़, लक्ष्मणगढ़, लोसल और जोधपुर में पीपाड़। मैं इस बात को मानता हूं, इस बात के लिए कि इसमें मनुवादियों का हाथ है और विश्व हिन्दू परिषद् इसके बीच में मुख्य कारण है इस बात के लिए परन्तु मुख्य मंत्रीजी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर सब कुछ हो रहा है। अपराध भी है, अपराधी भी हैं, सब कुछ हो रहा है परन्तु उसके रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है? रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, आप इससे बच नहीं सकते। ये लोग तो अपना राज लाने के लिए जरूर कुछ न कुछ शगूफा छोड़ेंगे और ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि फिर इस तरीके से जनता के मन में यह बात आ जाये कि इनसे तो पहले ही चोखा राज था। तो ये तो ये करेंगे परन्तु आपका पुलिस विभाग, आपके एम.एल.ए., यह सारा काफिला आखिर में कहां सो रहा है। इतनी-इतनी जगह दंगे हो रहे हैं और उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कि बता रहा था, यह राज में कुछ न कुछ फर्क करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि भा.ज.पा. का राज आया फिर कांग्रेस का राज आया। कोई असमानता नहीं, बिलकुल समानता है, उसी तरीके से। इसलिए कोई चेंज तो दिखाई देना चाहिए ना और चेंज तभी दिखाई देगा जब आप कुछ करोगे। किनके लिए। जो कुछ समाज में है नहीं, जिसकी आवाज नहीं है, जिसकी कोई

(श्री जगत सिंह दायमा)

शक्ति नहीं है, जिसकी कोई एक तरह से कहना चाहिए, संगठन नहीं है। अगर उस वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया तो आखिर में कोन करेगा उस वर्ग के लिए। आपने किसी तरह की बात नहीं, आपने एक ही ध्यान दिया, वही मनुवादी बात। महात्मा गांधी की तो आपने स्टेच्यू लगा दी परन्तु भीमराव अम्बेडकर की आपने स्टेच्यू नहीं लगाई इसीलिए राष्ट्रपति जी नहीं आये। (व्यवधान) इसीलिए राष्ट्रपति जी नहीं आये....

श्री सांवर लाल : आप तो अभी चरण सिंहजी का नाम लेओ। (व्यवधान) आप एम.एल.ए. भी चरण सिंहजी के नाम से बने हो, उनका नाम लेओ। (व्यवधान) + + + है क्या.... (व्यवधान) नाम लेओ कभी मुंह से।

श्री जगत सिंह दायमा : बैठो .बैठो। चरण सिंहजी मेरे आपसे पहले राजनैतिक गुरु हैं। (व्यवधान) मेरे राजनैतिक गुरु हैं पहले, आप बैठ जाओ। आपको क्या पता है। वैसे ही खा-पीकर घूमते रहते हो आप। तो मैं कहना चाहता हूं, आपको यह तो ध्यान रहा....

श्री सांवर लाल : नाम सुनने में भी तकलीफ हो रही है क्या जिसकी वजह से बन गये इस विधान सभा में...

श्री जगत सिंह दायमा : भाई, मैं कह रहा हूं, मैं बना हूं।

श्री सांवर लाल : नाम तो ढंग से बोलो, श्रद्धा से बोलो, उसकी वजह से विधान सभा में पहुंचे हो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, इन्होंने तो अपने चुनाव में कहा और इन्होंने जो भी चुनाव लड़ा, नया चिह्न और नई पत्नी के साथ लड़ा हुआ है।

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसा है धर्मपाल जी, फिर वहीं बात आ जायेगी। फिर आप माफी मांगते डोलोगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मैं काहे की माफी मांगूगा आपसे। (व्यवधान) अगर यह वहम है ना....

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी लड़ाई तो करवाने वाले आप खुद ही हो। अबकी बार तो आप आ गये हो, पर माफ करना, अबकी बार ऐसा मत कर देना।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो जगतसिंह जी, बानसूर से आने वाली माननीय विधायकजी, 1993 में कहां से चुनाव लड़ा, 1995 में कहां से चुनाव लड़ा और 1998 में कहा थ और उससे पहले कहां थे, इस बात को छोड़ो, आप अपनी बात को सीधे-सीधे सरकार को बताओ। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि शराब पिलाकर के यहां पर आ जाऊं। मैं तो अपनी बताऊं....

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप क्या कर सकते हो, ऐसा है अगर ऐसें ही शराब पिलाने से सब जीत जाय ना तो पता नहीं, कितने ही लोग जीत जाते....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपाल जी।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका नम्बर आये तो फिर क्यों बार-बार टोकते हो? उनको क्यों टोका है बीच-बीच में? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो विश्व हिन्दू परिषद् से हो क्या? आप दंगे करा रहे हो? आप खुद चिढ़ रहे हो जो बात कह रहे हैं। आप मनुवादी हो क्या (व्यवधान) आप सुनो चुपचाप। बोलने दो इनको। बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी :ये जो बात कर रहे हैं वह....

श्री जगत सिंह दायमा : बैठ जाओ आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, आपके कहने से तो बैठेंगे नहीं, आपके कहने से नहीं बैठेंगे,....(व्यवधान) अपनी मर्जी से बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, मेरे कहने से बैठ जाओ।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय चौधरी चरण सिंहजी का जिक्र आता है, मैं उनका पक्का चेला हूं और आज भी उनकी फोटो मैं अपने घर पर रखता हूं। आज आपके देवीलालजी गुजरे तो आप कहीं नहीं दिखाई दिये, मैं उनको श्रद्धांजलि देने दिल्ली में पहुंचा था और आप लोग यहां पर + + +

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है...

श्री जगत सिंह दायमा : ये दोनों के दोनों।

श्री धर्मपाल चौधरी : + + + (व्यवधान)।

श्री जगत सिंह दायमा : दोनों के दोनों...

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, चौधरी चरण सिंह के प्रति श्रद्धांजलि और आप क्या-क्या करते हो, इन बातों को तो छोड़ो....

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपालजी, समाप्त....

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई बुरी जिन्दगी आप जैसी बीती है न, इन जिन्दगी के बारे में इनके क्षेत्र की जनता जानती है कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपत्ति का शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है इसको कार्यवाही से निकाला जाय.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : + + + शब्द निकाल दो। निकाल दिया, निकाल दिया।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : इनके पास भी पैसा है....(व्यवधान).... यह कोई आपके मोहताज हैं और चुनाव जीता है, उप चुनाव अपने दम पर जीत कर आये हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : निकाल दिया। विराजें, विराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना : गरिमामय शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपालजी, समाप्त करने दो उनको।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, + + + बात कही है, अगर गलत है तो + + + ही खतम कर दिया जाय। मैं कहता हूं....

श्री धर्मपाल चौधरी : यह आपके हाथ में है और मुख्य मंत्री....

श्री जगत सिंह दायमा : मैं कहता हूं इस बात को अगर किसी को गलत लगती है, यह आप सुनिये....

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, अगर आपके हाथ में है और मुख्य मंत्रीजी आपकी मानते हो तो बंद करा दो।

श्री जगत सिंह दायमा : या दोनों आप घोषणा करो खड़े होकर के कि हम गऊ का पकड़ करके, बच्चों की कसम उठाते हैं, गीता का आदर करते हैं, कि हम कभी + + + नहीं पीयेंगे। मैं कहता हूं विधान सभा में कि मैं कभी + + + नहीं पीता। मेरी विधान सभा में घोषणा है कि मैं कभी + + + नहीं पीता। मैं कभी चाय नहीं पीता। मैं पान नहीं खाता। मैं....

श्री धर्मपाल चौधरी : कौन क्या खाता है और कौन क्या पीता है, इसके बारे में....

श्री जगत सिंह दायमा : क्या इस तरीके से काम कर सकते हो....

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपालजी, अब समाप्त करने दो, काहे को बहस कर रहे हो, विराजें प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह भी कसम खा लो कि + + +

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे इलेक्शन में, उपाध्यक्ष महोदय, + + + को आफिस में नहीं घुसने देता हूं और आपके यहां तो लाइन लगी रहती है।

श्री धर्मपाल चौधरी : इस विधान सभा में यह बता दो कि + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय जगत सिंहजी, मात्र आठ मिनट बचे हैं....

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बोल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप उनका जवाब क्यों दे रहे हैं, आप अपनी बात कहें न।

श्री जगत सिंह दायमा : तो इनको बंद करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, अभिभाषण से सम्बद्ध क्या बात है....

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप टापिक पर बात कहें तो बंद हो जायेंगे वह।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका....

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर बोलें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बद्ध क्या बात हुई उपाध्यक्ष महोदय। आप इनको बैठाइये, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सम्बद्ध क्या बात है, यह साम्प्रदायिक दंगे करा रहे हैं अल्पसंख्यकों को भड़का कर।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार वैसे ही + + + करवा रही है और ऊपर से विश्व हिन्दू परिषद् के मामले कह गये, क्या मतलब है यहां पर विश्व हिन्दू परिषद का नाम लेने का।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको कोई अधिकार नहीं है विश्व हिन्दू परिषद का नाम लेने का। यह विश्व हिन्दू परिषद का नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्यों साम्प्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं.... (व्यवधान) जो + + + ...

श्री जगत सिंह दायमा : यह जो कर्म ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हो आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह विश्व हिन्दू परिषद् पर लांछन की बात करते हो, जो + + +

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + खुल्लमखुल्ला कहता हो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरे भी है।

श्री जगत सिंह दायमा : + + + (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या है, माननीय सदस्य, यह क्या है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + + बीच में बोलते हो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई विधान सभा में बैठे हो, कहां बैठे हो। क्या है यह। नहीं, ऐसे नहीं। इट इज नॉट अलाउड। नहीं, कतई नहीं, गलत बात है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्यों जूते दिखाये इधर....(व्यवधान) यह कहकर के साम्प्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जूते निकाल कर सदन में

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दिखाये, सदन से निकाल दीजिये इनको। क्या तरीका हुआ यह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जूते दिखाये हैं, यह बहुत गलत तरीका है, आप प्रताड़ना दीजिये आसन की तरफ से, ऐसे कैसे चलेगा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां जा रहे हैं। (व्यवधान) यह कहां जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप अभिभाषण से सम्बद्ध बात कहिये, अभिभाषण से सम्बद्ध बात तो कोई कहनी नहीं है.... (व्यवधान)..... तो अभिभाषण से सम्बद्ध बात कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ, यह रोकने का काम चेयर का है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, एक मिनट। बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह रोकने का काम इनका नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मौजूदगी में जूता दिखाया है, यह कहां का तरीका हुआ। हम हर मामले में आपका साथ देते हैं फिर इस तरीके की बात....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या मनुवादी होता है, साम्प्रदायिकता भड़काते हो और झगड़ा करवाते हो। + + + करने के अलावा और कुछ नहीं है। + + + (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई तरीका नहीं हुआ। अगर हम संख्या में दो हैं तो यह संख्या बल के आधार पर आप उनको कहते हो और उनके बाद आप करो यह बात....

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या मतलब है मनुवादी का और विश्व हिन्दू परिषद् का, किस पर आरोप लगा रहे हैं....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बरदाश्त नहीं किया जायेगा....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभिभाषण पर कुछ बोलना नहीं है, बोलना आता नहीं अभिभाषण पर, राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : जूता किसको दिखा रहे हैं यह, किस को जूता दिखा रहे हैं यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक विपक्षी दल, कृपा करके ऐसी एक्टिविटीज बंद कराइये। यह बरदाश्त नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : यस, यह बरदाश्त नहीं करा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह कतई नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह अभिभाषण पर बोलें....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजिये। नो, नॉट अलाउड, क्या बात करते हैं आप।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : जूता दिखा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस वर्ग की पैरवी करता हूं या राजनीति करता हूं, जिसकी सेवा करता हूं....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, व्रि शब्द तो हटवा दीजिये जो उन्होंने काम में लिये, वह रिकार्ड पर आ गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, अब विराजें आप, विराजें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जो शब्द उन्होंने काम में लिये हैं....

श्री जगत सिंह दायमा : आप बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : उसको देख लेंगे, विराजें। करा देंगे। देख करके कर देंगे। आप बोलें।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हू, भरी उसमें, हर आदमी अपना हलफनामा दें, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हर आदमी अपने व्यक्तिगत लाभ के अन्दर अपनी बात कहे, अगर कहीं इन लोगों से नीचे आ जाऊं, इनसे, तो + + + । इस तरह की बात जो + + + वह आज हमें ज्ञान दे रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये। चेंज करिये इसको।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अशोकजी गहलोत साहब से मैं निवेदन कर रहा था कि आप यह बात तो नहीं भूले कि आपने गांधीजी की स्टेच्यू सैक्रेटेरिएट में लगा दी। मैं यही बात कर रहा था और इस बात को लेकर के इनके दर्द हो गया, पता नहीं क्या बात है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अपनी बात करें न, फिर वापस उसी पर आ गये।

श्री जगत सिंह दायमा : खुद + + + और गांधी के नाम पर इस तरह की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस वर्ग ने आपको 153 की संख्या पर पहुंचाया है, आखिर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले, उनको रास्ता दिखाने वाले, प्रगति पर लाने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले जिसकी हम देवता के समान पूजा करते हैं, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसकी मांग चल रही थी कि नई विधान सभा बन रही है, संविधान जिसने बनाया है, जिसके अध्यक्ष वह रहे हैं, जहां संविधान बनता है, अगर वहां पर अभी मूर्ति नहीं लगाई जाय तो कहा लगेगी। इस बात को राष्ट्रपतिजी समझ गये और आपके पन्द्रह लाख रुपये खराब हो गये। पन्द्रह लाख रुपये आपके खराब नहीं होते अगर यहां भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लग जाती तो माननीय राष्ट्रपति यहां पर जरूर आते।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपतिजी तो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं आ पाये।

श्री उपाध्यक्ष : सब जानते हैं वह तो। इनको कहने दीजिये जो कह रहे हैं। सब जानते हैं इस बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह भी एक कारण है। एस.सी., एस.टी. के एम.पी. उनको मिले थे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उससे क्या हुआ। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह कारण भी हो सकता है, यह भी एक कारण है, आपको इस पर भी सोचना पड़ेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है, सबसे जड़मूल बात तो यह है कि कानून-व्यवस्था

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय, अभी तो मैंने शुरू किया है।

श्री उपाध्यक्ष : तीन मिनट और हैं आपके, मर्जी आये जो बोलें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अब मेरा अगर यह खराब कर दें तो, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है, बताओ आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है, यहां पर जो दलित वर्ग है आज भी उसका वही हाल है जो मनुवादियों के राज में था। आज भी घोड़ी पर चढ़कर अगर वह शादी करने जाता है तो आज भी मनुवादी उसको शादी करने नहीं जाने देते। आज इस तरह का हाल हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लैटर मेरे हाथ में है। टिब्बी जो हनुमानगढ़ जिले में है, उसमें एक व्यक्ति जिसकी औरत को बच्चा होने वाला था, डाक्टर के यहां 31 दिसम्बर, 2000 को जाता है और वहां एक डाक्टर हैं एन.पी. शर्मा, उस गरीब आदमी से पांच सौ रुपये मांगते हैं। पांच सौ रुपये जब वह नहीं दे पाता तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि आज भी हमारे दलित वर्ग को उलटे-सुलटे शब्दों में, चूड़ा-चमार जैसे शब्दों में आज भी उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम आखिर में कब इस बात को करेंगे। दूसरी तरफ अगर कहीं भीमराव अम्बेडकरजी की स्टेच्यू लगा दी जाती है तो मनुवादी लोग उसके आस-पास अपनी दुकानें बनाकर उस जगह को घेर लेते हैं। आज हर....

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : यह बात बिलकुल असत्य है, बिलकुल असत्य है, कोई सच्ची नहीं है। यह सब ना कर बात, वह डाक्टर के विरोध में बोल रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आज मेरे पास में यह जितने भी कागज हैं....

श्री आदराम मेघवाल : बोलने से चाहे कुछ कह दो, कहने से क्या होगा, मेरे को पता है, मेरे क्षेत्र का काम है यह, बात है यह....

श्री जगत सिंह दायमा : यह कम से कम क़ागज हैं तैंतीस, बाकी यह सब अटैची भरी पड़ी है।

श्री आदराम मेघवाल : आज तक मैंने कोई + + + बात ऐसी नहीं होने दी है, न होगी आगे।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सारे मैं इसलिए लाया था कि दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आज कानून-व्यवस्था ऐसी बिगड़ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज किसी भी वर्ग को एक तरीके से शांति नहीं मिल रही है। आज किसान वर्ग है, वह आपसे नाराज, अधिकारी वर्ग है वह आपसे नाराज, आज जो मुसलमान हैं वह असंतुष्ट, तो मुझे आप बताइये तो सही, राज में इतना पैसा भी लगा रहे हैं, इतना काम भी कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है तो आखिर में यह असंतोष क्यों है? इसलिए व्यवस्था में फर्क है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि आप मनुवाद से बाहर आयें। डरने की बात नहीं है। जब तक आपकी उसमें ताकत है तब तक आपको कोई हटा नहीं सकता। आप अच्छे-अच्छे पदों पर दलित वर्ग के लोगों को जिनको आपने छोटे-छोटे पदों पर दूर फेंक रखा है उन लोगों को सैक्रेटेरिएट में बैठाइये। आपने कहीं गुप्ता, कहीं सुप्ता, कहीं पंडित, कहीं शर्मा, कहीं कुछ-कहीं कुछ ये लगा-लगाकर पटक रखा है इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है। आज बजट लीक हुआ तो इसलिए हुआ कि किनके हाथ में था, क्या आपको पिछड़े वर्ग का आदमी कोई दिखायी नहीं दिया। अगर बजट लीक इस तरीके से होता है तो आखिर में कौन है उसका ज़िम्मेदार और फिर हमसे कहते हैं कि शांति होने दो। हम भी कहते हैं कि शांति होने दो क्योंकि बाहर जनता हम पर भी हंस रही है कि पका आये तीन सौ रुपये, इसलिए हमने समझौता कर लिया। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, थोड़ा सा कड़ा ही रखो ऐसे नरम मत करो। अभी आप वहां पर बातचीत करने गये, माननीय धारीवालजी भी बात करने चले गये। ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जो सारे बनिये-बनिये इक्कट्ठा हो करके बात करते हैं। इसलिए जो गरीब लोग हैं आखिर में उनकी भी बात सोचनी चाहिए। मैं माननीय अशोकजी गहलोत साहब को कहना चाहता हूं कि बहन मायावती का एक बार साढ़े चार महीने राज रहा, एक बार 6 महीने राज रहा। साढे चार महीने के राज में उन्होंने कानून-व्यवस्था को ऐसा ठीक कर दिया, आंकड़े बताऊंगा मैं आपको कि कानून-व्यवस्था किस तरह से ठीक हुई। कानून-व्यवस्था इसलिए ठीक हुई कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले कौन हैं? कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले कौन है उनको आप अच्छी तरीके से पहचानवा सकते हो और जिस तरीके से बहन मायावतीजी आने के साथ 1,43,000 गुंडों को बंद किया तो अपराध अपने आप डाउन हो गया। आपने कितने लोगों को एन.एस.ए. लगाया, कितने लोगों की हिस्ट्री

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

शीट खोली है? कितने लोगों के साथ आपने इस तरह से किया ताकि वो अपराध नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे जो शेष समय है वो माननीय अशोकजी ठीक तरीके से करें तो उनको मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं इसलिए दो मिनट का, चार मिनट का समय और लेना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष अपराध नियंत्रण अभियान बहन मायावती ने चलाया, 1,43,000 गुंडों को बंद किया। जब साढ़े चार महीने का उनका राज रहा तो लूट में 33 प्रतिशत गिरावट आयी, डकैतियों में 49 प्रतिशत की गिरावट आयी, हत्याओं में 18 प्रतिशत की गिरावट आयी और फिरौती लेने और अपहरण में 28 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप गुंडे और बदमाश जो साम्प्रदायिक माहौल को खराब करते हैं, उनको चिह्नित नहीं कर सकते। आप चिह्नित कर-करके बंद करें फिर हम देखते हैं कि किस तरह से यह साम्प्रदायिक माहौल खराब होता है। इसलिए यह सारा काम आपको करना पड़ेगा और नहीं तो आएंगे और चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, फिर तीसरे चले जाएंगे। कोई न कोई परिवर्तन आपको करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था में इतनी जो ढिलाई यहां पर आयी उसके लिए तो आपको कड़ाई से काम करना है परन्तु समाज में परिवर्तन कैसे लाना है, समाज मे परिवर्तन कब आएगा, उपाध्यक्ष महोदय, इन राज्यपाल के भाषणों को पढ़वाने से नहीं आएगा। और एक बजट बना दिया, बजट तो बनाते हो परन्तु लीक हो जाता है और लीक बजट ही नहीं होता, आगे जा करके जो दिमागधारी लोग हैं वे उसमें भ्रष्टाचार कर-करके अपनी जेब भर रहे हैं। तो ये बजट से और इनसे कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है जब तक आप पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को सम्मान नहीं देंगे तब तक परिवर्तन समाज में आने वाला नहीं है। आपको चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जगह-जगह पर आप जा करके स्टेच्यू लगायें। आपके आने के बाद राजस्थान में सिर्फ दो जगह स्टेच्यू लगी क्योंकि पिछड़े वर्ग का माली जाति का लड़का मुख्य मंत्री बन गया तो ध्यान गया महात्मा ज्योतिबा फूले पर। इससे पहले क्यों नहीं लगायी? मैं अलवर में कई साल से संघर्ष कर रहा था कि महात्मा ज्योतिबा फूले की स्टेच्यू लगे। कई बार फाइल आयी और कई बार यहां से आ करके फाइल गयी। क्योंकि कोई मनुवादी व्यक्ति की लगती, किसी नेता की लगती जिस तरीके से, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले राज में चौराहे पर, गली-गली में देख लीजिये किस तरीके से स्टेच्यू लगी पड़ी है। महात्मा ज्योतिबा फूले बहुत बड़े महात्मा थे, व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने शिक्षा शुरू की, नारी की शिक्षा शुरू हो। दलितों की पढ़ाई शुरू हो, समानता का व्यवहार हो, जाति-पांति मिटे, ये जो

(श्री जगत सिंह दायमा)

पंडापोल चल रहा है ये खतम हो और आप भी उसमें पड़े हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को कहना चाहता हूं कि अखबार में आता है। क्या आता है अखबार में कि माननीय सोनिया गांधीजी जयपुर पधार रही हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो फिर उसकी मीटिंग कहां करायें, तो मीटिंग के लिए जगह तलाश करवायी आपने, बड़ी जगह तलाश करवायेंगे तो आपने बड़ी जगह देखी। आपने कहा कि रामलीला मैदान में करवायेंगे, फिर आपने कहा कि आदमी बहुत आएंगे यहां तो, इसलिए रामलीला मैदान में तो 10 हजार से ज्यादा आदमी आते नहीं हैं ज्यादा से ज्यादा भिच-भिचाकर 15 कर लो। तो फिर इसके बाद आपने कहा कि ये जो मेडिकल कालेज ग्राउंड है यहां पर करवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, फिर कहा कि मत कराओ क्योंकि नरसिंहारावजी वहां पर आये थे इसलिए ये जो जगह है यह अशुभ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दर्द के साथ, बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोग अगर पाखंड करेंगे, अगर तंत्र और मंत्र से चलेंगे तो फिर आखिर में जनता को लूटने वाला कौन है जो नहीं लूटेगा। आज होटलों में तंत्र-मंत्र बताने वाले लोग अखबारों में देते हैं कि आपकी समस्याओं का हम निदान करते हैं, महिलाएं जाती हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, खराब नहीं बोल रहा हूं, अच्छी बात बोल रहा हूं। महिलाएं जाती हैं होटल में तांत्रिक के पास में और तांत्रिक सेवा कर-करके उस बेचारी की इज्जत लूट लेते हैं। यह क्यों हो रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये घंटी से नहीं रुकेंगे इनके लिए + + +

श्री जगत सिंह दायमा : तो ये इसलिए हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार को चाहिए कि वो इस तरह की शुभ-अशुभ की बातें न करें। काम करोगे अच्छा तो अच्छा कहलाओगे। यह शुभ और अशुभ क्या होता है। सरकार की तरफ से मूर्ति पूजा, शुभ और अशुभ अगर इस तरह का पाखंड फैलाया जाएगा तो आखिर इस पाखंड के खिलाफ तेग कौन उठायेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से....

एक माननीय सदस्या : बहुजन समाज।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुजन समाज का तो जिस दिन राज आ गया उस दिन मैं कहना चाहता हूं कि इतना फर्क आएगा कि बी.जे.पी. और कांग्रेस के राज में अन्तर क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि इन दो-ढाई साल में ही अंतर आये। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, छत्रपति साहूजी महाराज....

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि आप विराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : एक मिनट और बस। छत्रपति साहूजी महाराज जिन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया 1902 में, 50% आरक्षण की व्यवस्था 1902 में की आप

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

छत्रपति साहूजी महाराज की क्यों नहीं मूर्ति लगवाते। जगह-जगह महात्मा गांधी, जगह-जगह महात्मा गांधी। आप अम्बेडकर की क्यों नहीं मूर्ति लगवाते। आप नारायण गुरु की क्यों नहीं लगवाते। आप पेरियार की क्यों नहीं लगवाते। नीचे जो समाज गिरा हुआ है अगर उसकी जगह-जगह मूर्ति लगाकर सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि जिसको....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मायावती की भी लगवा देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको यह भी पता नहीं कि जिन्दा आदमी की मूर्ति लगाते हैं कि नहीं। इनको ये ही नहीं पता कि मायावती की मूर्ति लगेगी कि नहीं + + +

श्री जगत सिंह दायमा : समय आएगा। जिस तरीके से आज आपका काम बिना अम्बेडकर के नाम से नहीं चलता, आज इनके भी लेते हैं, अम्बेडकर का नाम चोरी-चोरी। ऐसा ही समय आएगा जब बिना अम्बेडकर के नाम के आप गांव में नहीं घुस सकते। यह समय की तब्दीली है। यह सामाजिक परिवर्तन है और वो सामाजिक परिवर्तन आकर रहेगा और नहीं तो मैं यह चाहता हूं कि धीरे-धीरे आप अपने जो छोटे समाज हैं जिसकी आवाज नहीं है, जो दलित वर्ग है जिस पर अत्याचार हो रहे हैं आखिर उसकी आप लोग नहीं सुनेंगे तो आखिर में तो सुनेंगे ही हम फिर अगली बार, चाहते हैं कि दो-ढाई साल पहले आप लोग सुन जाएं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैंने दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग की कही। अब एक मिनट और है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये प्लीज। अब विराजिये फिर।

श्री जगत सिंह दायमा : बस समाप्त। उपाध्यक्ष महोदय, अब शिक्षा में भी भेदभाव। दो सौ स्कूल खोल रहे हैं आप माध्यमिक स्कूल और मैं आपकी इतनी पैरवी करता हूं, दो साल में आपने मुझे हाई स्कूल नहीं दिया। अब शिक्षा में भी आप अगर भेदभाव करें तो आखिर में हम पिछड़े वर्ग के आदमी को सिर पर उठाये घूम रहे हैं फिर हमारे साथ इस तरह का भेदभाव।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि के मामले में मंत्रीजी का स्टेटमैंट आने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : आएगा, आएगा। आई नो इट। आप विराजिए, मुझे मालूम है। मैंने यह थोड़े ही कहा है कि पहले दिलवाऊंगा। स्टेटमैंट दिलवाऊंगा, यह कहा है। आप विराजिए। जो कहा है उसको पूरा करेंगे। आप विराजिए, स्टेटमैंट आयेगा। आप चिन्ता क्यों करते हो। हाउस नहीं उठेगा उससे पहले स्टेटमैंट आयेगा। आप विराजिए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अशोक गहलोत)

के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हमारे पक्ष-विपक्ष के साथियों ने व अन्य विधायकों ने जो अपने विचार प्रकट किये और जिन्होंने बहस में भाग लिया, उन सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस बात का जरूर दुःख है कि हमारे मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने और विशेष रूप से प्रतिपक्ष नेता ने इसमें भाग नहीं लिया। जिस प्रकार से उनको भाग लेना चाहिये था, मुझे पता नहीं पिछले साल भी प्रतिपक्ष के नेता कहीं बाहर दौरे पर चले गये और आज यहां होने के बावजूद भी उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया, जबकि वे लेते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा ठीक रहता। हमारे अन्य मित्रों ने बहुत अच्छी बातें कहीं। मैं बहुत प्रभावित हुआ। जो समस्या राजस्थान की है, चाहे वह अकाल की हो, सूखे की हो, बिजली की हो, कृषि की हो, सिंचाई की हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सामाजिक सुरक्षा की बातें हों, सबने अपने-अपने तरीके से उठाने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि अगर हाउस के 15-20 दिन जो खराब हो गये, अगर वह स्थिति नहीं बनती तो इस वक्त, जब एक तरफ पूरे प्रदेश में अकाल और सूखा पड़ा हुआ है, विधान सभा सत्र शुरू होने से पहले से हम सबको चिन्ता थी कि विधान सभा जायेंगे और वहां बैठकर चर्चा करेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि किस प्रकार से राहत के काम अधिक से अधिक खोले जा सकें, किस प्रकार से किसान जो बिजली की समस्या से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं सरकार ने पूरी कोशिश की और उसके बावजूद भी कहीं न कहीं शिकायत रही थी, उन शिकायतों की तरफ हम ध्यान आकर्षित करेंगे। हम भी उम्मीद करते थे कि यह मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो सबको प्रभावित करते हैं। हम सब जब हाउस में बैठ कर बात करते हैं तो हमारा ध्येय एक ही होता है कि हम कैसे जनता को अधिक से अधिक राहत दिला सकें। मुझे बहुत दुःख हुआ कि जो नोन इश्यू थे उनको इश्यू बनाने की कोशिश की गई। वास्तविकता को नजरंदाज करके जिस प्रकार से हाउस को चलने नहीं दिया गया, मैं समझता हूं कि वह अच्छी बात नहीं थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि अंततोगत्वा आप सब लोगों ने सहयोग किया और कल से हम ऐसी स्थिति में आये कि हाउस चलने लगा है, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब दो-सवा दो साल पहले हम सत्ता में आये थे तब एक ही बात हमारे सामने थी जिसका जिक्र चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कल किया मेनिफेस्टो को लेकर। पहली केबिनेट की मीटिंग में हमने मेनिफेस्टों को अप्रूव किया। यह पहला मौका था देश में जब किसी सरकार ने इसे अपनी कार्य योजना का अंग बनाने की हिम्मत और साहस किया हो। वह तभी कर सकते हैं जब सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के हमारे मंत्रिमण्डल के साथी यह प्रतिबद्धता रखें कि जो हमने जनता से वायदे किये हैं, जनता से चुनाव के वक्त में जो हमने वायदे किये हैं, उन

(श्री अशोक गहलोत)

वायदों को निभाने की हम लोग अगर प्रतिबद्धता रखें तभी जाकर यह संभव हो सकता है और यह हमने एक नया प्रयोग किया। हम जानते हैं कि कभी सौ परसेंट वायदे पूरे नहीं हो सकते। तब भी हमने कोशिश की कि एक बार हम यह दिखाना चाहते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी भविष्य में किसी भी प्रदेश में हो, वह मेनिफेस्टो बनाते वक्त ही यह तय करें कि जो हम लिख रहे हैं, जो वायदे कर रहे हैं जब हम सत्ता में आ जायेंगे तो उनका निभा पायेंगे। यह सोच पैदा कराने के लिया हम लोगों ने यह काम किया था। मुझे यह कहते हुए खुशी है और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमने वायदे किये, मेनिफेस्टो में लिखे, अगर आप मेनिफेस्टो उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश वायदे हमने पूरे किये हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा अभी भी प्रयत्न है कि जो वायदे अधूरे हैं उनको हम पूरा करना चाहते हैं। फैसले लेनें में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक फैसले लिये गये, जनहित में फैसले लिये गये। अधिकांश फैसले लागू हो गये हैं। कई फैसले लागू नहीं हो पाये हैं उसके लिये भी हमने कोशिश की है।

आपको शायद याद नहीं होगा कि दो बार हमने मंत्रिमण्डल के चिंतन शिविर लगाये जिसके बारे में आपने कटाक्ष भी किया था। पिछली बार भी हम इसी तरह से बैठे थे और मैं समझता हूं दो दिन बैठना और लंबे समय तक डिस्कशन करना, कोई बुरा नहीं है। पिछली बार जब हम बैठे थे तो 15 प्राथमिकताएं तय की थीं और अगर आप उसको उठा कर देखेंगे तो आप खुद हसूस करेंगे कि हमने उनमें से अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयत्न किया है। इस बार भी चिंतन शिविर करके ही हमने तय किया कि क्या हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिये, किन-किन कामों को हम पहले हाथ में ले लें, आज समय की क्या आवश्यकता है। आज उदारीकरण के जमाने के बाद जिस प्रकार के हालात बने हैं, देश में, प्रदेशों में जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, दूसरी-तीसरी बार लगातार अकाल पड़ने से जो स्थिति बनी है उस पर हमें क्या करना चाहिये। किस प्रकार से लंबे समय से राजस्थान में सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। गांव के लोग दुःखी हैं। किस प्रकार से बिजली को लेकर आंदोलन होते हैं, क्योंकि लंबे समय से बी.जे.पी. के शासन में बिजली के कनेक्शन दिये गये परन्तु बिजली उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके नतीजे आज पूरा प्रदेश भुगत रहा है। सरकार के कोशिश करने के बावजूद भी हमने रबी की फसल को लेकर यह प्रयास किया, मेनिफेस्टो में लिखा कि हम 8 घंटे बिजली देना चाहते हैं। 8 घंटे बिजली देने के लिये हमने एक साल पहले सौ करोड़ रुपये दिये। 8 घंटे बिजी मिली। किसान बहुत संतुष्ट था परन्तु उसके बाद इस बार हमने 180 करोड़ रुपये खर्च किये उसके बावजूद भी शिकायत बनी रही। उसके कई कारण थे। उन कारणों में जाना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि वह कारण आप सबको मालूम है, किस

(श्री अशोक गहलोत)

प्रकार से 60 परसेंट बिजली के लिये हमें अन्य राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है, वह आप खुद जानते हैं। मैं कह चुका हूं कि डिमांड और सप्लाई में इतना गैप हो गया है। कनेक्शन देते जाओ और बिजली उत्पादन नहीं करो तो एक सीमा यह आयेगी कि आपको अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आज चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, चाहे केन्द्र सरकार हो, जब चाहे बिजली दे दे, जब चाहे बिजली काट सकती है और यही हुआ हमारे साथ में। पैसा खर्च करने के बावजूद भी, हमने यहां तक कहा कि इसमें पैसे की कमी नहीं आयेगी, अगर हमें 20-25 करोड़ रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, हम करेंगे। हम किसान को बिजली देना चाहते हैं। उसके बावजूद बिजली नहीं मिली। और तो और, अभी जम्मू-कश्मीर ने केन्द्र सरकार को धमकी दे दी, अगर आप हमें बिजली नहीं देंगे तो हम आपके बिजली घर उड़ा देंगे। जो बिजली राजस्थान को मिल रही थी वह अचानक जम्मू-कश्मीर ट्रांसफर कर दी गई। कई घटनाएं हुईं। पंजाब में बरसात नहीं हुई, पौंग में पानी नहीं आया, भाखड़ा काम्प्लैक्स में पानी नहीं आया जिससे बिजली का उत्पादन होना बंद हो गया। चम्बल काम्प्लैक्स में बिजली का उत्पादन बंद हो गया। माही में हाइडल की बिजली बंद हो गई। हमारे सामने एक के बाद एक समस्या आती गई। मैं स्वीकार करता हूं उन सब स्थितियों में कई जिलों में किसान को सड़क पर आना पड़ा। उनको रोष प्रकट करना पड़ा। मैं जानता हूं कि जब किसान रात-दिन एक करके अपनी फसल का उत्पादन लेने की कोशिश करता है और बिजली के अभाव में अगर उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसका दिल जलता है। वह जानता है कि मैं पहले से ही तबाह हो रहा हूं, केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण उत्पादन का पूरा दाम मुझे मिल रहा है, किस प्रकार से लंबे समय से वह बरबाद हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से आत्महत्याओं के किस्से आते हैं, खबरें आती हैं। पूरी तरह वह चिंतित है। अकाल से पहले से ही वह जूझ रहा है, ऊपर से उसको बिजी नहीं मिले कहने के बावजूद भी तो मैं समझता हूं उसका गुस्सा होना, आक्रोशित होना वाजिब है। सरकार ने इसके बावजूद कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम कैसे 5 घंटे, 8 घंटे उसको बिजली दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी हमारा पूरा प्रयास है और बिजली हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में है कि कैसे हम बिजली का उत्पादन करें। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज दो-सवा दो साल में सरकार ने सत्ता संभालते ही जो तत्काल निर्णय किये उसका परिणाम है, आज हम यह कहने की स्थिति के अंदर हैं कि पूरे पांच साल में करीब पांच हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं बिजली क्षेत्र के अंदर। बिजली का उत्पादन होगा, दो हजार आठ सौ करोड़ के आस-पास रुपया खर्च होगा। हम ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं। जगह-जगह जी.एस.एस. लगा रहे हैं, यह आप सबकी जानकारी के अन्दर है। हम वितरण व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, हम टी.एंड.डी. लोसेज कम करना चाहते हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पहली बार लम्बे अर्से के बाद में दो प्रतिशत टी.एंड.डी. लोसेज इस बार कम हुआ है। हमारा ध्येय है इस साल पांच प्रतिशत टी.एंड.डी. लोसेज कम करें। चोरी रोकना चाहते हैं, कुछ जगह हमने कार्यवाहियां कीं उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज हम इस स्थिति में आ गये हैं यह कहने में कि अगले तीन साल से लगातार 250 मेगावाट की इकाई हमारे समय पर, बल्कि समय से छह महीने पहले पूरी हो रही है। दूसरी इकाई थी वह छह महीने पहले पूरी हुई, इस साल छह महीने पहले पूरी होगी, अगली पांचवीं इकाई की भी हमने घोषणा कर दी उसका काम शुरू हो गया। इस प्रकार एक तरफ सूरतगढ़ के अंदर सुपर थर्मल पाव स्टेशन के रूप में हमारा पहला स्टेशन बनने जा रहा है। हमें यह कहते हुए अफसोस है कि बी.जे.पी. के शासन में सूरतगढ़ का जो प्रोजेक्ट कन्सीव किया गया था कांग्रेस शासन के वक्त, श्री हरिदेव जोशी के शासन के वक्त में, वह भी समय पर निर्णय नहीं करने के अभाव के अंदर स्थिति यह बनी कि 3-4 साल निर्णय करने के अंदर बरबाद कर दिए। जो 1300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था वह 2300 करोड़ का हो गया। हमारे सत्ता पक्ष में आते ही जो तीसरी इकाई थी, चौथी इंकाई थी हमने तत्काल निर्णय लिये, आज समय पर काम चल रहा है और एक इकाई छह महीने पहले आने का मतलब यह होता है, 80 करोड़ रुपये बचते हैं। कभी आपने यह बात सोची, अगर हम तत्काल निर्णय करेंगे, समय पर बिजलीघर लगेगा, 40 करोड़ रुपये बचते हैं ब्याज के और 40 करोड़ बचते हैं, बिजली उत्पादन के अभाव में जो बिजली पड़ोसी राज्यों से खरीदते हैं उसकी रेट में इतना फर्क है कि 40 करोड़ बचते हैं। इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि 50 साल में 3356 मेगावाट के आस-पास बिजली हमारे यहां पर, चाहे हमारे यहां खुद की पैदा होती है, चाहे हमें अन्य राज्यों से खरीदनी पड़ती है, जो हमारा हिस्सा है वह लेना पड़ता है केन्द्र के बजट से, एन.टी.पी.सी. से या एन.एस.पी.टी.सी. से या जो हमारा हिस्सा बना हुआ है वह लेना पड़ता है, सब मिलाकर करीब 3356 मेगावाट बिजली है।

मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको जानकर प्रसन्नता होगी इन पांच सालों के अंदर हमारी कोशिश है कि कम से कम हम 1700 मेगावाट बिजली पैदा करें। इसका मतलब हुआ 50 प्रतिशत से ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी योजना है। इस प्रकार से इस सैक्टर को हम लोग प्रायोरिटी देना चाहते हैं क्योंकि बिना बिजली के कोई काम नहीं चलता है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे उद्योग धन्धे हों, चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हों। सब जानते हैं इस युग के अंदर बिजी की मांग हर व्यक्ति करता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, और इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा। जब तक पूरे हाउस का सहयोग नहीं मिले, जब तक सबका मन एक नहीं हो रिफोर्म्स को लेकर। अभी दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने

(श्री अशोक गहलोत)

आह्वान किया तमाम् पालिटिक़ल पार्टीज चाहे वह सी.पी.एम. हो, चाहे टी.डी.पी. के लोग हो, चाहे जनता दल हो, कांग्रेस, चाहे बी.जे.पी. के लोग हों, सबको कहा गया कि अगर आप समय रहते हुए एक राय नहीं बनाएंगे, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बी.जे.पी. ने आठ साल बरबाद कर दिये निर्णय करने में, उत्पादन करने में, वह आठ साल कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। जो काम समय पर हो जाता है उसी से काम चलेगा, उसी से विकास होगा, जो समय के साथ नहीं चलेगा वह पिछड़ जाएगा। जैसा मैंने कहा अगर पिछड़ गया तो वापस उसको मंजिल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिये कहा गया वहां पर, बल्कि प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि आप कम से कम 50 प्रतिशत किसानों के ऊपर जितना कास्ट आफ प्रोडक्शन है उतना कम से कम लेना चाहिए। यह आज का फैसला नहीं था। 1996 में फैसला दिया वह फैसला भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था।

मैं यह कहना चाहूंगा एक तरफ केन्द्र सरकार यह कहती है कि आप पावर रिफोर्म्स करेंगे तो ही हम आपको सहयोग करेंगे, चाहे लोन के रूप में, चाहे अनुदान के रूप में, चाहे पावर फाइनेंस कारपोरेशन है तभी सहयोग करेगा जब आप इस प्रकार की शर्तें उनकी मानेंगे, रिफोर्म्स करेंगे, रेगुलेटरी कमीशन बनाएंगे, कम्पनियां बनाएंगी तब जाकर हम आपको सहयोग करेंगे। और पूरे देश के अंदर एक मत बनता है उसके बाद में अगर सरकार कांग्रेस की है वहां बी.जे.पी. बंद का काल देवे या जहा पर बी.जे.पी. गवर्नमेंट है वहां कांग्रेस के लोग बंद का काल देते हैं तो यह लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। मैंने इस बात को दिल्ली के अंदर प्राइम मिनिस्टर से भी कहा, आप तमाम पोलीटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाएं, प्रतिपक्ष के नेताओं की मीटिंग बुलाएं, आप सब बैठकर तय करें। जो फैसला एक बार हो जाए उस फैसले को सब माने वरना अगर हम लोग आन्दोलन के अंदर, धरने के अंदर, प्रदर्शन में टाइम जाया करेंगे तो हम किसान का भला नहीं करेंगे। आज जरूरत इस बात की है, किसान कहता है मुझे बिजली चाहिए। अगर वह रेट के ऊपर बैठा रहेगा, वह जानता है कि मैं रेट में 1000-2000 ज्यादा दूंगा तो पचास हजार कमाऊंगा, 20,000 कमाऊंगा, 25,000 कमाऊंगा। अगर बिजली की मांग और सप्लाई बढ़ती गई, गैप बढ़ता गया उसको बिजली मिलेगी ही नहीं तो उसे कैसे लाभ मिलेगा। इसलिए आज मांग यह होती है और इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा जनता समझती है इस बात को, खूब अफवाहें फैलाई गईं, पांच रुपये बढ़ जाएगी, साढ़े पांच रुपये बढ़ जाएंगे, तीन रुपये बढ़ जाएंगे। आज इन राज्यों की स्थिति बनी हुई है आंकड़े मेरे पास हैं, मैं देना नहीं चाहता, हमारे मंत्रीजी बात करेंगे तब विस्तार से बताएंगे। आज भी राजस्थान कहां स्टेण्ड करता है, हमसे ऊपर कितने राज्य हैं जो हमसे ज्यादा रेट ले रहे हैं। तो हमारी

(श्री अशोक गहलोत)

कोशिश रहेगी हम बिजली पैदा कैसे करें, समय रहते हुए समयबद्ध तरीके से हम ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे सुधारें, किस प्रकार कम्पनियों की हालत ठीक रहे जिससे कि अच्छे बिजलीघर यहां पर लग सकें, अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके, प्राइवेट सैक्टर आ सके। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है जब पिछली बार 22 कम्पनियां, 25 कम्पनियां आई थीं माननीय प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत जोर-शोर से प्रचार किया था दो रुपये दस पैसे में हमने समझौते कर लिये, वह सारे समझौते नाकारा साबित हुए एक भी बिजलीघर नहीं लगा। मैंने पिछली बार भी कहा था एनरान का समझौता जब मुम्बई में हुआ, महाराष्ट्र के अंदर आरोप-प्रत्यारोप लगे, प्रतिपक्ष के नेता से सवाल पूछा गया राजस्थान के अंदर कि क्या आप भी इस समझौते को तोड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां की स्थिति दूसरी है। वह इनका स्टेण्ड ठीक था। बाद में पता नहीं क्या दबाव पड़ा स्वदेशी जागरण मंच का हो या पता नहीं किसका हो, कैसा माहौल बना, नई कम्पनियों से समझौते हुए। दो रुपये दस पैसे में बिज़ली पैदा होने वाली स्थिति थी नहीं। पता नहीं कौनसा षड्यंत्र के शिकार हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी हुए, उस वक्त का शासन भी हुआ, उसका नतीजा यह हुआ एक बिज़लीघर नहीं लग सका। सत्ता में आते ही हमने कहा कि हम डिपेण्ड नहीं रहेंगे प्राइवेट सैक्टर पर अपना खुद का प्रोडक्शन करना चाहेंगे। अगर उसके बावजूद भी प्राइवेट सैक्टर आता है, हम उसका वेलकम करेंगे। इस थ्योरी पर चलना चाहते हैं और उसी का लाभ हमें मिल रहा है, तीन-तीन साल से लगातार अकाल पड़ता है। आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितनी ही कोशिश कर लें उसके बावजूद भी जो किसानों का कष्ट है, जो अकाल पीड़ित जनता है उनके कष्टों का निवारण एकदम नहीं हो सकता। मुझे कहते हुए संतोष है कि दो साल का मुकाबला भी हमने आप सबके सहयोग से करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस प्रकार से स्थिति बनी थी, पीने के पानी का संकट था उसका मुकाबला किया, रेलगाड़ी ने पानी पहुंचाया, यह राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ। रेलें हमें पहली बार फ्री मिलीं, भाड़ा नहीं लगा, उसका कारण था हमने 12 जिलों में रेलगाड़ी से पानी पहुंचाने का काम किया। टैंकर्स लगाए गये। पशुधन को बचाने का बहुत बड़ा काम किया। कहां तो पहले बड़े पशु के लिए तीन रुपये हुआ करते थे, छोटे पशु के लिए डेढ़ रुपये था उनको हमने 6 रुपये किया, फिर 10 रुपये किया, फिर 13 रुपये तक अनुदान दिया, पिछली बार भी हम लोगों ने। हमने 44 रुपये मजदूरी के किये, फिर 60 रुपये किये। 60 रुपये करना कोई मामूली बात नहीं थी जो हालत राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हैं उसके बावजूद भी,

(श्री अशोक गहलोत)

एक तरफ गुजरात में अकाल पड़ा हुआ था, माननीय उपाध्यक्षजी, गुजरात हमसे ज्यादा सक्षम है, वहां पर 44 रुपये मजदूरी थी, हमने 60 रुपये मज़दूरी दी और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान में 51,52,53 रुपये मजदूरी एवरेज आना पहली बार सम्भव हुआ है।

10 दिन के अन्दर-अन्दर पेमेंट हो जाना, मेरे वरिष्ठ साथी यहां बैठे हैं, कई अकालों का मुकाबला किया है, अकालों में दौरे आप लोगों ने किये हैं, कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान का तो इतिहास रहा है मोहन लाल सुखाड़ियाजी के वक्त से लगा करके परसरामजी मदेरणा के वक्त से लगाकर हमेशा अकाल और सुखे को लेकर, हमेशा हमारे नेताओं ने 5-5 दिन, 7-7 दिन के दौरे किये हैं। गांव-गांव में गये हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के जमाने के अन्दर हम लोगों ने यह कोशिश की कि 10 दिन के अन्दर-अन्दर पखवाड़ा खतम होते ही 10 दिन में पेमेंट हो जाना बहुत बड़ी बात है मजदूर के लिये, वह हमने किया।

मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला। मुझे खुशी है, उन्होंने हमेशा इस बात को सपोर्ट किया कि काम के बदले अनाज योजना अच्छी योजना है, मैं लागू करना चाहता हूं। परन्तु मुझे पता नहीं, उनकी क्या मजबूरी रही। एक बार चूक गये, दूसरी बार चूक गये। वे नहीं कर पाये, चाहते हुए भी। कभी फाइनेंस का या कभी दूसरे डिपार्टमेंट का आब्जेक्शन, पता नहीं, क्या कारण रहा। हमने इस बार कहा कि आप की खुद की पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण, तत्कालीन अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि साढ़े चार-पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होता है सरकार का खाली एफ.सी.आई. गोदामों में गेहूं रखने के लिये और उसके बाद में गेहूं सड़ रहा है। पार्लियामेंट की कमेटी कह रही है कि सड़े हुए गेहूं को समुद्र में फेंक दो। क्यों नहीं आप देते हैं, गरीबों को बांटते हैं? चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह गुजरात हो, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जहां आपको अकाल राहत के काम चलाने हैं, आपको भरपुर गेहूं देना चाहिए जिससे काम चल सके। आज मुझे कहते हुए दुःख है, हमें एक लाख मीट्रिक टन अनाज दिया गया पर मुझे यह दुःख हुआ, शर्तें जोड़ दी गयीं। हमने कहा 1977 की यह अच्छी स्कीम थी। हमारा राज तो नहीं था, पार्टी का राज था, भैरोंसिंहजी शेखावत उस वक्त मुख्य मंत्री थे, 1987 में राजीव गांधीजी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त यह योजना वापस शुरू हुई। अच्छी योजना थी। लोगों को राहत मिली। उसके बावजूद भी आप मुझे कहते हुए दुःख है कि शर्तों के साथ में वह गेहूं दिया जिसको खाली अकाल राहत के कामों में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको आप पेमेंट कर सकते हैं गेहूं का उसके रूप में। हमने कहा वैंकया नायडूजी को कि यह सम्भव नहीं है, आप

(श्री अशोक गहलोत)

शर्तें हटाइये और अभी तक शर्तें हटाई नहीं गयी हैं। इस प्रकार की कई बातें हैं और पिछले अकाल के अन्दर भी मुझे यह कहते मुझे यह कहते हुए दुःख है जो फैक्ट्स एण्ड फिगर हैं, उसको बताने में, जनता के सामने रखने में लोकतंत्र का तरीका होता है। हमने कहा, हमने 1135 करोड़ की डिमाण्ड की और हमें 102 करोड़ रुपये मिले। उसको लेकर मुद्दा बन गया कि केन्द्र पैसा दे रहा है और सरकार खर्च नहीं कर रही है। अभी हमारे अकाल राहत मंत्रीजी ने आंकड़े बताये कि किस प्रकार से राजस्थान सरकार ने अपने खुद के प्लान से पैसा खर्च किया। एक हौवा खड़ा किया गया जानबूझकर के, 5-6 केन्द्रीय मंत्रियों को बुलाया गया। हैलीकाप्टर में दौरे किये गये और वह अकाल राहत काम को देखने नहीं आ रहे थे, फाल्ट फाइंडिंग मिशन के रूप में आ रहे थे। यह कहा गया पूरे देश में, लोगों को समझाया गया कि केन्द्र सरकार पैसा दे रही है और राज्य सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति थी तो फिर हमने नाबार्ड से 144 करोड़ का लोन क्यों लिया? लोन क्यों लिया हम लोगों ने, क्यों खर्च किये हमने लोन ले करके, क्यों कोशिश की? हम चाहते हैं कि पक्के काम भी हों, अकाल को विकास में कैसे बदलें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान के अन्दर आप किसी भी गांव में चले जाएं, जाने की जरूरत नहीं है, आप तो जाते रहते हैं। एक-एक गांव के लोग खुश थे, चाहे नाड़ियां थीं, तालाब थे, कुएं थे, जोहड़ थे, पक्के काम हुए, सड़कों के काम हुए, स्कूल की बिल्डिंग के काम हुए, एनीकट के काम हुए। मैं चित्तौड़ गया। कमलाजी बेनीवाल हमारे साथ थीं। गम्भीरी नदी पर इतने अच्छे एनीकट बन रहे थे। टोंक गया, वहां पर आपके जो हालात थे, तालाब की खुदाई की, सब लोगों ने कहा कि पहली बार इस प्रकार के काम हमारे यहां पर हो रहे हैं। और तो और, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पैसे बचाने की बात की गयी। पैसा किसने बचाया, यह सोचने और समझने की बात है। और मैं दावा कर सकता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, बी.जे.पी. के शासन के अन्दर हौवा खड़ा किया जाता है कि बी.जे.पी. के शासन में कभी अकाल पड़े ही नहीं हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, आपके ही आंकड़े हैं। 1991-92 में अकाल पड़ा, 30041 गांव अकालग्रस्त थे। फरवरी में काम खोलने की बात शुरू हुई, 1992 में, और सिर्फ 790000 श्रमिक सीमा निर्धारित की गयी और 136 करोड़ रुपये खर्च हुए। उस वक्त आपके पास कितने पैसे थे, 352 करोड़ रुपये आपके पास मौजूद थे, और आपने खर्च किये सिर्फ 136 करोड़ रुपये। 1993-94 के अन्दर 22586 गांवों में अकाल पड़ा। फरवरी में फिर आपने काम की घोषणा की, 88500 की श्रमिक सीमा आपने रखी उस वक्त और 200 करोड़ रुपये खर्च किये गये। उस वक्त आपके पास कितना पैसा था, 418.95 करोड़ रुपया था आपके पास। इसी प्रकार 1995-96 के अन्दर 8 लाख लोगों को काम दिया गया। 25000 गांव अकालग्रस्त थे और 249 करोड़ रुपये खर्च किये गये। उस वक्त 302.55 करोड़ रुपये

(श्री अशोक गहलोत)

आपके पास मौजूद थे। यह तो आपके जमाने की स्थिति है और जब 1998-99 के अन्दर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक और बता दीजिए, अकाल के उपरान्त भी प्रतिवर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन कितना हुआ?

श्री अशोक गहलोत : यह अलग से बात करेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं-नहीं, इनका मतलब यह था फसल खराब नहीं होते हुए भी आपने अकाल घोषित करवा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मतलब तो वे समझ गये, आप...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : इसका मतलब अकाल नहीं था। आपने केन्द्र सरकार पर दबाव डाल करके अकाल घोषित करवा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी मान्यता है न? अकाल नहीं था और जबरदस्ती अकाल घोषित करवा दिया। (व्यवधान) यह आपकी मान्यता है तो इनको बता देते, इतने गांवों की संख्या बताने की जरूरत ही नहीं थी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अकाल में खाद्यान्न का क्या लेना-देना है....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह इनकी व्यक्तिगत राय है।

श्री अशोक गहलोत : यह कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कितने पैसे खर्च किये। अभी आपको बताया गया 1998-99 के अन्दर 108.96 करोड़ रुपये खर्च हुए स्टेट शेयर के और 1999-2000 में 306 करोड़ खर्च हुए स्टेट गवर्नमेंट के तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट जब अकाल की गम्भीरता को समझती है तो कोई सरकार नहीं चाहेगी कि हम किसी तरह स कमी रखें अकाल में लोगों को रहात पहुंचाने के अन्दर।

इसलिये मैं आपको इस मौके पर इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी हमने कर रखी है। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी 10 लाख लोगों को लगाया गया है। हमारी कोशिश है कि हर पखवाड़े हम इस बार श्रमिक सीमा बढ़ाएं और किस प्रकार से हम अधिकतम सीमा तक पहुंच सके जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। यही मैं आपे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, इंटरवेंशन के लिये माफी चाहता हूं। आप सब हिसाब बता रहे हैं। यह बता दीजिए कि पिछले वर्ष के अकाल में अकाल राहत के सी.आर.एफ., एन.सी.एफ.सी.आर., प्राइम मिनिस्टर फण्ड, स्पेशल स्कीम्स और बाकी की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके अन्तर्गत आपको कुल कितने रुपये सैण्टर से मिले।

श्री अशोक गहलोत : पिछले साल की बात कर रहे हैं आप? पिछले साल तो आपको मालूम है कि जो सैट फार्मूला होता है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपको मालूम है। 102 करोड़ रुपये नेशनल केलेमिटी फण्ड से मिले और 20 करोड़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से मिले। और बाकी सी.आर.एफ. का सैट फार्मूला है

(श्री अशोक गहलोत)

25 प्रतिशत व स्टेट गवर्नमेंट का, बाकी सैण्टर का, वह मिला, उसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद में मैं जो मैन आपको कहना चाह रहा हूं वह यह बात है कि आपको सैण्टर से मिले हैं 326 करोड़ रुपये और आपने खर्च किया है 108 करोड़ रुपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह किया है हमने तो।

श्री अशोक गहलोत : यह कहना चाहता हूं मैं आपको। और 1999-2000 के अन्दर, सब आपको मालूम है, चिन्ता ही मत करो आप, आपको 1999-2000 के अन्दर 249 करोड़ रुपये मिले सैण्टर से, सब फण्ड मिला करके। स्टेट शेयर है आपका 306 करोड़ रुपये। यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिए यह कहना और आरोप लगाना कि पैसा खर्च नहीं कर रही है बल्कि खर्च स्टेट एक्सचेकर से करना पड़ा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताओ कितना खर्च किया, आपको मिला कितना और मिला उसमें से कितना खर्च किया?

श्री अशोक गहलोत : वही तो बता रहा हूं न आपको। 259 करोड़ रुपये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा मिले हैं।

श्री अशोक गहलोत : यह तो फिगर बता रहा हूं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गये साल में?

श्री अशोक गहलोत : 259.57 करोड़ रुपये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका ब्रेक अप बता दीजिए।

श्री अशोक गहलोत : ब्रेक अप बताया न मैंने आपको। 102 करोड़ रुपये नेशनल केलेमिटी फण्ड से हो गया और बाकी जो सी.आर.एफ. का पैसा था बाकी वह बचा हुआ है।

श्री सांवर लाल : योजनाओं का पैसा था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : योजनाओं से इससे क्या मतलब है। सी.एस.एस. से इससे क्या मतलब है। सी.एस.एस. का क्या लेना-देना है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यो खड़े होते हो? मुख्य मंत्रीजी बहुत सशक्त हैं। अब वे जवाब दे रहे हैं, आप क्या सहायता कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सी.एस.एस. का अकाल से कोई लेना-देना नहीं है। मैं कब कह रहा हूं, सी.एस.एस. का अकाल से कोई लेना देना नहीं है। सैण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम, उपाध्यक्ष महोदय, सैण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स का जो पैसा मिलता है सब राज्यों को मिलता है। उसको अकाल से कहां जोड़ रहे हैं? यहां पर यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जो केन्द्र के मंत्री आये कि इस सी.एस.एस. के पैसे से जैसे कि अकाल के कार्यों के लिए, सारे हिन्दुस्तान में मिलता है, केलेमिटी रिलीफ फण्ड का पैसा जो स्टेट सफर करती है उनको फाइनेंस कमीशन के फार्मूले के तहत मिलता है। केन्द्र सरकार कोई हमारे संग अहसान नहीं करती है इसके ऊपर, यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सांवर लाल : वित्त मंत्रीजी, आप यह बताइये कि 31 मार्च, 2000 को 156 करोड़ रुपये सी.आर.एफ. का, 156 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2000 को सी.आर.एफ. का....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सांवर लाल : अकाल के मद में दिया, यह बता दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप। प्लीज, माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज, महोदय, विराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सरासर गलत है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह कोई प्रश्नकाल है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है यह बोल लिये, ठीक है। हरेक माननीय सदस्य बोलेंगे तो वह ठीक नहीं है।

श्री सांवर लाल : आपका जवाब है मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है, मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपके जमाने में पैसा आपने खर्च नहीं किया, पैसा बचाया है और वह आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हो, सवाल इस बात का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, गलती हो गई। आपके मंत्रीजी कह रहे हैं कि अकाल कभी नहीं पड़ा, जबरदस्ती अकाल घोषित करवाया है।

श्री अशोक गहलोत : मैंने आंकड़े देकर बताया कि पैसा कितना आपके पास था और आपने कितना खर्च किया और आपका आर्ग्यूमैंट उस वक्त यह था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस जमाने में आपका आर्ग्यूमैंट यह हुआ करता था जो अभी वित्त मंत्रीजी ने कहा कि सी.आर.एफ. का पैसा तो रेगूलर मिलता ही है, खर्च नहीं होगा तो प्लान में सम्मिलित हो जाएगा, यह आपका आर्ग्यूमैंट हुआ करता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है।

श्री अशोक गहलोत : तो मुझे इस बात का अफसोस है कि आप बहुत सम्माननीय हमारे नेता हैं, राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, पर आज जिस प्रकार से जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान) यह दुःख की बात है। जब आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, राजस्थान में तो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब जनता मेरे भड़काने में आती है।

श्री अशोक गहलोत : आ नहीं रही है, आ नहीं रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे भड़काने में आ रही है और आपकी बात पर विश्वास नहीं है।

श्री अशोक गहलोत : आपको इसी बात का तो दर्द है कि आपके ढाई, सवा दो साल भड़काने के बावजूद भी जनता भड़क नहीं रही है, इस बात की आपको तकलीफ हो रही है। जब आरक्षण का मुद्दा चल रहा था तब आपने कहा जोधपुर के अन्दर ही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जिन्दा कौमें पांच साल इन्तजार नहीं करती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब भी कह रहा हूं मैं।

श्री अशोक गहलोत : जिन्दा कौमें पांच साल इन्तजार नहीं करती हैं। आग में घी लगाने का काम आपने किया। आप अगर उदयपुर जाते हैं तो आप कहते हैं आदिवासियों को, आदिवासी लूटेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, यह आप उन लोगों को भड़काते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कभी आदिवासियों का नाम लेकर नहीं कहा है। मैंने आदिवासियों को लेकर नहीं कहा है, मैंने कहा है कि....(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : सारे अखबार पड़े हैं आपके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटड़ा में जिस प्रकार की भुखमरी है, उसका प्रबन्ध नहीं किया गया तो कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और मुख्य मंत्रीजी, धोखे में नहीं रहें, आज भी खराब है।

श्री अशोक गहलोत : यही बातें आपने, आपने तो कई बातें कही हैं। आपने अपने विधान सभा क्षेत्र में जाकर यही बातें अभी कही है थोड़े दिन पहले ही। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप कृपा करके लोगों को भड़काने का काम नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी अपील होगी कि लोगों की भुखमरी का आप इन्तजाम करें।

श्री अशोक गहलोत : आपका तो, मुझे लगता है कि मुझे किसी रिसर्च स्कोलर को पकड़ना पड़ेगा कि जब-जब आप विपक्ष में बोले हो जिन बातों को और जब आठ साल सत्ता में रहे, उनमें कितना फर्क है, इस पर रिसर्च होकर किसी को पी.एच.डी. मिलनी चाहिए। यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस रिसर्च में एक बात और शामिल कर देना कि कभी कोई मर्डर हो जाए या रेप हो जाए किसी के तो हमारे उस समय कांग्रेस के नेता थे और जाकर उस शव के पास बैठते थे, पहले पांच लाख रुपये दो फिर शव उठने दो। बलात्कार होता था, पहले इसको चार लाख रुपये दो और फिर उसके बाद वह उठता था। तो उस सर्वे में एक बात यह भी शामिल कर लेना कि आपके समय में जितने भी रेप, मर्डर या इस प्रकार के अपराध हुए हैं, उसमें किस-किस के शव पर आप फूल-माला चढ़ाने गये, उनको कितना-कितना रुपया दिया, बलात्कार से पीड़ितों को आपने क्या सहायता दी, वह भी कर लेना।

श्री अशोक गहलोत : मुझे तो कोई याद नहीं है कि इस प्रकार कोई जाकर हमारे नेताओं ने भड़काया हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके सचिवालय में घुस गये।

श्री अशोक गहलोत : हां, जरूर किया है। यह जरूर मैंने सुना है कि आप ही थे, बालूराम की हत्या हुई थीं, आप लोगों ने लाश की राजनीति की थी। यह तो मुझे मालूम है पर कांग्रेस के किसी नेता ने जाकर यह धंधे नहीं किये।

मोहम्मद माहिर आजाद : चन्द्रभानजी ने की थी।

श्री अशोक गहलोत : लोग जाकर कहें कि यह लाश पड़ी हुई है, चार लाख रुपये दो, दो लाख रुपये दो, यह किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है वहां खुद जाकर।

श्री अशोक गहलोत : मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा आप बहुत ही सम्माननीय नेता हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में अहम् चलता नहीं है। आपने कहा कि मैं जीते जी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दूंगा। नहीं कहा, बता दीजिए? कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहा था।

श्री अशोक गहलोत : और मैंने आपको जवाब दिया था कि भगवान आपकी लम्बी उम्र करे, सत्ता में हम आएंगे और आप हमारा राज देखोगे। मुझे खुशी है, आप हमारे शासन को देख ही नहीं रहे हैं, परख भी रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शासन है ही नहीं।

श्री अशोक गहलोत : और आप बराबर एक्टिव भी हैं, दौरे भी करते हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य ठीक हो अथवा नहीं हो, चाहे आप अपनी पार्टी की खातिर, अपने खुद की खातिर....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आगे की उम्मीद में हैं।

श्री अशोक गहलोत : क्योंकि आपकी पार्टी जो है, उसका चरित्र क्या है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, यह तो आपका व्यक्तिगत मामला है। आपके हक में क्या व्यवहार किया पार्टी ने वह मैं पहले रिपीट कर चुका हूं हाउस में, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कह दीजिए। यह आपकी पार्टी का मामला है कि आप दो बार केन्द्र में मंत्री थे और आपको हटा कर फेंक दिया।

श्री अशोक गहलोत : कई बार मुझे हटाया। आप यह आरोप कई बार मेरे ऊपर लगा चुके हो। आप मेरी चिन्ता हमेशा करते आये, मुझे इस बात की खुशी है। जब-जब मैं केन्द्र से हटकर पी.सी.सी. अध्यक्ष बना, आपने उस वक्त बहुत दुःख प्रकट किया, मैं इस बात का आपका आभारी हूं। मुझे इस बात की खुशी है, मैं दिल से कह रहा हूं आपको और एक प्रतिपक्ष के नेता होकर, आपकी इतनी उम्र भी है, आपकी हैल्थ ठीक है अथवा नहीं है पर आपने कोशिश की है दौरे करके कि मैं जाऊं, जनता की समस्या को समझूं और हल करने की कोशिश करूं। मेरा खाली छोटा-सा एक निवेदन है, वह भड़काने वाला, उसको छोड़ दीजिए आप बस और बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री अशोक गहलोत : मुझे खुशी होगी आप जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, मुझे लिखकर भेजेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी तारीफ करूंगा।

श्री अशोक गहलोत : मैं अखबार पढ़ूंगा तो गौर करूंगा कि एक प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। मुझे ध्यान देना चाहिए। डेमोक्रेसी में यह फायदा होता है कि कैसे उसको देखकर के ठीक करूं, क्या निर्णय करूं जिससे कि जनहित हो सके, यह मेरी कोशिश है और मैं आपसे यह वायदा करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरकार जब बनी थी तो हमने यह कहा थाकि हम संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन देना चाहते हैं। राजेन्द्रजी राठौड़ ने कल बहुत सारी बातें इस पर कहीं। मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझमें और मेरे मंत्रिमण्डल के साथियों के अन्दर इस बात की प्रतिबद्धता है कि जो हमने कहा है, हमारी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहेगा। आज भी हम उन बातों पर अटल हैं जबकि माननीय, आप बुरा नहीं मानें, प्रतिपक्ष के नेताजी, क्योंकि आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आपके बहुत पेट सब्जैक्ट रहे हैं, चालीस साल तक, हम तो आपको पढ़ते थे क्योंकि हम तो बहुत, जब उस ज़माने में आप, 1952 से आप इस हाउस के अन्दर हैं, सम्माननीय सदस्य 1952 से ही हैं। लगातार आपने यहां पर हाउस में रहकर हमेशा जो कोशिश की है कि कैसे मैं अपनी भूमिका निभाऊं, आपके तीन पेट सब्जैक्ट थे, भ्रष्टाचार, नाक में से निकलवा दूंगा, अन्तरराज्जीय मुद्दे, सीमावर्ती क्षेत्र,....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुराना भाषण ले आये मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत : कोई बात नहीं, कई बार पुरानी चीज अच्छी लगती है। कोई दिक्कत नहीं है और आपको ज्यादा अनुभव होगा इन बातों का कि पुरानी चीज कौनसी अच्छी लगती है, मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा आपको इतना ही कहना चाहूंगा। मैं अभी पढ़ रहा था आपको। मैंने अभी आपकी दो डिबेट पढ़ी हैं और मुझ बहुत अफसोस हुआ कि आपको तो हाउस के अन्दर जब कभी आपने धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया तो यह तीन मुद्दे जब कभी आये और विशेष रूप से करप्शन को लेकर, आप उससे इतनी गिल्टी काशंन्र हो जाते थे। आप चाहते थे वह मुद्दे नहीं आयें तो ठीक है। करप्शन के नाम से तो आपको नफरत हो गयी हो, आपने नाम लेना ही छोड़ दिया पूर पांच-सात-आठ साल तक, कि मैं करप्शन की बात भी करूं। एक बार मैंने देखा कमलाजी ने आपो टोका कि आपको हो क्या गया है, अगर करप्शन के ऊपर आपके यह विचार हैं। 65 करोड़ रुपये कुछ नहीं होता देश के लिये। यह क्यों बहस चल रही थी इसके अंदर? आपके इस प्रकार के जब मैंने भाषण सुने तो मुझे लगा कि मुझे यह बात आपको कहनी चाहिये। जो मुद्दे आपने पकड़े हैं, वह तीनों इम्पोर्टेंट हैं। चाहे वह करप्शन का हो, चाहे सीमावर्ती क्षेत्र का हो, चाहे अन्तरराज्जीय

(श्री अशोक गहलोत)

मुद्दा हो, कृपा करके आप इन मुद्दों को छोड़े नहीं, आज भी अपनाये रखें। जब हाउस में हम आये थे तब मैंने कहा था कि कम से कम विधायक जीतते ही अपनी सम्पत्ति की घोषणा करे। मैंने स्पीकर साहब से भी निवेदन किया था कि कोई रास्ता ऐसा निकाले।

आम तहलका डाट कॉम को लेकर पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हो रही है। पूरी तरह पार्टी एक्सपोज हो गयी आपकी। लोग घर-घर में चर्चा कर रहे हैं। यह नौबत क्यों आ रही है? यह नौबत इसलिए आ रही है जब तक हम चोट नहीं करेंगे कि वास्तव में इस बीमारी की जड़ कहां है, अगर हम सब मिलकर उसके ऊपर बात नहीं करेंगे तब वह तहलका डाट कॉम की तरह के किस्से आते रहेगे। यह तो वैज्ञानिक युग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अब भी आप अगर इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं आएंगे तो फिर दूसरे से हम कैसे उम्मीद करेंगे। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। अब भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूं कोई रास्ता ऐसा निकाले, राजस्थान से शुरूआत हम लोग करें जिससे कि जैसे ही हम हाउस में आयें, हाउस में आते ही हम अपनी प्रोपर्टी की घोषणा करें। एक ट्रांसपेरेंसी पैदा होगी और मुझे मालूम पड़ा आपने इस मुद्दे को अपनी पार्टी में उठाने की कोशिश की पर शायद आपकी चली नहीं वहां पर। आप कृपा करके भंवर लालजी शर्मा बैठे हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष, आप इस मुद्दे को गंभीरता से लें। कोई रास्ता ऐसा निकाले जिससे कि कम से कम हम इसमें आगे बढ़ सकें, यह मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने बहुत दौरे किये....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम आपका स्वागत करते हैं और आप प्रोपर्टी क्या हमारा पूरा पोस्टमार्टम करना चाहो तो कर लो, कहीं भी एक रंज- मात्र भी नहीं मिलेगा।

श्री अशोक गहलोत : इसी ढ़ग से मेरा एक निवेदन है....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले अपनी टीम का कर लेना। हमें देखना चाहो तो कोई एतराज नहीं है।

श्री अशोक गहलोत : इसी ढंग से सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया। आपने काफी आरोप लगाये वहां पर। आपने यहां तक कह दिया कि राजस्थान में बारह हजार आई.एस.आई. के एजेन्ट घुसे फिर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा बारह हजार एजेन्ट, आपने गिनती की है उनकी क्या? आपने क्या मालूम किया है? आपके पास क्या जानकारी है कि बारह हजार एजेन्ट एकदम आ गये या वह आपके जमाने से आ रहे थे? मुझे अफसोस है सीमावर्ती क्षेत्रों में आप भी पचासों सालों से आते-जाते रहे हैं। आप आठ साल तक शासन में रहे तब वहां पर मदरसे काम कर रहे थे, मदरसे उस वक्त भी थे। जो नेता आज चुने गये हैं, वह उस वक्त थी, कार्यकर्ता थे, काम कर रहे थे। आपको अचानक क्या हो गया कि जो आप मदरसों की बात करने लग

(श्री अशोक गहलोत)

गये अब। आई.एस.आई. के एजेन्टों की बात करने लग गये, मेरी समझ के बाहर है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, आप एक बात बता देओ, पुलिस के रिकार्ड में यहां आई.एस.आई. के कितने एजेन्ट माने गये हैं?

श्री अशोक गहलोत : आप जो फिगर दे रहे हैं, ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं वहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कितने मानेंगे?

श्री अशोक गहलोत : यह कोई होम की डिबेट नहीं है कि मैं इसके ऊपर आपसे बात करूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह बात तीन महीने पहले कही थी....

श्री अशोक गहलोत : वह तो जब आप होम की डिबेट हो तब पूछना, बता देंगे वह भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन महीने पहले मैंने यह बात कही थी और आप कहते हैं मैं संवेदनशील हूं, उत्तरदायी हूं। मैंने बोला तो आप खण्डन करते कि बारह हजार नहीं हैं और इतने हैं। आज भी नहीं कर सकते।

श्री अशोक गहलोत : मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप आंकड़े दे रहे हैं वह तो आपके ठीक हैं, ऐसा कोई वहां पर नहीं है। हमने उस वक्त मीटिंग कर ली। मैंने आपको पहले ही कहा है आपका हर कहा हुआ हम लोग गम्भीरता से लेते हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं कि विपक्ष कुछ भी कहे, उसकी चिन्ता ही नहीं करो क्योंकि हम जानते हैं उसी के कारण आपकी यह दुर्गति हुई कि आपको वहां बैठना पड़ा है वकीलों के साथ। परन्तु हम तो आपकी हर न्यूज पढ़ते हैं। आपकी ही नहीं, बल्कि आपके हर नेता की भी। हम जानते हैं कि इन्होंने कुछ कहा है तो कुछ दम होगा उस बात के अंदर। उसी ढंग से हम एक्ट करना चाहते हैं, यह आपको निवेदन करना चाहूंगा।

तीसरी बात अन्तरराज्यीय समस्याओं की है। आठ साल में आपने इसके लिये कुछ भी नहीं किया। राजस्थान की जनता आपसे उम्मीद करती थी। जो व्यक्ति बहुत जोर-शोर से, मेरी कोई स्टडी नहीं है इसके ऊपर, मैं स्वीकार करता हूं, पर आपकी बड़ी अच्छी स्टडी रही है, बहुत अच्छी। आपने माइन्यूटली हमेशा हाउस के अंदर इन बातों को उठाया है, आठ साल में आपने उस पर कोई कामयाब भाषण नहीं दिया बल्कि आपने उसको गम्भीरता से लिया ही नहीं। और तो और, आपके मित्र प्रकाश सिंह बादल अभी गंगानगर आये थे, आप भी वहां गये थे। आपने भी दौरा किया। मुझे खुशी इस बात की है। जब आप गये थे, दो दिन पानी छोड़ा बादल साहब ने। आप वापस आ गये, बादल साहब भी चले गये और फिर वापस पानी बन्द हो गया। अब पता नहीं आपके और बादल साहब के बीच में क्या समझौता है, मेरी जानकारी में नहीं है। कृपया करके आपकी दोस्ती का कुछ फायदा राजस्थान को मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, आप मुझे एक बात बताओ कि आठ वर्ष के शासनकाल में हमारे अन्तरराज्यीय समझौतों के अनुसार जितना पानी मिलना चाहिए था, उतना पानी मिला या नहीं मिला और आप अपने तीन साल का बता दीजिए कि अन्तरराज्यीय समझौतों के अनुसार भाखड़ा हो, चम्बल हो या गंग केनाल हो, इन केनाल्स में जितना राजस्थान का हिस्सा था, उसमें पानी कितना मिला?

श्री अशोक गहलोत : बादल साहब आपके दोस्त हैं। हम तो कहते हैं आपकी दोस्ती का फायदा राजस्थान को मिले, यह मेरा निवेदन है। मैं चाहूंगा कि आप अभी बात करें, अभी भी वह समस्या....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी बात का जवाब देओ पता लग जाएगा।

श्री अशोक गहलोत : पीने के पानी की भयंकर समस्या है और इस समस्या का समाधान करने में हम आपका सहयोग चाहते हैं। छह जिलों में बहुत भयंकर समस्या पैदा होने वाली है मई-जून के अंदर। हम चाहेंगे कि आपका गुड आफिसेज हम यूज करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा सहयोग मिलेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री अशोक गहलोत : धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके और मेरे विवाद हो सकते हैं, राजस्थान की जनता से विवाद नहीं हो सकते। लेकिन आप अगर यह कहो कि आपने अन्तरराज्यीय समझौतों के अनुसार यह काम किया तो मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि राजस्थान में मेरे शासनकाल में अन्तरराज्जीय समझौतों के आधार पर चाहे बिजली मिलो, चाहे पानी मिलो, कभी कमी नहीं हुई। कभी भी कमी नहीं हुई।

श्री अशोक गहलोत : जब बजट पर डिबेट हो तब इस पर चर्चा कर लेंगे। अलग से कि वास्तव में अगर हुआ है तो हमें खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यह बजट की डिबेट होगी तब बात करेंगे।

मान्यवर, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारे चिन्तन शिविर में ही हमने प्रायोरिटी दी है राजस्थान की सड़कों को। राजस्थान में सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। लम्बे अर्से से जैसे मैंने कहा कि आपके जमाने में भी ठीक नहीं हुई और हमने कोशिश की है कि किस प्रकार से बड़े रूप में इनको हाथ में लिया जाये। पहले फेज में हमने 24 हजार किमी. सड़कों की बड़े रूप में मरम्मत करने का काम हाथ में लिया है और 600 करोड़ रुपये खर्च करके और उसके अंदर आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि हर विधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष दो साल तक 60 किमी. सड़के बनेंगी, रिपेयर होंगी बड़े रूप में। इसके मायने यह हुए कि एक पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूएंसी में करीब एक हजार किमी. सड़के रिपेयर होंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें भारत सरकार का कितना पैसा है?

श्री अशोक गहलोत : एक नया पैसा भी नहीं होगा। एक नया पैसा भी नहीं। एक नया पैसा भी इसके अंदर नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, बजट में कहीं प्रावधान है ही नहीं 600 करोड़ का। 600 करोड़ की घोषणा चिन्तन शिविर में मुख्य मंत्रीजी ने....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो, उसमें है।

श्री अशोक गहलोत : राठौड़ साहब, आपको सड़कों से मतलब है कि पैसे से मतलब है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे सड़कों से भी मतलब है। मुख्य मंत्रीजी, मैं माफी चाहूंगा। आप मुख्य मंत्री हैं, सदन के नेता हैं। आपकी घोषणा, अब आप तो कह रहे थे कि आपको रिसर्च करानी पड़ेगी पर हमने रिसर्च कर ली है और आपने दो-ढाई वर्षों में जितनी घोषणाएं की हैं उनमें से 70 प्रतिशत घोषणाओं को कहीं अमलीजामा पहनाया नहीं। जिस दिन मौका मिलेगा, उस दिन आपको बताएंगे।

श्री अशोक गहलोत : मुझे खुशी होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब देखो जब घोषणाएं आपकी थोथी। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे, अच्छा लगेगा। पर अभी में आपको निवेदन कर दूं कि 600 करोड़ रुपये खर्च करके 24 हजार किमी. सड़के बनाने का प्लान हमने बनाया है और उसमें केन्द्र का कोई पैसा नहीं होगा। इसके अलावा आप जिसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, वह अलग है। जिसमें एक हजार की आबादी वाले जो गांव हैं, उनको जोड़ने का, पी.एम., जी.एस.वाई. का जो पैसा है वह अलग खर्च होगा। नेशनल हाइवेज का अलग पैसा खर्च होगा। सी.आर.एफ. का अलग पैसा खर्च होगा। स्टेट हाइवेज का अलग पैसा खर्च होगा, और जो बी.ओ.टी. की योजना होगी, वह अलग होगी। कुल-मिलाकर करीब 2200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले दो-ढाई साल के अंदर, मैं चाहता हूं सड़कों का काम बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग कर सकें, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर के अभी दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार जो पहले के वर्षों में पैसा देती आ रही थी, उसमें बहुत कटौती की है। दुःख इस बात का है कि एक तरफ तो बी.जे.पी. के शासन के अंदर जो पैसा लैप्स होता था, वह मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा कि आपके शासन में 1996-97 में 25 करोड़ रुपये की वार्षिक कटौती हुई। 1997-98 में 87.24 की कटौती हुई और 1998-99 में 67.46 करोड़ की कटौती हुई। इसके उलट, मुझे दुःख इस बात का है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व अन्य सहायक योजना है उसमें 1997-98, में आपके वक्त में 78

(श्री अशोक गहलोत)

करोड़ रुपये का अलाटमेंट हुआ, वह घट करके अब 2001 में 40 करोड़ का रह गया। जवाहर रोजगार योजना में 181.36 करोड़ रुपये जो 1994-95 में मिले थे। आपके जमाने में, वह अलाटमेंट भी 78.75 पर आ गया। आश्वासित रोजगार योजना में 1998-99 में 166 करोड़ रुपये मिले थे, वह 46.53 पर आ गया। इंदिरा आवास योजना, 60 करोड़ मिले थे 1998-99 में जब आपका शासन था, 43.12 पर आ गया और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर भी 56.92 करोड़ 1998-99 में जो पैसा मिला, अब वह 30 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इस प्रकार से नयी सरकार बनने के बाद में एलोकेशन जो कम हुआ है, मैं चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष की पार्टी भी हमें सहयोग करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो अभी सहयोग करने को तैयार हूं, आप दो बातों को बता दीजिये। आप मैचिंग ग्रांट इमिजियेटली दे देंगे या नहीं? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहले पेश करेंगे या नहीं?

श्री अशोक गहलोत : यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का जहां तक सवाल है, मुझे मालूम है कि जब हम सत्ता में आये थे तो करीब 900 करोड़ रुपये के बकाया थे आपके जमाने के, उसके कारण हमें बहुत भुगतना पड़ा, बहुत सुनना पड़ा दिल्ली से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बता देओ आप।

श्री अशोक गहलोत : उसके बाद में स्थिति बहुत सुधरी। जो आपने कहा है, मैचिंग ग्रांट भी देंगे और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी टाइम पर देंगे, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (व्यवधान) मदद करेंगे आपकी।

श्री अशोक गहलोत : जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, क्योंकि यह भी कई बार हमारे माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये हैं कि पूरा पैसा उपयोग नहीं होता। यह भी मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, दो साल के अन्दर, 1999-2000 में उपलब्ध पैसे हुए 402.16 करोड़ रुपये और खर्च किये 416.98 करोड़ रुपये। इसी तरह से 2000-2001 के अन्दर 472 करोड़ रुपये मिले और 610 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं।

मान्यवर, इसके साथ-साथ अभी आपको मालूम है कि गंगानगर में गंग नहर की समस्या बहुत लम्बे समय से अटकी पड़ी थी और किसानों में बड़ा रोष था। गंगा सिंहजी के वक्त में करीब 75 साल पहले जो नहर बनी उसके बाद में उसमें कुछ काम नहीं हुआ। नहर बहुत जर्जर हालत में पहुंच चुकी थी। आपको जानकर खुशी होगी कि सरकार ने निर्णय किया है कि उस नहर को कैसे हम ठीक करवायें। यह बहुत बड़ा काम होगा, ऐतिहासिक काम होगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय राहत मंत्रीजी के अलवर जिले में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में जो स्टेटमैंट हो, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय तब तक के लिए बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि सदन को जानकर प्रशंसा होगी कि 445 करोड़ रुपये की लागत से यह नहर पूरी ठीक होगी और इनमें से अब तक 45 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। 165 करोड़ रुपये का खर्च पंजाब का जो पोर्शन है गंग नहर का, उसके हिस्से में लगेगा और 235 करोड़ रुपये राजस्थान का जो गंग नहर का पोर्शन है, उस पर खर्च होगा। इस तरह से पूरी योजना हमने बनायी है और मैं उम्मीद करता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, यह योजना बनायी तो ठीक है, अगर आप इस समय गंग केनाल में, चाहे बीकानेर केनाल और गंग केनाल, उसके अन्दर जो सिल्ट पड़ी है, उसका मेरे अनुमान से तीन और चार करोड़ रुपया खर्च होगा, दो-ढाई फीट सिल्ट है, इसको यदि निकलवा दें तो इस नहर की कैरिंग कैपेसिटी माड़र्नाइजेशन का इन्तजार नहीं करेगी, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जायेगी।

श्री अशोक गहलोत : उसको मैं दिखवाऊंगा, क्या कर सकते हैं।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे और उठाये थे जिसमें एक मुद्दा यह भी था, मेरे खयाल से सांवर लालजी ने शायद यह मामला उठाया होगा, हमारे गांव के अन्दर जो पेंशन है वह पेंशन रुक गयी है। मैं आपकी जानकारी में कहना चाहूंगा कि 1998-99 में करीब 28 करोड़ रुपये पेंशन के आप लोग देते थे और करीब पौने दो लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। आपको शायद याद होगा कि जब हम लोग सत्ता में आये थे उसके बाद में हमने राजस्थान भर के अन्दर एक अभियान चलाया था। अभियान यह था कि जिसमें कोई भी गांव में जो वृद्ध है, विधवा है या अपंग है, उन सबको पेंशन मिलनी चाहिए। जब अभियान चला तो उसमें कुछ शिकायतें भी आयी थीं। तब हमने अभियान को रोका था, जांच भी करवायी थी। उसको लेकर पिछली बार सदन में कुछ आलोचना भी हुई थी उसकी, जिसकी तरफ आपने अभी ध्यान आकर्षित किया। शायद मैं समझता हूं कि आपकी जानकारी में नहीं होगा, उसके बाद में वह सर्वे वापस हो चुका था और अब जो 28 करोड़ के आस-पास पैसा

(श्री अशोक गहलोत)

था वह 180 करोड़ रुपये हो गया पेंशन का और पौने दो लाख की जगह आठ लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। पेंशन जो 125 रुपये थी वह तो आपको मालूम है, हमने 200 रुपये कर दी थी और इस बार इस बजट के अन्दर हमने 196 करोड़ रखे हैं उसके लिए। कहने का मतलब यह है कि सोशियल सैक्टर हमारे टाप प्रायोरिटी पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : केन्द्र सरकार का सहयोग भी बता दो।

श्री अशोक गहलोत : वह नहीं के बराबर है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि सेंटर के लिये तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वह बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका अलग पैरामीटर है, उसमें कोई लाख-डेढ़ लाख लोग भी कवर नहीं हो पा रहे हैं। वैंकया नायडूजी को हमने निवेदन किया कि इसको आप बढ़ाओ। उसके लिए वे एग्री नहीं कर रहे हैं। यह पूरा जो पैसा है, 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, जो भी है वह पूरा स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में है, उसके अन्तर्गत हम दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल : चालू करवा दो, रुकी हुई चालू हो जाय।

श्री अशोक गहलोत : तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सवाल पेंशन का नहीं है, सवाल यह है कि सरकार ने एक प्रायोरिटी दी है और मैं समझता हूं आप एप्रिशिएट करना चाहेंगे कि जो सोशियल सैक्टर है उसको हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। उसी के अन्तर्गत हम लोगों ने जो मेडिकल स्कीम्स निकाली थी, इसका लाभ अभी तक भी बहुत कम लोग उठा पाते हैं। जिसमें आपको मालूम है कि 23 लाख लोगों को, जो बी.पी.एल. फैमिली हैं, उन सबके लिए हमने मेडिकेयर कार्ड बना करके मुफ्त में उनको दवाई देने का प्रबंध किया। जो मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष है, जिसमें अभी करीब तीन-साढ़े तीन सौ लोगों ने उसका लाभ उठाया है, उसमें पूरा पैसा, मैं समझता हूं कि यह पहली स्कीम बनी है, बड़ी रकम, चाहे वो पचास हजार हो, चाहे एक लाख हो, चाहे दो लाख हो, पूरी रकम दे करके हम किसी का इलाज करवायें, इस योजना को आप एप्रिशिएट करेंगे। बल्कि मैं कहना चाहूंगा, इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव की बात नहीं है। किसी गांव में कोई व्यक्ति बी.पी.एल. फैमिली का मिले, मैं चाहता हूं उस व्यक्ति को आप मदद करें। मुझे खुशी होगी जिससे उसको लाभ मिल सके।

एक मेरी शिकायत रहेगी आपसे कि यह योजना कोई हमने नयी नहीं बनायी थी, यह योजना जब आप मुख्य मंत्री थे, 1996 के अन्दर तत्कालीन प्रधान मंत्री ने आपको पत्र लिखा, आपको निवेदन किया कि ऐसी योजना आप शुरू करें बी.पी.एल. फैमिली के लिए। मुझे कहते हुए इस बात का दुःख है कि आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, वह योजना आप लागू नहीं कर सके। हम जब सत्ता में आये तो हमने टाप प्रायोरिटी के अन्दर इस योजना को लागू किया, सोसायटी बनायी। आज उसका लाभ

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान में 300 लोगों को जीवनदान मिला है तो मैं समझता हूं आने वाले वक्त में और अधिक लाभ मिलेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसी ढंग से एस.सी., एस.टी. के जो अत्याचार होते हैं, हत्या है, बलात्कार, जो भी है, 85 में इसके नियम बने हुए थे। 10,000 रुपये मिले थे, हमने उनको बदल करके अब एक लाख कर दिया। यह मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने कुछ और फैसले किये हैं, जिसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। दहेज उत्पीड़न को लेकर, मेरे खयाल से यह पहली बार हुआ है देश के अन्दर, कोई महिला अगर दहेज उत्पीड़न के कारण अपंग हो जाती है, असक्त हो जाती है, उस महिला को नौकरी देने का प्रोविजन किया गया है। यह पहली बार हुआ है।

इसी प्रकार हमने यह भी किया है कि किसी की कम्पनसेंटरी ग्राउण्ड पर नौकरी लगती है और आपने सुना होगा, कई बार नौकरी लगने के बाद में वह अपने परिवार की चिन्ता भी नहीं करता। अपनी मदर की चिन्ता नहीं करता, अपने पिता की चिन्ता नहीं करता, अपने भाई-बहनों की चिन्ता नहीं करता है। हमने नयी व्यवस्था करी है, अगर ऐसा व्यक्ति, जो नौकरी लगने के बाद चिन्ता नहीं करेगा तो या तो उसकी वेतन में से कटौती की जायेगी वापस उनको देने के लिए, या उनको नौकरी से वापस निकाल दिया जायेगा। यह हमने नया प्रोविजन किया है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(17.00 बजे)

इसी ढंग से मुझे इस बात की तो खुशी है कि जब-जब भी कोई संकट की घड़ी आती है, चाहे कारगिल की बात हो, चाहे गुजरात में भूकम्प की बात हो, उस पर हम सबने मिलकर कोशिश की, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों। कारगिल का था उस वक्त भी सरकार ने तत्काल निर्णय किये। हमने शहीदों के लिए पैकेज दिया। उस पैकेज की अच्छी प्रशंसा हुई। घर-घर जाने का हम सबको अवसर मिला। आज भी कभी जब मूर्ति का प्रोग्राम होता है, आप, हम और सब जाते हैं। यह परम्परा राजस्थान की है। मैं समझता हूं इसकी आज सर्वत्र प्रशंसा भी होती है और इसी भावना के साथ उड़ीसा में जब भूकम्प आया मैं खुद गया था भुवनेश्वर के अन्दर, मैं देखकर आया। जितना संभव था राजस्थान की जनता की तरफ से अच्छी मदद मिली थी, पूरी मदद हमने वहां पर पहुंचायी। चाहे वह सरकार बदल गयी हो। हालांकि एकाध बार कोई खबर पढ़ने को मिली, कोई आरोप लगा रहा है कि उस पैसे का क्या हुआ, वहां पर हमने उसका हिसाब-किताब दिया। गुजरात के भूकम्प की बात थी तो मुझे कहते हुए गर्व इस बात का है कि गवर्नर साहब का जब मैसेज आया, हमने आपस में बात की, एटहोम कैंसिल हुआ। उसी शाम को मीटिंग करके हम लोगों ने, रात एक-दो बजे

(श्री अशोक गहलोत)

तक तो हमारे यहां से मेडिसंस, पैरा मेडिकल स्टाफ और मशीनरी को हमने वहां भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी और नैक्स्ट डे सुबह, दोपहर तक भुज तक हमारे लोग पहुंच गये। उसकी तारीफ सभी वहां के लोगों ने की और सब लोगों को मालूम है कि राजस्थान के लोग सबसे पहले पहुंचे थे। मुझे कहते हुए खुशी है कि नैक्स्ट डे गवर्नर साहब और प्रतिपक्ष के नेता भी हमारे साथ थे, हम लोग वहां जाकर आये। दो करोड़ रुपये का चैक वहां के मुख्य मंत्रीजी को दिया राजस्थान की तरफ से, आप सबकी तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पूरे प्रदेश की जनता ने, विशेष रूप से हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, उन सबने मिलकर जो मदद की है उसका हमने अलग से फण्ड खुलवाया है जो गुजरात अर्थक्वैक के लिए ही है। उसमें करीब 15 करोड़ रुपया इक्ट्ठा होगा।

हमने तीन गांव गोद लिए हैं। एक टीम भेजी थी। पहले भी जिन्होंने काम किया है लाटूर में, और हम चाहते हैं कि तीन गांवों को कैसे वापस बसाया जाए और ज्यादा कोई गांव की आवश्यकता होगी, जितना पैसा होगा, उसके हिसाब से हम चाहेंगे कि राजस्थान का जो एक पड़ोसी का धर्म था, वह राजस्थान की जनता ने निभाया। आपने और हम सबने निभाया। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के काम हम सब मिलकर कर सकें। अकाल और सूखे की स्थिति की जब बात करते हैं, मुझे कहते हुए खुशी है कि जो हमारे यहां परम्परा रही है उसमें स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, दानदाता हैं, उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी।

मैं समझता हूं कि जो अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन हुआ उसके पीछे हमारी मंशा यही थी। कुछ लोगों को यह भ्रम भी था कि कितना इंवेस्टमेंट हुआ। इंवेस्टमेंट क्यों नहीं आया, शायद आपमें से कई लोगों को मालूम होगा उस वक्त हम यह कह चुके थे कि इंवेस्टमेंट के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम खाली यही चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग बाहर गये हुए हैं, कम से कम वे एक बार राजस्थान में आयें और उनके माध्यम से लाखों-करोड़ों लोग, जो हमारे यहां नहीं आ पायेंगे उनको एक मैसेज जाए। वे अपने गांव के अन्दर चाहे कुएं खुदवाये, चाहे सड़क बनवायें, चाहे स्कूल का एक कमरा बनवायें, दो कमरे बनवायें और स्कूल की बिल्डिंग बनवायें, उनको लगना चाहिए कि हमारी सेवाओं को राजस्थान की गवर्नमेंट रिकागनाइज कर रही है। मैं समझता हूं कि इस मकसद में हम लोग काफी कामयाब रहे और यही कारण है कि एक-एक पार्टी, चारे का काम है, गौशालाओं का काम है, बड़े रूप में कर रही है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

मान्यवर, इसी रूप में पारदर्शी सरकार की बात मैंने कही थी और मुझे यह कहते

(श्री अशोक गहलोत)

हुए खुशी है कि हमने उस दिशा में कोशिश की है। हम कितने कामयाब हुए, यह मैं सदन पर छोड़ता हूं कि वह इसको किस रूप में लेता है।

हमने राइट टू इंफारमेशन एक्ट पास करवाया जो आपके वक्त में नहीं हो पाया था। आपके टाइम में धरने लगे थे और काफी लम्बा धरना चला। मैं रोज आपके मैसेज पढ़ता था कि हम जल्दी विचार कर रहे हैं और कोई फैसला जल्दी करेंगे। एक बार अचानक आपके उप मुख्य मंत्री महोदय गये। पत्रकारों को बुलाया और बात की कि आप क्या बात करते हैं, काहे का धरना दे रहे हो, यह तो हमने तीन पहले दे रखा है, आपको मालूम ही नहीं है। इस प्रकार की बात हुई थी उस वक्त में। अब हमने राइट टू इंफारमेशन एक्ट पास किया है सदन में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलत था क्या, जो कहा है?

श्री अशोक गहलोत : गलत था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत था यह? उप मुख्य मंत्रीजी ने प्रेस कांफ्रेंस में कही वह बात गलत थी क्या?

श्री अशोक गहलोत : गलत थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत नहीं थी। इसका मतलब आपको भी जानकारी नहीं है।

श्री अशोक गहलोत : जानकारी है। मुझे मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यदि पंचायत एक्ट उठाकर देखें और पंचायत रूल्स को देखें तो आपने जो अभी राइट टू इंफारमेशन एक्ट में जो व्यवस्था की है उससे बढ़िया व्यवस्था उन रूल्स में थी।

श्री अशोक गहलोत : आपने यह बात हाउस में क्यों नहीं कही, जब बिल पास हो रहा था तब?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या?

श्री अशोक गहलोत : आप कह रहे हो यह अच्छी थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना मुख्य मंत्रीजी, मुझे जानकारी नहीं है कि आप इतने अनभिज्ञ हैं, नहीं तो मैं बता देता।

श्री अशोक गहलोत : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। वह तो बड़ी कृपा की आपने यह बात कह कर, पर मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं कि जब हाउस में डिबेट हुई, राइट टू इंफारमेशन एक्ट बना, उस वक्त यह बात आपने हाउस में क्यों नहीं कही कि हमारी जो व्यवस्था है आप इसको बिगाड़ रहे हो? यह क्यों नहीं कहा आपने?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिगाड़ नहीं रहा। मैंने यह नहीं कहा कि बिगाड़ें। मैंने यह कहा कि हम आलरेडी कर चुके।

श्री अशोक गहलोत : नहीं, आप नहीं कर चुके थे। यह तो सबको मालूम है कि कैसी व्यवस्था की हुई थी और की हुई थी, तो तीन महीने तक मालूम क्यों नहीं पड़ा आपको, अगर आपने किया उसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मालूम था आप धरना दिलवा रहे थे। आपको मालूम नहीं था यह मेरी बदकिस्मती है।

श्री अशोक गहलोत : वे लोग आपसे मिले थे, हमारे लोग नहीं थे वे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रोज जाकर धरने पर बैठते थे और मुझे इस बात का अफसोस है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता को इतनी-सी जानकारी नहीं है कि पंचायत एक्ट के रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी है। जिस दिन दो बड़े-बड़े पत्रकार मेरे से मिले और मुझे कहने लगे कि आपने यह क्यों नहीं किया, मैंने कहा अफसोस है। न आपने पढ़ा, और उस समय कांग्रेस के नेता की सलाह पर जो धरना दे रहे हैं, न उन्होंने पढ़ा है। यह मेरी गलती नहीं है। रूल्स ले जाओ, देख लेओ। जब रूल्स उनको दिया, उसी दिन धरना उठ गया।

श्री अशोक गहलोत : मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, मैं उस धरने में एक बार भी नहीं गया हूं। मैं उस धरने में एक बार भी नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बहुत होशियार हैं बैठने के लिए कभी नहीं जाते, उकसाने में मास्टर हैं।

श्री अशोक गहलोत : न तो मैं गया। आपने अभी कहा, मैं जाकर बैठता था रोज। न मैं कभी धरने में गया, न मैंने कभी धरनार्थियों से और न उन्होंने मुझसे बात करना उचित समझा। मेरा कमिटमेंट था। जब ब्यावर के अन्दर उन्होंने कोई धरना दिया मैं फलौदी के अन्दर था। मैंने खाली छह लाइन की न्यूज पढ़ी, उस दिन आपके दोस्त थे, मेरे दोस्त नहीं थे, यह आप भूल जाते हैं। मैंने खाली छह लाइन की न्यूज पढ़ी थी कि सूचना के अधिकार को लेकर धरना हो रहा है उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि कमिटमेंट की खातिर मेरे को भी इस काम को करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया जो अच्छा किया।

श्री अशोक गहलोत : यह बात थी। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज 21 विभागों के नागरिक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसको लागू करवा दीजिए।

श्री अशोक गहलोत : लागू हो चुका 26 जनवरी को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छह महीने तक तो आपने रूल्स नहीं बनाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह तय नहीं किया कि इसकी फीस क्या होगी। मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा कि आपने कानून तो बना दिया, वाहवाही तो लूट ली, कम से कम कितने कागज लेने पर कितनी फीस लगेगी उसकी व्यवस्था तो कर दीजिए वरना आप तो भूल गये थे। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा लेटर पहुंचने के बाद आपने तत्काल कार्यवाही की।

श्री अशोक गहलोत : चलो, यह बात तो आप मान ही गये कि मैं आपके पत्रों को कितनी गम्भीरता से लेता हूं। मैं

(श्री अशोक गहलोत)

आपको कहना चाहता हूं, आप छह महीने की बात कर रहे हैं, चार-छह महीने की अलग बात है परन्तु रूल्स बनने में वक्त लगता है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हमने एन.जी.ओ. को इन्वाल्व करके रूल्स बनाये थे, इसलिए वक्त लग रहा था। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 21 विभागों के नागरिक अधिकार—पत्र हमने जारी किये हैं, इसके अलावा उनको इन्टरनेट पर रखा गया है। इसके साथ-साथ जो अकाल राहत के काम चलते हैं इसके लिए भी आपको मालूम है कि काफी आरोप लगते थे यह सोचकर हम लोगों ने यह तय किया, इसकी भी हमने वेबसाइट बनवायी है जिससे ट्रांसपेरेंसी रह सके और सोशल आडिट कराने का भी हमने तय किया है जिससे करप्शन की शिकायत नहीं आये। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अलावा एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को हमने काफी स्ट्रैंथन करने की कोशिश की है। दो डी.आई.जी., चार एस.पी., आर.ए.एस. आफिसर्स और तकनीकी अधिकारी ये हमने वहां पर दिये हैं। हमारी कोशिश है कि हम सब मिलकर क्यों नहीं करप्शन को लेकर इसमें कुछ काम करें, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इसी तरह हमने एक नया प्रयोग राजस्थान में किया है। सी.बी.सी. सिस्टम का, चीफ बिजिलेंस कमिश्नर, इसको 14 विभागों के जो अधिकारी हैं, सी.बी.ओ. हमने नियुक्त कर दिये हैं। इस प्रकार इसमें मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा कि करप्शन को लेकर किस प्रकार से सब मिलकर कुछ करें ताकि एक वातावरण बन सके, इसमें हम कुछ कामयाब हो सकें।

मान्यवर, इसके अलावा मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आज हमारा कमिटमेंट है कि शिक्षा को कैसे शत-प्रतिशत करने की कोशिश करें। अभी जो आंकड़े आये हैं उसमें काफी अच्छे परसेंटेज पर हम लोग पहुंचे हैं। कल हाउस में बहस हो रही थी तो गुलाब चन्दजी कटारिया कह रहे थे कि हम लोगों ने आठ साल में क्या किया। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि एक दिन में ये परसेंटेज बढ़ते नहीं हैं, सबके सम्मिलित प्रयास से ही बढ़ते हैं। सबने अपने-अपने तरीके से काम किया, करने की कोशिश करनी चाहिए। अब भी मेरा कमिटमेंट है और मेरा निवेदन रहेगा, यह काम इतना बड़ा काम है जब तक वातावरण नहीं बनता है तब तक यह सक्सेज नहीं मिल सकती। वातावरण बनने में आपने आठ साल देख लिया, कोशिश करके देख लिया। चाहे वह लोक जुम्बिश हो, डी.पी.ई.पी. हो, शिक्षाकर्मी योजना हो और चाहे राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं हों। आज राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खुलीं, यह तो आप मानेंगे कि पांच लाख साठ हजार बच्चों ने एडमिशन लिया। फिर भी संख्या सात लाख हो गयी। तो हम सब लोग कोशिश करेंगे तो लोगों में

(श्री अशोक गहलोत)

मिलकर भावना आएगी कि राजस्थान कम से कम शिक्षा के मामले में पीछे नहीं रहे।

हम बिहार से पीछे थे, पहले। बिहार के बराबर थे समझ लीजिए। आज हम काफी आगे बढ़े हैं। हम मिलकर चलेंगे तो मैं समझता हूं इस क्षेत्र में हमें काफी सफलता मिलेगी, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा कहने को तो बहुत सारी बाते हैं। एस.सी., एस.टी. के लिए आप सबको मालूम है कि हमारा जो कमिटमेंट है, ओ.बी.सी. के लिए, उन सबके आरक्षण को हमने डबल किया था। आठ परसेंट से सौलह परसेंट किया और छह परसेंट से बारह परसेंट किया। ओ.बी.सी. के लिए इक्कीस प्रतिशत आरक्षण किया गया है। जो जातियां छूट गयी थीं वह जातियां करीब-करीब आ चुकी हैं। वह माइनोरिटीज की कम्युनिटी की जातियां भी शामिल हैं। इस प्रकार से एस.सी., एस.टी. के होस्टल्स को प्रायोरिटी दी है। नये बनाने के अन्दर भी, और जो 450 रुपये मिलते थे उनको 675 रुपये किये हैं। इस बजट के अन्दर भी हमने सोशियल सैक्टर को काफी प्रायोरिटी दी है और तो और जो भगवान महावीर के जन्म कल्याणक वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने टार्गेट बनाया है पच्चीस हजार जो पोलियो करैक्शन कैम्प के माध्यम से उनका इलाज करने का और सात करोड़ रुपये रखे गये हैं, मैं समझता हूं इसमें भी जब तक सब सहयोग नहीं करेंगे तब तक पच्चीस हजार का आंकड़ा पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि डाक्टर भी नहीं मिलते इतने। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे कामों के अन्दर हम लोग आगे आएं और उसमें कुछ हम लोग कर सकें।

इसी प्रकार से माइनोरिटीज के लिए हमने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करने का काम, हमने 600 उर्दू अध्यापक रखे हैं सर्विस के अन्दर। हज यात्रियों के लिए पहली बार हमने दो लाख रुपये का बीमा करवाया। उसकी प्रिमियम सरकार दे रही है पिछली साल से और इस प्रकार की जो योजनाएं हैं काफी लम्बी लिस्ट है, मैं नहीं कहना चाहता। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया है उनको मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन्होंने अपनी आशंकाएं प्रकट की हैं वह सब हमने नोट की हैं उसके आधार पर हम उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इसको पास करने की कृपा करें।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डा. करण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

माननीय सहायता मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा। मंत्रीजी, कोटा के अन्दर आज बहुत तूफान आया बताते हैं। बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लाइनें गिर गयीं। यदि आपको कुछ जानकारी हो, संभवतया आपको जानकारी निश्चित होगी क्योंकि कोटा से जो माननीय सदस्य आते हैं मंत्रीजी, उनके पास वहां से टेलीफोन आया है, काफी नुकसान हुआ है तो सदन को जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्य में ओलावृष्टि, पिछले कुछ दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान होने की सूचना मिल रही है। सहायता विभाग द्वारा जिला कलक्टर्स से ओलावृष्टि में हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जिला कलक्टर, झुंझुनूं से तहसील–झुंझुनूं के मोरोक, काली पहाड़ी, हैजमपुरा, खाजुपुरा, चिचनोडी तथा तहसील–उदयपुरवाटी के खरकण, तितलवाड, मांगलास की रोही कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को मामूली नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई है। वास्तविक खराबी का सर्वेक्षण जिला कलक्टर द्वारा किया जा रहा है। अलवर जिला कलक्टर द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई है कि जिला–अलवर के ग्राम पंचायत–ठेहरा के गांव–धादीकर, हाजीपुरा के पशुपालकों की 127 बकरियां कल दिनांक 18.4.2001 को आयी ओलावृष्टि के कारण मरीं। जिला कलक्टर, अलवर ने 250 रुपये प्रति बकरी के हिसाब से सम्बन्धित पशुपालकों को सहायता राशि वितरित कर दी है। फसलों के नुकसान के बारे में सर्वे करवाया जा रहा है। जिला–करौली के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है किन्तु जिला कलक्टर ने दूरभाष पर सूचना दी कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ।

दौसा एवं लालसोट तहसील में भी मामूली ओलावृष्टि हुई, इससे किसी नुकसान की रिपोर्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ओलावृष्टि फालतू ही हो गयी, नुकसान नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा सूचित किया गया कि कोटा संभाग में भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। अन्य जिलों से अभी तक ओलावृष्टि से नुकसान होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सभी जिला कलक्टरों को सूचना भिजवाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने, जन हानि होने एवं पशुधन की हानि होने से आपदा राहत कोष के नियमों के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। इन नियमों के तहत

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सहायता के मापदण्ड निर्धारित हैं। जिला कलक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रभावित व्यक्ति, परिवारों को नियमानुसार सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विचार ही करोगे क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रिपोर्ट तो आयेगी। नुकसान और खराबी का मालूम ही नहीं है, अब क्या करें ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, सुन लीजिये पहले....(व्यवधान) आप विराजें।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : हिण्डौली के अन्दर बिजली गिरने से....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना चाहते हैं कि नहीं ? पहले सुनिये उनको। आप विराजें।

श्री नाथूलाल गुर्जर : हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में एक व्यक्ति मर गया.... (व्यवधान) दूसरे के चोटें आयी हैं, बिजली गिरने से आयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री नाथूलाल गुर्जर : आज ही सूचना मिली है। सदरगंज गांव के अन्दर बिजली गिरने से सात भैंसे मरी हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर ओलावृष्टि आदि से नुकसान होने की सूचनाएं बराबर मिल रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित जिलों में हुए नुकसान का तत्काल सर्वे भी करवाया जाकर रिपोर्ट जिला कलक्टर से मांगी गयी है। जिला कलक्टर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रभावित व्यक्ति, परिवारों को सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा। अभी मुझे बानसूर से आने वाले माननीय विधायक ने सूचना दी है कि 15.4.2001 को विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बिजली गिरने से एक किसान खेत में ही मर गया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कौनसे गांव का कौन व्यक्ति था, उसकी अगर सही सूचना देंगे तो मैं उसको भी सहायता विभाग से, जिलाधीश से जानकारी प्राप्त करके सहायता विभाग के नियमों के अनुसार उसको भी सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.16 बजे शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-213 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

पी.ई.एल.

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल	किसके पक्ष में	अवधि
1	2	3	4	5
1.	घोटारू जिला जैसलमेर	10.4 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	27.2.1995 से चार वर्ष तत्पश्चात् एक-एक वर्ष के दो नवीनीकरण दिनांक 26.2.2001 तक
2.	खारातार जिला जैसलमेर	1.0 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	18.2.1996 से 4 वर्ष तत्पश्चात् एक वर्ष के नवीनीकरण दिनांक 17.2.2001 तक
3.	बाकरीवाला जिला जैसलमेर	1.0 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	18.1.1995 से 4 वर्ष तत्पश्चात् एक-एक वर्ष के दो नवीनीकरण दिनांक 17.1.2001 तक
4.	बांकियाटीबा जिला जैसलमेर	9.5 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	10.1.1997 से 4 वर्ष दिनांक 9.1.2001 तक
5.	म्याजलार पूर्व जिला जैसलमेर	2320 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	27.8.1996 से 4 वर्ष तत्पश्चात् एक वर्ष के नवीनीकरण दिनांक 26.8.2001 तक
6.	खारातार डब्ल्यू-जैड जिला जैसलमेर	4.5 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	10.4.1996 से 4 वर्ष तत्पश्चात् एक वर्ष के नवीनीकरण दिनांक 9.4.2001 तक
7.	सादेवाला जिला जैसलमेर	4.2 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	3.7.1995 से चार वर्ष तत्पश्चात् एक-एक वर्ष के दो नवीनीकरण दिनांक 2.7.2001 तक

1	2	3	4	5
8.	दक्षिण खारातार जिला जैसलमेर	395 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	6.8.1997 से 4 वर्ष दिनांक 5.8.2001 तक
9.	शाहगढ़ जिला जैसलमेर	5390 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल. फीनिक्स	1.6.97 से 4 वर्ष दिनांक 31.5.2001 तक
10.	सादेवाला बांकिया जिला जैसलमेर	532 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल.	23.2.1998 से 4 वर्ष दिनांक 22.2.2002 तक
11.	आर.जे./ओ.एन./90/1 जिला बाड़मेर व जालौर	6221 वर्ग कि.मी.	ओ.एन.जी.सी.एल/ शैल/केर्न एनर्जी	15.5.1995 से चार वर्ष तत्पश्चात् एक-एक वर्ष के दो नवीनीकरण दिनांक 14.5.2001 तक
12.	लुन्डेट-पश्चिमी राजस्थान	6150 वर्ग कि.मी	आयल इण्डिया लि.	1.1.1997 से 4 वर्ष तत्पश्चात् एक वर्ष के नवीनीकरण दिनांक 31.12.2001 तक
13.	आर.जे.-ऑ.एन. 5 जिला गंगानगर बीकानेर और चूरू	11968 वर्ग कि.मी	ऑयल इंडिया लि./एस्सार/ पी.ओ.जी.सी.	1.10.1996 से 4 वर्ष तत्पश्चात् एक वर्ष के नवीनीकरण दिनांक 30.9.2001 तक
	कुल	**33006.6 वर्ग कि.मी.**		

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-215 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

गत पांच वर्षों में सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट व वन विभाग को विभिन्न मदों में आबंटित राशि का विवरण

क्र.सं.	मद	कार्यालय बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाईमाधोपुर (वर्ष 1995-96 से 1999-2000) रुपये लाखों में	कार्यालय उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी सवाईमाधोपुर (वर्ष 1995-96 से 1999-2000) रुपये लाखों में
1.	प्रस्थापना व्यय हेतु (कार्यालय व्यय सहित)	788.46	683.37
2.	कार्यों के अनुरक्षण हेतु	197.83	90.57
3.	नवीन कार्यों हेतु	783.43	659.54
	योग	**1769.72**	**1433.48**

परिशिष्ट "ब"

गत पांच वर्षों में सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में विभिन्न मदों में व्यय राशि का विवरण (वर्ष 1995-96 से 1999-2000)

क्र.सं.	मद	व्यय राशि (रुपये लाखों में)
1.	प्रस्थापना व्यय हेतु (कार्यालय व्यय सहित)	74[illegible].48
2.	कार्यों के अनुरक्षण हेतु	157.93
3.	नवीन कार्यों हेतु	464.86
	योग	**1366.27**

परिशिष्ट "स"

गत पांच वर्षों में सवाईमाधोपुर बाघ परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये एनीकट/तलाई, उन पर व्यय हुई राशि एवं वर्तमान में पानी की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	एनीकट/तलाई का स्थान	व्यय हुई राशि रुपये लाखों में	पानी की उपलब्धता की स्थिति	
1	2	3	4	5
1.	रण की तलाई	1.44		पानी उपलब्ध नहीं है
2.	चिरोली तलाई	2.36		पानी उपलब्ध नहीं है
3.	फिरोजपुर तलाई	1.32		पानी उपलब्ध नहीं है
4.	तूती का नाला	3.64		पानी उपलब्ध नहीं है
5.	सोनकच्छ तलाई	1.65		पानी उपलब्ध नहीं है
6.	मिश्रदरा एनीकट	3.83	पानी उपलब्ध है	
7.	अमरेश्वर एनीकट	2.42		पानी उपलब्ध नहीं है
8.	एनीकट लोकलनाला बहरावण्डा	4.94		पानी उपलब्ध नहीं है
9.	एनीकट विन्दाकड़ा	9.99		पानी उपलब्ध नहीं है
10.	एनीकट खटुपुरा	3.58		पानी उपलब्ध नहीं है
11.	तलाई खिलचीपुर	2.75		पानी उपलब्ध नहीं है
12.	तलाई पटाव बैरवा बस्ती तलावडा	1.50		पानी उपलब्ध नहीं है
13.	एनीकट पुराना तलाब भदलाव	7.50		पानी उपलब्ध नहीं है
14.	तलाई भदलाव	0.74		पानी उपलब्ध नहीं है
15.	एनीकट मरम्मत भदलाव	1.34		पानी उपलब्ध नहीं है
16.	तलाई भदलाव	0.27		पानी उपलब्ध नहीं है
17.	तलाई बस्सो	1.51		पानी उपलब्ध नहीं है
18.	प्रेतबाबा की तलाई उलियाना	2.22		पानी उपलब्ध नहीं है
19.	तलाई महाखो हिन्दवाड़	1.47		पानी उपलब्ध नहीं है
20.	तलाई मरम्मत हिन्दवाड़	0.23		पानी उपलब्ध नहीं है
21.	तलाई कालीभाट	1.49		पानी उपलब्ध नहीं है
22.	एनीकट कैलाशपुरी	2.48		पानी उपलब्ध नहीं है

1	2	3	4	5
जिला करौली				
23.	तलाई घेर का पुरा	0.76	पानी उपलब्ध है	
24.	तलाई बनीजरा	1.51	पानी उपलब्ध है	
25.	एनीकट कैरीउमर	1.94	पानी उपलब्ध है	
26.	एनीकट केदार की खो	2.90		पानी उपलब्ध नहीं है
27.	एनीकट अमुनावाला नाला	4.39		पानी उपलब्ध नहीं है
28.	एनीकट निमेरा	2.72		पानी उपलब्ध नहीं है
29.	एनीकट लखरू की	4.08		पानी उपलब्ध नहीं है
30.	एनीकट राहिर	3.07		पानी उपलब्ध नहीं है
31.	कैमनवाला नाला	3.58	पानी उपलब्ध है	
32.	तलाई निमेरा	1.55	पानी उपलब्ध है	
33.	तलाई चिरमिल	2.33		पानी उपलब्ध नहीं है
34.	एनीकट कैरी उमर	3.08		पानी उपलब्ध नहीं है
35.	तलाई पटवरी कोर कापुरा	1.98	पानी उपलब्ध है	
36.	तलाई भोलाजी कोर का पुरा	0.85		पानी उपलब्ध नहीं है
37.	तलाई रूध वाली बीचकापुरा	0.50		पानी उपलब्ध नहीं है
38.	तलाई मनीकापुरा	0.49		पानी उपलब्ध नहीं है
39.	तलाई रोगकीपुरा	1.05	पानी उपलब्ध है	
40.	तलाई कालाकूच वनीजरा	2.00		पानी उपलब्ध नहीं है
41.	तलाई गोधुरी वाली वनीजरा	1.98	पानी उपलब्ध है	
42.	तलाई बहेरा वाली/वनीजरा	1.52		पानी उपलब्ध नहीं है
43.	तलाई नसीर का नाला/करोड	2.99	पानी उपलब्ध है	
44.	तलाई रोडवाली	1.49	पानी उपलब्ध है	
45.	तलाई करोड	1.49		पानी उपलब्ध नहीं है
46.	तलाई करोड	0.61		पानी उपलब्ध नहीं है
47.	तलाई खिजूरा	1.72		पानी उपलब्ध नहीं है
48.	तलाई दयारामपुरा	1.98		पानी उपलब्ध नहीं है
49.	तलाई भैरूजी/दयारामपुरा	1.99	पानी उपलब्ध है	
50.	तलाई नवलावाला/दयारामपुरा	1.99	पानी उपलब्ध है	

1	2	3	4	5
51.	तलाई छोटी वाली	1.00		पानी उपलब्ध नहीं है
52.	तलाई चिरमिल	1.99		पानी उपलब्ध नहीं है
53.	तलाई चिरमिल	1.99	पानी उपलब्ध है	
54.	तलाई मरमदा	2.00	पानी उपलब्ध है	
55.	तलाई शपवेली	1.00	पानी उपलब्ध है	
56.	तलाई गढीगांव	1.78	पानी उपलब्ध है	
57.	तलाई मौरोची	1.71		पानी उपलब्ध नहीं है
58.	तलाई लखरूकी	2.79		पानी उपलब्ध नहीं है
59.	तलाई कल्याणपुरा	2.00		पानी उपलब्ध नहीं है
60.	तलाई चौडकपा	2.00	पानी उपलब्ध है	
61.	तलाई महाराजपुरा	1.48		पानी उपलब्ध नहीं है
62.	तलाई महाराजपुरा–II	0.30		पानी उपलब्ध नहीं है
63.	तलाई कुडका/निमेरा	1.87	पानी उपलब्ध है	
64.	तलाई वाधनकापुरा	1.64		पानी उपलब्ध नहीं है
65.	तलाई चचेडी–I	1.79		पानी उपलब्ध नहीं है
66.	तलाई चचेडी-III	1.78		पानी उपलब्ध नहीं है
67.	तलाई चचेडी	0.43		पानी उपलब्ध नहीं है
68.	तलाई गोपालजीवालेर	1.72		पानी उपलब्ध नहीं है
69.	तलाई मौरोज	2.78		पानी उपलब्ध नहीं है
70.	तलाई रूपनानाजी	0.63		पानी उपलब्ध नहीं है
71.	तलाई ईसरदा नानाजी	0.73		पानी उपलब्ध नहीं है
72.	तलाई खामरना/वालेर	1.60	पानी उपलब्ध है	
73.	तलाई वालाजी	1.94	पानी उपलब्ध है	
74.	तलाई हीरामन/वालेरपूर्व	3.43	पानी उपलब्ध है	
75.	एनीकट भैरूजी	0.01		पानी उपलब्ध नहीं है
76.	तलाई खुरानी वाजौली	0.71		पानी उपलब्ध नहीं है
77.	एनीकट भटकाव वानौली	0.62		पानी उपलब्ध नहीं है
	कुल व्यय	**156.96**		

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर मण्डावर से अलवर के लिये सायंकालीन बस सेवा

216. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावर से अलवर के लिये सायंकाल में राजस्थान राज्य पथ परिवहन की एक भी बस संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डावर तहसील मुख्यालय होते हुए भी निगम की एक भी बस जयपुर के लिए संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मण्डावर से अलवर सायंकालीन बस सेवा तथा मण्डावर से जयपुर के लिए बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। मण्डावर से अलवर के लिए एक निगम बस सेवा सायंकाल 17.15 बजे प्रस्थान करती है जो अलवर 19.15 बसे पहुंचती है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में मण्ड़ावर से जयपुर के लिए निगम की दो सेवाएं उपलब्ध हैं। जिसमें एक बस प्रातः 10 बजे मण्डावर से जयपुर (वाया अलवर) एवं दूसरी बस हरसौली से 6.30 बजे प्रस्थान कर (वाया मण्डावर) जयपुर संचालित हो रही है।

(3) वर्तमान में मण्डावर से इन दोनों मार्गों पर निगम की बस सेवाएं संचालित हो रही है।

राज्य में मानव विकास प्रतिवेदन के प्रकाशन हेतु कार्यवाही

217. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मानव विकास प्रतिवेदन का विमोचन नवम्बर, 1999 में राजस्थान के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने गैर सरकारी संस्था द्वारा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदन का अध्ययन कर राज्य में इसकी उपयोगिता का आकलन किया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा इसके आधार पर प्रदेश में मानव के विकास के लिये कोई कदम उठायें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक की तरह राजस्थान का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) सरकार द्वारा उक्त प्रकार का प्रतिवेदन अभी तक तैयार कर प्रकाशित नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अन्तरराष्ट्रीय विकास संस्थान, राजस्थान चैप्टर जो कि एक गैर राजकीय संस्थान है तथा उक्त संस्थान के स्वयं के स्तर पर यूएनडीपी प्रतिनिधि डा. जोली को संस्थान द्वारा आमंत्रित करने तथा तैयार किये गये मानव विकास प्रतिवेदन के विमोचन अवसर पर समारोह की अध्यक्षता माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान द्वारा की गई। उक्त प्रतिवेदन निर्माण में राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों का किसी तरह का प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा यूंएनडीपी के दिशा-निर्देश एवं वित्तीय सहायता से मानव विकास प्रतिवेदन राजस्थान के सरकारी दस्तावेज निर्माण के रूप में कार्य करवाया जा रहा है जिसके निकट भविष्य में प्रकाशन होने की संभावना है।

(2) जी, हां। प्रतिवेदन का अन्तिम प्रारूप राज्य सरकार के विभिन्न शासन सचिवों के स्तर पर विचार-विमर्श कर तथा विषय वस्तु की जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन अनुमोदित कर दिया गया है तथा UNDP द्वारा निर्धारित शोध संस्थान संकेत को तदनुसार प्रतिवेदन प्रारूप तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान कर दिये हैं। उक्त संस्थान द्वारा प्रतिवेदन का प्रकाशन शीघ्र ही करा दिया जायेगा।

(3) शासकीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत प्रतिवेदन के अन्तिम अनुमोदन से पूर्व सम्बन्धित शासन सचिवों द्वारा वस्तु सामग्री की सूक्ष्म जांच कर पुष्टि कराना अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। यह सरकारी दस्तावेज तथा राज्य शासन का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन होने के कारण प्रतिवेदन में ज्यादा से ज्यादा वस्तु सामग्री का समावेश सम्मिलित किये जाने के कारण समय लगना स्वाभाविक है।

भौड़की व सीगनोर (झुंझुनूं) में ग्रिड सब–स्टेशन की स्थापना

218. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुर वाटी के भौड़की-सीगनोर-रघुनाथपुरा तथा पोसाना गांवों को किस-किस ग्रिड सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा उन पर किस-किस क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं?

(2) उक्त ग्रामों में कितने-कितने विद्युत कनेक्शन है तथा उन सबका कुल कितना भार है?

(3) क्या यह सही है कि कुल भार को देखते हुए ट्रांसफारमर्स की क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है?

(4) क्या यह भी सही है कि भार क्षमता को देखते हुए ग्राम भौड़की तथा सीगनोर में नये ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की

(श्री शिवनाथ सिंह)

आवश्यकता है? यदि हां, तो उक्त दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम पोसाना का पूरा क्षेत्र व भोड़की के कुछ क्षेत्र को 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन गुडागोरजी से 11 के.वी. फीडर द्वारा व ग्राम सीगनोर, रघुनाथपुरा का पूरा क्षेत्र तथा भोड़की के शेष क्षेत्र को उससे जुड़े 33 के.वी.ए., घमौरा सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 132 के.वी.ए., जी.एस.एस. गुडागोरजी व 33 के.वी.ए., घमौरा सब-स्टेशन पर स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	जी.एस.एस. का नाम	वोल्टेज के.वी. में	ट्रांसफार्मरों की संख्या	प्रत्येक ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता (एम.वी.ए.)	कुल क्षमता (एम.वी.ए.)
1.	गुढ़ागोरजी	132/33/11	2	12.5	25.0
		132/33	1	12.5	12.5
2.	घमौरा	33/11	2	3.15	6.30

(2) उक्त ग्रामों में विभिन्न श्रेणी के कुल 1973 कनेक्शन हैं, जिनका कुल भार 7146 किलो वाट है। ग्रामवार उपभोक्ताओं की संख्या व उनका भार निम्नप्रकार है :—

ग्राम का नाम	कनैक्शनों की संख्या	कुल भार (किलोवाट में)
भोड़की	1013	3022
सीगनोर	421	1683
रघुनाथपुरा	346	1405
पोसाना	193	1036

(3) जी, नहीं।

(4) स्थापित ट्रांसफार्मर क्षमता व ब्लाक में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था होने के कारण ग्राम भोड़की सीगनोर में फिलहाल नये सब-स्टेशन बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

किसान कार्ड योजना से किसानों को लाभ

219. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में सरकार ने किसान कार्ड योजना लागू की है? यदि हां, तो कबसे?

(2) क्या राजस्थान के विभिन्न जिलों में किसान कार्ड बने हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने व्यक्तियों के?

(3) किसान कार्ड योजना क्या है और इससे किसानों को क्या फायदे हैं?

(4) क्या सरकार सभी किसानों को उक्त सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1 अप्रैल, 1999 से लागू की गई है।

(2) जी, हां। राज्य के सभी 32 जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं। किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि ऋण निर्धारित सीमा तक उपलब्ध करवाये जाते हैं। योजना के अन्तर्गत कृषकों को एक किसान कार्ड कम पास बुक उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें पहचानस्वरूप कृषक का फोटो के साथ-साथ उससे संबंधित अन्य सूचनाएं यथा नाम, पता, साख सीमा, भूमि विवरण, सिंचाई के साधन आदि उपलब्ध रहते हैं। कार्ड कम पास बुक के अतिरिक्त कृषक को स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत लेन-देन करने हेतु चैक बुक उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे जब चाहे जितना चाहे, ऋण स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत सीधा केन्द्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त कर सके। इसके फलस्वरूप किसान अपनी सुविधानुसार स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत लेन-देन कर सकता है तथा चैक से ऋण प्राप्त करने के फलस्वरूप एक तो उसे अपने खाते की हर समय पूरी जानकारी रहती है तथा लेन-देन में भी पारदर्शिता बनी रहती है। उसे यह भी जानकारी बनी रहती है कि उसकी कितनी साख सीमा स्वीकृत है, कितना ऋण बकाया है ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरत के अनुसार ऋण ले सकते हैं।

(4) उक्त योजना ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के समस्त सदस्यों के लिए खुली है। इच्छुक सदस्य जब चाहे नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

जी, हां। अभी महाभियान के वक्त 320516 कार्ड वितरित किये गये। पहले 1000984 कार्ड किसानों को दिये जा चुके हैं। कुल 1424635 किसानों को कार्ड फरवरी, 2001 तक वितरित किये जा चुके हैं। आगे प्रक्रिया चालू है।

परिशिष्ट "1"

किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण की जिलेवार सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	माह फरवरी, 2001 तक वितरित किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	36632
2.	अलवर	60582
3.	बांसवाड़ा	40831
4.	बाड़मेर	55851
5.	भरतपुर	50580
6.	धौलपुर	15316
7.	भीलवाड़ा	52499
8.	बीकानेर	38490

1	2	3
9.	बून्दी	22099
10.	चित्तौड़गढ़	77423
11.	चूरू	69526
12.	डूंगरपुर	17021
13.	जयपुर	57105
14.	दौसा	25368
15.	जैसलमेर	7849
16.	जालौर	37990
17.	झालावाड़	47702
18.	झुंझुनूं	47750
19.	जोधपुर	60102
20.	कोटा	41227
21.	बारां	33235
22.	नागौर	64683
23.	पाली	59680
24.	सवाईमाधोपुर	45436
25.	करौली	30890
26.	सीकर	53947
27.	सिरोही	11079
28.	श्रीगंगानगर	82558
29.	हनुमानगढ़	57676
30.	टौंक	47934
31.	उदयपुर	41193
32.	राजसमन्द	34381

तहसील कोटड़ा के ग्रामों का जनजाति क्षेत्र में विलय

220. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की तहसील कोटड़ा के आधे से अधिक गांव ताड़ा माड़ा योजनान्तर्गत है फिर भी गत दो वर्षों में सरकार द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त श्रेणी के गांवों के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा है? गत दो वर्षों में माड़ा क्षेत्र के विकास हेतु किन-किन तहसीलों को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की तहसील कोटड़ा की सीमा से जुड़े तहसील गोगुन्दा के ग्राम शिवड़िया, दादीया, सेनवाड़ा, सूरजगढ़, मोरवल, पाटीया, पालीदाना, बागूनी, मघा तथा पंचायत क्षेत्र रावछ, चित्रावास आदि को जनजाति क्षेत्र का एक ब्लाक बनाकर जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित करने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पूर्ण कोटड़ा तहसील जनजाति उपयोजना क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) के अन्तर्गत आती है, न कि माड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत। राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः राशि का आबंटन

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

तहसीलवार नहीं किया जाता है बल्कि जिलेवार/परियोजनावार किया जाता है। गत दो वर्षों में, उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में क्रमशः रुपये 37.49 लाख एवं रुपये 116.68 लाख की राशि व्यय की गई है। मदवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "1" पर है। माडा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली तहसीलों के विकास हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गयी है :—

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	तहसील	वर्ष 1999-2000	2000-2001
1.	भीण्डर	9.432	96.478
2.	गोगुन्दा	24.379	29.102
3.	मावली	—	3.922
4.	गिर्वा	1.555	4.65

माड़ा कार्यक्रम के अन्तर्गत मदवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "2" पर तथा बिखरी आबादी कार्यक्रम के अन्तर्गत मदवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(2) न केवल कोटड़ा की सीमा से जुड़े गोगुन्दा तहसील के ग्रामों को बल्कि नवगठित उदयपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव वर्ष 1996 में भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। उक्त प्रस्तावों पर भारत सरकार से निर्णय अपेक्षित है।

परिशिष्ट "1"

गत दो वर्षों में कोटड़ा तहसील में व्यय की गयी राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम योजना	व्यय राशि (लाख रुपये में)	
		1999-2000	2000-2001
1.	आवासीय विद्यालय का निर्माण	—	90.00
2.	आश्रम छात्रावास का निर्माण शैड	20.00	7.00
3.	पुनर्वास सहायता	—	0.13
4.	ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराना	—	1.49
5.	आश्रम छात्रावास का संचालन	16.83	17.23
6.	छात्रगृह किराया योजना	0.11	0.15
7.	फीस पुनर्भरण	—	0.16
8.	प्री-कोचिंग	0.06	—
9.	पाठ्यपुस्तक वितरण	0.13	0.14
10.	खेलकूद प्रतियोगिता	0.07	0.07
11.	शैक्षणिक भ्रमण	0.29	0.31
	योग	**37.49**	**116.68**

परिशिष्ट "2"

उदयपुर जिले में गत दो वर्षों में माड़ा योजनान्तर्गत विभिन्न तहसीलवार/मदवार स्वीकृत राशि (राशि लाख में)

क्र.सं.	नाम मद	भीण्डर		गोगुन्दा		मावली		गिर्वा	
		1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंशपूंजी अनुदान		0.096	0.192			0.032		
2.	निःशुल्क ब्लास्टिंग	1.000	7.890	0.350	3.480		1.020	0.250	4.470
3.	सामु.डीजल पम्प सैट	2.880		0.720				0.180	0.180
4.	सामु.जलोत्थान सिंचाई योजना								
5.	एनीकट	0.720	73.760		2.755				
6.	आश्रम छात्रावास संचालन	4.500	6.300	5.400	5.500				
7.	कोचिंग सुविधा	0.045	0.135						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	शैक्षणिक भ्रमण	0.250	0.280	0.250	0.260				
9.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण	0.037	0.047	0.032	0.042				
10.	हैण्ड पम्प स्थापना			0.755	0.375			1.125	
11.	विद्युतीकरण		7.970				2.870		
12.	आश्रम छात्रावास छाली निर्माण			16.680	16.690				
13.	सामु. कृषि ट्यूबवैल								
	योग	**9.432**	**96.478**	**24.379**	**29.102**		**3.922**	**1.555**	**4.650**

उक्त योजना के अतिरिक्त निम्न योजना जो माड़ा योजनान्तर्गत संचालित की जा रही है

क्र.सं.	नाम मद	व्यय राशि	
		1999-2000	2000-2001
1.	जनजाति छात्राओं के लिए एस.टी.सी. प्रशिक्षण रेजीडेंसी विद्यालय, उदयपुर	1.920	0.500
2.	जनजाति छात्रों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण आई. आई. सी. ई., उदयपुर	6.360	0.000
3.	बी.एस.प्रशिक्षण जवाहर विद्यापीठ, कानोड़	7.270	0.000
4.	सी.पी.एड. प्रशिक्षण राणाप्रताप शारीरिक शिक्षण संस्थान, हीन्ता भीण्डर	2.930	0.000
5.	खेल छात्रावास राणा प्रताप शारीरिक शिक्षण संस्थान, हीन्ता भीण्डर	5.034	4.930
6.	उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति	0.180	0.710
7.	प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति	0.025	0.365
8.	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति	0.080	0.090

परिशिष्ट "3"

उदयपुर जिले में गत दो वर्षों में बिखरी योजनान्तर्गत विभिन्न तहसीलवार/मदवार स्वीकृत राशि (राशि लाख में)

क्र.सं.	नाम मद	भीण्डर		गोगुन्दा		मावली		गिर्वा	
		1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंशपूंजी अनुदान	0.063	0.095	0.037					
2.	निःशुल्क ब्लास्टिंग		0.750		1.450				
3.	सामु. डीजल पम्प सैट								
4.	सामु. जलोत्थान सिंचाई योजना			4.490					
5.	एनीकट								
6.	आश्रम छात्रावास संचालन								
7.	कोचिंग सुविधा								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	शैक्षणिक भ्रमण								
9.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण								
10.	हैण्ड पम्प स्थापना						0.375		
11.	विद्युतीकरण		1.980						
12.	आश्रम छात्रावास छाली निर्माण								
13.	सामु. कृषि ट्यूबवैल		0.790						
	योग	**0.063**	**3.615**	**4.527**	**1.450**	**0**	**0.375**	**0**	**0**

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आंगनबाड़ी केन्द्र

221. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां तो कब से? उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायकों की नियुक्ति हेतु क्या नियम बने हुए हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां पर खोले गये? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2001-2002 में अब कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का विचार है? ग्राम के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन केन्द्रों पर कुल कितनी-कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री सप्लाई की गई?

(5) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन कहां-कहां पर बनकर तैयार हो गया है तथा किस-किस केन्द्र के भवन का वर्तमान में कार्य चल रहा है और उक्त भवन कब-तक बनकर तैयार हो जावेंगे? उक्त पर अब तक कुल कितनी लागत आई?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में वर्ष 1975 से आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। जी, नहीं। कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 के मध्य कोई नया आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया है।

(3) वर्ष 2001-2002 में कोई नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना टोडाभीम के 96 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुल 289450 किग्रा. इण्डिया मिक्स तथा बाल विकास परियोजना नादौती के 92 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 278450 किग्रा. इण्डिया मिक्स तथा 6185 किग्रा. गुड़ सप्लाई किया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रवार सप्लाई की गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(5) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999-2000 तक 26 आंगनबाड़ी भवन बनकर तैयार हो गए हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। ग्राम राजाहेड़ा (नादौती) में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपूर्ण है। इन कार्यों पर कुल 2444177/- रुपये की लागत आई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र चौरासी की सड़कों की मरम्मत

222. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कुल कितनी सड़कें हैं? क्या सरकार इनकी मरम्मत/रख-रखाव हेतु राशि उपलब्ध करवा रही है? यदि हां, तो किन-किन सड़कों पर कितनी-कितनी राशि का मरम्मत कार्य हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कुल 33 डामर सड़कें हैं (परिशिष्ट "क") राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजनान्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में सड़क मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य किये जाने का लक्ष्य है। विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र चौरासी की सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई
1	2	3
मुख्य जिला सड़क		
1.	डूंगरपुर सरथुना सड़क	46.00 कि.मी.
2.	मांडली सीमलवाड़ा धम्बोला जोगपुर सड़क	29.00 कि.मी.
		75.00 कि.मी.
अन्य जिला सड़क		
3.	थाना मेवाड़ा सड़क	30.00 कि.मी.
4.	डूंगरपुर बिछीवाड़ा सड़क	9.00 कि.मी.
		39.00 कि.मी.
ग्रामीण सड़क		
5.	पीठ चिखली सड़क	13.5 कि.मी.
6.	झोतरी सुराता सड़क	9.00 कि.मी.
7.	पीठ पुनावाड़ा सड़क	12.0 कि.मी.

1	2	3
8.	पहूंच सड़क बेड़सा	5.0 कि.मी.
9.	बरोठी मोदर तलेया	10.0 कि.मी.
10.	करावाड़ा रास्ता सड़क	14.0 कि.मी.
11.	पहूंच सड़क बोडामली	12.0 कि.मी.
12.	शीतल झलाप झलई सड़क	5.0 कि.मी.
13.	गैंजी डाकनमारियां सड़क	7.0 कि.मी.
14.	महूंडी सांसरपुर सड़क	4.0 कि.मी.
15.	पहूंच सड़क माड़ा	1.0 कि.मी.
16.	पीठ डूका सड़क	13.0 कि.मी.
17.	पहूंच सड़क चाडोली	2.0 कि.मी.
18.	कनबा नवलश्याम संधिया सड़क	11.5 कि.मी.
19.	पहूंच सड़क नागरियां पचेला	5.0 कि.मी.
20.	पहूंच सड़क मिंडा	2.0 कि.मी.
21.	गन्धवा चारवाड़ा सड़क	7.0 कि.मी.
22.	सीमलवाड़ा लिखी सड़क	4.0 कि.मी.
23.	पहूंच सड़क भेणा (रामसागड़ा से भेणा)	4.0 कि.मी.
24.	रामसागड़ा गैंजी गलन्दर सड़क	6.0 कि.मी.
25.	पहूंच सड़क गरमाला	2.0 कि.मी.
26.	पहूंच सड़क पोहरी खातुरात	4.5 कि.मी.
27.	सुराता मालचौकी सड़क	3.5 कि.मी.
28.	पहूंच सड़क घुवेड	1.2 कि.मी.
29.	पहूंच सड़क झरनी	2.0 कि.मी.
30.	पहूंच सड़क मालाखोलड़ा	1.2 कि.मी.
31.	पहूंच सड़क घोघरा	2.0 कि.मी.
32.	पहूंच सड़क मेवड़ा	2.0 कि.मी.
		165.4 कि.मी.

राष्ट्रीय राज्य मार्ग

33.	खैरवाड़ा बिछीवाड़ा रतनपुर सड़क (उक्त सड़क का रख-रखाव/ मरम्मत कार्य राष्ट्रीय राज्य मार्ग खेड़, उदयपुर द्वारा किया जाता है।	23.0 कि.मी.
	महा योग	**302.40 कि.मी.**

परिशिष्ट-"ख"

प्रस्तावित नवीनीकरण एवं साधारण मरम्मत कार्य

(अ) नवीनीकरण कार्य

क्र.सं.	सड़क का नाम	नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित किमी.	नवीनीकरण की लम्बाई	अनुमानित राशि (लाखों में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	डूंगरपुर सीमलवाड़ा सरथुना सड़क (मुख्य जिला स.- 11)	41 से 62	22 कि.मी.	55.00	अन्तरराज्य सड़क
2.	मंडली सीमलवाड़ा धाम्बोला जोगपुर खाडगडा भीलूडा सड़क (मु.जि.सं.- 43)	7 से 12 19 से 23	11 कि.मी.	29.00	अन्तरराज्य सड़क
3.	थाना मेवाड़ा (अ.जि.सं.-1)	1 से 10, 11 से 15, 17, 18, 19, 23 से 25	21 कि.मी.	52.50	अन्तरराज्य सड़क
4.	पीठ चिकली सड़क (ग्रा.सं.-1)	2 से 10, 12 से 20	18 कि.मी.	45.00	अन्तरराज्य सड़क
5.	झोतरी सुराता सड़क (ग्रा.सं.- 4)	4 से 9	6 कि.मी.	15.00	
6.	पीठ पुनावाडा सड़क (ग्रा.सं.-9)	1, 5, 6	3 कि.मी.	7.50	अन्तरराज्य सड़क
7.	सम्पर्क सड़क बाडसा (ग्रा.सं.- 83)	1 से 5	5 कि.मी.	12.50	श्री गुरु गोविन्द स्वतंत्रता सेनानी के कारण एतिहासिक स्थान

1	2	3	4	5	6
8.	बरोठी मोडर ततैया (ग्रा.सं.-16)	8, 9, 10	3 कि.मी.	7.50	
9.	करवाडा रास्ता (ग्रा.सं.-24)	1, 4, 7 से 9, 11	7 कि.मी.	17.50	अन्तरराज्य सड़क
10.	सम्पर्क सड़क बोडामली (ग्रा.सं.-36)	1 से 12	12 कि.मी.	30.00	
11.	सम्पर्क सड़क झलाप (ग्रा.सं.-49)	1, 2	2 कि.मी.	5.00	
12.	गैनजी डाकनमारिया (ग्रा.सं.-53)	1	1 कि.मी.	2.50	
13.	महुड़ी सासरपुर (ग्रा.सं.-62)	1 से 4	4 कि.मी.	10.00	
14.	सम्पर्क सड़क माडा (ग्रा.सं.-63)	1 किमी.	1 कि.मी.	2.50	
15.	डूंगरपुर बिच्छीवाड़ा सड़क (अ.जि.सं.-7)	16, 20, 21	3 कि.मी.	13.80	
16.	पीठ डूका सड़क (ग्रा.सं.-8)	1 से 2, 7, 8, 9	6 कि.मी.	15.00	अन्तरराज्य सड़क
17.	सम्पर्क सड़क चाडोली (ग्रा.सं.-51)	1 से 2	2 कि.मी.	5.00	
			127.0 कि.मी.	**323.80 लाख**	

(ब) प्रस्तावित पेच मरम्मत के कार्य

क्र.सं.	सड़क का नाम	पेच मरम्मत कुल किमी.	लागत राशि (लाखों में)
1.	कण्डली धाम्बोला जोपुर खाडगडाभीलूडा सड़क (मु.जि.स.-43)	8.0	0.44
2.	थाना मेवाड़ा हिम्मतपुर सड़क (अ.मु.सं.-1)	6.0	0.33
3.	डूंगरपुर बिच्छीवाड़ा सड़क (अ.मु.सं.-7)	2.0	0.08
4.	झोतरी सुराता सड़क (ग्रा.सं.-4)	3.0	0.21
5.	पीठ डूका सड़क (ग्रा.सं.-8)	6.0	0.33
6.	पीठ पूनावाड़ा सड़क (ग्रा.सं.-9)	2.0	0.08
7.	बरोठी मोडर तलैया सड़क (ग्रा.सं.-16)	5.0	0.26
8.	केरावाडा रास्ता सड़क (ग्रा.सं.-24)	5.0	0.26
	योग	**37.0**	**1.99**

पुलिस थाना, तिजारा में दर्ज प्रकरण संख्या–155/2000

223. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 155/2000 थाना तिजारा में डकैती व हत्या बाबत दर्ज हुई थी? क्या इस वाके में तीन हत्याएं भी हुई थीं?

(2) उक्त मुकदमे में अब तक पुलिस जांच में कौन-कौन मुलजिम हैं व इनमें से कितने मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं तथा शेष मुलजिम कितने हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं? क्या मुकामी पुलिस 90 दिन में चालान नहीं कर मुलजिमों की जमानत कराने में हैं? अब गिरफ्तार मुलजिमों का चालान कब तक कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त डकैती एवं हत्या श्री दीन मोहम्मद, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत–सरेटा, पुलिस थाना, तिजारा ने कराई है? क्या यह भी सही है कि पुलिस उक्त मुलजिम को निकालना चाहती है? पुलिस पत्रावली की केस डायरी की प्रति सदन की मेज पर रखें। अब इस मुलजिम सहित शेष मुलजिमों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) दिनांक 26/27.4.2000 को रात्रि को ग्राम शेखपुरिया में हुई डकैती एवं की गई मारपीट की घटना के संबंध में श्री तैयब पुत्र फजरूदीन की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या–155/2000 अन्तर्गत डकैती की धारा 395, 397 भा.द.सं. में थाना तिजारा पर दिनांक 27.4.2000 को पंजीबद्ध किया गया। बदमाशन द्वारा की गई मारपीट के फलस्वरूप गर्भवती श्रीमती समीना एवं नजीरी की दौराने इलाज मृत्यु हो गई इस पर अभियोग में धारा 396 भा.द.सं. जोड़ी गई।

(2) (अ) इस अभियोग में अब तक हुए अन्वेषण से निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाया गया है :—

1. अख्तर उर्फ लूक्का पुत्र पप्पू मेव।
2. जफरुद्दीन उर्फत जफरु पुत्र दीनू मेव।
3. आस मोहम्मद उर्फ आशा पुत्र नसरु मेव।
4. जगदीश उर्फ जग्गी पुत्र ओंकार जाट।

यह सही नहीं है कि मुकामी पुलिस चालान न कर गिरफ्तार मुलजिमान की जमानत कराने में हैं, क्योंकि सभी गिरफ्तार चारों मुलजिमानों के विरुद्ध चालान दिनांक 5.3.2001 को पेश किया जा चुका है।

(ब) निम्नांकित 5 संदिग्ध अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 173 (8) में अनुसंधान किया जा रहा है।

1. नहना पुत्र जुम्मा मेव
2. कल्लू उर्फ किला पुत्र करकल्ली मेव

(गृह मंत्री)

3. जाकिर पुत्र कन्हैया मेव

4. भगवत जादौन

5. दीनू पुत्र रहमत मेव

(3) अभियोग में अब तक के अनुसंधान से श्री दीन मोहम्मद के विरुद्ध डकैती डलवाने बाबत कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। यह सही नहीं है कि पुलिस दीन मोहम्मद को निकालना चाहती है सच्चाई का पता लगाने व गहनता से अनुसंधान करने हेतु धारा 173 (8) जा.फौ.के. अन्तर्गत अनुसंधान जारी है। शेष मुलजिमान के विरुद्ध तत्परता से साक्ष्य जुटाये जा रहे हैं।

चम्बल घड़ियाल आरक्षित क्षेत्र के सीमांकन पर पुनर्विचार

224. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला धौलपुर के चम्बल घड़ियाल आरक्षित क्षेत्र के सीमांकन पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि जिले के अनेक क्षेत्र अनावश्यक रूप से घड़ियाल आरक्षित क्षेत्र में शामिल होने के कारण सरकार को लाखों रुपयों की राजस्व हानि हो रही है?

(3) क्या सरकार चम्बल सेन्ड के ठेकों पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही योजना के अनुभव यहां भी लागू करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चम्बल सेन्ड कार्य में लगे मजदूरों को रोके जाने पर अनेक मजदूर परिवार भुखमरी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं?

उत्तर

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2000 से अभ्यारण्य क्षेत्रों के अनारक्षण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाये जाने के कारण राज्य सरकार फिलहाल चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र के सीमांकन पर पुनर्विचार करने का विचार नहीं रखती है।

(2) धौलपुर जिले का कोई क्षेत्र अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः राजस्व हानि का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी, नहीं। माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच ने एक जनहित याचिका के दिनांक 12.1.2001 को चम्बल राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्षेत्र में बजरी की निकासी को बन्द करने का आदेश दिया है।

(4) जी, नहीं। धौलपुर जिले में इस कार्य पर लगे किसी भी मजदूर द्वारा आत्महत्या नहीं की गई है।

नगरपालिका क्षेत्र बारां में नियम विरुद्ध मकानों की तोड़फोड़

225. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका क्षेत्र बारां में सौन्दर्यकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाओ, अभियान चलाया गया था? यदि हां, तो कितने मंदिरों को किसके आदेश से क्यों ढहाया गया इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(2) क्या श्री राजू नागर नाम के एक विकलांग की दुकान व निवास को ढहा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से? क्या इसके आस-पास और कोई दुकानों अथवा मकानों को तोड़ा गया है? यदि हां, तो जिस अधिकारी/कर्मचारी ने तोड़ा है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बारां नगर के वार्ड नं.-2 में श्री बीरमा कलाल, श्री नेमीचंद शर्मा व श्री चंदालाल पारेता का मकान भी नगरपालिका व जिला प्रशासन ने तोड़ा है? यदि नहीं, तो वह किसने तथा किसके आदेश से तोड़ा? यदि हां, तो यह मुख्य सड़क से कितनी दूरी पर है तथा इसके आस-पास सड़क की ओर कितना निर्माण हो रहा है? क्या इनके मकानों को नगरपालिका व जिला प्रशासन ने गलत तोड़ा है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में किसी भी मंदिर को नहीं ढहाया गया।

(2) जी, नहीं। श्री राजू नागर नाम के विकलांग की दुकान व निवास तथा इसके आस-पास और कोई दुकानों अथवा मकानों को नहीं तोड़ा गया है।

(3) जी, नहीं। बारां नगर के वार्ड नं. 2 में श्री बीरमा कलाल, श्री नेमीचन्द शर्मा व श्री चन्दालाल पारेता के मकानों को नगरपालिका बारां द्वारा नहीं तोड़ा गया है, बल्कि बिल्डिंग लाइन से बाहर सड़क (चबूतरा, सिढ़ियां व पट्टियां) सीमा में आ रहे हिस्से को ही आंशिक रूप से हटा दिया गया है।

जिला–सीकर के वृक्षारोपण कार्यों का मूल्यांकन

226. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला–सीकर में जल ग्रहण विकास योजना अन्तर्गत कितने ग्रामों में वन विकास कार्य कराकर कितने हैक्टेयर्स क्षेत्र

(श्री मोहन लाल मोदी)

में वृक्षारोपण कार्य कराया गया और अन्य क्या-क्या कार्य कराये गये तथा कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वृक्षारोपण कार्यों का जीवित प्रतिशत कितना है?

(3) क्या उक्त कार्यों के मूल्यांकन हेतु लोकायुक्त द्वारा जांच कराई गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त जांच में कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में जल ग्रहण विकास योजना के अन्तर्गत 208.80 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है। वृक्षारोपण के अतिरिक्त खुर्रा निर्माण, नाली निर्माण, कम्पोस्ट पिट निर्माण, एनीकट निर्माण, जोहड़ निर्माण, भू एवं जल संरक्षण कार्य यथा चैक डेम, मिट्टी का डोला बनाना, कणा बंदी करना इत्यादि कार्य करवाये गये हैं। माह फरवरी, 2001 तक कार्यों के क्रियान्वयन एवं प्रवेश बिन्दु कार्यों पर कुल 386.82 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। करवाये गये कार्यों तथा व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जल ग्रहण विकास योजनाओं के अन्तर्गत करवाये गये उक्त वृक्षारोपणों कार्यों में पौधों का जीवित प्रतिशत 50.03 हैं।

(3) कलक्टर, ग्राम–सिहोट बड़ी की लोकायुक्त द्वारा शिकायत की जांच कलक्टर (विकास), सीकर द्वारा कराई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी, हां। जांच के अनुसार जो भी व्यक्ति कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण/जांच रिपोर्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सालपुरा रेल्वे स्टेशन से छीपाबड़ौद बस सेवा

227. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन समय पर पथ परिवहन निगम की छीपाबड़ौद, हरनावदा शाहजी एवं इकलेरा जाने वाले यात्रियों को बस सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि छीपाबड़ौद एवं छबड़ा से चलने वाली एवं

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

गुजरने वाली और भी बसें बन्द हैं? यदि हां, तो कब से और क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन समय पर वर्तमान में निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

कोटा से भोपाल, कोटा से दमोह एवं भोपाल-कोटा तीन ट्रेने सालपुरा स्टेशन पर देर रात्रि में पहुंचती है और इस समय यात्री भार नगण्य रहने से निगम की बस का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) वर्तमान में छीपाबड़ौद होकर 24 एकल परिचक्र दैनिक संचालन हेतु निर्धारित है जिनमें से 4 एकल परिचक्रों का संचालन अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया था लेकिन अब पुनः माह मार्च, 2001 से इनका संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

इसी प्रकार पूर्व में भीलवाड़ा से भोपाल वाया छबड़ा मार्ग पर संचालित बस सेवा को यात्री भार एवं आय प्रति कि.मी. अत्यधिक कम आने के कारण माह जनवरी, 2001 से बन्द कर दिया गया है। इस सेवा की गत छह माह की औसत आय 7.85 रु. प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार 41 प्रतिशत मात्र रहा है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	ट्रेन नं.	ट्रेन का नाम	ट्रेन का सालपुरा पर आगमन समय	उपलब्ध निगम बस का समय	निगम बस का मार्ग
1.	डा-91	कोटा-बीना-कटनी	11.30	1115/-1130	बारां-इकलेरा
				1130/-1145	कोटा-बारां-छीपाबड़ौद
2.	अप-190	दमोह-कोटा	07.50	0830	बारां इकलेरा
3.	अप-92	कटनी-बीना-कोटा	15.25	1615	कोटा-बारां-हरनावदा
4.	डा-1252	कोटा-भोपाल	00.37	—	—
5.	डा-189	कोटा-दमोह	21.40	—	—
6.	अप-1251	भोपाल-कोटा	02.40	—	—

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा टैक्स वसूली

228. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि मण्डी में किन-किन कृषि पैदावारों पर मण्डी टैक्स किस-किस दर से लगाया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के बाहर से मंगवाई जाने वाली वस्तुओं पर भी मण्डी टैक्स वसूला जाता है ? यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं पर किस-किस दर से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषि पैदावार पर किसी भी दर से कोई मण्डी टैक्स नहीं लिया जाता है, केवल मात्र विज्ञप्त कृषि जिन्सों के क्रय विक्रय पर एक बार 1.60 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से मण्डी शुल्क लिया जाता है। जिन कृषि उपजों के क्रय-विक्रय पर मण्डी शुल्क प्रभावी है, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य के बाहर से भी मंगवाई गई कृषि उपज के राज्य में क्रय-विक्रय होने पर 1.60 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से मण्डी शुल्क देय होता है। ऐसी कृषि उपजों की सूची (परिशिष्ट "अ") सदन की मेज पर रख दी गयी है।

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपजों की सूची जिन पर मण्डी समितियों द्वारा मण्डी शुल्क संग्रहण किया जाता है

1.	तन्तु	कपास
2.	धान्य	गेहूं जौ, बेजड़, गोचना, गोजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान्य (पेडी)।
3.	फलीवाले धान्य	मूंग, अरहर, उड़द, चौला, बठला, चना, मूंगफली, मोठ, ग्वार, कुल्थी, मसूर।
4.	तिलहन	तिल, सरसों, राई, तारा, अलसी, अरन्डी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, रायला।
5.	फल	निम्बू, माल्टा, सन्तरा, सीताफल, पपीता, अमरूद, आम, खरबूजा, तरबूज, अनार, सिगाड़ा, केले, बेर, मौसमी, अंगूर, फाल्सा, खीरा, ककड़ी, सेव, शहतूत, खिरनी, चीकू, लिची, लाकाट, आंवला, खुरमानी, आडु, जामुन, कमलगट्टा, आलूबुखारा।
6.	सब्जियां	आलू, शकरकन्द, प्याज, टमाटर, कद्दू, फूलगोभी, बन्दगोभी, गाजर, बेंगन, मूली, हरिमिर्च, भिंडी, हरीमटर, पालक, लहसून, पत्तेवाली सब्जियां, टिण्डा, लोकी, अरबी, तोरई, करेला, हरी चौलाई, हरी हल्दी, करूंदा, केरी, शलगम, परवल, जमीकन्द, कटहल, कमल ककड़ी, रतालू।
7.	पशुपालन उत्पादन	ऊन, घी, जट (ऊंट व बकरी के बाल), बटर-आयल।
8.	मसाला	जीरा, धनियां, लालमिर्च, मैथी, सौंफ, अजवाइन, अदरक।
9.	वन उपज	इमारती लकड़ी।
10.	विविध	पोस्त के दाने, पोस्त की डोडी, गुड, चीनी, खाण्ड, खाण्डसारी, इसबगोल, मेंहन्दी।

मांगरोल (बारां) में फर्जी रसीद से विद्युत कनेक्शन

229. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सब डिविजन मांगरोल जिला बारां के यहां श्री कालूलाल पुत्र श्री रतन लाल निवासी महुवा द्वारा पुरानी रसीद से राशि वसूल कर फर्जी विद्युत कनेक्शन देने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त शिकायतों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिकायतों की जांच कब तक पूर्ण कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री कालूलाल पुत्र रतन लाल निवासी महुवा के नाम से फर्जी कनेक्शन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जब शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई तो कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उपरोक्तानुसार।

राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

230. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक द्वारा विदेश यात्राओं पर रोक के बावजूद जापान, थाइलैण्ड आदि देशों की यात्रा की गई? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा इससे संस्था को क्या लाभ हुआ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री रामस्वरूप जाखड़ तत्कालीन प्रबन्ध संचालक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. द्वारा नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया को 1,12,500/- रुपये का चन्दा तथा भूमि विकास बैंक फैडरेशन को भी बड़ी राशि का चन्दा दिया गया? यदि हां, तो क्यों? इससे कितना आर्थिक भार संस्था पर पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त तत्कालीन प्रबन्धक संचालक द्वारा 45 कम्प्यूटर एच.सी.एल. पी. III एमएचजेड के बिना उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के खरीदे गये जिसमें मोडम, स्पीकर एवं स्केनर भी नहीं थे तथा उक्त कम्प्यूटर आज भी अनुपयोगी पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्या राज्य सरकार को उक्त अनियमित खरीद की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है?

(4) वर्ष 1999-2000 में उक्त तत्कालीन प्रबन्ध संचालक द्वारा कितने रुपये की स्टेश्नरी व अन्य सामग्री क्रय करने के आदेश दिए गए? क्या उक्त क्रय की गई सामग्री, स्टेश्नरी की खरीद-फरोख्त की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। ये यात्राएं उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.4 (14)सह/99 दिनांक 12.10.99 की स्वीकृति के पश्चात् दिनांक 15.10.99 से 23.10.99 तक की गई। स्वीकृति आदेश परिशिष्ट (अ) संलग्न है।

तत्कालीन प्रबन्ध संचालक द्वारा यात्राओं के दौरान किये गये विजिट एवं अध्ययन के आधार पर एक अध्ययन रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की। अध्ययन रिपोर्ट परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(2) जी, हां। बैंक के उप नियमानुसार संचालक मण्डल के आदेश से नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया के बकाया चन्दा वर्ष 1982-83 से 1986-87 एवं 1989-90 से 1998-99 तक कुल 15 वर्षों का 1,12,500/- रुपये के चन्दे का भुगतान किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक्स फैडरेशन के संचालन व्ययों हेतु नियमित वार्षिक अंशदान की राशि 12,50,000/- रुपये का भुगतान किया गया। बैंक के संचालक मण्डल के निर्णय संख्या—14(4) दिनांक 9.4.99 के लिए गये निर्णय अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक्स फैडरेशन के द्वारा सृजित एजूकेशन एण्ड एक्सपोजर फण्ड के लिए 4.50 लाख रुपये का अंशदान दिनांक 7.8.99 को दिया गया है। इससे संस्था पर 18,12,500/- रुपये का भार पड़ा।

(3) यह सही है कि श्री जाखड़, प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर द्वारा 46 कम्प्यूटर एच.सी.एल.पी. खरीदे गये, जिसमें मोडम, स्पीकर एवं स्केनर नहीं थे। उक्त खरीद बैंक द्वारा गठित क्रय समिति के अनुमोदन होने के उपरान्त की गयी। उक्त कम्प्यूटर राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए खरीदे गये थे तथा उपयोग में लिये जा रहे हैं।

उक्त कम्प्यूटर खरीद में अनियमितता बाबत् शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी, जिस पर विभाग द्वारा प्रबन्ध संचालक, स्पिनफैड से जांच करवाई जा रही है।

(4) बैंक के कार्य संचालन एवं विभिन्न बैठकों के लिए बैंक में प्रचलित नियमों के अनुसार समय-समय पर स्टेश्नरी एवं अन्य सामग्री 1.23 लाख रुपये की क्रय समिति के माध्यम से क्रय की गयी।

जी, नहीं। उक्त क्रय से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

क्रमांक : प.4 (14) सह/99 दिनांक : 12.10.99

आदेश

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर के अध्यक्ष श्री दुर्गासिंह रूद तथा प्रबन्ध निदेशक श्री आर.एस. जाखड़ को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आयोजित अध्ययन भ्रमण जो दिनांक 15.10.99 से 28.10.99 तक सियोल, टोकियो, कुआलालाम्पुर तथा बैंकाक में राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स परिसंघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसमें भाग लेने के लिए राज्य सरकार की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :—

(1) उक्त प्रतिनिधि इन देशों में भारतीय दूतावास/हाइकमीशन को अपने कार्यक्रम को समय से पूर्व अवगत करायेंगे।

(2) भ्रमण के आने के बाद इस सम्बन्ध में एक अध्ययन रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जावेगी।

(3) इस अध्ययन भ्रमण का व्यय भारतीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स के परिसंघ के फण्ड से वहन किया जावेगा व राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय वहन नहीं किया जावेगा। अर्थात् अध्यक्ष, रा.रा.स.भू.वि. बैंक एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.स.भू.वि. बैंक को भारत से बाहर की यात्रा अवधि के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा दैनिक भत्ता/विराम भत्ता/वाहन आदि का व्यय देय नहीं होगा।

उपरोक्त भ्रमण की अवधि जिसमें यात्रा अवधि भी सम्मिलित होगी ड्यूटी समय माना जाकर नियमानुसार इस अवधि का वेतन आदि पूर्ववत देय होंगे।

उपरोक्तानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति सक्षम अनुमोदन उपरान्त प्रसारित की जाती है।

ह०/-

(आर. के. शर्मा)

उप शासन सचिव

A brief note on Exposure visit to South East Asia परिशिष्ट "ब"

during 15th Oct. to 28th Oct., 1999

National Co-operative Agricultural & Rural Development Banks' Federation (NCARDBF) arranged the study-cum-exposure visit from 15th Oct. to 28th Oct., 1999 to South-East Asian countries. During the exposure visit we visited National Agricultural Co-op. Federation (NACF), Seoul, South Korea, Agricultural Forestry & Fisheries Corporation of Japan, Higata, Agriculture Co-operative a primary Agri. Co-op. of Japan, a flower production firm of Japanese Farmers and Miya Jawa Poultry & Beef Cattle Fatline Corporation of Japan, Bank Pertanian Malaysia, Co-op. League of Thailand and APRACA Bangkok.

During the course of visit our group had opportunity of sharing views of officials and non officials of various institutions alongwith the member farmers of grass root level Co-operatives. Audio, Video presentations were also made to the delegates by the host institutions in various countries highlighting the past history, present working and future strategy of the leading co-op. institutions of these countries. Some of the rare experiences that we had during the course of study visit are most relevant in Indian situation also, some of these are as follows :

In Korea the National Co-op. Agri. Federation is playing a vital role for development of Co-operative movement through its multi farious activities, Credit, Insurance, Marketing of Agri. Produce and Fertilizers production alongwith supply of other agricultural inputs are the main sectors where NACF has played its vital role, farmers are being benefited through this national level umbrella organisation that caters various needs of grass root level Agricultural Co-operatives. Most of the members are actively associated with the activities of these Co-operatives, official and non official are following the principles in better & spirit in working for benefit of members. The effective and efficient working of their Co-operatives is visible in the case of NACF. Where at the national level 45% of marketing of the agricultural produce is being done by it.

An excellent Museum has been setup by NACF that depicts all the developmental stages of Korea agricultural systems. How the technology can be utilised to increase the farmers income, can be seen in this Museum. Such experiments may be done in India to create awareness among the members. Credit sector is the more or less facing almost the same problems which are prevalent in Indian Banking System. Mounting overdues with increasing number of defaulting farmers are common features that we noticed in all the countries.

Non performing assets is now a cause of concern in almost all the banking institutions of this Region. To take care of this, we require an efficient appraisal and analysis of the prospective loanees which can be done through professionally competent staff, we had realised that officers who are committed to the cause, may improve the deterioration system if they are equipped with proper men with adequate resource and analytical wing. Such exposure visits will be helpful in reorientation of the office bearers of the Co-operative institution.

Punctuality, cleanliness, accuracy, hospitality and deep concern for environment and thinking for international understanding are some of the key examples which we witnessed among people of all the countries. Perhaps this is the reason that they have developed work culture.

Effort for human resource development through effective training has been found in almost all the host institutions where we visited. They have a long term planning for man power recruitment, as well as for professionlisation of employees in service. Loyalty of the employees to their parent institutions is quite visible where the employees are not only satisfied with the institutions but rather they are proud of their institutions. All the employees are working with self discipline and none can be found roaming in the corridors. Co-operative institutions are not only concerned with their main business but they are also taking care of social and cultural needs of their members as well as employees. Active participation of the members in all the activities of the Co-op. institutions can be witnessed in all these South-East Asian Countries.

—

Research and Development wing is actively working in almost all the National Level Federations in Japan and in Korea. Publication of various periodicals and its distribution among the grass root level member Co-operatives is an effective tool for dispensation of information and knowledge.

In all the four countries Co-operative institutions are not only concerned about the increasing globalization but they are actively re-orienting their strategy to meet the new challenges.

Merger or amalgamations of weak Co-operatives is common phenomena through which they are reducing the number of nonviable and weak Co-operative institution. Thus larger Co-operatives are more effective in catering to the needs of people according to their objective. Information technology has been introduced in almost all the Co-operative credit institutions where computerisation is almost over. We are lagging behind is use of computers, hence use of latest data in decision making is not possible in our country. We should also expedite computerisation to increase efficiency and managerial ability of Co-operative institutions.

As "Seeing is believing", the overall objective of such exposure visits may really help to strengthen and improve the performance of agricultural credit Co-operative in our country, in order to bring about the quality and quantity improvement in Co-op. services to member farmers at the grass root level with the ultimate objective of increasing members income and ensuring their active participation in Co-operative business.

A brief regarding all the leading institutions where we visited is also enclosed for further details.

अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

231. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया है? यदि हां, तो राज्य के किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में प्रदान की गयी है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। वर्ष 2000-2001 में इस हेतु राज्य योजना मद में अनुसूचित जाति हेतु 15 लाख तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। दी गयी सहायता राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की क्षतिग्रस्त सड़कें

232. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर में लगभग 60 सड़कें जीर्ण-शीर्ण हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सभी सड़कें जीर्ण-शीर्ण नहीं है। कुछ ग्रामीण सड़कें जरूर जीर्ण-शीर्ण हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है। राज्य सरकार की सड़कों के सुधार हेतु सड़क संधारण योजनान्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिसके अनुसार उक्त सड़कों को ठीक किये जाने का विचार है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सड़कें

क्र.सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)	क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य विवरण
1.	चाकसू कोटखावदा तुंगा लवाण	30	8/0 से 38/0 (30 कि.मी.)	-
2.	बस्सी तुंगा लालसोट	26	10/0 से 26/0 (16 कि.मी.)	
3.	नईनाथ महादेव	8	0/0 से 5/0 (5 कि.मी.)	
4.	बस्सी देवगांव	11.200	0/0 से 11/200 (11.200 कि.मी.)	
5.	कानोता सामरिया	18	0/0 से 18/0 (18 कि.मी.)	
6.	काशीपुरा देवगांव	4.25	0/0 से 4/250 (4.25 कि.मी.)	
7.	बांसखो भूड़ला	6.50	0/0 से 6/500 (6.500 कि.मी.)	
8.	सम्पर्क सड़क माधोगढ़ से देवरी	6	0/0 से 6/0 (6.0 कि.मी.)	
9.	सम्पर्क सड़क धूला नांगल बैरसी	15.400	7/0 से 17/0 (10.0 कि.मी.)	
10.	बैनाड़ा श्रीजी से नायला	7	2/0 से 5/0 (3.0 कि.मी.)	
11.	चाकसू कोटखावदा सड़क से गरुड़वासी	7	0/0 से 7/0 (7.0 कि.मी.)	
12.	सम्पर्क सड़क खजूरिया ब्राह्मण	1	0/0 से 1/0 (1.0 कि.मी.)	
13.	कानोता नायला सड़क से बैनाड़ा कूंथाड़ा	8	3/400 से 6/0 (2.600 कि.मी.)	
14.	बस्सी सामरिया सड़क	7	0/0 से 4/0 (4.0 कि.मी.)	
15.	बस्सी से जीतावाला	6	0/0 से 6/0 (6.0 कि.मी.)	
16.	सांभरिया से बरेला	2	0/0 से 2/0 (2.0 कि.मी.)	
17.	बैनाड़ा से भावपुरा	3	0/0 से 3/0 (3.0 कि.मी.)	
18.	तूंगा लवाण सड़क से राजवास	2.10	0/0 से 2/100 (2.100 कि.मी.)	
19.	बांसखो से भटेरी वाया पाटन	8.500	0/0 से 6/0 (6.0 किमी.)	
20.	जटवाड़ा से बड़वा पड़ासोली	8.500	0/0 से 2/500 (2.500 कि.मी.)	
21.	तूंगा से देवगांव	9	3/0 से 6/0 (3.0 कि.मी.)	
22.	पाटन से भूरला	2	0/0 से 2/0 (2.0 कि.मी.)	
23.	हंसमहल से भटेरी	9	0/0 से 5/400 (5.400 कि.मी.)	
24.	दौसा धूला सड़क से नांगल बोहरा	1.6	0/0 से 1/600 (1.600 कि.मी.)	
25.	सम्पर्क सड़क खतेपुरा	3.7	0/0 से 3/700 (3.700 कि.मी.)	
26.	करणगढ़ से रूपपुरा वाया मौरंडी		0/0 से 3/0 (3.0 कि.मी.)	
27.	बांसखो फाटक से धूला सड़क	7.5	0/0 से 7/500 (7.500 कि.मी.)	

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

233. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने किस-किस अधिकारी के विरुद्ध चालान की स्वीकृति के लिये कब-कब सरकार को प्रकरण प्रस्तुत किये हैं? उक्त मामलों में कब-कब स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में से किस-किस मामले में स्वीकृति अभी तक नहीं प्रदान की गयी तथा कौन-कौन से मामले विचाराधीन हैं और अस्वीकृत करने तथा विचाराधीन रखने के क्या-क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में (1998, 1999 व 2000) में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जिन-जिन अधिकारियों के विरुद्ध चालान की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव जिस-जिस तिथियों को सरकार को प्रेषित किये गये हैं एवं सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है, तिथि सहित सम्पूर्ण सूचना परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) (i) उक्त मामलों में से जिन-जिन मामले में स्वीकृति राज्य सरकार (कार्मिक) द्वारा प्रदान नहीं की गई तथा जो मामले विचाराधीन हैं उनकी सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(ii) उक्त मामलों में से 2 मामलों में दोषी अधिकारी राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण एवं 6 मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मामला राज्य सरकार द्वारा परीक्षणोपरान्त अभियोजन योग्य नहीं पाये जाने पर अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई।

(iii) अनुसंधान के दौरान ज्ञात मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य अनुसंधान रिपोर्ट आदि का कानूनी दृष्टिकोण से विश्लेषणात्मक परीक्षण करने व दोषी अधिकारियों द्वारा अपने बचाव हेतु समय-समय पर प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने पर उनका भी कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण करने के पश्चात् अपराध के गुणावगुण के आधार पर अभियोजन स्वीकृति देने की प्रक्रिया में वर्तमान में जो समय लगता है उसे कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय स्थायी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो तीन माह से अधिक के मामलों में पुनरावलोकन करती है।

(सूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम–सावर (अजमेर) में मन्दिर श्रीमाताजी की दर्ज खातेदारी भूमि में अवैध खनन

234. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सावर, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में माफी मन्दिर श्री माताजी खातेदार अहतमाम पुजारी श्री मोहन लाल वल्द श्री रामचन्द्र, जाति लुहार सा. देह

(डा. रतन लाल जाट)

खातेदार नाम से कोई भूमि दर्ज है? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर में किस-किस किस्म की कितनी-कितनी भूमि दर्ज है? जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि में मार्बल खानें चालू हैं? यदि हां, तो किस-किस आदेश/निर्देश/कानून के अनुसार कब-कब किस-किस को खनन करने की अनुमति कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन नियमों के अनुसार व किन शर्तों पर कितनी अवधि के लिए दी गयी?

(3) क्या उक्त आदेश नियम संगत है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही सरकार करना चाहती है? उक्त कानून/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर–1511, 1516 व 1517 के अन्तर्गत कुल रकबा–194-17-10 बीघा भूमि मन्दिर मूर्ति श्री माताजी महाराज सा.दे. खातेदारी में दर्ज है। पुजारी श्री मोहन लाल का नाम विलोपित किया जा चुका है, जमाबन्दी की "प्रति संलग्न" है।

(2) जी, हां। उक्त भूमि में मार्बल माइन्स चालू है। उक्त मार्बल, माइन्स, खनिज मार्बल नीति 1994, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 एवं अधीक्षण खनिज अभियन्ता, जयपुर वृत्त, जयपुर द्वारा क्षेत्र अनुदान स्वीकृति आदेश दिनांक 13.11.1997 में अंकित शर्तों के अनुसार तीन खनन पट्टे 2.25 हैक्टेयर के नीचे अंकित विवरण अनुसार स्वीकृति की प्रतियां संलग्न हैं :—

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्रफल	अवधि
1.	श्रीमती बबीता गुप्ता	2.25 है.	19.11.97 से 20 वर्ष
2.	श्रीमती बबीता गुप्ता	2.25 है.	19.11.97 से 20 वर्ष
3.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	2.25 है.	19.11.97 से 20 वर्ष

(3) जी, हां। उक्त आदेश कानून के अन्तर्गत व नियम संगत है। इसलिये किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आदि करने बाबत मामला नहीं बनता है।

(4) जी, नहीं। क्योंकि उक्त खनन पट्टे नियमानुसार ही स्वीकृत है इन्हें बन्द करवाने बाबत कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।

(जमाबन्दी/विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महिला बाल कल्याण केन्द्र बनाम नगरपालिका भादरा की याचिका के निर्णय की क्रियान्विति

235. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संजीव कुमार)

(1) क्या यह सही है कि "महिला बाल कल्याण केन्द्र बनाम नगरपालिका भादरा" की याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.8.1996 की पालना को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्थगित कर दिया गया था? यदि हां, तो वर्तमान में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है एवं न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। महिला बाल कल्याण केन्द्र बनाम नगरपालिका भादरा की याचिका संख्या—2140/84 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दिनांक 14.8.96 को खारिज की गयी। वाद ग्रस्त जमीन बेदखल नहीं करने हेतु तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय के विशिष्ट सहायक द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, भादरा को निर्देश दिये गये। वर्तमान में प्रकरण परीक्षणाधीन है।

(2) जी, हां। पत्रावली निर्णयाधीन है।

बस्सी अभयारण्य (चित्तौड़गढ़) में गीली लकड़ी की जब्त ट्रैक्टर ट्रोली

236. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ स्थित बस्सी अभयारण्य में दिनांक 22 अक्टूबर, 2000 को दौरा करते समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और दो मुख्य वन संरक्षकों ने जंगल से गीली-सूखी लकड़ी भरकर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रोली को पकड़कर स्थानीय वन अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि कोई व्यक्ति उक्त ट्रैक्टर ट्रोली को मात्र 500 रुपये में छुड़वाना चाहता था? यदि हां, तो उसका नाम, पता क्या है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। दिनांक 22 अक्टूबर, 2000 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

(2) बिन्दु एक में बतायी स्थिति के कारण इस बिन्दु का उत्तर नकारात्मक है।

श्रीगंगानगर से जयपुर हेतु संचालित खराब डीलक्स बसें

237. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्रीगंगानगर से जयपुर हेतु पथ परिवहन निगम की कितनी डीलक्स बसें चलायी जा

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

रही हैं तथा कितनी सिल्वर लाइन बसें चलायी जा रही हैं? क्या यह सही है कि उक्त बसें बहुत ही खराब हैं? क्या सरकार उक्त रूट हेतु नई बसें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी, नहीं। इस मार्ग पर डीलक्स बसों अथवा सिल्वर लाइन बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः इनके बदले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वर्तमान में इस मार्ग पर नई डीलक्स बसें चलाने का कोई विचार नहीं है।

मण्डी समितियों के कर्मचारियों को बोर्ड/निगम कर्मचारियों के समान सुविधाएं

238. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार किस श्रेणी का कर्मचारी, ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज के अन्तर्गत निगम, मण्डल या बोर्ड का कर्मचारी मानती है?

(2) क्या मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार निगम, मण्डल, बोर्ड का कर्मचारी मानती है? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को बोनस-एक्सग्रेसिया का भुगतान व अन्य इसी प्रकार की सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं?

उत्तर

(1) मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारी स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं।

(2) जी, नहीं। मण्डी समितियों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति बोनस दिया जाता है, क्योंकि मण्डी कर्मचारी स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं।

राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण

239. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर स्थित औद्योगिक इकाइयों का दो वर्षों में सरकार ने नया पंजीकरण किया है? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या पंजीकरण नहीं करने के राज्य सरकार ने कोई निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) राज्य मार्गों पर स्थित औद्योगिक इकाइयों को राज्य मार्गों से कितना दूर रखने के निर्देश हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार के उद्योग (ग्रुप-1) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.6.99 के पश्चात् राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर 150 मीटर की दूरी तक स्थित सामान्य

(उद्योग मंत्री)

औद्योगिक इकाइयों और 300 मीटर तक की दूरी तक गहन प्रदूषण वाली औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण नहीं किये जा रहे हैं।

(2) जी, हां। दिनांक 23.6.1999 द्वारा राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 1998 के अनुसरण में आदेश जारी किये हैं। (आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है) यह निर्देश इसलिये दिये गये हैं, ताकि मार्गों से लगते हुई औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण नहीं बढ़े तथा साथ ही इन इकाइयों के कारण आवागमन में रुकावट न हो।

(3) राज्य मार्गों पर स्थित औद्योगिक इकाइयों को राज्य मार्ग के केन्द्र बिन्दु से 150 एवं 300 मीटर दूरी पर रखने के निर्देश राज्य सरकार ने दिनांक 23.6.1999 को दिये हैं।

राजस्थान सरकार

उद्योग (ग्रुप-I) विभाग

क्रमांक : प.4(58)उद्योग/1/95 जयपुर, दिनांक : 23.6.1999

आदेश

राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति, 1998 के खण्ड संख्या–5.2.3 के परिप्रेक्ष्य में उद्योग निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या–प.2(125)आईए/ पीए/ III-प्रदूषण/ 85 / 7011-61 दिनांक : 7.12.1996 को निरस्त किया जाता है।

औद्योगिक नीति, 1998 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों पर निजी/राजकीय भूमि पर सामान्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों के केन्द्र बिन्दु से 150 मीटर की दूरी पर तथा सीमेन्ट प्लांट, ग्राइंडिंग यूनिट्स और अन्य गहन प्रदूषण वाली इकाइयों को राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों के केन्द्र बिन्दु से 300 मीटर की दूरी पर उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः भविष्य में राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों पर निजी एवं राजकीय भूमि पर उद्योग स्थापित करने के लिए पंजीयन/अनुमति उपरोक्त निर्णयानुसार दी जावेगी।

आज्ञा से,

ह०/-

शासन उप सचिव

सहकारी शुगर मिल, केशोरायपाटन के संचालन में अनियमितता

240. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी शुगर मिल, केशोरायपाटन का पिराई सत्र इस वर्ष शुरू नहीं होने के कारण किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार द्वारा क्षेत्रीय किसानों को गन्ना लगाने के लिए सब्सिडी दी गयी थी? यदि हां, तो कितनी राशि प्रति एकड़ दी गई थी तथा मिल सुरक्षित क्षेत्र कमाण्ड/अनकमाण्ड क्षेत्र में कितना गन्ना उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी शुगर मिल को वर्ष 1998-1999 व 1999-2000 में वित्तीय अनियमितताओं एवं कुप्रबन्धन के कारण हानि उठानी पड़ी? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सहकारी शुगर मिल को चलाने में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) सरकार द्वारा उक्त शुगर मिल में वर्ष 1998-99 से अब तक कितने प्रबन्धक लगाये गये और हटाये गये? सूची संदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि सहकारी शुगर मिल, केशोरायपाटन का पिराई सत्र 2000-2001 वित्तीय संकट के कारण शुरू नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार किसानों को गन्ना चारे के रूप में दे रही है। किसानों को 1999-2000 के बकाया का भुगतान किया जा चुका है।

(2) जी, हां। राज्य के कृषि विभाग द्वारा क्षेत्रीय किसानों को उन्नत गन्ना लगाने के लिए 1999-2000 गन्ना बुवाई सत्र में 2000/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से गन्ना बीज सब्सिडी कुल–3.19 लाख रु. की दी है। मिल सुरक्षित क्षेत्र में माह अक्टूबर, 2000 की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित क्षेत्र में 1219 हैक्टेयर क्षेत्रफल में तथा अनकमाण्ड (नैनवां व हिण्डौली) क्षेत्र में 4012 हैक्टेयर गन्ना बुवाई किया गया है। इस प्रकार कुल–5231 हैक्टेयर क्षेत्र में गन्ना बुवाई किया गया उपलब्ध था।

(3) यह सही नहीं है कि वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में वित्तीय अनियमितताओं एवं कुप्रबन्धन के कारण मिल को हानि उठानी पड़ी है। वर्ष 1998-99 में मिल को रु. 216.18 लाख एवं 99-2000 में रु. 325.00 लाख की हानि हुई है, जिसका मुख्य कारण गन्ने के उत्पादन में कमी और गन्ने की मिल की क्षमता अनुसार पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं होना तथा इससे उत्पादन लागत अधिक आना आदि रहा है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) मिल को चलाने में अधिकारियों द्वारा अनियमितता नहीं की गयी है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

(5) वर्ष 1998-99 से मिल में अब तक निम्नलिखित प्रबन्धकों (प्रबन्ध संचालकों) को सरकार द्वारा लगाया गया है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	अवधि
1.	श्री पी.एल. वर्मा	20.2.98 तक
2.	श्री अनिल कुमार गर्ग	20.2.98 से 31.12.98 तक
3.	श्री एस.डी. मीणा	15.3.99 से 15.6.99 तक
4.	श्री चुन्नीलाल	5.6.99 से 15.3.2000 तक
5.	श्री उमराव सिंह चारण	4.9.2000 से 22.11.2000 तक
6.	श्री एस.एल. मीणा	29.11.2000 से निरन्तर
नोट : पूरक सूचना उक्त के अतिरिक्त निम्न अधिकारियों द्वारा कार्यवाहक प्रबन्ध संचालक का कार्य किया है :—		
1.	श्री सूरज भान जैमन	31.12.98 से 15.3.98 तक
2.	श्री आर.सी. शर्मा	16.3.2000 से 24.7.2000 तक
3.	श्री शोभागमल मीणा	24.7.2000 से 19.8.2000 तक
4.	श्री आर.सी. जाखड़	19.8.2000 से 4.9.2000 तक

जनजाति क्षेत्रीय विकास का नाम परिवर्तन

241. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का नाम बदलकर जनजाति परामर्शदात्री समिति ने जनजाति कल्याण विभाग कर दिया है ?

(2) उक्त नाम बदलने पर विभाग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विभाग का नाम पूर्ववत् जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ही है।

(2) प्रश्न लागू नहीं होता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का पुनर्गठन

242. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने हाल ही में विभाग का पुनर्संरचना व पुनर्गठन किया है?

(2) उक्त पुनर्संरचना व पुनर्गठन से राज्य में कितने खण्ड समाप्त किये गये और कितने खण्ड नये खोले गये तथा कितने खण्ड स्थानान्तरित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पुनर्संरचना व पुनर्गठन के क्या उद्देश्य थे? क्या उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हो सकी है?

(4) उक्त पुनर्संरचना व पुनर्गठन से विभाग पर निश्चित भार कम हुआ अथवा बढ़ा है? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उक्त पुनर्संरचना व पुनर्गठन से किसी भी खण्ड को समाप्त नहीं किया गया है और ना ही नये खण्ड खोले गये हैं। 16 खण्ड (विवरण परिशिष्ट "क" पर अंकित) स्थानान्तरित किये गये हैं।

(3) खण्डों के कार्यभार (वर्क लोड) एवं कार्यों पर उचित नियन्त्रण के लिए ही पुनर्संरचना व पुनर्गठन किया गया है। जी, हां।

(4) चूंकि कोई कार्यालय नव सृजित नहीं है, अतः वित्तीय भार पूर्ववत है।

परिशिष्ट "क"

सार्वजनिक निर्माण का पुनर्संरचना व पुनर्गठन के तहत खण्डीय कार्यालयों के मुख्यालय परिवर्तित करने का विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम जिनका मुख्यालय परिवर्तित किया गया है
1	2
(अ)	
1.	नगर खण्ड-2 अजमेर
2.	खण्ड-3 भीलवाड़ा
3.	खण्ड-2 भीलवाड़ा
4.	जिला खण्ड-2 बीकानेर
5.	खण्ड-2 गंगानगर
6.	नगर खण्ड-3 जयपुर
7.	रा.उ. मार्ग खण्ड-2 जयपुर
8.	रा.उ. मार्ग खण्ड-1 जयपुर

1	2
9.	निर्माण खण्ड-2 जयपुर
10.	परियोजना खण्ड-भरतपुर
11.	परियोजना खण्ड-धौलपुर
12.	खण्ड-चौहटन
13.	मेडिकल निर्माण खण्ड-कोटा
14.	परियोजना खण्ड-झालावाड़
15.	परियोजना खण्ड-सवाईमाधोपुर
16.	खण्ड-2 राजसमंद

(ब) परिवर्तित किये गये खण्डों का नाम व मुख्यालय

1.	रा.उ. मार्ग खण्ड-नागौर
2.	खण्ड-परबतसर
3.	खण्ड-शाहपुरा (भीलवाड़ा)
4.	खण्ड-कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)
5.	खण्ड-वल्लभनगर (उदयपुर)
6.	खण्ड-सागवाड़ा
7.	खण्ड-प्रतापगढ़
8.	रा.उ. मार्ग खण्ड-सीकर
9.	खण्ड-नीमकाथाना
10.	रा.उ. मार्ग खण्ड-दौसा
11.	खण्ड—खेतड़ी
12.	खण्ड-पोखरण
13.	रा.उ. मार्ग खण्ड-सिरोही
14.	खण्ड-भवानीमण्डी
15.	खण्ड-हिण्डौन
16.	खण्ड-आमेट

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-382 का विवरण)

श्री शिवचरण शर्मा का पी.एफ. स्टेटमेट - कर्मचारी + निगम का अंशदान जो भेजा गया

(रुपये)

माह/वर्ष	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अप्रैल	72	106	114	114	114	114	390	436	544	—	—
मई	64	84	106	114	114	114	410	454	544	—	—
जून	72	72	114	114	114	114	410	528	544	—	—
जुलाई	70	50	114	114	114	114	410	454	2584	140	—
अगस्त	70	50	114	114	114	114	410	454	558	—	—
सितम्बर	70	96	108	114	114	114	410	454	656	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अक्टूबर	64	—	114	114	114	114	562	454	586	—	—
नवम्बर	92	26	114	114	114	114	428	454	586	6874	9592
दिसम्बर	114	114	110	114	114	114	428	454	586	—	—
जनवरी	230	114	110	114	114	114	428	476	586	—	—
फरवरी	106	108	114	114	114	196	436	460	586	—	—
मार्च	106	114	114	114	114	156	436	618	586	—	—
योग	**1130**	**934**	**1346**	**1368**	**1368**	**1492**	**5158**	**5696**	**8946**	**7014**	**9592**

नोट : उपरोक्त वर्णित राशि वेतन भुगतान के अगले माह प्रावधायी भविष्य निधि संगठन में जमा कराई गई है।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–391 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

रा. वि. प्रा. द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्र. एफ.4 (88) जविप्रा./अआ/भूयो/विविध दिनांक 20.3.97 के क्रम में दिनांक 20.3.97 से 5.4.97 तक की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची

1.	रिसर्च एजू एण्ड आइडीयोडीकल सेन्टर
2.	रामकृष्ण एण्ड संस चेरिटेबल ट्रस्ट
3.	सर्वोन्नत विद्यालय समिति
4.	वैदिक बालिका विद्यालय
5.	दयानन्द पब्लिक स्कूल
6.	अखिल प्रांतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान
7.	भाभा पब्लिक स्कूल
8.	रविन्द्र बाल निकेतन
9.	नालन्दा पब्लिक स्कूल
10.	प्रदीप शिक्षण समिति
11.	ललिताश्रम शिक्षा समिति
12.	प्रकाश बाल निकेतन
13.	वर्धमान शिक्षा विकास समिति
14.	मंगलम विद्यापीठ
15.	रावत सीनियर सैकण्डरी स्कूल
16.	राजस्थान साधना पब्लिक स्कूल
17.	प्रभा बाल समिति
18.	सैन्ट्रल एकेडमी
19.	न्यू माडर्न बाल समिति
20.	नवनिर्माण बाल समिति
21.	तिलक एजूकेशन
22.	अरावली शिक्षा समिति
23.	सत्यदेव विद्यालय समिति
24.	भारतीय सामाजिक विकास समिति
25.	जनता आदर्श मा. विद्यालय
26.	श्री अम्बिका शिक्षा समिति
27.	ब्रीलियन्ट एकेडमी
28.	मित्र ज्ञान विद्यालय

29.	दायनी ब्लसम स्कूल
30.	अरुण बाल समिति
31.	अल्फा बीटा
32.	प्रयाग
33.	खेतड़ी हाउस विकास समिति
34.	ग्रीनगेट एजूकेशन समिति
35.	सावित्री शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र
36.	नारायणी शिक्षा समिति
37.	विक्रम बाल निकेतन
38.	ब्राइट मून शिक्षा समिति
39.	अन्जूमन तालीमूल मुस्लेमिन
40.	श्री कंवर शिक्षा समिति
41.	शारदा विद्या मन्दिर
42.	श्री हरिराम साबू पब्लिक स्कूल
43.	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक वेलफेयर सोसायटी
44.	एस.ओ.एस. चिल्ड्रन
45.	ब्राइट फ्यूचर
46.	श्रीराम शारदा आदर्श विद्या मन्दिर
47.	आदर्श शिक्षा परिषद्
48.	महिमा शिक्षा समिति
49.	एस. मदरलैण्ड पब्लिक स्कूल समिति
50.	माडर्न पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्था
51.	आनन्द गुरुकुल समिति
52.	नेशनल एजूकेशन सोसायटी
53.	आनन्द बाल मन्दिर
54.	एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति
55.	इण्डियन पब्लिक सी. सै. स्कूल
56.	एम.जी.डी. स्कूल गर्ल्स
57.	आदर्श संस्कृत बाल निकेतन
58.	हंस विद्या मन्दिर समिति
59.	श्री जगजीवनराम शिक्षा समिति
60.	लाला अमरनाथ वर्मा एजू. एण्ड हयूम वेलफेयर सो.

ह०/-

विशेषाधिकारी (समन्वय)

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	संस्था का नाम	दर	राशि जमा है/नहीं जमा	कब्जा देने की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	मै. इन्टरटेनमेंट काम्पलेक्स	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	1,01,52,772.00 राशि जमा नहीं कराई	—
2.	भारतीय सामाजिक विकास समिति	तत्कालीन आरक्षित दर का 15 प्रतिशत	7,47,200.00 चार लाख रुपये जमा करवाये शेष बाकी	—
3.	वर्धमान शिक्षण समिति	तत्कालीन आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	15,78,807.00 राशि जमा नहीं करायी	—
4.	नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज	टोकन मनी 01/-	01/- टोकन मनी जमा	कब्जा दिनांक 19.12.2000 को संभलाया
5.	नागरिक उड्डयन विभाग (हेंगर हेतु)	वाणिज्य आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	5,31,61,525.00 राशि जमा नहीं करायी	—
6.	भारतीय जीवन बीमा निगम	11,000/- प्रति व.ग.	3,56,83,675.00 राशि जमा नहीं करायी	—
7.	माडर्न एजूकेशन एण्ड कल्चरल सोसायटी	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत प्रति व.मी.	6,66,991.69 पूर्ण जमा	कब्जा दिनांक 13.3.2000 को संभलाया गया
8.	मै. इण्डियन सोसायटी एजूकेशन इनोकेशन	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत प्रति व.मी.	22,14,160.00 में से 6 लाख रुपये जमा	
9.	जयपुर स्कूल	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	8,78,550/-	कब्जा दिनांक 8.1.1991 को संभलाया गया

1	2	3	4	5
10.	दी एजूकेशन कमेटी माहेश्वरी समाज	01/- टोकन मनी	1/- जमा.	कब्जा दिनांक 1.9.1998 को संभलाया गया
11.	कैण्डल विक पब्लिक स्कूल	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	15,25,000/-	कब्जा दिनांक 9.4.1996 को संभलाया गया
12.	भाभा पब्लिक स्कूल	310/- प्रति व.मी.	17,37,691/- आठ किश्तों में जमा 13,03,272/-	—
13.	स्टेप बाई स्टेप शिक्षा समिति	465/- प्रति व.मी.	33,19,950.00	31.3.2001
14.	भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान	150/- प्र.व.मी.	1,88,123/- जमा	7.9.1992
15.	आदर्श शिक्षा परिषद	275/- प्र.व.मी.	11,49,638/- जमा	25.2.1999

ह०/-

विशेषाधिकारी (समन्वय)

परिशिष्ट "स"

प्राधिकरण क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं को भवन निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	स्थान
1.	विद्याधर नगर योजना में विभिन्न साइज के 9 भू-खण्ड रिक्त हैं।
2.	गोविन्दपुरा सांगानेर में लगभग 300 व.मी.
3.	हाथोज में लगभग 3700 व.मी.
4.	भांकरोटा में लगभग 1301 व.मी.
5.	सहकारी समिति की अनुमोदित योजनाओं में सुविधा क्षेत्र की भूमि उपलब्ध है, जिसे भू-उपयोग निर्धारित किये जाने के उपरान्त आबंटित की जा सकती है।

विशेषाधिकारी (समन्वय)

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-407 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1999-2000 में मरम्मत कार्य पर किये गये व्यय का विवरण

विधान सभा क्षेत्र – गोगुन्दा

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय लाखों में
1.	मरम्मत कार्य उदयपुर-गोगुन्दा-सादड़ी-रणकपुर सड़क	2.61
2.	मरम्मत कार्य जसवन्तगढ़-पिण्डवाड़ा सड़क	0.45
3.	मरम्मत कार्य सादड़ी-रणकपुर-बांसवाड़ा सड़क	1.16
4.	मरम्मत कार्य जसवन्तगढ़-पिण्डवाड़ा सड़क	2.86
5.	मरम्मत कार्य सादड़ी-बांसवाड़ा सड़क	0.69
6.	मरम्मत कार्य गोगुन्दा-ओगना सड़क	2.49
7.	मरम्मत कार्य नानदेशमा-धोल-कमोल सड़क	0.38
8.	मरम्मत कार्य गोगुन्दा-झाडौल सड़क	0.62
9.	मरम्मत कार्य सायरा-भानपुरा सड़क	0.04
10.	मरम्मत कार्य बरवाड़ा-कारड़ा सड़क	0.07
11.	मरम्मत कार्य इसवाल-हल्दीघाटी सड़क	0.66
12.	मरम्मत कार्य लोसिंग-गोगुन्दा सड़क	0.10
13.	मरम्मत कार्य लोसिंग-केलवाड़ा सड़क	0.02
14.	मरम्मत कार्य सेमल-रावलिया खुर्द सड़क	0.03
	कुल योग	**12.18 लाख**

परिशिष्ट "क"

वर्ष 2000-2001 में मरम्मत कार्य पर किये गये व्यय का विवरण

विधान सभा क्षेत्र – गोगुन्दा

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय लाखों में
1.	मरम्मत कार्य उदयपुर-गोगुन्दा-सायरा-रणकपुर सड़क	1.74
2.	मरम्मत कार्य इसवाल-कुम्भलगढ़ सड़क	0.96
3.	मरम्मत कार्य जसवन्तगढ़-पिण्डवाड़ा सड़क	0.32
4.	मरम्मत कार्य गोगुन्दा-ओगना सड़क	0.71
5.	मरम्मत कार्य चोरबावड़ी सड़क	—
6.	मरम्मत कार्य धोल-कमोल-नानदेशमा सड़क	0.04
7.	मरम्मत कार्य पडारदा सड़क	—
8.	मरम्मत कार्य चित्रावास सड़क	0.05
9.	मरम्मत कार्य गोगुन्दा-झाडौल सड़क	0.50
10.	मरम्मत कार्य सायरा-भानपुरा सड़क	0.05
11.	मरम्मत कार्य नांदवेल-सलाड़ा सड़क	—
12.	मरम्मत कार्य लोसिंग-भूटाला सड़क	0.23
13.	मरम्मत कार्य इसवाल-हल्दीघाटी-लोसिंग सड़क	0.07
14.	मरम्मत कार्य बरवाड़ा-करड़ा सड़क	—
15.	मरम्मत कार्य लोसिंग-केलवाड़ा सड़क	—
16.	मरम्मत कार्य सेमल-रावलिया खुर्द सड़क	0.06
	कुल योग	4.73 लाख

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–411 का विवरण)

माह अक्टूबर, 2000 से फरवरी, 2001 तक केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों

व अन्य राज्यों से क्रय की गई विद्युत व राशि का विवरण

(विद्युत - मि. यू. /राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्रोत का नाम	अक्टूबर, 2000		नवम्बर, 2000		दिसम्बर, 2000		जनवरी, 2001		फरवरी, 2001		योग	
		विद्युत	मूल्य	विद्युत	मूल्य	विद्युत	मूल्य	विद्युत	मूल्य	विद्युत	मूल्य	विद्युत	मूल्य
1.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	694.30	99.29	702.13	96.97	714.29	92.75	702.75	95.16	702.88	107.78	3516.35	491.95
2.	राष्ट्रीय पन विद्युत निगम	39.30	8.15	27.90	5.59	22.30	4.84	21.80	5.00	15.55	4.88	126.85	28.46
3.	राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगम	150.52	31.86	175.09	40.58	239.35	54.87	294.02	72.29	321.96	80.69	1180.94	280.29
4.	पड़ोसी राज्य	15.69	2.03	98.90	22.06	96.62	21.46	71.98	15.54	26.25	4.92	309.44	66.01
5.	पावर ग्रिड ट्रांसमिशन चार्ज	—	8.71	—	10.01	—	10.33	—	11.23	—	11.87	—	52.15
	योग	**899.81**	**150.04**	**1004.02**	**175.21**	**1072.56**	**184.25**	**1090.55**	**199.22**	**1066.64**	**210.14**	**5133.58**	**918.86**

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-414 का विवरण) परिशिष्ट "1"

सहकारी आपके द्वार महा अभियान 2001 कार्यों का विवरण

1. ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सामान्य सभा आयोजित करना तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित समिति की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सामान्य सभा में प्रस्तुत करना।
2. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में लाभांश वितरण करना।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं अन्य वर्ग के लोगों को सदस्यता प्रदान करना।
4. नये सदस्य बनाना एवं ऐसे सदस्य, जिनकी साख सीमा स्वीकृत नहीं है, उनकी साख सीमा स्वीकृत करना एवं ऋण उपलब्ध कराना।
5. जिन सदस्यों को सहकारी किसान कार्ड वितरित नहीं किये गये हैं, उन्हें किसान कार्ड नियमानुसार उपलब्ध कराना।
6. कृषक मित्र एवं कृषक ज्योति योजना के तहत पात्रताधारक सदस्यों को ऋण स्वीकृत करना।
7. कृषि एवं अकृषि कार्यों के लिए ऋण स्वीकृत करना।
8. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार करना एवं कैम्प से पूर्व प्राप्त स्वीकृत ऋण प्रार्थना-पत्रों के आधार पर ऋण वितरण करना।
9. पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के द्वारा दिये गये अशोध्य ऋणों का स्वीकृत योजना के अनुसार एक मुश्त समझौता करना।
10. ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समिति जो कि मिनी बैंक संचालित कर रही है, उनके माध्यम से इस अकाल की परिस्थितियों से जूझने के लिए उपभोक्ता ऋण स्वीकृत करना।
11. सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण आवास के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, नये प्रार्थना-पत्र तैयार करना।
12. महिला विकास योजना के तहत महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना।
13. समितियों के सदस्यों को उनके ऋण खाते एवं हिसाब की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
14. रहन मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।
15. भूमि विवरण पंजिका तैयार कर पटवारी से प्रमाणित करवाना।
16. अन्य कार्य जो समितियों व सदस्यों के हित में हो।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-420 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

बीकानेर से खेतड़ी वाया डूंगरगढ़, रतनगढ़ मार्ग पर चलने वाली अवैध बसों के गत 1 वर्ष की अवधि में बनाये गये चालानों का विवरण.

क्र.सं	वाहन संख्या	चालान करने का दिनांक	की गई कार्यवाही/वसूल की गई राशि का विवरण
1	2	3	4
1.	आरजे.07-पी/3013	10.10.2000	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
2.	आरजे.07-पी/3013	12.10.2000	1000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
3.	आरजे.07-पी/3013	13.9.2000	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
4.	आरजे.07-पी/1983	18.3.2001	चालान पैंडिंग है।
5.	आरजे.18-पी/1075	9.10.2000	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
6.	आरजे.18-पी/1361	6.1.2000	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
7.	आरजे.18-पी/1457	6.1.2001	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
8.	आरजे.18-पी/0888	6.1.2001	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
9.	आरजे.07-पी/1913	6.1.2001	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
10.	आरजे.18-पी/1429	6.1.2001	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
11.	आरजे.18-पी/1361	14.2.2001	16260/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
12.	आरजे.18-पी/1361	6.1.2001	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
13.	आरजे.18-पी/1075	9.11.2000	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
14.	आरजे.18-पी/1073	9.11.2000	चालान पैंडिंग है।
15.	आरजे.18-पी/0928	9.11.2000	चालान पैंडिंग है।
16.	आरजे.18-पी/1361	22.8.2000	17225/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
17.	आरजे.18-पी/1409	14.10.2000	चालान पैंडिंग है।
18.	आरजे.18-पी/1409	2.11.2000	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
19.	आरजे.18-पी/1219	3.2.2001	2500/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
20.	आरजे.18-पी/0928	3.2.2001	16825/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।
21.	आरजे.18-पी/1455	16.2.2001	2000/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।

1	2	3	4
22.	आरजे.18-पी/1429	25.3.2001	16825/- रु. प्रशमन राशि एवं कर वसूल किया गया।
23.	आरजे.07-पी/0543	3.10.2000	चालान पैंडिंग है।
24.	आरजे.07-पी/0553	19.10.2000	चालान पैंडिंग है।
25.	आरजे.07-पी/0564	29.12.2000	30300/- रु. कर एवं प्रशमन राशि वसूल की गई।
26.	आरजे.07-पी/0564	6.1.2001	चालान पैंडिंग है।
27.	आरजे.07-पी/0830	2.11.2000	चालान पैंडिंग है।
28.	आरजे.07-पी/0955	14.11.2000	चालान पैंडिंग है।
29.	आरजे.07-पी/0955	14.11.2000	चालान पैंडिंग है।
30.	आरजे.07-पी/1213	20.12.2000	300/- रु. प्रशमन राशि वसूली की गयी।
31.	आरजे.07-पी/1913	22.11.2000	चालान पैंडिंग है।
32.	आरजे.07-पी/1913	20.10.2000	चालान पैंडिंग है।
33.	आरजे.07-पी/1983	20.12.2000	चालान पैंडिंग है।
34.	आरजे.07-पी/2141	4.11.2000	चालान पैंडिंग है।
35.	आरजे.07-पी/2229	28.8.2000	चालान पैंडिंग है।
36.	आरजे.07-पी/2229	27.12.2000	चालान पैंडिंग है।
37.	आरजे.07-पी/2735	13.10.2000	चालान पैंडिंग है।
38.	आरजे.07-पी/2141	27.1.2000	70,000/- रु. कर की राशि वसूल की गई एवं 300/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गयी।
39.	आरजे.18-पी/0888	24.5.2000	चालान पैंडिंग है।
40.	आरजे.18-पी/1075	24.5.2000	चालान पैंडिंग है।
41.	आरजे.18-पी/1075	23.11.2000	चालान पैंडिंग है।
42.	आरजे.18-पी/1075	22.11.2000	चालान पैंडिंग है।
43.	आरजे.18-पी/1409	22.11.2000	चालान पैंडिंग है।
44.	आरजे.18-पी/1455	22.11.2000	चालान पैंडिंग है।
45.	आरजे.18-पी/1455	18.10.2000	चालान पैंडिंग है।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-423 का विवरण)

जिला हनुमानगढ़ में अप्रैल, 1998 से मार्च, 2000 तक सड़कों की स्वीकृति की प्रगति

क्र.सं.	मण्डी का नाम	सड़क का नाम	प्रगति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
वर्ष 1998-99				
1.	हनुमानगढ़	स.स. 29 एलएलडब्ल्यू से 32 एलएलडब्ल्यू	पूर्ण	
2.	हनुमानगढ़	स.स. 7 एलएलडब्ल्यू	पूर्ण	
3.	हनुमानगढ़	स.स. सुभानवाला	पूर्ण	
4.	हनुमानगढ़	स.स. 7 डीबीएल से 3 डीबीएल	पूर्ण	
5.	हनुमानगढ़	स.स. डबली-नूरपुरा से 2 डीबीएल	पूर्ण	
6.	हनुमानगढ़	स.स. 2 पीबीएन से 10 एमओडी	पूर्ण	
7.	हनुमानगढ़	स.स. हनुमानगढ़-अबोहर रोड से 9 एलएलडब्ल्यू	पूर्ण	
8.	हनुमानगढ़	स.स. 4 आरपी से 6 आरपी	पूर्ण	
9.	हनुमानगढ़	स.स. 14 डीबीएल	पूर्ण	
10.	हनुमानगढ़	स.स. हनुमानगढ़-अबोहर रोड से 6 केके. डब्ल्यू	पूर्ण	
11.	हनुमानगढ़	स.स. फतेहगढ़ से करणीमाता मन्दिर	पूर्ण	
12.	हनुमानगढ़	स.स. हनुमानगढ़-अबोहर से रोडावाली (कब्रिस्तान)	सड़क की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण कार्य नहीं कराया गया है।	
13.	नोहर	स.स. नोहर-फेफाना रोड से पदमपुरा वाया गुड़िया	5. किमी. में मिट्टी का कार्य पूर्ण। सामान्य परिस्थितियों में कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है।	
14.	नोहर	स.स. नोहर-साहवा सड़क से श्योरानी	पूर्ण	

1	2	3	4	5
15.	नोहर	स.स. नोहर-साहवा सड़क से भोगराना	पूर्ण	
16.	नोहर	स.स. उज्ज्वलवास से ढिलकी	पूर्ण	
17.	रावतसर	स.स. खेतावाली ढाणी से खेदासरी	पूर्ण	
18.	रावतसर	स.स. झेदासर से कानसर	पूर्ण	
19.	रावतसर	स.स. रामपुरा से निरवाल	पूर्ण	
20.	भादरा	स.स. ढीछानी से भिरानी (विस्तार)	पूर्ण	
21.	पीलीबंगा	स.स. डीगां-भागसर सड़क से 2 एसजीआर	पूर्ण	
वर्ष 1999-2000				
1.	हनुमानगढ़	स.स. 10 एचएचएच	पूर्ण	
2.	हनुमानगढ़	स.स. 7 एलएलडब्ल्यू से 3 केकेडब्ल्यू	पूर्ण	
3.	रावतसर	स.स. देवासर	8.50 कि.मी. में कार्य पूर्ण। शेष 500 मीटर लम्बाई में ग्रामवासियों द्वारा सड़क निर्माण नहीं चाहने पर कार्य अनुबंध की धारा 32 के अन्तर्गत अपखण्डित किया जा चुका है तथा देवासर को सिरीगसर से जोड़ दिया गया है।	
4.	पीलीबंगा	मिसिंग स.स. 24 पीबीएन से 28 पीबीएन	पूर्ण	
5.	पीलीबंगा	मिसिंग स.स. जाखड़ावाली से 9-10 एसपीडी	पूर्ण	
6.	गोलूवाला	स.स. गोलूवाला से 33-35 एलएलडब्ल्यू	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।	